चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 12

मंगलवार, 8 अगस्त, 2006
17 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30.06.2007

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

एस. एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 12, मंगलवार, 08 अगस्त, 2006/17 श्रावण, 1928 (शक)

विषय **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) सभा की कार्यवाही में विपक्ष की सहभागिता के बारे में 1-8

(दो) विगत सप्ताह के दौरान निपटाए गए कार्य के बारे में 262-263

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्नों संख्या 223, 224 और 228 9-26

(प्रश्न संख्या 221, 222, 225–227 को 22.08.06 के लिए स्थगित किया गया।)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 229 से 240 26-47

अतारांकित प्रश्न संख्या 1675 से 1828 47-256

सभा पटल पर रखे गए पत्र 256-261, 276

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक 262

समिति के लिए निर्वाचन

रबड़ बोर्ड 263-264

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2006-07 264

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के बारे में 265-266

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में 269-271

(दो) देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में 271-276

नियम 377 के अधीन मामले 286-293

(एक) उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 286-287

(दो) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत एडुसेट परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 287

(तीन) देश में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 287-288

(चार) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में "खजियार झील" के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. चन्द्र कुमार 288

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पांच) तेलुगू को पुरातन भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी 288-289

(छह) देश में श्रम कानूनों का उल्लंघन रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 289-290

(सात) बिहार के समस्तीपुर में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में व्याप्त तथा कथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 290

(आठ) दक्षिण–पूर्व रेलवे में पुरुलिया एक्सप्रेस और स्टील एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटाये जाने तथा दैनिक/मासिक/सीजन टिकटधारियों के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कुछ डिब्बे नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 291

(नौ) दीमापुर–गुवाहाटी और कोलकाता–दीमापुर के बीच शनिवार और रविवार को विमान सेवा पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक 291-292

(दस) मुम्बई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरगांव क्रॉसिंग पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री किसनभाई वी. पटेल 292

(ग्यारह) कर्नाटक में कतिपय क्षेत्रों को शामिल किये जाने के बारे में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 292-293

अनुपूरक अनुदानों की मांगें - (सामान्य) - 2006-07 293-362

श्री पी. चिदम्बरम 297

श्री के.एस. राव 297-302

श्री रघुनाथ झा 302-309

श्री पी. करूणाकरन 309-313

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 313-317

श्री एस. के. खारवेनथन 318-320

श्री एम. शिवन्ना 320-322

श्री सीताराम सिंह 322-326

डा. टोकचोम मैन्या 326-329

श्री प्रबोध पाण्डा 329-332

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 332-334

श्री के. वी. तंगबालु 334-340

श्री गणेश प्रसाद सिंह 340-343

श्री निखिल कुमार 343-347

श्री सी. के. चन्द्रप्पन 347-350

विषय कॉलम

श्री रामकृपाल यादव 350-356

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 356-359

प्रो. के एम. कादर मोहिदीन 359-362

श्री नवीन जिन्दल 362

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 363

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 364-368

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 369-370

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 369-370

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पांण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 8 अगस्त, 2006/17 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा की कार्यवाही में विपक्ष की भागीदारी के बारे में

[अनुवाद]

"माननीय सदस्यों जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं, मुझे खेद है कि विपक्ष के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं। एक बार फिर, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे आयें और सभा की कार्यवाही में भाग लें, जिसके वे हकदार हैं तथा मैं समझता हूं कि विपक्ष की सहभागिता के बिना संसदीय लोकतंत्र समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता है। अतः, मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि वे यहां आएं। वे संसद सदस्यों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसदीय इतिास में पहली बार इस तरह का विपक्ष द्वारा गैर–जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें मामले को आगे नहीं उलझाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष द्वारा सरकार का विरोध हो, आलोचना और खिंचाई हो, इसका विपक्ष को पूर्ण अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में यह आसन इस सदन का सर्वोच्च आसन है। यह केवल स्पीकर का विरोध नहीं है बल्कि सर्वोच्च संसद के आसन की गरिमा के खिलाफ आचरण है। मैं समझता हूं कि विपक्ष या *द्वारा इसकी शुरूआत की गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई नाम नहीं लें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विपक्ष द्वारा आसन के खिलाफ जो आचरण सार्वजनिक रूप से, प्रेस में, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में और समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा है, ऐसा करके नई परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है। मैं इसीलिए निवेदन रकना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा संसद के सर्वोच्च आसन की गरिमा की रक्षा करना उनका अधिकार है। आप सदन के कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं। यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है। यह न केवल अभूतपूर्व स्थिति है बल्कि संसदीय लोकतंत्र का खुल्लमखुल्ला असम्मान भी है। यही एक आसन है, जिस के माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं। आज करोड़ों लोग संसद की ओर देख रहे हैं। यह सदन आम लोगों का दर्पण है, जहां हम आम जनता की समस्याओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। सदन का अपमान और उसके आसन का अपमान करके, आज अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का काम हुआ है। यह संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने का एक निश्चित प्रयास है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : फंडामैंटल ताकतों द्वारा गलत तरीके से देश के संसदीय लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसलिए ससदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें मामले को आगे उलझाना नहीं चाहिएं। मैं आशा करता हूं कि वे आएंगे और सभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। निश्चय ही कुछ गलतफहमियां हैं। मैंने किसी का अपमान नहीं करना चाहा था। ऐसा लगा होगा कि मैं उनकी आलोचना कर रहा था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, सभा के भीतर आरंभ से ही जिस प्रकार मुख्य विपक्षी दल आचरण कर रहा है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका मुख्य प्रयास सभा की कार्यवाही को बाधित करना है। दो साल के बाद भी वे हार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी अनुपस्थिति में हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे क्या कर रहे हैं? मैं गत 26 वर्षों से सभा में हूं मैंने कभी सभा के भीतर या बाहर अध्यक्षपीठ के विरुद्ध नारेबाजी नहीं देखी है। विपक्ष के नेता की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, हम अपनी भावनाओं तथा हमारे देश के लोगों की समस्याओं को व्यक्त करने के लिए यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्नकाल शुरू करूंगा। आप केवल संबद्ध कर दीजिए। इसे बिना किसी नोटिस के प्रश्नकाल का निलम्बन माना जाएगा। हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमें हमारे देश के लोगों के विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, यदि कोई चर्चा नहीं होगी, कोई वाद विवाद नहीं होगा तो हम लोगों से जुड़ी समस्याओं को कैसे उठा सकते हैं? वे जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए। मैं एक एककर आपको बुलाऊंगा। मैं आप दोनों को एक साथ कैसे बुला सकता हूं?

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सर, जब से स्पीकर का पद अस्तित्व में आया, तब से लेकर अब तक पार्लियामैन्ट्री डेमोक्रेसी में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा पद नहीं है और ब्रिटेन में यहां तक कहा जाता है कि 'एक बार अध्यक्ष तो हमेशा अध्यक्ष'–चाहे जो भी सरकार आये या जाए, अगर वह अपने मन से नहीं हटना चाहता तो वह अध्यक्ष बना रहेगा।

इसलिए व्यवस्था में यह होना कि विपक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी बात कहकर सदन का बहिष्कार कर जाना एक अलग बात है – उसे उसका अधिकार है। अगर वह अहसास करता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है वह ऐसा कर सकता है। लेकिन स्पीकर पर एस्पर्शन या लांछन लगाते हुए सदन का बहिष्कार करना, इससे हमारी पार्टी अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकती। हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री राजेश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से चेयर के प्रति एक स्टेटमैन्ट जारी किया गया है कि हम स्पीकर का विरोध करते हैं, मेरी बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध और निन्दा करती है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर एक स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और नियमों के तहत आप चर्चा करें। मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है और समूचा विपक्ष उस पर चर्चा करने से मुकरता है, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता, सरकार पर गलत आरोप लगाता है और अध्यक्षपीठ के प्रति इस तरह से आरोप लगाता है तो यह बहुत निन्दनीय है। मेरा दल इसका भरपूर विरोध करता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो अपने को संबद्ध कर सकते हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर) : धन्यवाद महोदय, मुझे सभा के कार्यकरण के संबंध में आपके द्वारा लिखा गया विस्तृत पत्र प्राप्त हुआ है। यह अनपेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण है कि गत दो वर्षों से लगातार ...* इस सभा में नारेबाजी में लिप्त रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दल का नाम नहीं लें।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, वे सभा का बहिष्कार कर सकते हैं। किंतु अब उन्होंने अध्यक्षपीठ का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है जिसे पूरे देश द्वारा सम्मान दिया जाता है। अतः मैं डीएमके पार्टी की ओर से विपक्षी दलों के व्यवहार और आचरण की निंदा करता हूं। महोदय, विपक्षी दलों के आचरण से प्रजातंत्र के मंदिर का मखौल उड़ाया जा रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं सभा में समूचे विपक्ष की अनुपस्थिति पर अपनी गहरी निराशा और दुख व्यक्त करता हूं। विपक्ष जैसा करना बेहतर समझता हो वैसा करने का अधिकारी है। वे बहिष्कार भी कर सकते हैं किंतु मुद्दा यह नहीं है। बात यह है कि संसद उपयोगी विपक्ष के बिना काम नहीं कर सकती है।

हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं किंतु कई अवसरों पर सरकारी नीतियों के प्रति हममें घोर आक्रोश है। हम सरकार की निंदा करते हैं, हम सभा से बहिर्गमन भी करते हैं। यह संसदीय कार्यकरण और प्रणाली का भाग है। किंतु दुर्भाग्यवश, मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी भी है। मेरा यही कहना है। यदि सरकार की संसदीय प्रणाली के प्रति जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी सभा के संचालन में, प्रणाली के संचालन में समान जिम्मेदारी है क्योंकि वे सरकार में थे। भविष्य में वे फिर सरकार बना सकते हैं। अतएव, हमें संसदीय प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह अलग बात है। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। उन्हें इतना अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)* सिद्धांत है कि विपक्ष सत्तापक्ष बन सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम इस संसदीय प्रणाली को कमजोर न करें नजदीक से पाकिस्तान के साथ न जुड़े और देश के हित में संसद को बर्बाद न करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, पट्टा मक्काल काची पार्टी विपक्षी दलों के बहिष्कार पर अपनी गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त करती है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अध्यक्ष जो संसदीय प्रजातंत्र की सर्वोच्च संस्था है, पर लांछन नहीं लगाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। मैंने अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर दी है और मैं बार–बार यहां बैठे विरोधी दलों के लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे मेरा साथ दें।

प्रो. एम. रामदास : इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय और अध्यक्ष पद की रक्षा की जानी चाहिए और अध्यक्ष पद को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। वे सभी प्रकार की बातचीत में रचनात्मक रूप से भाग लें। हमने विपक्ष को लोगों के सभी विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए आपसे अधिक उदार अध्यक्ष नहीं देखा है। इसलिए, मैं ईमानदारी से विपक्षी दलों से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभा में भाग लें और सभा की सभी प्रकार की रचनात्मक बातचीत में शामिल होकर देश के लोकतांत्रिक विकास में योगदान दें।

अध्यक्ष महोदय : आइए हम सब उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आएं और सभा की कार्यवाही में भाग लें।

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर) : अपनी पार्टी की ओर से मैं अपने सहयोगियों के साथ सभा की कार्यवाही में भाग लेना और उन्होंने अब से पहले जो कुछ भी कहा है उसके साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

हम अपने सहयोगियों विपक्ष के अपने मित्रों और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनैतिक हताशा और नारेबाजी के कारण अध्यक्ष पद को निशाना बनाया है, के बर्ताव से काफी अप्रसन्न हैं। महोदय, मुझे विश्वास है और साक्ष्य यह बताते हैं कि आपकी कुर्सी इस सभा के अन्य हर सीट से काफी ऊंची है और यह तथ्य दर्शाता है कि अध्यक्ष पद राजनीति, दल और उन सभी प्रकार के नारों, जो आपने देखें हैं, और सुने हैं, से ऊपर है। इस सभा का एक कनिष्ठ सहयोगी और कनिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं केवल अपने उन मित्रों जिनके साथ मैं अब कुछ ही समय पहले सत्ता में था, से गंभीरता से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि अध्यक्ष पर निशाना साधकर वे संसद पर निशाना साध रहे हैं। अध्यक्ष पर निशाना साधकर वे संसद कमजोर कर रहे हैं और अपने को कमजोर कर रहे हैं। मैं उनसे केवल यह कहना चाहता हूं कि वे एक जिम्मेदार विपक्षी दल के तौर पर काम करें। वापस आएं और देश के लोगों के लिए काम करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः उनसे वापस आने का अनुरोध कर रहा हूं।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, जिस प्रकार से विपक्ष सभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहे उससे मैं काफी व्यथित हूं। कल उन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष, जिनके आसन को देश के लोगों के आसन के रूप में सम्मान किया जाता है, के समक्ष प्रदर्शन किया था। यह काफी खेदजनक है और इसकी भविष्य में निंदा की जानी चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे सब हमारे सहयोगी हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम मिलकर काम करेंगे।

डा. सी. कृष्णन : इस प्रकार की नारेबाजी से संसदीय मंच का अपयश होता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई गलतफहमी है तो उसे सदैव दूर किया जाना चाहिए।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलुगू देशम पार्टी की ओर से मैं अपने सभी सहयोगी संसदविदों और राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं को संबद्ध करता हूं। जिस प्रकार से अध्यक्ष पर दोष लगाया लगाया है उसके प्रति तेदेपा गहरी नाराजगी व्यक्त करती है। जैसा कि महामहिम महसूस करते हैं, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि सत्ता पक्ष। बहिष्कार करना या सदन से बाहर जाना विपक्ष का अधिकार है। किंतु उन्होंने जिस प्रकार से अध्यक्ष पर दोष लगाया लगाया है, तेदेपा उनसे नाराज है।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : मैं अपनी पार्टी की ओर से, माननीय सदस्यों ने यहां जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के विरुद्ध अगर कोई बात कही होती, वह समझ में आ सकती थी, लेकिन चूंकि उन्होंने स्पीकर ऑफिस के ऊपर इस तरह से आक्रमण किया है, इसकी मैं निन्दा करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष आसन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, दोबारा इस अगस्त हाउस में वापस आए और लोगों की भावनाओं का आदर करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस (बारासाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा आज सभा में व्यक्त किए गए मतों और विचारों से स्वयं को संबद्ध करता हूं। मैं विपक्ष से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभा में वापस आएं और माननीय अध्यक्ष का सहयोग करें ताकि सभा

को सुचारु रूप से चलाया जा सके और सभी विषयों पर पूरी तरह चर्चा कराई जा सके। मैं एक उदाहरण देता हूं कि कल नियम 193 के अंतर्गत कम शब्दों में चर्चा की जानी थी जोकि वास्तव में काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक बार फिर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष के विरोध में कोई बात करना और लोक सभा से बायकॉट करना संविधान के खिलाफ है। मैं विपक्ष की निन्दा का प्रस्ताव यहां रखता हूँ और हम सब लोगों को उनकी निन्दा का प्रस्ताव यहां पास करना चाहिए। डैमोक्रेसी को मज़बूत करने के लिए विपक्ष की यहां आवश्यकता है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे अंदर आए और बाहर ही जाना है तो हमेशा के लिए बाहर रहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिए काफी दुखद स्थिति है कि सारा विपक्ष अनुपस्थित है। मैंने उनसे अपील की है। मुझे विश्वास है कि वे इस पर पुनर्विचार करेंगे। अपनी ओर से मैंने उन्हें बार-बार आश्वासन दिया है और मैंने बार-बार सभा के सभी वर्गों से सहयोग मांगा है। यदि कोई गलती हुई है, यदि कुछ हुआ है तो हम सदैव आपस में चर्चा करके इसे सही कर सकते हैं। हो सकता है, मैंने कोई गलती की हो। और कोई भी यह गलती कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मित्रों के बीच में ऐसा हो सकता है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से, विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा यहां व्यक्त की गयी भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। यह हमारे संसद के इतिहास में यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण और बिल्कुल अप्रत्याशित बात है कि विपक्ष अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की अवहेलना करते हुए इस सभा का बहिष्कार कर रहा है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मैं विपक्ष के अपने मित्रों से काफी जोश के साथ अनुरोध करता हूं कि वे सभा की कार्यवाहियों में शामिल हों।

अध्यक्ष महोदय : सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की कद्र करता हूं। मुझे काफी दुःख है कि मुख्य विपक्षी दल और उसके सहयोगी अध्यक्ष-पीठ के प्रति अपना विरोध जताने के रूप में सभा की कार्यवाही से अपने को अलग रख रहे हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को मतभेद हो सकता है, सरकार की कतिपय कार्रवाई के संबंध में सरकार से उनका मतभेद होना भी चाहिए। यदि वे सभा का बहिष्कार करके अथवा किसी अन्य तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते तो यह समझ में आता है किन्तु यह काफी दुःखद है जब वे अध्यक्ष महोदय, जो इस सभा के सम्मान व गरिमा के अभिरक्षक हैं, का विरोध करने का निर्णय लेते हैं।

सदन के नेता के रूप में, मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक विपक्ष के नेता और विभिन्न विपक्षी समूहों के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि "कृपया वापस आएं वाद-विवाद में भाग लें और अपना योगदान दें।" संसद वाद-विवाद और चर्चा के लिए ही है और इस प्रकार, वे जिस प्रकार चाहें भाग लेकर अपना प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मैं पिछली घटनाओं का जिक्र करना नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत रूप से, विपक्ष के नेता को वापस आने के लिए उनसे फोन पर अनुरोध करूंगा। मैं विपक्ष के नेता और विभिन्न विपक्षी दलों के सभी नेताओं से, जिन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, यथा शीघ्र वापस आने और सभा की चर्चाओं में भाग लेने का अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा साथ ही साथ अपने दल की ओर से मैं आप में और इस पद पर आसीन रहते हुए आपके द्वारा संचालित सभा की कार्रवाई के तरीके में सम्पूर्ण विश्वास व आस्था व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मैं सभा में उपस्थित सभी पक्षों के सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं। आपको आपत्तियां हो सकती हैं परन्तु हम विपक्ष की भागीदारी के बगैर सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते। मैं महसूस करता हूं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भागीदारी आवश्यक रही है।

मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं और उनसे सभा की कार्यवाही में भाग लेने की अपील करता हूं। विपक्ष के पास अधिकार है और मैं आश्वस्त हूं कि वे अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ होंगे।

अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

प्रश्न सं. 221 स्थगित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 222 भी स्थगित कर दिया गया है।

श्री रामदास आठवले : महोदय, कृपया मेरे प्रश्न को अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सिर्फ स्थगित किया है। इसे समाप्त नहीं किया है।

प्रश्न संख्या* 221:

प्रश्न संख्या* 222:

---

*प्रश्नों को दिनांक 22-8-2006 के लिए स्थगित कर दिया गया।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. साई. प्रताप– प्रश्न संख्या, 223

उच्च शिक्षा पर कम होता खर्च

***223. श्री ए. साई. प्रताप** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा पर प्रति छात्र खर्च में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) "उच्च तथा तकनीकी शिक्षा का वित्तपोषण" के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991–91 से 2002–03 की अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा के संबंध में स्थिर मूल्य पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय में सामान्यतः कमी का रुझान देखा गया है।

इस सामान्य कमी के रुझान का कारण विद्यार्थियों की संख्या तथा मुद्रास्फीति के रुझानों के मद्देनजर अपर्याप्त बजटीय आबंटन रहा है।

उच्चतर शिक्षा हेतु केन्द्रीय योजनागत आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए वर्ष 2005–06 में आबंटित 873.27 करोड़ रु. की राशि को बढ़ाकर वर्ष 2006–07 में 1403.50 करोड़ रु. कर दिया गया है।

श्री ए. साई प्रताप : महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा संबंधी कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। यदि हां, तो वर्तमान में कितना खर्च किया जा रहा है; तथा उच्च शिक्षा हेतु वांछित व अपेक्षित व्यय पूरा करने के लिए संसाधनों को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगित कर दिया है। मुझे ऐसा करने का अधिकार है। कृपया इसे स्वीकार करें। अभी–अभी अपने अध्यक्ष के अधिकारों का जिक्र किया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, श्री साई प्रताप, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री ए. साई प्रताप : महोदय, मैंने पूछा है कि क्या शिक्षा संबंधी कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। यदि हां, तो वर्तमान में कितना खर्च किया जा रहा है तथा उच्च शिक्षा हेतु अपेक्षित व वांछित व्यय पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह सत्य है कि कोठारी आयोग ने ऐसी सिफारिश की है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले अनेक वर्षों से हम उच्च शिक्षा पर इतनी धनराशि खर्च नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत, यह धनराशि घटती रही है। पिछले दशक में, व्यय में उल्लेखनीय कमी रही है।

महोदय, यह वचनबद्धता का मामला है तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने के लिए कटिबद्ध है और प्राथमिक एवं उच्च स्तरों के बीच अनुपात बना रहेगा। वर्तमान हमारा जोर प्राथमिक शिक्षा पर है क्योंकि जब तक हमारे पास मजबूत नींव नहीं होगी तब तक हम मजबूत इमारत तैयार नहीं कर सकते। साथ ही साथ, सरकार उच्च शिक्षा पर व्यय राशि बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। वस्तुतः वर्ष 2006–07 के दौरान इसे 873 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,403 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार अब संबंधित रुख तय किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा।

श्री ए. साई प्रताप : महोदय, अपने प्रश्न के भाग 'ग' के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यथेष्ट प्रावधान किए गए हैं। अगर नहीं, तो क्या सरकार का विचार शिक्षा नीति में तदनुसार संशोधन करना है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण के अनुरूप होने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि करते हुए मैं पूरी गंभीरता के साथ सावधान भी करना चाहता हूं कि हमें प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा उसी रूप में सही है जिस रूप में वह सामने आती है। लेकिन हमें अपने मूल उद्देश्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। इसलिए सरकार वैश्विक रूप से शिक्षा

क्षेत्र में सामने आई नई चुनौतियों के साथ सतर्क एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना रही है। मैं सभा को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा प्रयास यथेष्टतः राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

श्री के. चुब्बारायण : महोदय, यह एक स्थापित तथ्य है कि आज शिक्षा का पूरी तरह से वाणिज्यीकरण हो गया है। यह गरीब परिवारों के छात्रों के पहुंच से बाहर की वस्तु हो गई है। अतः, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार गरीब परिवारों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करेगी।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, हाल में मैं इसी का उल्लेख कर रहा था। यह वह संतुलन है जिसे हमें बनाए रखना है। हम वाणिज्यीकरण को उच्चतर शिक्षा का मार्गनिर्देशक सिद्धांत बनने की अनुमति नहीं दे सकते और इसके बावजूद हमें शिक्षा का इस प्रकार विस्तार करना है ताकि हम विश्व के साथ प्रौद्योगिकी में, उत्कृष्टता में और उन क्षेत्रों में, जिनमें हमें आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा कर सकें और हमें इस चुनौती का सामना करना है।

मैं माननीय सभा को और माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह इस सरकार की शिक्षा नीति का मूल मार्गदर्शी सिद्धांत होगा।

[हिन्दी]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं फायनेंसिंग ऑफ हायर एंड टैक्नीकल एजूकेशन के संबंध में मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर तभी बन सकेगा, जब वह पहली क्लास में दाखिल होगा। यदि वह पहली क्लास में ही दाखिल नहीं हो, तो डाक्टर, इंजीनियर या अच्छा शहरी कैसे बनेगा। जो बच्चे हायर एजूकेशन के लिए जाते हैं, उनका पहले कंपटीशन होता है, लेकिन जो बच्चे गांवों से पढ़कर आते हैं और गांवों में भी ऐसे स्कूलों से जहां टीचर भी नहीं होते हैं, वे कैसे हायर एजूकेशन प्राप्त कर सकेंगे। मैं किसी पर एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि गांव के बच्चे उन स्कूलों से पढ़कर आते हैं, जहां टीचर भी नहीं होते अतः मैं आपके माध्यम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों के गरीब बच्चे, जहां टीचर नहीं होते और जहां उन्हें कोई सहूलियतें नहीं दी जाती हैं, क्या उन्हें हायर एजूकेशन में लेने के लिए वे कोई फेसीलिटी देंगे। इसी के साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सी.बी.एस.ई. का सिलेबस और गांवों में स्कूलों का सिलेबस अलग–अलग होता है, इसे देखते हुए क्या आप पूरे देश में एक ही तरह का सिलेबस लागू करेंगे ताकि गांवों के गरीब बच्चे भी कंटपीशन में बैठ सकें?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय डिप्टी स्पीकर साहब का जो प्रश्न है, वह शिक्षण प्रणाली को ध्यान में रखकर पूछा गया है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में यह सवाल पूछा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारी जो प्राथमिकता है वह प्राथमिकता शिक्षा की है और उसके लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, वे उन्हें विदित ही हैं, मैं उन्हें दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा मूलतः राज्यों की जिम्मेदारी है। हम उसमें संप्लीमेंट करते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने में उनका हाथ बंटाते हैं। यह एक विडम्बना है कि इस प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने का भार जिनके ऊपर है, वे उतना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो परिस्थिति अब निर्माण हो रही है, उससे देश के अंदर राज्यों की ओर से और केन्द्रीय शासन की ओर से इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर जो प्रयास होंगे, वे उन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जिनकी ओर आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब ने ध्यान दिलाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. मनोज, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डा. के. एस. मनोज : जी, हां। माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि उनकी मुख्य चिंता प्राथमिक शिक्षा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। आप प्राथमिक शिक्षा की ओर क्यों जा रहे हैं।

डा. के. एस. मनोज : इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय के प्रश्न के उत्तर में कहा था।

डा. के. एस. मनोज : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता प्राथमिक शिक्षा है। सर्व शिक्षा अभियान और अन्य सभी के अंतर्गत निर्दिष्ट दिशानिर्देश विभिन्न राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। समान दिशानिर्देश अलग–अलग राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्व शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशों में राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपके क्षेत्राधिकार में है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह एस. एस. ए. से संबंधित प्रश्न है। मैं इस प्रश्न से सीधे नहीं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जिसमें भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, उस संबंध में हम खुले हुए हैं और यदि यह हमारी जानकारी में लाया जाता है तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण – अनुपस्थित।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किए जाते हैं, वह राशि खर्च नहीं हो पा रही है। वहीं देश के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर मेधा रखने वाले छात्र गरीबी और फटेहाली की वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी उन विद्यार्थियों को जो गरीबी और आर्थिक अभाव की वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो या हायर एजूकेशन हो, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि गरीब विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी सिफारिश पर निर्भर करता है कि कितना पैसा हमें मिलता है। इसके अलावा माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह एक विडम्बना है कि देश के बहुत बड़े भाग में हमारे देश के बच्चे गरीबी व अन्य कठिनाइयों की वजह से उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते हैं। सदन के सामने ऐसा कहना कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। आज की परिस्थिति में हमारे देश के आठ से दस प्रतिशत बच्चे ही हायर एजूकेशन की तरफ जाते हैं, जबकि अन्य देशों में यह प्रतिशत लगभग तीस से अधिक है। इसे और प्रभावशील बनाने के लिए हमें इन्वैस्टमैंट भी करना पड़ेगा, प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा और गरीब छात्रों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर उनके लिए इसे सम्भव भी बनाना होगा। इसी तरह के प्रयासों से माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसका समाधान हो सकता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि गरीब और मजलूम, खासकर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, वे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़ें और रोजगार पाएं?

मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने कोई योजना बनायी है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न रख दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्योंकि छात्र एम्प्लायमेंट हेतु इधर–उधर भटकते रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनके मां–बाप अपनी गाढ़ी कमाई से खर्च करके किसी तरीके से उन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर तक शिक्षा दिलवाते हैं। क्या आपका ऐसा कोई कार्यक्रम है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें सीधे रोजगार मिल सके या उन्हें रोजगार से जोड़ने का कोई कार्यक्रम आपके पास है?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है और हकीकत से जुड़ी हुई है। लेकिन यह समस्या केवल शिक्षा विभाग के प्रयास से ही दूर नहीं हो सकती है। फिर भी स्किल, जिसको हुनर कहते हैं, यदि हुनर की शिक्षा स्ट्रीमलाइन कर दी जाए तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

वोकेशनल एजूकेशन दूसरा विषय है, जिसके तहत कुछ प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं कहता हूं कि यह अपर्याप्त है और सही ढंग से समन्वित करके प्रयास नहीं हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्किल देने का सवाल व्यवस्थित तरीके से शामिल हो, ताकि बच्चे उस हुनर को प्राप्त करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, अनुसंधान और विकास हमारी उच्चतर शिक्षा की स्थिति को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण संघटक हैं। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के संबंध में जहां तक पेटेन्ट व्यवस्था का संबंध है, हमें कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कितने शिक्षा संस्थान पेटेन्ट निष्पादित करने के कार्य में लगे हुए हैं? पेटेन्ट के रूप में हमारे देश का विश्व में कितना हिस्सा है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं मुख्य प्रश्न से थोड़ा अलग हटने के लिए आपका अनुग्रह चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अलग हो चुके हो।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता विश्वविद्यालय तथा कल्याणी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 36 बी एड कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 7,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय हमारे राज्य के सामने पेश आ रही इस पुरानी समस्या के समाधान पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रथम प्रश्न वापस ले रहे हैं। केवल दूसरे की ही अनुमति दी जाती है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं दूसरे प्रश्न पर बल देना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को आ रही कठिनाइयों का समाधान इस प्रकार किया जाए, जिससे कि उनसे अस्तित्व को खतरा न हो।

प्रो. बसुदेव बर्मन : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि 1990–91 से 2002–03 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा पर प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय में कमी आई है। मुझे लगता है कि यह स्थिति बहुत गलत है। मैं चाहता हूं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी इस सभा को 2003–04 से 2005–06 अर्थात पिछले तीन वर्षों के दौरान में रुझान की जानकारी देने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूं कि रुझान में कुछ सुधार हो रहा है अथवा यह अब भी नीचे जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 2006–07 के बजटीय प्रावधान, जोकि उत्तर में उल्लिखित हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने पर्याप्त हैं।

बजटीय आबंटन का अनुपात क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है, आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो. बसुदेव बर्मन : वर्ष 2006–07 के बजटीय प्रावधानों में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच बजटीय आबंटनों का अनुपात क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह वाद–विवाद नहीं है। आप बहुत प्रश्न पूछ चुके हो। आबंटन में बढ़ोत्तरी का रुझान है।

माननीय मंत्री महोदय, वह पूछना चाहते हैं कि क्या आप और धनराशि प्रदान कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह तथ्य कि आबंटन बढ़ाने का रुझान है, यह बुरा संकेत नहीं है। हम पूरी सहायता करेंगे कि यह उस दिशा में ही जाए तथा अंततः जितने आबंटन की उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, वह उसे मिलना चाहिए, जिससे कि अनुसंधान तथा उन अन्य सभी कार्यों में सहायता मिलेगी, जिनका हवाला दिया गया था।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद : आपका बहुत–बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछिये, बात करने की जरूरत नहीं है।

मोहम्मद शाहिद : माननीय एच. आर. डी. मंत्री महोदय से देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन है और खास तौर से जो उच्च शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उसमें एक गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाता है, उसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। जब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, जब उनको इंजीनियर डॉक्टर या कोई अन्य डिग्री नहीं मिलती तो फिर वे बुराइयों की तरफ चलते हैं, जिससे समाज में गंदगी फैलती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए क्या सोच रही है, जिससे हमारे समाज के 100 फीसदी बच्चों को तालीम मिल सके और वे अपनी जिन्दगी गुजारने के लिए एक अच्छा रास्ता तलाश कर सकें?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल मौजू है। यह बात आम तौर से तो कही जा सकती है, लेकिन जब हम उसका सामना करने के लिए चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। हायर एजुकेशन में, जैसा मैंने शुरू–शुरू में कहा कि सरकार का यह मत है कि हम साधन दें, अवसर बढ़ायें, वह अपनी जगह है। हायर एजुकेशन को पैसा बनाने का रास्ता न बनने दिया जाए, यह फैसला भी इस सरकार का है। इन दोनों के बीच में ही हमें किसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। सामान्य बच्चों को ऐसी तालीम मिले, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, उन्हें नौकरी मिल सके, मैंने उसी का जिक्र हुनर शिक्षा के बारे में किया है। चूंकि वह अलग विषय है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस पहलू को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व देकर उसको देश के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अंतिम अनुपूरक श्री फ्रांसिस जार्ज द्वारा पूछा जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मुद्दे पर प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, जिन छात्रों ने व्यावसायिक उच्च माध्यमिक शिक्षा (वी एच एस ई) पाठ्यक्रमों को चुना है, उन्हें मुख्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में बड़ी समस्या आती है। केरल में, 37,000 छात्रों ने वी एच एस ई पाठ्यक्रमों को चुना है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने भी सिफारिश की है कि केरल में इस पाठ्यक्रम को अन्य माध्यमिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के समान मान्यता प्रदान की जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय तुरंत उत्तर कैसे दे सकते हैं?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं। क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय केरल में वी एच एस ई पाठ्यक्रमों को देश में अन्य माध्यमिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के समान बनाने के लिए आदेश जारी करेगा? इससे केरल के छात्र राज्य के बाहर मुख्य उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को चुन सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मुझे लगता है कि यह प्रश्न, उस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता, जो हमारे सामने है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, डिग्रियों की रुपकक्षता से संबंधित एक प्रक्रिया है। मैं किसी को उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार न करने के आदेश नहीं दे सकता। एक राज्य अथवा देश के एक भाग में डिग्रियों में रूपकक्षता क्रियान्वित करने हेतु एक प्रक्रिया है तथा इस के लिए उस प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया से केरल सरकार तथा केरल के छात्रों को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आठ माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं, उसके बावजूद भी कई माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अपने हाथ उठा रहे हैं। इसलिए, कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं अगले प्रश्न पर जाना चाहता हूं।

शरणार्थियों को सुरक्षा

***224. एडवोकेट सुरेश कुरूप :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार कुल कितने शरणार्थी पंजीकृत थे;

(ख) क्या सरकार का विचार शरणार्थी संधि 1951 का अनुसमर्थन करने तथा एक व्यापक शरणार्थी सुरक्षा कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है;

(ङ) क्या पहले भी कभी इस विषय पर एक आदर्श कानून (मॉडल लॉ) बनाने के बारे में सरकार ने सोचा था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत विदेशी शरणार्थियों (पाकिस्तानी शरणार्थियों को छोड़कर) की कुल संख्या 2,15,869 है।

(ख) से (घ) भारत सरकार, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की जेनेवा संधि और 1967 के इसके प्रोटोकॉल का एक पक्षकार नहीं है। भारत ने उक्त संधि और इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, अन्य बातों के साथ–साथ, उसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:–

(i) प्रोटोकॉल, शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए केवल अस्थाई व्यवस्था है।

(ii) संधि और प्रोटोकॉल को मुख्यतः अलग–अलग मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है न कि व्यापक रूप से अंतः प्रवाह की स्थिति से निपटने के लिए।

(iii) वे विकासशील देशों के सामने आ रही स्थिति पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करते हैं।

(iv) चूंकि बहुत से मामलों में शरणार्थी, वस्तुतः, आर्थिक प्रवासी होते हैं इसलिए मिश्रित प्रवाह की स्थिति पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है।

(v) ग्रहणकर्ता और स्रोत राज्यों के अधिकारों और बाध्यताओं के बीच में कोई संतुलन नहीं है।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय भार वहन करने की अवधारणा को संधि में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है।

(vii) संधि और प्रोटोकॉल में शरणार्थी प्रवाह का सृजन न करने के लिए राज्य की न्यूनतम जिम्मेदारी के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

(viii) संधि और इसके प्रोटोकॉल में शरणार्थी समस्या हल करने के लिए अन्य राज्यों के साथ सहयोग करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) और (छ) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने आदर्श कानून "शरणार्थी और आश्रय प्राप्तकर्ता संरक्षण अधिनियम, 2000" का मसौदा तैयार किया था। इस आदर्श मसौदा कानून में अन्य बातों के साथ–साथ, व्यक्तियों के बारे में यह परिभाषित किया गया था कि कौन शरणार्थी होगा, कौन शरणार्थी नहीं होगा, शरणार्थियों की स्थिति निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया होगी और शरणार्थियों के अधिकार और कर्तव्य आदि क्या होंगे। वर्तमान घरेलू कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियों को

ध्यान में रखते हुए इस मसौदा कानून पर अंतिम मत बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : महोदय, भारत दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा शरणार्थी आते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहां इस संबंध में समुचित विधान मौजूद नहीं है। इस देश में न्यायालय हमेशा शरणार्थियों के बचाव में आगे आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शरणार्थी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि वह हमारे महान लोकतंत्र और बहुविध परम्परा को ध्यान में रखकर तुरन्त एक आदर्श विधान बनाए और वह विधान विधि शास्त्रशरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कानून होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो सरकार को ऐसा कानून लाने से रोक रही हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, हमने प्रारूप विधेयक तैयार कर लिया है और विभिन्न मंत्रालय इस प्रारूप विधेयक पर विचार कर रहे हैं। इस कानून को बनाने में हमारे देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि पड़ोसी देशों के पास इस प्रकार का कोई कानून नहीं होगा तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

हम अपने देश में आने वाले शरणार्थियों की सहायता उस ढंग से कर रहे हैं जो ढंग संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य है और उस ढंग से कर रहे हैं जिस ढंग से उन देशों द्वारा की जाती है जिनके यहां उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे कानून विद्यमान हैं। हमने इस संबंध में सार्क में इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न किया था और सभी देशों से सहयोग करने के लिए कहा था। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी विचार–विमर्श कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वह इस मुद्दे पर इस प्रकार का सहयोग दे जिससे हम इस क्षेत्र में कानून बना सकें और शरणार्थियों की मदद कर सकें।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : मेरा मानना है कि हमें इस संबंध में नेतृत्व करना चाहिए।

मैं इस संबंध में माननीय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के द्वारा तैयार किए गए आदर्श कानून के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसी रिपोर्ट थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका निरीक्षण कर रहा है और उसने सरकार का उत्तर जानने के लिए इसे सरकार के पास भेजा है। इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री शिवराज वि. पाटील : फिलहाल हम ऐसा कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन यह विचार प्रशंसनीय है और इसे स्वीकार कर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तथापि ऐसा करते हुए हमें इस संबंध में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिए। वास्तव में भारत सरकार सार्क देशों के साथ वार्तालाप कर रही है ताकि उन्हें मानसिक रूप से ऐसे कानून बनाने के लिए तैयार किया जा सके क्योंकि यदि यहां पर शरणार्थी आते हैं और उन्हें वापस नहीं लिया जाता है तब उन्हें यही रहना पड़ता है। अथवा उन्हें किसी अन्य देश में जाना पड़ता है। प्रश्न यह है कि "क्या हमारे यहां शरणार्थियों का आना जारी रहेगा और हमें उन्हें यहां रहने की अनुमति देनी होगी।" जिन देशों से ये शरणार्थी आते हैं उनका रवैया भी सहयोगात्मक होना चाहिए ताकि वे शरणार्थियों को वापस ले सके। यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें यह आश्वासन भी दिया जाएगा कि उनके साथ उचित रूप से व्यवहार किया जाएगा। ये कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां हैं। तथापि मैं यह कहता हूं कि यह विचार अच्छा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। हम देश के संबंधित विभागों के साथ–साथ दक्षिण एशियाई देशों; दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों और अन्य देशों के साथ सलाह–मशविरा करने की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बंगलादेश से आए हुए बंगलाभाषी नामशुद्र कम्युनिटी के लोगों की संख्या 38 लाख है। वे सब भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1971 की कट–ऑफ डेट को बढ़ाकर, जो लोग हमारे देश के नागरिक बनना चाहते हैं, उनके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है। भारत के जो लोग अमरीका, इंग्लैंड जाते हैं, उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, यहां रहना चाहते हैं, क्या आप उन्हें यहां की नागरिकता देने के बारे में विचार करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रिफ्यूजीज़ के संबंध में है, सिटिज़नशिप देने के संबंध में नहीं है। आठवले जी ने पहले भी यह प्रश्न हमारे सामने रखा है। उनके प्रश्न में बहुत अर्थ हैं, लेकिन उसे किस प्रकार हल किया जाए, उसे अलग से देखना पड़ेगा। यदि मैं इस प्रश्न के संदर्भ में, पूरी तरह नहीं देखते हुए कोई उत्तर दे दूं, तो यह ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जिसमें देश में पंजीकृत शरणार्थियों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया था, के संबंध में हमें पंजीकृत विदेशी शरणार्थियों के बारे में बताया गया और मैं जो अनुपूरक पूछने जा रहा हूं वह भी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप इसे मत पूछिए।

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तभी मैं यह प्रश्न पूछूंगा। वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं संबंधित मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर सार्क देशों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। सार्क सम्मेलन के दौरान इस पर विचार–विमर्श किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए कोई पहल की गई थी जिस का समाधान हम बिना कोई पहल की गई थी जिसका समाधान हम बिना कोई कानून बनाए नहीं कर सकते और जोकि आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्क देशों के साथ इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए तैयार है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने ठीक ऐसा ही कहा है। सरकार अनौपचारिक तौर पर सार्क देशों के साथ इस मुद्दे पर विचार–विमर्श कर रही है लेकिन मैं नहीं समझता कि सार्क देशों के साथ इस मुद्दे पर औपचारिक तौर पर कोई विचार–विमर्श किया जाएगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का कानून मददगार साबित हो सकता है और हमारे पास ऐसा कोई कानून होना चाहिए। यदि पड़ोसी देशों द्वारा ऐसे किसी कानून को अधिनियमित किया जाता है तो यह मददगार साबित हो सकता है। हम इस मुद्दे को औपचारिक तौर पर सार्क देशों के साथ उठाने की प्रक्रिया में हैं।

प्रो. चन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, तिब्बत के लोग और वहां की निर्वासित सरकार भारत में रह रही है और इनमें से अधिकतर लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और इनके पवित्र धर्मगुरु दलाई लामा भी यहीं रहते हैं। मैं गृह मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि यहां पर रहने वाले और निर्वाचित जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को चीन से बातचीत करने के लिए कितना समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : हमारे पास तिब्बत से शरणार्थी आए थे और उन्हें यहाँ रुकने की अनुमति दी गई थी किंतु मैं नहीं समझता कि हम उनके साथ निष्कासित सरकार जैसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कोई भी राजनैतिक गतिविधि नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 225, 226 और 227 को स्थगित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 226 का क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पोस्टपॉड हो गया है। आप जानते हैं कि मैंने इन्हें क्यों स्थगित किया है।

प्रश्न सं. *225
प्रश्न सं. *226
प्रश्न सं. *227

व्यापार संतुलन

+

***228. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मदों और सेवाओं के निर्यात के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आयातों का मूल्य निर्यातों के मूल्य से अधिक रहा; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सेवाओं के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान पण्य वस्तुओं का निर्यात कार्य निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में लगातार अधिक रहा है। सभा पटल पर रखे गए विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एक विवरण सभा पर रख दिया गया है।

---

*प्रश्न संख्या 225, 226 और 227 22.8.2006 के लिए स्थगित किए गये।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पण्य वस्तुओं की निर्यात वृद्धि का लक्ष्य और लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि चालू वर्ष के लिए लक्ष्य के साथ–साथ निम्नलिखित है–

वर्ष	वृद्धि दर (%)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2003–04	12	21
2004–05	16	31
2005–06	16	23
2006–07	21	–

(घ) पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातों का मूल्य और निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित है–

(बिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	निर्यात	तेल आयात	अन्य आयात	कुल आयात
2003–04	63.8	20.6	57.6	78.2
2004–05	83.5	29.8	81.7	111.5
2005–06 (अ.)	102.7	44.0	105.1	149.1

(अ.) अनंतिम

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि कुल आयात मुख्यतः तेल आयातों में तेजी से वृद्धि के कारण निर्यातों से अधिक थे।

(ङ) आयातों को प्रतिबंधित करने अथवा व्यापार को कृत्रिम रूप से संतुलित करने के लिए कोई उपाय नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है अथवा मुद्रास्फीति के दबाव पुनः बढ़ सकते हैं। सरकार ने निर्यात संवर्धन पर मुख्य रूप से बल दिया है। निर्यातों को और बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ एसईजेड अधिनियम लागू करना, निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण और भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इससे अतिरिक्त, निर्यातों में अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए विदेश व्यापार नीति (2006–07) में अनेक नई पहले की गई हैं जिनमें फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण स्कीम तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए अनेक उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में आयात और निर्यात का जो ब्यौरा दिया है, उसमें आयात में लक्ष्य के सामने उपलब्धि बढ़ी हुई दिखायी गयी है। जहां तक निर्यात का प्रश्न है, तेल के आयात की वजह से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी बताया है। कि इसमें अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है अथवा मुद्रास्फीति के दबाव पुनः बढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमैंट्री क्वेश्चन है कि यदि अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़े देखे जायें, तो हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है, उसमें लगातार पिछले तीन सालों में 20 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि रही है। जिस प्रकार से हमारा निर्यात इस साल बढ़ा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति होगी। यह बात सही है कि आज के दिन रुपये की वेल्यू घटी है। इससे हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दोनों प्रभावित हुए हैं। परन्तु हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो निर्यात नीति है और जो लक्ष्य बनाये गये हैं, हमने जो सुविधा और साधन अपनी निर्यात नीति में उपलब्ध कराने हैं, जो नीति इस साल घोषित की गयी थी, उसके अनुसार हम उसे पूरा करेंगे। अब अर्थव्यवस्था जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे निर्यात की परफोर्मेंस सही रहेगी।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, विदेश व्यापार नीति 2006–07 में अनेक नई पहलें की गयी हैं जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना और विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के लिए उपाय शामिल हैं। विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना के तहत कृषि का जो उत्पादन है, जैसे मूंगफली और मूंगफली के दाने के विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र में एक एक्सपोर्ट जोन बनाने की योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूंगफली के दाने का एक्सपोर्ट करने के लिए क्या सरकार के पास कोई सोच है?

श्री कमल नाथ : महोदय, जो निर्यात नीति घोषित की गयी थी, उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को दी गयी थी। इस योजना का नाम पहले केवल विशेष कृषि था। इस साल इसमें हमने ग्राम उद्योग भी जोड़ा है, इसलिए इसका नाम "विशेष कृषि और ग्राम उद्योग" रखा गया है ताकि इसमें केवल हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनका ही निर्यात न हो बल्कि साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र से संबंधित, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको भी निर्यात के लिए कुछ

सुविधा और साधन प्राप्त हों। जहां तक माननीय सदस्य ने ग्राउण्डनट की बात कही है, उसके लिए जहां एक्सपोर्ट जोन बनाने की बात है, जब भी गुजरात सरकार से प्रस्ताव आएगा, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बारड़, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री एम. अंजनकुमार यादव : महोदय, हमारे देश में निर्यात और आयात समय के साथ दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु आयात में बढ़ोत्तरी निर्यात से ज्यादा है जिसके कारण गत वर्ष व्यापार घाटा 39 अरब डालर से ज्यादा हो गया है, जबकि गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व यह घाटा 27 अरब डालर का था। अगरइस घाटे को रुपए में गिना जाए तो यह घाटा खरबों रुपए में जाएगा। दुनियां में जिन देशों का व्यापार घाटा बहुत हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। देश में आयात को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और उठाए गए कदमों से सरकार को क्या सफलता मिली है?

श्री कमल नाथ : महोदय, अगर हम निर्यात और आयात के आंकड़े देखें कि हमारा तेल का इम्पोर्ट कितना है – वर्ष 2003–2004 में हमारा तेल का आयात लगभग 20 बिलियन डालर था, जो वर्ष 2005–2006 में 44 बिलियन डालर हो गया, इसका मतलब है कि यह दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। अगर हम तेल को अलग रखें और तब हम अपने आयात एवं निर्यात के आंकड़े देखें तो लगभग इसमें बराबरी है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो डेफिसिट होता है, वह डेफिसिट तेल के इम्पोर्ट के कारण होता है, ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं। जहां तक माननीय सदस्य की यह चिन्ता है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस साल हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तेल के भाव में भी वृद्धि हुयी है, तेल के भाव बढ़ रहे हैं और पिछले साल जो तेल के आयात के आंकड़े थे, वे इस साल भी बढ़ेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि साल के अंत में हमारा आयात, अगर उसमें तेल को न गिना जाए अर्थात हमारा जो नॉन–ऑयल इम्पोर्ट है और जो हमारा निर्यात है, वे लगभग ईक्वल रहेंगे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, फरवरी, 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के क्रियान्वित होने के बाद विभिन्न निर्यातक विशेषकर आई टी क्षेत्र, के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भूमि के आकार के सम्बन्ध में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आई टी क्षेत्र विभिन्न स्थानों और कभी–कभी छोटे–छोटे क्षेत्रों में भी विकसित हुए हैं। यदि उन्हें एसई जेड की सुविधाओं का उपयोग करना है तो उन्हें स्थान विशेष पर आना होता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान काफी बड़े क्षेत्र में फैली आई टी क्षेत्र की विभिन्न छोटी कम्पनियों की इस मांग की ओर गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र छोटे क्षेत्रों में भी होने चाहिए?

श्री कमल नाथ : जी, हां महोदय, यह अब नियमों में अधिसूचित कर दिया गया है। आई टी क्षेत्र विशेषकर आई टी एसईजेड के आकार के बारे में सरकार में ही विभिन्न दृष्टिकोण थे। जो कि उर्ध्वाधर प्रगति करता है। हमने निर्मित क्षेत्र सहित निम्नतम क्षेत्र सीमा निर्धारित कर दी है जिससे कि यह उर्ध्वाधर बढ़ सके। यह विशेषकर आई टी और रत्न एवं जवाहरात क्षेत्र के लिए है। जिसके लिए ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है ये उर्ध्वाधर बढ़ सकते हैं; इसमें रोजगार सृजन की आपार सम्भावना है। इसे अधिसूचित किया जा चुका है और अब इसकी अधिकतर रिपोर्ट संतोषजनक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार

*229. **श्री वी. के. तुम्मर** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लघु उद्योग क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राज्य–वार कितने नए लघु उद्योग स्थापित किए गए;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर

प्रसाद) : (क) 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान पंजीकृत एवं अपंजीकृत लघु उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नवत् है:

(रोजगार–लाख व्यक्ति)

मद/वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06
लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार का अनुमान	271.42	282.57	294.91

(ख) 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान देश में स्थापित पंजीकृत एवं अपंजीकृत लघु उद्योगों की अनुमानित संख्या निम्नवत् है:

मद/वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06
स्थापित लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	4,45,637	4 63,778	4,82,841

इन उद्योगों का राज्य–वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार की सूचना केन्द्रीय स्तर पर संकलित नहीं की जाती। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग में रोजगार की वृद्धि निम्नवत है:

(रोजगार–लाख व्यक्ति)

वर्ष	लघु उद्योगों में अनुमानित रोजगार	
	रोजगार	वृद्धि दर
2002–03	260.21	4.36%
2003–04	271.42	4.31%
2004–05	282.57	4.11%

राज्य सरकारें एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासन लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि, लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं तथा बहुत सी योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इनमें, अन्य मदों के साथ–साथ, (i) मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्धता सुगम बनाने तथा (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, आई.एस.ओ. 9000/14001 प्रमाणपत्र प्राप्ति, विपणन, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास एवं उद्यमिता विकास के लिए सहायता शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और गामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित करती है जो विशेष रूप से रोजगार अवसरों के सृजन के लिए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित लघु उद्योग इकाइयों की राज्य–वार आकलित संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थापित लघु उद्योग इकाइयों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	3097	3223	3434
2.	हिमाचल प्रदेश	3227	3359	3151
3.	पंजाब	15961	16611	13714
4.	चण्डीगढ़	942	981	902
5.	उत्तरांचल	4510	4694	5196
6.	हरियाणा	9458	9843	7955
7.	दिल्ली	7500	7806	7006
8.	राजस्थान	18703	19465	20193
9.	उत्तर प्रदेश	72344	75288	85648
10.	बिहार	21998	22893	23157
11.	सिक्किम	16	16	22
12.	अरुणाचल प्रदेश	53	55	79
13.	नागालैण्ड	587	611	1597
14.	मणिपुर	2033	2116	1871
15.	मिजोरम	471	490	620
16.	त्रिपुरा	1031	1073	962
17.	मेघालय	954	993	1254
18.	असम	8233	8568	8932
19.	पश्चिम बंगाल	32673	34003	30960
20.	झारखण्ड	5610	5838	6152
21.	उड़ीसा	16446	17115	15950
22.	छत्तीसगढ़	11178	11633	10691
23.	मध्य प्रदेश	33612	34980	35763
24.	गुजरात	22462	23376	26563

1	2	3	4	5
25.	दमन और दीव			
26.	दादरा और नगर हवेली	127	133	475
27.	महाराष्ट्र	34036	35422	36843
28.	आंध्र प्रदेश	37080	38589	34789
29.	कर्नाटक	27905	29041	31049
30.	गोआ	301	313	404
31.	लक्षद्वीप	23	23	31
32.	केरल	19180	19961	14427
33.	तमिलनाडु	33375	34734	52387
34.	पाण्डिचेरी	375	391	465
35.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	136	141	199
	कुल	445637	463778	482841

[अनुवाद]

कृषि/बागान क्षेत्र में एफ. डी. आई.

230. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और बागान क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समाज के कुछ वर्गों ने कृषि और बागान क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान करने के निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार की एफ.डी.आई. नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति हस्तांतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 ('फेमा' विनियमावली) में शामिल की गई है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। फेमा विनियमों की अनुसूची । में वे कार्यकलाप सूचीबद्ध किये गए हैं जिनमें एफ.डी.आई. की अनुमति है और जिनमें एफ.डी.आई. की मनाही है। दिनांक 18 जून, 2003 को फेमा विनियामावली में किए गए संशोधन में, एफ.डी.आई. के लिए मनाही वाले कार्यकलापों की सूची में कृषि और बागान को दिखाया गया था और इस क्षेत्र के तहत वे कार्यकलाप भी दिखाये गए थे जहां अपवादस्वरूप एफ.डी.आई. की अनुमति है। सरकार द्वारा जनवरी, 2006 में शुरू की गई एफ.डी.आई. नीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा के अनुसार, कृषि और बागान क्षेत्र संबंधी नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं;

(i) चूंकि कृषि और बागान क्षेत्र में कुछ कार्यकलापों के लिए एफ. डी.आई. की पहले ही क्रमशः 2003 और 2002 से अनुमति थी, अतः यह अब मनाही वाला क्षेत्र नहीं रहा था। अतः इसे मनाही वाले कार्यकलापों की सूची से हटा लिया गया और कृषि क्षेत्र में अनुमति वाले कार्यकलापों को दिनांक 10 फरवरी, 2006 के प्रेस नोट 4(2006) के अनुबंध में, एफ.डी. आई. की क्षेत्र-विशिष्ट नीति के तहत कर दिया गया था।

(ii) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित दशाओं और सेवाओं में, पुष्पकृषि, बागवानी, बीज विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन और सब्जियों व मशरूम की खेती के अलावा एक्वाकल्चर में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी गई।

(iii) 'मशरूम' के बाद "आदि" शब्द को हटा दिया गया, और इस प्रकार एफ.डी.आई. को केवल सब्जियों और मशरूम की खेती तक सीमित कर दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) तब से, सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कृषि और बागान क्षेत्र में एफ.डी.आई. की वर्तमान/मौजूदा नीति निम्न प्रकार है:

(i) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित दशाओं एवं सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों अर्थात् पुष्पकृषि, बागवानी, बीज विकास, पशु-पालन, मत्स्यपालन, जल-जीव पालन तथा वनस्पति और मशरूम की खेती स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। इसकी अनुमति दिनांक 18 जून, 2003 के फेमा विनियमों में हुए संशोधन के जरिये दी गई और दिनांक 10 फरवरी, 2006 के प्रेस नोट 4(2006) के द्वारा इसमें आंशिक संशोधन किया गया, जैसा कि भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है।

(ii) चाय बागान में पांच वर्ष की अवधि में किसी भारतीय भागीदार/ भारतीय जनता के पक्ष में कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने और भविष्य में भूमि के प्रयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने की शर्त के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। इसकी अनुमति दिनांक 5 जुलाई, 2002 के प्रेस नोट 6(2002) के द्वारा दी गई।

(iii) उपर्युक्त दोनों के अतिरिक्त, किसी अन्य कृषि क्षेत्र/कार्यकलाप में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है।

वस्त्र केंद्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

*231. **श्री मोहन रावले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थापित वस्त्र केन्द्रों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र को ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने का वर्ष ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त, अस्वीकृत, स्वीकृत और स्वीकृत हेतु लंबित परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके अस्वीकृत करने/लंबित रहने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च, 2002 में अनुमोदित वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के तहत अपैरल एककों के लिए सामान्य बहिस्त्राव आशोधन संयंत्र, जलापूर्ति एवं निकासी सुविधा तथा शिशु सदन के लिए भवनों जैसी परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

टीसीआईडीएस के तहत 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य–वार परियोजना की स्वीकृति और वर्ष – वार दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	केंद्र सरकार का हिस्सा	केंद्र सरकार के हिस्से के लिए जारी की जाने वाली निधियां			
			2003-04	2004-05	2005-06	कुल
आंध्र प्रदेश	2	8.08	0.98	00	0.66	1.94
गुजरात	4	63.70	00	00	5.24	5.24
हरियाणा	1	20.00	5.23	1.98	3.05	10.26
जम्मू–कश्मीर	1	6.26	00	00	00	00
केरल	1	20.00	00	00	0.19	0.19
मध्य प्रदेश	1	11.00	0.71	1.85	1.07	3.63
महाराष्ट्र	3	60.00	00	5.50	5.64	11.14
राजस्थान	2	36.14	4.00	0.67	10.00	14.67
तमिलनाडु	2	30.61	00	00	13.22	13.22
उत्तर प्रदेश	1	14.72	00	00	00	00

(घ) और (ङ) यह योजना 2002 से 2005 तक लागू थी जिसके दौरान ऊपर बताए गए अनुसार 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। टीसीआईडीएस का एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) में जुलाई, 2005 में विलय हो जाने के बाद टीसीआईडीएस के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

जनजातियों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास

*232. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का पुनर्गठन/सीमित करने का है, ताकि भू–अर्जन और जनजातीय समुदायों के विस्थापन को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी विस्थापित जनजातियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास हेतु दिशा–निर्देश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इसके उचित क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिन्डिया) : (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण अथवा जनजातीय समुदायों के विस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले तथा इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनःस्थापना तथा पुनर्वास से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायत से सलाह लेना आवश्यक है। परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनःस्थापना तथा पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति में परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों के पुनःस्थापना तथा पुनर्वास हेतु कुछ विशिष्ट प्रावधान विनिर्दिष्ट हैं, जो अन्य पर लागू प्रावधानों के अतिरिक्त है।

(घ) से (च) सभी विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनःस्थापना तथा पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों की उचित पुनःस्थापना तथा पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग–अलग मामलों में आदेश पारित किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन संबंधित परियोजना प्राधिकारियों तथा सरकारों द्वारा किया जाता है।

कॉफी का समर्थन मूल्य

*233. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी का पर्याप्त मूल्य न मिलने के कारण देश में कॉफी उत्पादकों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कॉफी के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कॉफी की प्रचलित कम कीमतों में सुधार हो रहा है और अब यह उत्पादकों के लिए लाभकारी है।

(ग) देश में आजतक कॉफी के लिए कोई समर्थन कीमत तंत्र विद्यमान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी कताई मिलें

*234. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर उड़ीसा में, रुग्ण होने के कारण कतिपय सहकारी कताई मिलों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों में जिन मिलों का पुनरुद्धार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ङ) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार सहकारी क्षेत्र में 70 कताई मिलें और उड़ीसा राज्य में 5 कताई मिलें बंद थीं। सहकारी क्षेत्र की मिलें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं और उनके निजीकरण के संबंध में निर्णय उनके प्रबंधन द्वारा अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना है। केंद्र सरकार अपने नीतिगत उपायों के माध्यम से उद्योग के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी वस्त्र क्षेत्र सहित वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :–

- प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)** शुरू किया है।
- संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)** शुरू की गई थी।
- वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।
- वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए जुलाई,

2005 में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

- बजट 2004–05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी।

- कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयता सुकर बनाने के लिए बजट, 2005–06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 दर्शायी गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

- वर्तमान बजट (2006–07) में वस्त्र उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से :–

  – डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% और पैराक्सिलीन के लिए 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

  – सभी मानव निर्मित फाइबर और यार्न पर सेनवेट 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है और सभी मानव निर्मित फाइबर तथा यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

  – वस्त्र सहित सभी गैर–कृषि उत्पादों के लिए आयात शुल्क के यथामूल्य संघटक की उच्च दर 15% से घटाकर 12.5% कर दी गई है।

  – बिक्री कर और वैट जैसे विभिन्न आंतरिक करों के प्रति संतुलन के लिए तथा जिन देशी सामानों के लिए ये कर वहन करने होते हैं उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी सामानों के लिए 4% का विशेष सीवीडी प्रदान किया गया है।

- सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8–9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

- सरकार ने सिले–सिलाये परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की एक पैकेज के रूप में रुग्ण सहकारी कताई मिलों के पुनर्वासन के वास्ते एक योजना है जिसके तहत एनसीडीसी इक्विटी में भाग लेने तथा रुग्ण सहकारी कताई मिलों के पुनर्वासन के लिए आवधिक ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को पुनर्वासन लागत के 70% तक की ऋण सहायता प्रदान करता है।

राज्यों में पोषण परियोजनाएं

*235. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2005–2006 के दौरान तथा तत्पश्चात् समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषण परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो संस्वीकृत परियोजनाओं सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बच्चों के पोषण स्तर में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को दी गई/दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) वर्ष 1975 में 33 ब्लॉकों में आरम्भ की गई समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का विस्तार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5652 परियोजनाओं में चरणबद्ध ढंग से किया गया है। दसवीं योजना में इस स्कीम का कार्यान्वयन पहले से संस्वीकृत 5652 परियोजनाओं तथा 7.80 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही जारी रखा गया। तथापि, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मद्देनजर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे इस स्कीम के विस्तार हेतु मौजूदा जनसंख्या मानकों के अनुसार अतिरिक्त

परियोजनाओं संबंधी अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करें। इन आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 में 466 अतिरिक्त आई. सी.डी.सी. परियोजनाएं तथा 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए। इन परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बस्तियां इस स्कीम से लाभान्वित हों, आंगनवाड़ी केन्द्रों की संस्वीकृति से संबंधित जनसंख्या मानकों में छूट दी गई तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें से कहा गया कि वे संशोधित जनसंख्या मानकों के आधार पर अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 165 अतिरिक्त परियोजनाओं, 106969 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 25961 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग प्राप्त हुई। संदर्भित ब्यौरा विवरण–II में दर्शाया गया है। इन प्रस्तावों पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यवाई की जा रही है।

(ग) किसी नई परियोजना/आंगनवाड़ी केन्द्र को संस्वीकृत किए जाने के पश्चात् उसे प्रचालित करने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। तदनुसार वर्ष 2005–06 में संस्वीकृत की गई सभी नई परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों को वर्ष 2006–07 में प्रचालित किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) चूंकि इन परियोजनाओं को वर्ष 2006–07 में ही पूर्णतः प्रचालित किया जा सकेगा, इसलिए बच्चों के पोषाहारीय स्तर में सुधार का मूल्यांकन किया जाना एक–दो वर्ष पश्चात् ही संभव हो पाएगा।

(च) वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में संस्वीकृत की गई परियोजनाओं सहित आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण–III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2005–06 में संस्वीकृत की गई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	9562
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	678
3.	असम	23	6659
4.	बिहार	144	19715
5.	छत्तीसगढ़	6	9148
6.	गोवा	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	33	3523
8.	हरियाणा	12	2813
9.	हिमाचल प्रदेश	4	10894
10.	जम्मू और कश्मीर	19	6817
11.	झारखंड	शून्य	6683
12.	कर्नाटक	शून्य	11313
13.	केरल	शून्य	3258
14.	मध्य प्रदेश	31	9537
15.	महाराष्ट्र	44	12864
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	7	961
18.	मिजोरम	2	231
19.	नागालैंड	2	265
20.	उड़ीसा	शून्य	3279
21.	पंजाब	6	2691
22.	राजस्थान	17	11041
23.	सिक्किम	6	488
24.	तमिलनाडु	शून्य	3049
25.	त्रिपुरा	11	2220
26.	उत्तर प्रदेश	1	31498
27.	उत्तरांचल	शून्य	1134
28.	पश्चिम बंगाल	58	17100
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	94

1	2	3	4
30.	चण्डीगढ़	शून्य	29
31.	दिल्ली	5	526
32.	दादरा और नगर हवेली	1	77
33.	दमन और दीव	शून्य	10
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	11
	जोड़	466	188168

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांगी गई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		
		आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केन्द्र	लघु आंगनवाड़ी केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	7843	3409
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	1125	शून्य
3.	असम	4	5007	शून्य
4.	बिहार	7	560	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	5	5542	1483
6.	गोवा	शून्य	100	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	3000	शून्य
8.	हरियाणा	9	892	270
9.	हिमाचल प्रदेश	1	412	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	6	6586	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	1243	शून्य
12.	कर्नाटक	शून्य	2646	405
13.	केरल	शून्य	3464	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	9914	शून्य
15.	महाराष्ट्र	35	9877	7490
16.	मणिपुर	4	3138	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	19	1234
18.	मिजोरम	शून्य	90	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	159	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	4217	3111
21.	पंजाब	शून्य	2748	शून्य
22.	राजस्थान	4	1510	2681
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	1539	3168
25.	त्रिपुरा	3	1257	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	62	13170	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	1872	2676
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	17512	शून्य
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	51	शून्य
30.	चण्डीगढ़	शून्य	41	शून्य
31.	दिल्ली	16	1678	शून्य
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	4	34
33.	दमन और दीव	शून्य	10	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	13	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	165	106969	25961

विवरण-III

नव संस्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के प्रचालन सहित आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	2005–06 जारी की गई राशि	2006–07 (31.07.2006 तक की स्थिति के अनुसार) जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14750.69	8765.43
2.	बिहार	5036.11	9373.04
3.	छत्तीसगढ़	4412.01	3379.28
4.	गोवा	373.53	195.47
5.	गुजरात	9917.54	5807.09
6.	हरियाणा	5312.47	2411.66
7.	हिमाचल प्रदेश	3480.88	1385.83
8.	जम्मू और कश्मीर	4989.19	3074.80
9.	झारखंड	4288.33	4016.64
10.	कर्नाटक	14176.11	5854.83
11.	केरल	5725.65	3997.93
12.	मध्य प्रदेश	9498.48	8002.16
13.	महाराष्ट्र	16808.92	9470.16
14.	उड़ीसा	10600.69	6220.23
15.	पंजाब	5591.61	2678.63
16.	राजस्थान	7459.77	5968.24
17.	तमिलनाडु	15212.94	6650.24
18.	उत्तरांचल	2861.67	1479.00
19.	उत्तर प्रदेश	31989.58	18138.29
20.	पश्चिम बंगाल	19391.00	8622.68
21.	दिल्ली	1290.03	625.78
22.	पांडिचेरी	233.68	185.22
23.	अंडमान और निकोबार	212.82	158.96
24.	चण्डीगढ़	156.87	130.44
25.	दादरा और नगर हवेली	70.10	45.03
26.	दमन और दीव	47.74	56.78
27.	लक्षद्वीप	42.67	33.92
28.	एलआईसी	800.00	
29.	अरुणाचल प्रदेश	1780.28	712.37
30.	असम	22462.56	4219.56
31.	मणिपुर	1664.87	770.78
32.	मेघालय	2158.35	508.07
33.	मिजोरम	1476.66	315.84
34.	नागालैंड	2531.64	697.97
35.	सिक्किम	354.75	154.10
36.	त्रिपुरा	2779.91	753.79
	जोड़	229940.11	124860.23

समुद्री उत्पादों का निर्यात/प्रसंस्करण

***236. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में समुद्री खाद्य क्षेत्रों (सी फुड जोन) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जल प्रदूषण, स्वच्छ जल आदि जैसी कोई बुनियादी समस्याएं रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाही किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग को, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुतायत में हैं, और अधिक बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जल प्रदूषण और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता की समस्याओं का सामना करता है। सरकार निस्सारण अभिक्रिया संयंत्रों की स्थापना, जलशोधन प्रणालियों की स्थापना आदि के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ङ) और (च) प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन, मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता और विपणन सहायता आदि हेतु स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

"टॉरगेट प्लस स्कीम" को वापस लेना

*237. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए बनाई गई "टॉरगेट प्लस स्कीम" को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात के संवर्धन हेतु "टॉरगेट प्लस स्कीम" के स्थान पर कोई नई योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दिनांक 01.04.2006 से निर्यात हेतु टॉरगेट प्लस स्कीम समाप्त कर दी गई है। विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों की खासकर डब्ल्यूटीओ सुसंगतता के संबंध में समीक्षा करने के लिए एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने डब्ल्यूटीओ सिद्धांतों के साथ असंगतता, निर्यातकों द्वारा वहन किए गए शुल्कों और करों के साथ संबंध के अभाव और सरकारी राजकोष पर पड़ने वाले दबाव के कारण इस स्कीम को समाप्त करने की सिफारिश की थी। सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर दिनांक 01.04.2006 से निर्यात हेतु इस स्कीम को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) और (घ) खासकर अर्द्ध–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से रोजगार के व्यापक अवसरों का सृजन करने वाले कुछेक उत्पादों को लागू की गई नई स्कीम "फोकस उत्पाद स्कीम" में शामिल किया गया है। इस स्कीम में मूल्यवर्द्धित मत्स्य एवं चर्म उत्पादों, स्टेशनरी मदों, आतिशबाजी, खिलौनों सहित खेल सामानों और हथकरघा एवं हस्तशिल्प मदों जैसे अधिसूचित उत्पादों के लिए निर्यात हेतु एफओबी मूल्य के 1.25% की दर से शुल्क ऋण सुविधा की अनुमति प्रदान की गई है। नए बाजारों खासकर उन बाजारों में पहुंच आवश्यक है जहां निर्यात तुलनात्मक रूप से कम है। इस हेतु एक अन्य स्कीम "फोकस बाजार स्कीम" भी लागू की गई है जिसमें विनिर्दिष्ट देशों को हुए पात्र उत्पादों के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2.5% की दर से शुल्क ऋण सुविधा की अनुमति प्रदान की गई है। अफ्रीका और लैटिन अमरीका के 57 देशों को होने वाले निर्यातों पर यह लाभ उपलब्ध होगा। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत आयातित स्क्रिप्स और मदें मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

सीमेंट की कीमतें

*238. **श्री रशीद मसूद** :
श्री सज्जन कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सीमेंट की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सीमेंट की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमेंट कंपनियां केवल केन्द्रीय एजेंसियों को कम दरों पर सीमेंट की बिक्री करने हेतु सहमत हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश भर में दिसम्बर, 2005 से सीमेंट की कीमतों में अलग–अलग दरों से वृद्धि हुई है। सीमेंट विनिर्माताओं ने उत्पादन लागत तथा परिवहन लागत में वृद्धि को मूल्य वृद्धि के लिए कारणों के रूप में पेश किया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीमेंट विनिर्माताओं से सीमेंट की कीमतों को युक्तियुक्त बनाने का आग्रह किया था। इसकी प्रतिक्रिया में सीमेंट विनिर्माताओं की एसोसिएशन ने अधिकतम उत्पादन करने तथा सीमेंट भेजने का वचन दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खुदरा व्यापारी अनुचित लाभ प्राप्त न कर सकें, अगले 4–5 वर्षों में 30–35 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए अतिरिक्त निवेश करना; तथा केन्द्र सरकार के विभागों को सीमेंट की प्राथमिकता पर आपूर्ति करना तथा मौजूदा कीमतों पर 5 प्रतिशत की छूट देना।

[अनुवाद]

महिला कयर योजना

*239. **श्री वी. विनोद कुमार** : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला कयर (नारियल जटा) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी योजना पूरे देश में चालू है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कयर (नारियल जटा) का काम करने वाली कुल कितनी महिला कामगारों को शामिल किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राजसहायता सहित कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) क्या यह योजना महिलाओं का स्तर बढ़ाने में सफल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्रामीण महिला कारीगरों के स्व–रोजगार के लिए सरकार 'महिला कयर योजना' कार्यान्वित करती आई है। इस योजना में कयर यार्न (नारियल जटा) की कताई के लिए प्रशिक्षण के बाद महिला कारीगरों मोटरयुक्त रट (ratt) वितरित किये जाते हैं। मोटरयुक्त रट के लिए रु. 7500/– और मोटरयुक्त पारम्परिक रट के लिए रु. 2925/– की उच्चतम सीमा के अधीन रट के मूल्य पर 75 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाती है।

(ग) यह योजना ऐसे क्षेत्रों में चलाई जाती है जहां कयर उत्पादित होता हो अथवा जहां निकट के क्षेत्रों से कयर सुगमता से उपलब्ध हो।

(घ) से (च) ग्रामीण महिला कयर कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी उत्पादकता की वृद्धि में यह योजना सफल रही है। फलस्वरूप, उनकी आय में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर में सुधार आया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	वितरित रटों पर दी गई सब्सिडी (लाख रुपये)	वितरित रटों की संख्या	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
2003–04	64.26	1556	6829
2004–05	112.80	3212	13318
2005–06	643.66	4220	36168

कुटीर और ग्रामोद्योग की प्रतिस्पर्धा

*240. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण के कारण कुटीर और ग्रामोद्योगों को भारत में मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2001 में खादी पैकेज की घोषणा की थी;

(घ) यदि हां, तो कौन–कौन से कुटीर और ग्रामोद्योग इस पैकेज से लाभान्वित हुए थे; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुटीर और ग्रामोद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार ने कुटीर तथा ग्रामोद्योगों को सुदृढ़ बनाने की नीति अपनाई है ताकि वे बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहें और रोजगार के नये अवसरों का सृजन कर सकें।

(ग) और (घ) खादी व ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार ने दिनांक 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की। पैकेज में अन्य बातों के साथ–साथ खादी भवनों/बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रान्ड निर्माण, क्लस्टर विकास आदि शामिल हैं।

(ङ) कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के सुदृढ़ीकरण तथा इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सरकार कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम, डिजाइन सुधारने के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप) स्कीम तथा मार्जिन राशि के रूप में सब्सिडी प्रदान करके ग्रामोद्योगों की स्थापना करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) जैसी योजनाएं कार्यान्वित करती आई हैं। खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों का विपणन सुधारने के लिए राष्ट्रीय, उप–राष्ट्रीय आदि स्तर पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए खादी व ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं सभी पात्र कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ करते हुए पांच वर्षों में खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के 100 क्लस्टरों में पारम्परिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का अनुमोदन किया है। इस योजना के अन्तर्गत साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नये उत्पादों का विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग, नई डिजाइन, बाजार संवर्धन आदि के लिए सहायता की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

सेलुलर जेल

1675. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित आजादी के आंदोलन से जुड़ी सेलुलर जेल ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जेल में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची और उनका रिकार्ड है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या आम जनता को यह सूची दिखाने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी, हां श्रीमान्। सेलुलर जेल, जोकि अब राष्ट्रीय स्मारक है, ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और यह 1906 में पूरा हुआ।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और पोर्ट ब्लेयर सहित मुख्यभूमि में अन्य स्थानों पर, उनका कार्यान्वयन 2006–07 के दौरान किया जा रहा है।

(ङ) और (च) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने "अनसंग हिरोस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान –हू–स–हू" नामक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें सेलुलर जेल में कैद सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम शामिल हैं। सेलुलर जेल परिसर में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विशेष संदर्भ के साथ अनन्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन पर एक संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी जीवनियों और आत्मकथाओं आदि का पुरालेखीय रिकार्ड है।

(छ) और (ज) जी हां, श्रीमान। सेलुलर जेल के सेन्टर टावर में लगाए गए मार्वल पत्थरों पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम प्रदर्शित किए गए हैं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, उनके फोटोग्राफ सेलुलर जेल संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं।

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उप-कार्यालय खोलना

1676. श्री प्रहलाद जोशी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में राज्यों की राजधानियों से इतर स्थानों पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उप–कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के हुबली जिले में ऐसा कार्यालय खोला जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उप–कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई. सी.) ने राज्य की राजधानियों में राज्य कार्यालय स्थापित कर लिए हैं।

तथापि, बड़े राज्यों में उसने मंडलीय कार्यालय/उप–कार्यालय भी स्थापित कर लिए हैं। इस प्रकार से उत्तरप्रदेश में मेरठ, वाराणसी तथा गोरखपुर में, राजस्थान में बीकानेर में, तमिलनाडु में मदुरई में, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में, महाराष्ट्र में नागपुर में, मंडलीय कार्यालय तथा झारखंड के दुमका जिले के दुधानी में, उड़ीसा में सम्बलपुर में, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के धक्तला में, असम के कछार जिले में सिलचर में, केरल के त्रिशूर जिले के नादाथारा में, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, गुजरात के बनासकान्था जिले के पालनपुर में तथा उत्तरांचल के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में उप–कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक के हुबली जिले को बंगलौर में के.वी.आई.सी. के राज्य कार्यालय तथा चित्रदुर्ग में केन्द्रीय स्लीवर प्लांट द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। अतः इस जिले में के.वी.आई.सी. का उप–कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी उद्योग

1677. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान जिन अन्य स्थानों में ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी फर्मों ने उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित कर ली हैं और कितनी फर्मों को वहां पर अपनी इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) की स्थापना नहीं करती है। इकाइयों की स्थापना, सरकार के अनुमोदन के साथ निजी व्यक्तियों/नैगम निकायों द्वारा की जाती है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 2,037 निर्यातोन्मुखी इकाइयां कार्य कर रही थीं। कार्यरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की राज्यवार संख्या की सूची संलग्न है।

(ग) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 84 निर्यातोन्मुखी इकाइयां कार्यरत थीं। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में कुल 35 इकाइयों को निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	197
2.	असम	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	गोवा	27
7.	गुजरात	231
8.	हरियाणा	69
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11.	झारखंड	6
12.	कर्नाटक	330
13.	केरल	52
14.	मध्य प्रदेश	27
15.	महाराष्ट्र	305
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	6
21.	पंजाब	42
22.	राजस्थान	86

1	2	3
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	391
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	84
27.	उत्तरांचल	2
28.	पश्चिम बंगाल	81
29.	दिल्ली	38
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
31.	चण्डीगढ़	2
32.	दमन और दीव	12
33.	दादरा और नगर हवेली	18
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	13
	कुल	2037

[अनुवाद]

सीमा-सड़कों हेतु प्रस्ताव

1678. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सड़क नेटवर्क निर्माण के कुछ प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन्हें कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) सीमा चौकसी बल, सीमाओं के प्रभावपूर्ण प्रबंधन के लिए अपने तैनाती क्षेत्रों में, समय-समय पर, सड़क नेटवर्क की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव करते रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों की व्यवहार्यता, आपरेशनल उपयोगिता और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी जांच और अनुमोदित किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

इन सीमाओं की सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर सीमा सड़कों का निर्माण किया गया है।

सरकार ने हाल में, भारत-चीन सीमा के साथ-साथ, सीमा क्षेत्रों में आपरेशनल उपयोगिता वाले 27 सड़क सम्पर्कों के निर्माण के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पट्टे पर देना

1679. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ मिलों को पट्टे पर देकर चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार ने निजी भागीदारों के साथ विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) बनाकर संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से एनटीसी की 29 मिलों का आधुनिकीकरण और संचालन करने का प्रस्ताव किया है। इन मिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एनटीसी ने पट्टे के आधार पर निजी उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से इन मिलों को चलाने के लिए नवम्बर, 2005 में अभिरूचि (ईओआई) आमंत्रित की जिसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं थी। अतः संयुक्त उद्यम के एक बेहतर मॉडल का सुझाव देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। सलाहकार की नियुक्ति का मामला अंतिम चरणों में है।

(घ) संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा एनटीसी के लिए पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है जो वर्ष 2008 तक कार्यान्वित किये जाने के लिए प्रस्तावित है। तथापि, संशोधित पुनर्वासन योजना (एमआरएस) की समग्र योजना, जिससे संयुक्त उद्यम प्रस्ताव का संबंध है, अभी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जानी है।

विवरण

संयुक्त उद्यम के माध्यम से आधुनिकीकृत एवं संचालित की जाने वाली प्रस्तावित 29 मिलों की सूची

क्र.संख्या	मिल का नाम	अवस्थिति
1	2	3
एनटीसी (एपीकेके एंड एम) लि.		
आंध्र प्रदेश		
1.	तिरुपति काटन मिल्स	रानीगुंटा
2.	अनंथपुर कॉटन मिल्स	ताडापतरी
कर्नाटक		
3.	श्री यलम्मा कॉटन मिल्स	देवनगिरि
केरल		
4.	पार्वती मिल्स	क्यूलोन
एनटीसी (डीपीआर) लि.		
पंजाब		
5.	खरड़ टेक्सटाइल मिल्स	खरड़
6.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	मलौत
राजस्थान		
7.	महालक्ष्मी मिल्स	ब्यावर
8.	श्री विजय कॉटन मिल्स	श्री विजयनगर
एनटीसी (गुज.) लि.		
गुजरात		
9.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद
एनटीसी (एम एन) लि.		
महाराष्ट्र		
10.	इंडिया यूनाइटेट मिल नं.1	मुंबई
11.	कोहिनूर मिल नं. 1	मुंबई
12.	आरबीबीए मिल्स	हिंगनघाट
13.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	अकोला
एनटीसी (एस एम) लि.		
महाराष्ट्र		
14.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	मुंबई
15.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	चालीस गांव
16.	धुले टेक्सटाइल मिल्स	धुले
17.	गोल्डमोहर मिल्स	मुंबई
18.	नंदेड टेक्सटाइल मिल्स	नंदेड
19.	न्यू सिटी बॉम्बे मैन्यु. मिल्स	मुंबई
20.	औरंगाबाद टेक्सटाईल मिल्स	औरंगाबाद
एनटीसी (यू पी) लि.		
उत्तर प्रदेश		
21.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	मऊनाथ भंजन
22.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	नैनी
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.		
पश्चिम बंगाल		
23.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	रिशरा
24.	सोडेपुर कॉटन मिल्स	सोडेपुर
बिहार		
25.	बिहार को–आपरेटिव मिल्स	मोकेमोह
उड़ीसा		
26.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	भगतपुर
असम		
27.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	चन्द्रापुर
एनटीसी (टी एन एंड पी) लि.		
तमिलनाडु		
28.	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर
29.	कोयम्बटूर स्पि. एंड विवि. मिल्स	कोयम्बटूर

[अनुवाद]

विद्युतकरघा वस्त्र उत्पादन

1680. श्री के. एस. राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल विनिर्मित वस्त्रों में से विद्युतकरघा द्वारा विनिर्मित वस्त्रों का प्रतिशत हिस्सा कितना है;

(ख) आज की तारीख तक देश में कितने करघे बिना शटल वाले हैं और इस क्षेत्र के विस्तार हेतु मध्यावधि योजना के अंतर्गत ऐसे कितने करघों की जरूरत होगी;

(ग) देश में विनिर्मित बिना शटल वाले करघों का उपलब्धता की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वचालित बिना शटल वाले करघे आयात करने में बुनकरों को समर्थ बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) विद्युतकरघा क्षेत्र का कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 62% अंशदान है। पिछले तीन वर्षों के लिए उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:–

वर्ष	कुल कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	विद्युतकरघा से उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	विद्युतकरघा द्वारा उत्पादन का प्रतिशत
2003–04	42383	26947	64%
2004–05	45378	28325	62%
2005–06	49008 (अनंतिम)	30254 (अनंतिम)	62%

(ख) दिनांक 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 48,421 शटल रहित करघे काम कर रहे हैं जिनमें से विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र का हिस्सा 32,000 है। प्रस्तावित कपड़ा उत्पादन पूरा करने के लिए 2009–10 तक अनुमानित रूप से लगभग 50,000 अतिरिक्त शटलरहित करघे संस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) देश में शटलरहित करघों की कुल विनिर्माण क्षमता केवल लगभग 1200 है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए शटलरहित करघों का आयात करने के लिए विद्युतकरघा एककों के वास्ते कोई प्रतिबंध नहीं है।

वस्त्र एवं विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है जिसमें ऋणों पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस योजना के तहत विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के स्थान पर 20% ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी (सीएलसीएस) लेने का एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए मशीनरी के वास्ते पूंजी सीमा 60.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दी गई है। पुराने आयातित शटल रहत करघों का समय इस योजना के तहत 10 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष कर दिया गया है जिसमें शेष जीवनकाल न्यूनतम 10 वर्षों का हो।

[हिन्दी]

लौह अयस्क की खानें

1681. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एनएमडीसी को राज्य लौह–अयस्क खानों के संबंध में पट्टे को रद्द करने अथवा पट्टा न देने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

स्व-रोजगार योजना

1682. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गती तीन वर्षों के दौरान स्व–रोजगार हेतु उड़ीसा सरकार के शिल्पकारों और बुनकरों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे कितने शिल्पकार और बुनकर लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क)

हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही क्लस्टर विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, विपणन सहायता स्कीम, निर्यात संवर्धन स्कीम और विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना स्कीम आदि और हथकरघा क्षेत्र में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट प्राइज स्कीम, हथकरघा निर्यात स्कीम, एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास आदि जैसी विकासात्मक स्कीमें अप्रत्यक्ष रूप से कारीगरों एवं बुनकरों के बीच स्व–रोजगार को बढ़ावा देती हैं। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/समितियों/गैर–सरकारी संगठनों आदि जैसे विभिन्न कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को और उड़ीसा सरकार को हथकरघा क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए रिलीज की गई धनराशि	हथकरघा क्षेत्र के लिए रिलीज की गई धनराशि
2003–04	139.09	236.92
2004–05	163.19	666.48
2005–06	329.13	900.46

(ख) हस्तशिल्प क्षेत्र में उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से 4390 कारीगर लाभान्वित हो चुके हैं। जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है, स्कीमें सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों बुनकरों को लाभ पहुंचता है। हथकरघा की गणना (1995–96) के अनुसार, उड़ीसा में बुनकरों एवं संबद्ध श्रमिकों की कुल संख्या 2,46,782 थी।

[अनुवाद]

झींगा (श्रिम्प) पर पाटनरोधी शुल्क

1683. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच व्यापार और सेवा विशेषकर अमरीका को भारतीय झींगे (श्रिम्प) का निर्यात करने पर अमरीका द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क संबंधी सभी बाधाओं को दूर करने पर कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) अमरीका को भारतीय झींगों के निर्यात पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने सहित व्यापार बाधाओं को समाप्त करने के लिए भारत और अमरीका के बीच विचार–विमर्श हुए हैं।

(ख) व्यापार एवं सेवाओं में बाधाओं से संबंधित मुद्दों को भारत–अमरीका व्यापार नीति मंचों की बैठकों में उठाया गया है, जिससे भारतीय झींगों के निर्यातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत संबंधित सीमाशुल्क बांड मुद्दे के संबंध में अमरीका के साथ परामर्श भी किया गया है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क अब भी लागू है।

स्वावलम्बन योजना

1684. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग की अनुमति से यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा सभी वचनबद्ध देयता पूरी करने के बाद 1 अप्रैल, 2006 से स्वावलम्बन योजना को राज्यों को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो वचनबद्ध देयाताओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस प्रकार से पूरा किया जाएगा?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) योजना आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि स्वावलम्बन (नोराड) स्कीम दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाए। इस निर्णय के अनुसार, भारत सरकार पहले से जारी कार्यकलापों/परियोजनाओं के संबंध में अपनी देनदारियों संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी। सभी राज्यों/संगठनों/संस्थाओं से देनदारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, ताकि यह मंत्रालय इन्हें पूरा कर सके। शेष निधियां कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों को इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

1685. श्री कैलाश बैठा :

श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार कितने विद्यालयों का चयन किया गया है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य–वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को आबंटित धनराशि से संबंधित उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) (i) स्कूलों की संख्या जिनमें 'विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी स्कीम' लागू करने हेतु मंजूरी दी गई है, (ii) योजना की शुरूआत (15 दिसम्बर, 2004) से अब तक संस्वीकृत राशि, (iii) जारी राशि तथा (iv) राशि जिसके संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं, का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत राशि	केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी कुल राशि	अन्य स्कीमों की खर्च न की गई शेष राशि के समायोजन के पश्चात् जारी वास्तविक राशि	राशि जिसके संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर्नाटक	480	2400.00	1200.00	1200.00	–
2.	नागालैंड	53	319.59	319.59	319.59	31.96
3.	गोवा	230	1150.00	292.50	292.50	–
4.	सिक्किम	103	621.09	270.00	270.00	–
5.	दमन और दीव	15	75.00	33.70	25.00	–
6.	राजस्थान	100	500.00	500.00	53.26	–
7.	बिहार	180	900.00	225.00	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	140	844.20	90.00	–	–
9.	मध्य प्रदेश	230	1150.00	575.00	–	–
10.	पंजाब	200	1000.00	500.00	–	–
11.	उड़ीसा	200	1000.00	500.00	–	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	154	928.62	464.31	444.81	–
13.	मिजोरम	60	306.18	150.00	150.00	–
14.	हरियाणा	100	500.00	250.00	230.50	–
15.	उत्तरांचल	25	150.75	75.00	75.00	–

1	2	3	4	5	6	7
16.	केरल	125	625.00	312.50	312.50	–
17.	तमिलनाडु	125	625.00	312.50	2.10	–
18.	पश्चिम बंगाल	200	1000.00	393.17	393.17	–
	कुल	2720	14095.43	6463.27	3768.43	31.96

[अनुवाद]

मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत

1686. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग छात्रों के लाभ हेतु मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों को छात्रों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में संपार्श्विक गारंटी न लेने के अनुदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्रों को आसानी से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2005–06 से व्यावसायिक अध्ययनों (चिकित्सा और इंजीनियरी) के लिए योग्यता आधारित नई छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की है। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए 500 छात्रवृत्तियां (चिकित्सा के लिए 150 और इंजीनियरी के लिए 350 छात्रवृत्तियां) उपलब्ध हैं। इस स्कीम के तहत चयनित अभ्यार्थियों को चार वर्ष की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय बैंक संघ का संशोधित मॉडल शिक्षा ऋण स्कीम में बैंकों को भारत और विदेश में उच्चतर करने के लिए पात्र/प्रतिभावान विद्यार्थियों को बैंकिंग पद्धति से वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इसमें मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी चाहे वह गरीब ही क्यों न हो, को वहनीय निबंधन और शर्तों पर बैंकिंग पद्धति की वित्तीय सहायता से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए और कोई भी पात्र विद्यार्थी वित्तीय सहायता के अभाव में उच्चतर अध्ययन करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस प्रकार के 4.00 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। 4.00 लाख रुपये से अधिक और 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए उपयुक्त तृतीय पक्ष के रूप में गारंटी की आवश्यकता होती है। यदि बैंक "संयुक्त कर्जदार" के रूप में दस्तावेज को निष्पादित करने वाले माता–पिता के निवल मूल्य/स्रोतों से संतुष्ट हो तो वह अपने विवेक से तृतीय पक्ष की गारंटी से छूट दे सकता है। 7.5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए किस्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की भावी आय के समनुदेशन के साथ उपयुक्त मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तृतीय पक्ष की उपयुक्त गारंटी अपेक्षित होती है।

माता–पिता/विद्यार्थियों की ऋण वापस करने की क्षमता की शर्तों के अधीन वित्त की मात्रा के संबंध में निम्नलिखित सीमा निर्धारित की गई है:

1. भारत में अध्ययन के लिए – अधिकतम 7.5 लाख रुपये
2. विदेश में अध्ययन के लिए – अधिकतम 15 लाख रुपये

ब्याज की दर :

4 लाख रुपये तक – गरीबी रेखा से नीचे की दर

4 लाख रुपये से अधिक – गरीबी रेखा से नीचे की दर + 1 प्रतिशत

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा

1687. श्री जोवाकिम बलला : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को उदारीकरण नीति के अंतर्गत स्थापित की जा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बचाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर

1	2	3	4	5	6	7
16.	केरल	125	625.00	312.50	312.50	–
17.	तमिलनाडु	125	625.00	312.50	2.10	–
18.	पश्चिम बंगाल	200	1000.00	393.17	393.17	–
	कुल	2720	14095.43	6463.27	3768.43	31.96

[अनुवाद]

मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत

1686. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग छात्रों के लाभ हेतु मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों को छात्रों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में संपार्श्विक गारंटी न लेने के अनुदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्रों को आसानी से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2005–06 से व्यावसायिक अध्ययनों (चिकित्सा और इंजीनियरी) के लिए योग्यता आधारित नई छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की है। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए 500 छात्रवृत्तियां (चिकित्सा के लिए 150 और इंजीनियरी के लिए 350 छात्रवृत्तियां) उपलब्ध हैं। इस स्कीम के तहत चयनित अभ्यार्थियों को चार वर्ष की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय बैंक संघ का संशोधित मॉडल शिक्षा ऋण स्कीम में बैंकों को भारत और विदेश में उच्चतर करने के लिए पात्र/प्रतिभावान विद्यार्थियों को बैंकिंग पद्धति से वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इसमें मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी चाहे वह गरीब ही क्यों न हो, को वहनीय निबंधन और शर्तों पर बैंकिंग पद्धति की वित्तीय सहायता से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए और कोई भी पात्र विद्यार्थी वित्तीय सहायता के अभाव में उच्चतर अध्ययन करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस प्रकार के 4.00 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। 4.00 लाख रुपये से अधिक और 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए उपयुक्त तृतीय पक्ष के रूप में गारंटी की आवश्यकता होती है। यदि बैंक "संयुक्त कर्जदार" के रूप में दस्तावेज को निष्पादित करने वाले माता–पिता के निवल मूल्य/स्रोतों से संतुष्ट हो तो वह अपने विवेक से तृतीय पक्ष की गारंटी से छूट दे सकता है। 7.5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए किश्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की भावी आय के समनुदेशन के साथ उपयुक्त मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तृतीय पक्ष की उपयुक्त गारंटी अपेक्षित होती है।

माता–पिता/विद्यार्थियों की ऋण वापस करने की क्षमता की शर्त के अधीन वित्त की मात्रा के संबंध में निम्नलिखित सीमा निर्धारित की गई है:

1. भारत में अध्ययन के लिए – अधिकतम 7.5 लाख रुपये
2. विदेश में अध्ययन के लिए – अधिकतम 15 लाख रुपये

ब्याज की दर :

4 लाख रुपये तक – गरीबी रेखा से नीचे की दर

4 लाख रुपये से अधिक – गरीबी रेखा से नीचे की दर + 1 प्रतिशत

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा

1687. श्री जोयाकिम बखला : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को उदारीकरण नीति के अंतर्गत स्थापित की जा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बचाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर

प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के तहत 4 करोड़ रुपये तक की वार्षिक कुल बिक्री वाली लघु उद्योग इकाइयों को 1 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट, 5 लाख रुपये तक के ऋणों के संबंध में सम्पार्श्विकता प्रतिभूति अपेक्षाओं से छूट (अच्छे ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति वाली इकाईयों के लिए 25 लाख रुपये तक), लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपये तक उच्चतम ऋण सीमा सहित 15 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी, आई.एस.ओ. 9000/14000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति के लिए 75,000/– रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन लागत के 75 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारों की प्रतिपूर्ति, लघु उद्योगों के लिए कार्यनिष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम के तहत 40,000/– रुपये की अधिकतम उच्चतम सीमा के अध्यधीन 75 प्रतिशत की सीमा में फीस की प्रतिपूर्ति इत्यादि शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना का अधिकार अधिनियम

1688. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी उपक्रमों में विशेषकर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से जनता को इन सरकारी उपक्रमों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सहायता हेतु कर्नाटक से प्राप्त प्रस्ताव

1689. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने एनपीओएनएसपीई–2004 के अन्तर्गत कुकिंग कोस्ट को पूरा करने के लिए 7539.65 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी करने और दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 की अवधि के लिए उक्त प्रयोजनार्थ संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) कुकिंग लागत वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु कर्नाटक सरकार से निम्नलिखित अवधि के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था:–

	अवधि	राशि (रु. लाख में)
(i)	01.05.2005 – 31.12.2005	7539.65
(ii)	01.01.2006 – 30.06.2006	4715.24

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रस्तावों की सम्यक जांच के पश्चात् केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित स्वीकार्य राशि जारी की है:–

अवधि	राशि (रु. लाख में)	जारी करने की तारीख
(i) 01.05.2005 – 31.12.2005	6754.68	26–7–2005
(ii) 01.01.2006 – 30.06.2006	3950.31	24–1–2006

[अनुवाद]

असम समझौते की प्रगति

1690. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम समझौते के खंडवार क्रियान्वयन संबंधी निर्धारित समय–सीमा का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिनांक 5 मई, 2005 को हुई प्रधानमंत्री स्तर की बैठक के पश्चात ऑल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन और असम सरकार के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) असम समझौते के कई खंडों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। समझौते के कतिपय खंड अर्थात् असम का आर्थिक विकास, घुसपैठ रोकने के उपाय, निरंतर चलते रहने वाले स्वरूप के हैं और इनकी लगातार

मानीटरिंग किए जाने की जरूरत है। असम सरकार ने समझौते के कई खंडों के लिए सहमत समय–सीमा पर निर्णय लेने के वास्ते आल असम स्टुडेन्ट्स यूनियन (ए ए एस यू) के साथ बातचीत की थीं।

2. 5.5.2005 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(क) असम सरकार ने नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एन आर सी) को उद्यतन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को 2005–2006 में 1.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस बात पर सहमति हुई है कि चालू वित्त वर्ष में इस कार्य के लिए राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) असम में भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ चरण–II के तहत सीमा पर बाड़ लागने का कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूरा होने की आशा है। केन्द्र सरकार ने चरण–I में निर्मित सीमा बाड़ को बदलने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।

(ग) असम गैस क्रैकर परियोजना के कार्यान्वयन का काम शुरू हो गया है।

(घ) सरकार, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए असम राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ङ) असम सरकार से कहा गया है कि वह अशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त परामर्शदाता नियुक्त करें।

3. केन्द्रीय गृह मंत्री ने असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा 2.1.2006 को और सचिव (सीमा प्रबंधन) पे 29.7.2006 को की थी।

नाल्को द्वारा कोयले की मांग

1691. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाल्को में कोयले की वार्षिक आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नाल्को को घरेलू क्षेत्र और आयात के द्वारा कोयले की कितनी मात्रा प्राप्त हुई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) नालको द्वारा दो संयंत्रों नामतः अंगुल स्थित कैप्टिव पावर प्लांट (सी.पी.पी.) और दामनजोड़ी स्थित स्टीम जेनरेशन प्लांट (एस.जी.पी.) में कोयले का उपयोग किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, नाल्को को अपने दो संयंत्रों के लिए घरेलू क्षेत्र से और आयात के द्वारा प्राप्त हुई कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :

सी.पी.पी., अंगुल के लिए :

(मिलियन टन में)

वर्ष	आवश्यकता	घरेलू स्रोत से प्राप्ति	आयात के द्वारा प्राप्ति	कुल प्राप्ति
2003–04	3.6	4.455	शून्य	4.455
2004–05	4.85	5.126	शून्य	5.126
2005–06	5.25	4.90	0.208	5.108

एस.जी.पी., दामनजोड़ी के लिए :

(लाख टन में)

वर्ष	आवश्यकता	घरेलू स्रोत से प्राप्ति	आयात के द्वारा प्राप्ति	कुल प्राप्ति
2003–04	11	10.02	शून्य	10.02
2004–05	11	9.243	शून्य	9.243
2005–06	11	10.63	0.16	10.79

रेशम क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता

1692. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेशम क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतर्गत रेशम क्षेत्र के लिए बनाई गई भावी योजनाओं/रणनीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए 10वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है :–

1. महिलाओं के लिए रेशम उत्पादन–प्रौद्योगिकी कॉम्पलेक्स की स्थापना।
2. रेशम उत्पादन क्षेत्र में नीरसता से बचाने के लिए महिला अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना और उसे लोकप्रिय बनाना।
3. उत्प्रेरक विकास योजनाएं।

(ख) योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) 11वीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र अभी तैयारी के चरण में है और रेशम उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण उसमें महत्वपूर्ण बात है।

विवरण

केंद्रीय रेशम बोर्ड के तहत केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआरएंडटीआई–मैसूर) ने 5 वर्ष की अवधि के लिए फरवरी 2004 से शुरू कर डीबीटी के वित्त पोषण से 81.33 लाख रु. की कुल लागत पर एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र की चुनिंदा महिला रेशम उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान कराना है। नई बढ़त वाली रेशम उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकियों से कौशल विकास के लिए सुलभ प्रशिक्षण देने के अलावा इसमें प्रदर्शन, फील्ड अध्ययन दौरा और स्थानीय भाषा में प्रतिभागीय दृष्टिकोण शामिल है। 3375 महिला रेशम उत्पादकों के लक्ष्य की तुलना में इस संस्थान ने निम्नलिखित कार्यक्रम–वार ब्यौरों के अनुसार अभी तक 1532 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है :–

कार्यक्रम	2004–05	2005–06	2006–07 (जुलाई 2006 तक)	कुल
पारि–मित्र दृष्टिकोण द्वारा शहतूत में एकीकृत पोषक एवं रोग प्रबंधन	70	127	42	239
प्रारंभिक अवस्था के रेशम कीट का पालन	134	198	54	386
मिश्रित रेशम कीट पालन पाठ्यक्रम	54	99	18	101
एकीकृत नाशी जीव एवं रोग प्रबंधन जैव कीटनाशक, जैव–फफूंदनाशी और वानस्पतिकों के साथ पारि–मित्र दृष्टिकोण	49	98	26	173
रेशम कीट बीज उत्पादन	08	0	0	08
बेहतर संसाधन प्रबंधन द्वारा रेशम उत्पादन उद्योग के उप–उत्पादों का मूल्यवर्धन	20	34	0	54
कृषि विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त उपकरणों/हस्त औजारों के माध्यम से नीरसता कम करना।	253	236	82	571
प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	588	722	222	1532

रेशम उत्पादन में नीरसता दूर करने के लिए महिला-अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास और उसे लोकप्रिय बनाना (डीबीटी द्वारा वित्त पोषित)

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के वित्त पोषण से 5 वर्ष की अवधि के लिए 11.56 लाख रु. की कुल लागत से एक परियोजना शुरू की। यह परियोजना अक्तूबर 2003 के दौरान शुरू हुई। इस परियोजना का उद्देश्य महिला–अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाकर रेशम उत्पादन में नीरसता कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादन में अधिक नीरसता वाले क्रियाकलापों की पहचान करने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा महिला कामगारों में नीरसता कम करने के लिए औजारों, उपस्करों और मशीनों के विकास का काम प्रगति पर है।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को संवर्द्धित करने के लिए बल दिया गया है।

कृषि क्लिनिक/सेन्टर

1693. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर उड़ीसा में कुछ कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 में राज्यवार ऐसे कितने क्लिनिकों और सेंटरों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जिलों में ऐसे क्लिनिकों अथवा केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रस्ताव पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार ने (कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में) कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की है जिसके तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्व–रोजगार उद्यमों के रूप में, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित कर सकें।

(ख) योजना का लक्ष्य 2006–07 के दौरान, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 3000 बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित करने का है।

(ग) और (घ) योजना बगैर राज्य एवं जिला विशिष्ट लक्ष्यों के सम्पूर्ण देश को कवर करती है।

(ङ) 2006–07 में योजना के कार्यान्वयन के लिए 11 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

1694. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, 2006 नामक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि स्वापक पदार्थों की आपूर्ति के लिए भारत और खाड़ी देश सबसे बड़े ट्रांजिट प्वाइंट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में नशे की लत की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है जैसाकि इस रिपोर्ट में बताया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का स्वापक पदार्थों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) यू एन ओ डी सी द्वारा रिलीज की गई वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2006 में स्वापक पदार्थों की आपूर्ति के लिए भारत का उल्लेख सबसे बड़े ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2006 में यह उल्लेख भी नहीं है कि भारत के कुछ राज्यों में नशे की लत की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। तथापि, सरकार ने सीमा पार सहित देश में स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं :–

(1) आयात और निर्यात केन्द्रों, भू–सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाकघरों आदि में कड़ी चौकसी और प्रवर्तन।

(2) नशीले पदार्थों की आवाजाही के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधादेश लागू करने के प्रयास करना।

(3) निषेधादेश लागू करने के व्यापक प्रयास करने के उद्देश्य से नशीले पदार्थों संबंधी कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

(4) एल आई ए बैठक (नेपाल सीमा के लिए एस एस बी, अग्रणी आसूचना एजेंसी है), सहायक बहु–एजेंसी समन्वय (एस एम ए सी) बैठक, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना बैठक (आर ई आई सी) और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना बैठक (सी ई आई एम) जैसे विभिन्न मंचों के तहत बहु–विषयक प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय बैठकों के माध्यम से आसूचना का आदान–प्रदान करना।

(5) आपरेशनल आसूचना को बेहतर ढ़ग से एकत्र करके, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुदृढ़ करना।

(6) प्रिकर्सर रसायनों को लाने–ले–जाने पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए सूचना के आदान–प्रदान और जांच–पड़ताल में सहायता करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

(7) अपराधियों का इलैक्ट्रानिक डाटा बेस बनाना।

(8) नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों के कौशल में सुधार लाने हेतु उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(9) स्वापक पदार्थों को पकड़वाने के लिए सूचना प्रदान करने वाले मुखबिरों और अधिकारियों को आर्थिक पुरस्कार देने की योजना का कार्यान्वयन करना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु

1695. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और हैल्परों पर भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस. /ए.डब्ल्यू.एच. एस. के कार्यकर्त्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी के लिए एक समान सेवा नियम बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाभों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं की आयु सीमा से संबंधित मामले को उचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। कुछ राज्यों ने 58/60 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण सेवाओं को मान्यता देते हुए, सरकार ने उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किए हैं :

- वर्ष 2002 में मानदेय को दोगुना करके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 1000/- रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए रुपए 500/- प्रति माह कर दिया गया है।
- संगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के समान उन्हें भी सवेतन प्रसूति अवकाश की अनुमति प्रदान की गई।
- भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 1.4.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना का शुभारंभ किया।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने तथा उनके उत्तम स्वैच्छिक कार्य को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य, दोनों ही स्तरों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु पुरस्कार स्कीम आरंभ की गई। राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत 25,000/-रुपये नकद एवं प्रशस्ति-पत्र तथा राज्य-स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत 5000/-रुपये नकद एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाते हैं।

उपर्युक्त लाभ के अतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारें आई.सी.डी.एस. स्कीम के अतिरिक्त अन्य स्कीमों के अंतर्गत किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अपने संसाधनों से भी अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान कर रही हैं।

राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे :-

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सेवाओं को पाठशाला अध्यापिकाओं, ए.एन.एम. तथा अन्य ग्रामीण पदों पर भर्ती के लिए अतिरिक्त अर्हता मानें।
- आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के कम से कम 25% पदों पर उन मैट्रिक पास कार्यकर्त्रियों को भर्ती करें, जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं से प्राप्त तथा अपने अंशदान से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका कल्याण कोष की स्थापना करें।
- शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला स्तरों पर शिकायत समाधान तंत्र स्थापित करें।

लौह अयस्क भंडार

1696. श्री पी. सी. थामस : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को लौह अयस्क की खोज तथा उसके दोहन हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) उपलब्ध आसूचना के अनुसार 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार, भारत में लौह अयस्क के राज्यवार संसाधन निम्नवत हैं :-

(000' टन में)

राज्य	भंडार (अनंतिम)	शेष संसाधन (अनंतिम)	कुल संसाधन (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	10044	1588064	1598108
असम	0	27980	27980

1	2	3	4
बिहार	0	644	644
छत्तीसगढ़	559654	2091179	2650833
गोवा	370550	432619	803169
झारखंड	2477823	1506608	3984431
कर्नाटक	613362	8283704	8897066
मध्य प्रदेश	32418	167588	200006
महाराष्ट्र	16709	260711	277420
उड़ीसा	1697396	2316240	4013636
राजस्थान	2008	539974	541982
उत्तर प्रदेश	0	38000	38000
केरल	0	83435	83435
नागालैण्ड	0	5280	5280
तमिलनाडु	0	481876	481876

(ख) और (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित खनिजों के लिए खनिज रियायत प्रस्तावों के संबंध में पूर्व अनुमोदन के लिए खान मंत्रालय में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति खान मंत्रालय के वेबसाइट अर्थात http://www.mines.nic.in पर उपलब्ध है। हाल ही में, लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस मंजूर किए जाने के लिए केरल राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है।

अनुसंधान एवं विकास हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रस्ताव

1697. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विचार अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण तथा परामर्श हेतु एक स्वायत्त निकाय के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) में अर्थ सिस्टम और इसके प्राकृतिक संसाधनों के कारगर प्रबंधन के लिए ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देने और सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय का गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव खान मंत्रालय को भेजा है। यह प्रस्ताव अत्यंत प्रारंभिक चरण में है और इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

मानव दुर्व्यापार

1698. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री रशीद मसूद :
श्री ए. साई प्रताप :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री किन्जरपु येरनायडु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में हाल ही में मानव दुर्व्यापार के मामले बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) अवैध परिवहन की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से कितनी मौतें हुई हैं;

(घ) क्या अमरीका द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत को इस प्रकार के दुर्व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र दर्शाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की अवैध एजेन्टों को अधिकतम सजा देने के लिए आव्रजन अधिनियम में संशोधन करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस बुराई पर नजर रखने के लिए अन्य क्या कड़े उपाय किए गए हैं/अपनाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (आई टी पी ए) के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 5510, 5748 और 5908 थी। अभी

तक उपलब्ध अनन्तिम मासिक आंकड़ों के आधार पर एन ए आर बी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार आई टी पी ए के अंतर्गत 1648 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) व्यक्तियों के अवैध व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राज्य विभाग की रिपोर्ट–2006 में, अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया है कि जबरन अथवा बंधुवा मजदूरी और वाणिज्यिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के लिए भारत स्रोत, लक्ष्य और पारगमन देश है।

(ङ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में बेईमान एजेंटों और विदेशी नियोजकों के शोषण से प्रवासियों को बचाने का प्रावधान है और इसमें अनुबंध आधार पर समुद्र पार रोजगार के लिए भारतीय कामगारों के उत्प्रवासन के लिए नियामक ढांचे की व्यवस्था है। मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम में संशोध्न हेतु एक व्यापक प्रस्ताव प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों में, उत्प्रवास अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु अधिक कठोर दंड संबंधी उपबंध शामिल है। "लोगों की तस्करी" में संलिप्त दोषियों को सजा देने संबंधी एक नये उपबंध का भी प्रस्ताव किया गया है। उत्प्रवास अधिनियम के अर्न्तगत त्वरित विचारण के हित में विशेष न्यायालयों का गठन करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु एक नई धारा का प्रस्ताव किया गया है।

(च) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और मानव दुर्व्यापार के अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार पीड़ितों के पुनर्वास हेतु उपायों सहित दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न उपाय कर रही है। केन्द्र सराकर ने सभी राज्य सरकारों को दुर्व्यापार के अपराध से समग्र रूप से निपटने और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के अलावा पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास को शामिल करके एक प्रभावपूर्ण और व्यापक रणनीति तैयार करने का सुझाव दिया है। मानव दुर्व्यापार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नोडल प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से दुर्व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने, समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और उनके स्रोत/पारगमन/लक्ष्य क्षेत्र बनने के कारणों का विश्लेषण करने, अपराध को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रबोधन करने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान/पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पर्यटक

1699. योगी आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू–कश्मीर में अब तक पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कितने लोग पर्यटक वीजा पर आ चुके हैं;

(ख) उनमें से कितने भारत से जा चुके हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन पर्यटकों द्वारा जम्मू–कश्मीर में संपत्तियों के दावों के मामलों के बारे में केन्द्र सरकार को कोई नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अपनी राय से अवगत करा दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलको बस सेवाओं से पाक अधिकृत कश्मीर (पी ओ के) से 745 व्यक्ति जम्मू और कश्मीर आए जब कि यात्रा परमिटों पर नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) क्रासिंग बिन्दुओं से 246 व्यक्तियों (पाक अधिकृत कश्मीर के कुल 991 व्यक्ति) ने पैदल यात्रा की जिनमें से 4.8.2006 तक 897 व्यक्ति लौट गए हैं।

(ग) से (च) जी हां, श्रीमान। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैथंर्स पार्टी द्वारा दायर एक आवेदन पत्र, (2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 578 में 2005 की आई.ए. संख्या 2), जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ–साथ, यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में अपनी संपत्तियों की बहाली के लिए श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा से राज्य में आने वाले पाक–अधिकृत कश्मीर के निवासियों के आवेदन पत्रों पर विचार न करें, के जवाब में एक नोटिस प्राप्त हुआ है। यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

भारत में विदेशी आगंतुक

1700. श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत में देशवार कितने विदेशी आए; और

(ख) उनकी यात्राओं के दौरान मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के देश–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शीघ्र क्लियरेंस हेतु देश में प्रमुख आप्रवासन जांच चौकियों (आई सी पी) में सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्रवाई शुरू की जाती है। पर्यटन मंत्रालय, प्रति वर्ष पर्यटकों के गंतव्य स्थलों और क्षेत्रों में पर्यटकों संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटक विशिष्ट परियोजनाओं पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटकों को संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से, चुनिन्दा पर्यटक गंतव्य स्थलों में पर्यटक पुलिस बल तैनात करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

2003–2005 के दौरान विदेशी नागरिकों का देश–वार आगमन

देश	2003	2004	2005
1	2	3	4
अफगानिस्तान	10034	12810	13988
अलास्का (यू एस ए)	28	0	0
अलबानिया	71	112	230
अल्जीरिया	501	818	770
अंडोरा	26	42	26
अंगोला	441	474	543
एग्गुईला	2	0	0
एंटीगुआ एवं बारबुडा	4	3	19
एंटील्स (नीदरलैंड)	360	89	385
अर्जेंटीना	1793	2799	3392
अर्मेनिया	244	264	310
अरूबा	0	14	21
एसेंसियन आइलैंड	0	2	4
आस्ट्रेलिया	59291	81654	96514
आस्ट्रिया	17719	21093	27386
अजरबेजान	417	456	614
अजोर्स	0	2	3
बहामास	28	36	177
बहरीन	4208	4420	5009
बांग्लादेश	497722	490821	485640
बारबाडोस	156	201	199
बेलारूस	498	629	685
बेल्जियम	17942	24031	25096
बेलाइज	308	388	685
बेनिन	13	3	120
बरमुडा	5	1	2
भूटान	5393	7054	8126
बोलिविया	113	154	154
बोस्निया एवं हर्जेगोविना	64	46	78
बोत्सवाना	343	421	505
ब्राजील	4525	7397	7001
ब्रिटिश ओवरसीज सिटी	1	4	0
ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट	1	18	3
ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड	22	27	25
ब्रिटिश सब एंड कोलो	2	69	0
ब्रुनेई	287	498	581
बल्गारिया	1338	1400	1716
बर्कीना फासो	12	28	31
बुरंडी	17	69	81

1	2	3	4
कनाडा	107755	135967	156287
कैनरी आइलैंड्स	1	0	0
केप वर्दे आईलैंड्स	9	7	25
केमैन आइलैंड	2	4	5
सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	166	198	1685
चाड	139	121	403
चिली	1049	1636	1618
चीन	20288	34113	44340
चीन (ताइवान)	13574	18179	19153
चीन तुर्क	0	2	0
क्रिसमस आइलैंड्स	4	1	3
सिसकी	2	1	0
कोकोस आइलैंड	3	0	0
कोलंबिया	1369	1725	2035
कोमरस	60	56	142
कांगो	198	244	367
कुक आइलैंड	28	7	8
कोस्टा रिका	368	389	455
क्रोशिया	1005	1403	1564
क्यूबा	162	179	212
साइप्रस	378	431	646
चेकोस्सवाकिया	3383	4130	4655
दाहोमे	768	148	626
डिआगो ग्रासिया	0	1	0
डेमोक्रेटिक यमन	20	4	28
डेनमार्क	11861	15863	19893
डिजबूटी	253	288	316
डोमिनिकन आइलैंड	5	6	9
डोमिनिकन रिपब्लिक	192	265	525
ईस्ट तिमोर	1	3	5
इक्वेडोर	230	226	316
मिस्र	3352	3940	4061
अलसल्वाडोर	944	1078	1393
इक्विटोरअल गुइनिया	12	42	16
इरिट्रिया	342	344	305
एस्टोनिया	529	593	939
इथओपिया	2290	2661	3224
फाकलैंड आइलैंड्स	1	2	3
फरोस आइलैंड	5	4	0
फिजी	1516	2003	2351
फिनलैंड	9024	12538	16000
फ्रांस	97518	132050	151199
फ्रैन्च गुइनिया	2	2	2
फ्रैन्च प्लाइनीसिया	2	0	0
गाबोन	32	23	70
गांबिया	76	111	433
जार्जिया	366	438	485
जर्मनी	87523	116748	129935
घाना	717	925	1209
जिब्राल्टर	8	20	24
ग्रीस	3601	4716	4768
ग्रीनलैंड	2	1	14
ग्रेनाडा	1880	1233	3237
गुआडेलोप	3	7	21

1	2	3	4
ग्वाटेमाला	122	390	173
गुइनिया	120	171	148
गुइनिया बिसाऊ	24	25	87
गुआना	353	359	444
हेती	57	101	125
हवाई	0	1	4
होन्डूरस	89	80	137
हांगकांग	1083	1965	1858
हंगरी	1994	3540	3795
आइसलैंड	210	245	401
इंडोनेशिया	9109	11550	12853
ईरान	17684	24835	28145
इराक	792	1153	1627
आयरलैंड	7497	9004	11085
इजाइल	32137	39286	42944
इटली	47160	65572	67465
आइवरी कोस्ट	155	243	488
जमैका	289	340	371
जापान	77395	96992	102760
जॉर्डन	1703	2436	3354
कजाकस्तान	2350	2476	3257
केन्या	16490	17593	19644
किंगडम ऑफ टोंगा	67	63	39
किरीबती	9	7	15
कोरिया (उत्तरी) डी पी आर	1349	1479	2536
कोरिया दक्षिण	35600	47835	51750
कुवैत	2369	2965	3020

1	2	3	4
किर्गिस्तान	540	612	542
लाओस	169	129	217
लातविया	421	605	1070
लेबनान	1410	2257	2295
लिसोथो	213	192	283
लिबेरिया	134	123	158
लिबिया	256	384	490
लिचटेन्सटेन	31	41	59
लिथोरिया	2	32	37
लिथुआनिया	498	720	962
लक्जमबर्ग	442	583	690
मकाऊ	19	73	92
मालागासे (माडागस्कर)	95	106	217
मालावी	250	306	345
मलेशिया	70147	84390	98571
मालदीव	18005	21681	34126
माली	56	2541	103
माल्टा	470	535	1764
मार्टिनिक्यू	191	145	314
मारितानिया	311	364	418
मारीशस	16248	19847	19994
मयोते	2	23	8
मेक्सिको	3585	4577	5382
माइक्रोनेशिया	1	6	0
माल्दोवा	236	245	140
मोनाको	6	36	11
मंगोलिया	593	810	1018

1	2	3	4
मोरक्को	888	1144	1316
मोजाम्बिक	810	1044	1293
म्यांमार	3700	5061	5679
नामीबिया	74	112	203
नौरू	9	13	8
नेपाल	43597	53207	79736
नीदरलैंड्स	41939	51211	53459
न्यू कालेडोनिया	7	7	8
न्यू हरब्राइड्स (वनौतू)	16	23	40
न्यूजीलैंड	13379	16762	20518
निकारागुआ	55	91	102
नाइजर रिपब्लिक	669	1178	1140
नाइज़ीरिया	5718	6659	9967
न्यू आइलैंड	12	15	45
नोरफोक आइलैंड	0	0	2
नार्वे	8550	10631	11305
ओमान	12419	14927	15021
अन्य	9741	13095	21073
पाकिस्तान	9253	67416	94057
पलाऊ	3	9	5
फिलीस्तीन	491	672	735
पनामा	467	492	599
पपुआ–न्यू–गुइनिया	95	299	383
पराग्वे	211	161	152
पेरू	465	639	663
फिलीपींस	8693	10492	12479
पोलैंड	6389	8508	10958

1	2	3	4
पुर्तगाल	8568	10655	11473
पोर्टो रिको	3	1	6
कतर	1421	1788	2304
रीयूनिअन आइलैंड	19	16	54
रोड्रिग्स आइलैंड	0	0	19
रोमानिया	1532	1938	2410
रूस	31353	47133	56625
रवांडा	138	130	127
सेंट मरीन	1	1	0
समोआ (वेस्ट) टोगीलीस	9	6	25
समोआ अमेरिकन	1	0	0
सेन मारिनो	10	4	5
साओ टोम एंड प्रिसिप	44	27	31
सऊदी अरब	9762	11932	12364
सेनेगल	402	392	530
सेशेल्स	1032	1383	1407
सिअरा लिओन	117	118	595
सिंगापुर	48918	60710	71443
स्लोवाक गणराज्य	180	213	283
स्लोवेनिया	470	504	394
सोमालिया	357	357	509
दक्षिण अफ्रीका	24350	32148	39234
स्पेन	30624	42897	45055
श्रीलंका	108334	129058	137661
सेंट लूसिया	31	38	55
सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स	2	0	0
राष्ट्रिकताहीन	1313	1365	1171

1	2	3	4
राष्ट्रिकताहीन–अफगानिस्तान	1	0	0
राष्ट्रिकताहीन–मलेशिया	12	24	20
राष्ट्रिकताहीन–तंजानिया	8	25	29
राष्ट्रिकताहीन–यूनाइटेड किंगडम	179	11	159
राष्ट्रिकताहीन–यू एस ए	5	5	16
राष्ट्रिकताहीन–वियतनाम	1	4	2
सूडान	2061	2487	3637
सूरीनाम	344	614	705
स्वाजीलैंड	434	587	919
स्वीडन	20805	26184	29250
स्विटजरलैंड	25123	28540	33591
सीरिया	1717	2349	2471
ताजिकिस्तान	370	526	958
तंजानिया	8489	9956	11119
थाइलैंड	26273	33442	42245
टोंगा (टोगो)	101	140	229
ट्रांसकी	2	42	94
त्रिनिडाड एवं टोबागो	761	1095	1564
ट्यूनिशिया	620	1796	931
तुर्की	5548	7092	7916
तुर्कमिनिस्तान	261	475	551
तुर्क्स एवं कैकोस आइलैंड	9	2	13
तुवालू	53	41	104
यू.एस.ए.	408781	526120	618578
युगांडा	1409	1560	1613
यूक्रेन	4314	5106	7140
यूनाइटेड अरब अमीरात	21449	23187	26545
यूनाइटेड किंगडम	453886	556763	647787
अपर वोल्टा	4	6	1
यूरूग्वे	362	336	239
उजबेकिस्तान	1609	1795	2125
वनुआतू	0	4	7
वेटिकन सिटी	26	25	44
वेंडा	51	1	0
वेनेजुएला	766	909	1517
वियतनाम	2274	2598	3509
विर्जिन आइलैंड (यू के)	11	2	0
विर्जिन आइलैंड (यू एस)	0	0	1
वालिस फुतुना आइलैंड	10	6	3
यमन	7724	8826	9614
युगोस्लाविया	532	546	795
जेरे	0	2	5
जांबिया	1352	1469	1855
पिबाब्वे (रोडेशिया)	649	851	1071
कुल	2803240	3478444	3967382

प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता

1701. **श्री पी. करूणाकरन :**
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्यों से प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहायता से संबंधित वर्तमान अर्हता मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) कई राज्य सरकारों ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा राहत आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों में संशोधन करने और निर्धारित की गई प्राकृतिक आपदाओं, जो सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता के लिए पात्र हैं, की सूची में कुछ नई आपदाओं को शामिल करने का अनुरोध किया है।

बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) के पंचाट की अवधि के लिए अर्थात् 2009–10 तक सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है जिसमें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और कुछ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों की विस्तृत समीक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ ग्रुप ने सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के विचार/सुझाव मांगे। विशेषज्ञ ग्रुप ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ अनेक बैठकें की और उनके साथ परामर्श किया।

विशेषज्ञ ग्रुप ने गृह मंत्रालय में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, ग्रुप की रिपोर्ट की जांच कर रही है। इसके बाद तत्काल ही सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता की मदों और मानदंडों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव, उच्च स्तरीय समिति के सम्मुख उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। एच एल सी के अनुमोदन के बाद अनुमोदित मदों और मानदंडों को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें

1702. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**
श्री सुबोध मोहिते :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को आरक्षित सीटें प्रदान नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त संस्थाओं की उपुर्यक्त श्रेणियों के कितने प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ग) इन संस्थाओं में आरक्षित सीटें भर पाने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(घ) वे संस्थाएं कौन–कौन सी हैं, जहां न्यूनतम/अधिकतम सीटों को छात्रों की आरक्षित श्रेणी से भरा गया; और

(ङ) सीटें न भरने के लिए सरकार द्वारा इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) सीटों के आरक्षण का निर्धारित स्तर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत है। प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र की जनसंख्या और साथ ही योग्य छात्रों की उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भिन्न–भिन्न होती है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनाई

1703. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा बुनाई हमारी सांस्कृतिक विरासत है; और

(ख) यदि हां, तो बुनाई के सदियों पुराने परंपरागत शिल्प के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) जी हां, हथकरघा वस्त्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।

(ख) भारत सरकार बुनाई की पुरातन परम्परागत शिल्प के संरक्षण के लिए कई विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं – दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, हथकरघा निर्यात योजना, एकीकृत हथकरघा समूह विकास, कार्यशाला सह आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इसके अलावा, भारत सरकार ने हथकरघा उत्पादों को सामूहिक पहचान देने तथा क्रेता को गारंटी देने के लिए कि खरीदा हुआ उत्पाद वास्तव में हाथ से बुना हुआ उत्पाद है, हथकरघा मार्क योजना शुरू की है।

बौद्धिक संपदा अधिकार

1704. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जैव–विविधता के संरक्षण तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की प्रणाली को विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे संबंधित वर्तमान नीतियां क्या हैं तथा उनकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जैव–विविधता अधिनियम, 2002 और पेटेंट अधिनियम, 1970 जैसा कि 2005 में संशोधित किया गया है, में जैव–विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।

जैव–विविधता अधिनियम, 2002 इसलिए बनाया गया था कि जैव–विविधता को संरक्षण दिया जा सके, इसके घटकों का सतत उपयोग किया जा सके, जैव संसाधनों अथवा संबद्ध ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायोचित और तर्कसंगत बंटवारा किया जा सके। इस अधिनियम का लक्ष्य देश के जैव संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करना है, ताकि उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्यायोचित बंटवारा किया जा सके।

2005 में यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, पादपों, जंतुओं तथा पारंपरिक ज्ञान को आविष्कार नहीं माना जाता और इसलिए पेटेंटनीय विषय नहीं हैं। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि पेटेंट हेतु आवेदन करते समय, किसी आविष्कार में उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत तथा उसकी भौगोलिक उत्पत्ति को बताना अनिवार्य है। ऐसा न करने से पेटेंट आवेदन का विरोध तथा, यदि पेटेंट प्रदान किया गया हो तो उसे रद्द करना अनिवार्य हो जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन धारक

1705. श्री पी.सी. गद्दीगउडर :
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो व्यक्ति सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे देश की स्वतंत्रता के समय शिशु थे;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्हें उचित सत्यापन के बिना पेंशन स्वीकृत करने में शामिल पाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ङ) केन्द्रीय योजना में, अपने में, केन्द्रीय सम्मान पेंशन की पात्रता हेतु कोई भी निम्नतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। सम्मान पेंशन प्राप्तकर्ताओं के आयुवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जाली/कपटपूर्ण तरीके से पेंशन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न स्रोतों से शिकायतें/सूचना निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे हरेक मामले की जांच, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्रीय योजना के लिए लागू प्रावधानों के संदर्भ में की जाती है। जांच करने पर, जहां कहीं, यह सिद्ध हो जाता है कि किया गया दावा, पात्रता संबंधी मानदंडों और केन्द्रीय योजना के साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो यथोचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् पेंशन स्थगित/रद्द कर दी जाती है। ऐसे मामले व्यक्तिगत रूप से निपटाए जाते हैं।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन (एच एल एम) (अन्य बातों के साथ–साथ) सम्मान पेंशन मंजूर करने के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय योजना के तहत एक मान्यता प्राप्त आंदोलन है जिसमें आंदोलन–विशिष्ट पात्रता और साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं में छूट दी गई है।

सी.एच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत एच एल एम मामलों से संबंधित दावों, जिन्हें 1998 में सत्यापन हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया था, के मामले में, मार्च 1947 में 15 वर्ष की आयु यथोचित प्रशासनिक औचित्य के रूप में (जून 1998 में) निर्धारित की गई थी।

केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2006–2007 में (आज की तारीख तक), 3 पेंशन स्थगित की गई हैं और उत्तरवर्ती राज्य सरकार/जिलाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट की इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त होने पर उनके पहले के सत्यापन के विपरीत, मार्च, 1947 में पेंशनरों की आयु 15 वर्ष से कम थी, पेंशन रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसी के साथ, उन 10 पेंशनरों की पेंशन, जिन्होंने उस समय गलत/जाली प्रमाणपत्र दिए थे, जब 3 उक्त पेंशन शुरू में संस्वीकृत की गई थी, भी स्थगित कर दी गई है और पेंशन रद्द

करने हेतु उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाइयां शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार की सतर्कता संबंधी जांच (2005–2006 में शुरू की गई) से यह संकेत मिला है कि शिशुओं को पेंशन स्वीकृत की गई है; तथापि, राज्य सरकार ने सही–सही संख्या नहीं बताई है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जनता से कतिपय आरोप/शिकायतें प्राप्त होने पर, करीमनगर, नालगोंडा, वारंगल और खम्माम जिलों के संबंध में केन्द्रीय योजना के तहत पेंशन स्वीकृत करने हेतु स्वतंत्रता सेनानियों के 7364 मामले महानिदेशक (सतर्कता एवं प्रवर्तन) को भेजे गए। जांच के पश्चात्, महानिदेशक (सतर्कता एवं प्रवर्तन) ने आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में, यह देखा गया है कि उक्त चार जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने में कई अनियमितताएं हुई हैं। महानिदेशक ने आंध्र प्रदेश सरकार से कतिपय सिफारिशें की हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) 100% सत्यापन हेतु विशेष टीमें गठित करना;

(ii) उन पेंशनों को रद्द करने हेतु भारत सरकार से कहना जिनमें अनियमितताएं ध्यान में आई हैं;

(iii) संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना;

(iv) दलालों से बचने के लिए और पेंशन स्वीकृत करने हेतु निवेदकों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में उनकी सहायता करने हेतु मंडल साक्षरता अधिकारी/मंडल शिक्षा अधिकारी/गांव के प्रधानाध्यापक की सेवाएं लेने की संभावना का पता लगाना; और

(v) निश्चयात्मक साक्ष्य के रूप में 1995 की मतदाता सूची के अनुसार आयु की प्रविष्टि लेने के मुद्दे पर पुनर्विचार करना।

सतर्कता रिपोर्ट में, कतिपय अधिकारियों अर्थात जिला राजस्व अधिकारी, राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, मंडल शिक्षा अधिकारी इत्यादि के विरुद्ध उनके द्वारा पर्यवेक्षण में की गई चूकों, ई पी आई सी 1995 को सत्यापित करने में लापरवाही बरतने तथा 1995 की मतदाता सूची को सत्यापित करने में लापरवाही बरतने इत्यादि के कारण कार्रवाई शुरू करने की संस्वीकृति की गई है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सी आई डी (2005–2006 में, अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग (सी आई डी), आंध्र प्रदेश सरकार की जांच के लिए किए गए अनुरोध पर) की रिपोर्ट मिलने पर उनके द्वारा मामले में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बड़े उद्योगों का बंद होना

1706. श्री संतोष गंगवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनके बंद होने के कारणों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उद्योगों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) देश में बन्द हुए औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़ों का संकलन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा किया जाता है। श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003–05 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में 9 एकक और निजी क्षेत्र में 385 एकक बन्द किये गये थे। इनमें से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में 6 एकक और निजी क्षेत्र में 49 एकक बन्द किये गये थे। श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के अनुसार बन्द हुए औद्योगिक एककों की राज्य–वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) श्रम ब्यूरो ने एककों के बन्द होने के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एकत्र की गई जानकारी के अनुसार एककों के स्थाई रूप से बन्द होने के विभिन्न कारण हैं, जैसे – औद्योगिक विवाद, वित्तीय तंगी, कच्चे माल और बिजली की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, ट्रेड यूनियन संबंधी समस्याएं आदि। औद्योगिक और वित्तीय पुनः संरचना बोर्ड के अनुसार उसे भेजी गई रुग्ण औद्योगिक कंपनियों ने अपनी रुग्णता/बन्द हो जाने के लिए जिन कारणों को जिम्मेदार बताया है वे हैं – सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रबन्धकीय समस्याएं, उत्पादन और तकनीकी सम्बंधी समस्याएं, विपणन समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, पर्याप्त अवंसरचना का अभाव, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा सावधिक ऋण की मंजूरी और संवितरण में किया जाने वाला विलम्ब और ब्याज की ऊंची दरें।

(घ) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा, जो उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है तथा उसका

पोषण करती है, रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए तथा स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों के समामेलन के लिए बैंकों को दिशा–निर्देश जारी करना शामिल है। जहां व्यवहार्य होता है बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी की संरचना, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, देय राशि के बारे में पुनः व्यवस्था करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण

बंद किए गए औद्योगिक एककों की राज्य–वार सूची

क्रम सं.	राज्य	2003		2004		2005	
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	2	–	1	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
4.	असम	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	–	2	–	1	–	–
6.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–
7.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
10.	गोवा	–	2	–	1	–	2
11.	गुजरात	–	39	–	32	–	7
12.	हरियाणा	1	1	–	4	–	2
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	–
14.	जम्मू और कश्मीर	–	3	–	1	–	–
15.	झारखंड	–	6	–	3	–	1
16.	कर्नाटक	–	6	–	9	–	8
17.	केरल	–	5	–	8	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
21.	मणिपुर	1	–	–	–	–	–
22.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
24.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	3	–	–	–	–
26.	उड़ीसा	–	3	–	2	–	–
27.	पांडिचेरी	–	6	–	–	–	–
28.	पंजाब	–	–	–	–	–	1
29.	राजस्थान	–	2		1	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
32.	त्रिपुरा	–	22	1	99	–	45
33.	उत्तर प्रदेश	–	14	5	22	1	13
34.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	–	1	–	2	–	–
	योग	2	117	6	187	1	81

केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती

1707. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बी.एड. स्नातकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में बी.एड. स्नातकों ने कोई विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती का मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद के लिए चुने नहीं गए कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय कैट, प्रधान बैंच,

नई दिल्ली में यह अपील करने हेतु केस दायर किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बी.एड. को जे.बी.टी. के साथ अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन है। माननीय कैट ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के रूप में जे.बी.टी. सहित बी. एड. डिग्री धारकों से आवेदन आमंत्रित करने संबंधी प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन को यह निदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करते हुए कि बी.एड. अथवा अन्य उच्च शैक्षिक अर्हता रखने वाले परन्तु जे.बी.टी. अथवा समकक्ष अर्हता ने रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार न किया जाए, प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में नया विज्ञापन जारी करके नियुक्ति की कार्यवाही को पूरा करें। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में इस निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका दायर की है और माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय कैट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला अब अदालत में है।

(घ) और (ङ) बी.एड. अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी इस मामले को न्यायालय में ले गए हैं और यह मामला अब विचाराधीन है।

विवरण

1. स्नातकोत्तर शिक्षक

क) वेतनमान : 6500–200–10500 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 40 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का संबंधित विषय में कम से कम औसतन 50 प्रतिशत अंकों के साथ दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एस.सी. पाठ्यक्रम अथवा निम्नलिखित विषयों में कम से कम औसतन 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री :–

क्रम सं.	पद का नाम	विषय
1	2	3
क	स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी)	अंग्रेजी
ख	स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)	हिन्दी
ग	स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिकी)	भौतिकी/ इलेक्ट्रानिक्स/ अनुप्रयुक्त भौतिकी/ न्यूक्लीयर भौतिकी
घ	स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन विज्ञान)	रसायन विज्ञान/ जैव–रसायन विज्ञान
ङ	स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/व्यापार अर्थशास्त्र
च	स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य)	अध्ययन के मुख्य विषय के रूप में लेखाशास्त्र/ लागत लेखा शास्त्र/वित्त लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य। अनुप्रयुक्त व्यापार अर्थशास्त्र में ए.आई. कॉम डिग्री धारक पात्र नहीं होगा।
छ	स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित)	गणित/अनुप्रयुक्त गणित
ज	स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान)	वनस्पति शास्त्र/प्राणि विज्ञान/लाइफ विज्ञान/ बायो विज्ञानों/ जेनेटिक्स/माइक्रो बायोलोजी/जैव–प्रौद्योगिकी/मोलिक्यूलर बायो/प्लांट फिजियो–लोजी। बशर्ते उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र और प्राणिविज्ञान का अध्ययन किया हो।
झ	स्नातकोत्तर शिक्षक (इतिहास)	इतिहास
ञ	स्नातकोत्तर शिक्षक (भूगोल)	भूगोल

1	2	3
ट	स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत)	संस्कृत
ठ	स्नातकोत्तर शिक्षक (राजनीति विज्ञान)	राजनीति विज्ञान

ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. अथवा समतुल्य अर्हता।

iii) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की दक्षता।

छ) वांछनीय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान

2. स्नातकोत्तर शिक्षक (कम्प्यूटर विज्ञान)

क) वेतनमान : 6500-200-10,500 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 40 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. अथवा बी.टेक. (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) डिग्री अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री अथवा डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. अथवा बी.टेक. (किसी विषय में) और कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान)/एम.सी.ए. अथवा समतुल्य।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान)/बी.सी.ए. अथवा समतुल्य और स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा

डी ओ.ई.ए.सी.सी. से 'ए' स्तरीय और किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा

डी.ओ.ई.ए.सी.सी., सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 'बी' और 'सी' स्तरीय

ii) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की दक्षता।

नोट : बाद की पदोन्नति के लिए पदधारी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्त करनी होगी।

3. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

क) वेतनमान : 5500-175-9000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 35 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

i) संबंधित विषय में औसतन कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का चार वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम अथवा संबंधित विषय (विषयों) और निम्नलिखित विषयों के समुच्चय में वैकल्पिक और भाषाओं सहित में कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री :–

क्र.सं.	पद का नाम	विषय
1	2	3
क	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी)	डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी
ख	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी)	डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी
ग	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक अध्ययन)	निम्नलिखित में से कोई दो विषय : इतिहास, भूगोल,

1	2	3
		अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जिनमें से एक विषय इतिहास अथवा भूगोल होना चाहिए
घ	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विज्ञान)	रसायन विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, प्राणि विज्ञान
ङ	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत)	डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत
च	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित)	निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ गणित :– भौतिकी/रसायन विज्ञान/ इलेक्ट्रा–निक्स/कम्पयूटर विज्ञान सांख्यिकी

ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. अथवा समतुल्य डिग्री।

iii) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की दक्षता।

छ) वांछनीय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।

4. प्राथमिक शिक्षक

क) वेतनमान : 4500-125-7000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 30 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

i) 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XII)

ii) वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XII) के बाद जे.बी.टी. अथवा बी.एड. अथवा समतुल्य बी.ई.एल ई.डी

iii) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की दक्षता।

घ) वांछनीय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान

5. ड्राइंड शिक्षक

क) वेतनमान : 5500-175-9000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 35 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

ड्राइंग और पेन्टिग/स्कपल्चर/ग्रफिक आर्ट में पांच वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा

अथवा

विश्वभारती, शान्ति निकेतन से ललित कला और क्राफ्टस आर्ट में चार वर्षीय डिप्लोमा

अथवा

राजकीय विद्यालय, आर्टस और क्राफ्टस, पटना से ललित कला में डिप्लोमा

अथवा

आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से ड्राइंग और पेन्टिग में एम.ए.

अथवा

समतुल्य मान्यता प्राप्त डिग्री

अथवा

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज से ललित कला में बी.एड. डिग्री/डिप्लोमा

छ) वांछनीय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग का कार्य साधक ज्ञान।

6. कार्य अनुभव शिक्षक

क) वेतनमान : 5500-175-9000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 35 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के

तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

1. इलैक्ट्रिकल गेजेट और इलैक्ट्रानिक्स :

i) हायर सेकेण्डरी के बाद राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा (डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की न्यूनतम अर्हता कम से कम हायर सेकेण्डरी होनी चाहिए)

अथवा

किसी मान्यता विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी डिग्री

अथवा

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल/भुवनेश्वर/मैसूर/अजमेर से बी. एस.सी. (टेक), बी.एड.

ii) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान

iii) हिन्दी और अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान

घ) वांछनीय : मान्यता प्राप्त कार्यशाला/संस्था में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव

2. सिलाई-कढ़ाई और एम्ब्रायडरी :

i) राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिलाई/कढ़ाई और एम्ब्रायडरी कार्य में हायर सेकेण्डरी के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

i) राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी के बाद गृह विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिले की न्यूनतम अर्हता कम से कम हायर सेकेण्डरी होनी चाहिए।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.एड.।

ii) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान

iii) हिन्दी और अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान

घ) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त कार्यशाला/संस्था/उद्योग में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव।

7. योग शिक्षक

क) वेतनमान : 5500-175-9000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 35 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री।

ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से योग में एक वर्ष का प्रशिक्षण।

8. शारीरिक शिक्षा शिक्षक

क) वेतनमान : 5500-175-9000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 35 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा लक्ष्मी बाई शिक्षा कालेज से बी.पी.ई.डी. अथवा समतुल्य अर्हता। वे विख्यात खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में देश का प्रतिनिधित्व किया है, को भी परीक्षण आधार पर नियुक्ति का पात्र माना जाएगा बशर्ते वे विश्वविद्यालय डिग्री धारक हो और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता प्राप्त होने की शर्त लागू नहीं होगी।

9. संगीत शिक्षक

क) वेतनमान : 4500-125-7000 रुपए

ख) अधिकतम आयु सीमा : 30 वर्ष। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक की छूट। भारत सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथा लागू छूट भी दी जाएगी।

ग) अनिवार्य अर्हताएं

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री अथवा निम्नलिखित में से किसी एक के साथ हायर सेकेण्डरी अर्थात – गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई अथवा भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (मध्य प्रदेश) का संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से समतुल्य अर्हता। प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा भी संगीत शिक्षक के पद के लिए समतुल्य अर्हता माना जाएगा।

i) किसी विषय के स्नातक सहित संगीत भास्कर।

ii) किसी विषय के स्नातक सहित संगीत/नृत्य भूषण।

iii) वरिष्ठ माध्यमिक/इन्टरमीडिएट/तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के भाग–1 के साथ संगीत भूषण।

iv) वरिष्ठ माध्यमिक/इन्टरमीडिएट/तीन वर्षीय डिग्री भाग–I परीक्षा के साथ संगीत/नृत्य विशारद।

एन डी एम सी को घाटा

1708. श्री जे.एम. आरुन रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को अपने ट्रक होने के बावजूद अपने क्षेत्र में से कूड़ा करकट उठाने के लिए निजी कंपनियों के ट्रक किराए पर लेने के कारण वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण परिषद को अनुमानित कितना घाटा हुआ तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को ट्रकों को किराए पर लेने के कारण कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ है। प्राइवेट ट्रकों को इसलिए किराए पर लेना पड़ा क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों से कूड़ा करकट उठाने के लिए इसके पास उपलब्ध ट्रक आवश्यकता से कम है।

[अनुवाद]

वस्तुओं के आयात में वृद्धि

1709. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिन वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) उन प्रमुख वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम एवं उत्पाद, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर मशीनें, इलैक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, स्वर्ण, मोती, कीमती एवं अर्द्ध–कीमती रत्न आदि शामिल हैं जिनके आयात में पिछले तीन वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है। आयात की अधिक वृद्धि दर्ज करने वाली अधिकांश वस्तुओं से विनिर्माण क्षेत्र से कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती उत्पाद एवं पूंजीगत वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि अथवा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि प्रदर्शित होती है जैसाकि कच्चे तेल के मामले में है।

(ग) यद्यपि निर्यात संवर्धन सरकार की व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तथापि आयात अधिकांशतः अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों और वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों द्वारा विनियमित होते हैं। सरकार सामान्यतः उन आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए उपाय नहीं करती है जिनके कारण अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है और मुद्रास्फीति के दबाव पुनः उत्पन्न हो सकते हैं।

[हिन्दी]

खादी के उपयोग पर प्रोत्साहन

1710. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को खादी उत्पादों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट प्रदान करती है। के.वी.आई.सी. देश में खादी के सम्वर्धन और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मेलों, प्रदर्शनियों, फैशन शो, इत्यादि भी आयोजित करता है और उनमें भाग लेता है।

[अनुवाद]

अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार

1711. श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राजधानी तथा अन्य भागों में भी अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ऐसे अवैध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग अधिकांशतः अपराधों में किया जाता है तथा विभिन्न राज्य सरकारें इस बढ़ती प्रवृति को रोकने में विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो अवैध आयुधों के उत्पादन तथा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा आयुध अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) यह सुझाने वाली कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार राजधानी में या देश के अन्य भागों में फल-फूल रहा है।

(ग) और (घ) कुछेक ऐसे अवैध शस्त्र आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तथापि, यह सुझाने वाली कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारें उन्हें रोकने में नाकाम रही हैं। भारत सरकार के निदेशों के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्र, गैर-लाइसेंसी/अवैध शस्त्रों का पता लगाने के लिए निरंतर अभियान चलाते हैं। किसी भी अपयोजन की रोकथाम हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियमित रूप से शस्त्रों के लाइसेंसशुदा व्यापारियों और विनिर्माताओं का उचित निरीक्षण किया जा रहा है। आयुध अधिनियम में मौजूदा ऐसे अपराधों से निपटने और अपराधियों को जवाब तलब करने के लिए काफी प्रभावकारी हैं चूंकि निर्धारित दंड कठोर है जो आर्थिक दंड सहित तीन वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक है।

चाय का निर्यात

1712. श्री देविदास पिंगले :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में चाय का कितना निर्यात हुआ है तथा इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या मिस्र तथा पाकिस्तान सहित कई देश केन्या में सूखे के कारण चाय के लिए भारत से आयात कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी मांग को पूरा करने के लिए कौन-से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) हाल के वर्षों में चाय निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) चाय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के प्रमुख देश वार निर्यात तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

देश	वर्ष					
	2003-04		2004-05		2005-06*	
	मात्रा (मि.ली. कि.ग्रा.)	मूल्य (मिलि.अम. डा.)	मात्रा (मि.ली. कि.ग्रा.)	मूल्य (मिलि.अम. डा.)	मात्रा (मि.ली. कि.ग्रा.)	मूल्य (मिलि.अम. डा.)
1	2	3	4	5	6	7
रूसी परिसंघ	42.76	60.91	36.87	60.74	33.10	54.56
कजाकिस्तान	13.07	26.88	13.63	31.95	07.34	16.91

1	2	3	4	5	6	7
यूके	20.75	39.36	19.88	41.22	20.81	40.09
इराक	14.27	19.42	38.38	45.58	28.69	33.62
अमरीका	8.45	24.61	7.93	25.86	8.96	29.71
यूएई	25.70	62.41	24.28	60.51	26.03	59.58
पाकिस्तान	06.54	06.43	4.68	05.04	10.57	09.79
अन्य	51.53	123.76	60.16	158.21	45.56	124.98
कुल	183.07	363.78	205.81	429.11	181.06	369.24

* अनंतिम

वर्ष 2006–07 (अप्रैल–मई) के दौरान चाय के निर्यात 22.89 मिलि. कि.ग्रा. के रहे थे जिनका मूल्य 43.36 मिलि. अम. डा. था जबकि 2005–06 की उसी अवधि के दौरान ये 21.25 मिलि. कि.ग्रा. के हुए थे जिनका मूल्य 50.48 मिलि. अमरीकी डॉलर था।

(ख) और (ग) पाकिस्तान केन्या से चाय के प्रमुख आयातकों में से एक है। पाकिस्तान टी एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने अप्रैल, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया था और उन्होंने केन्या में सूखे के कारण पाकिस्तान में भारतीय चाय के आयात हेतु भारतीय चाय एसोसिएशनों/उत्पादकों/निर्यातकों आदि से व्यापक विचार–विमर्श किया था। आशा है कि इस वर्ष पाकिस्तान को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया जाएगा। यह भी आशा है कि केन्या में सूखे के कारण वर्ष 2006 के दौरा मिस्र समेत विभिन्न देशों को भारत से चाय के निर्यात में वृद्धि होगी।

चाय उद्योग द्वारा इस बढ़ी हुई मांग को उत्पादन में वृद्धि करके पूरा किया जाने की उम्मीद है।

(घ) भारत से चाय के निर्यात वर्ष 2003–04 में 183.07 मिलि. कि.ग्रा. से बढ़कर 2004–05 में 205.81 मिलि. कि.ग्रा. हो गया है। (12.4% की वृद्धि)। तथापि, वर्ष 2005–06 के दौरान चाय का निर्यात घटकर 181.06 मिलि. कि.ग्रा. रह गया था। वर्ष 2006–07 (अप्रैल–मई) के दौरान चाय के निर्यात 22.89 मिलि. कि.ग्रा. के रहे थे जबकि वर्ष 2005–06 की उसी अवधि के दौरान ये 21.25 मिलि. कि. ग्रा. के थे (7.7% की वृद्धि)।

(ङ) चाय के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में मध्यावधि निर्यात कार्यनीति का कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त चाय विशेष रूप से चाय की परम्परागत किस्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विशिष्ट भण्डारों और प्रमुख बाजारों में कार्यक्षेत्र में नमूना प्रदान करना, चाय संबंधी शिष्टमंडलों को भेजना–बुलाना, उपभोक्ताओं की जागरूकता में वृद्धि हेतु जन सम्पर्क अभियान शुरू करना आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में वस्त्र इकाइयां

1713. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को तटीय क्षेत्रों, जो वस्त्र उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, में नयी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है/दिए जाने की संभावना है; और

(घ) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नयी इकाइयों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीमा क्षेत्र पर पाक द्वारा निर्माण गतिविधियां

1714. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत–पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट पाकिस्तान में सीमा क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि पाकिस्तान रेंजर/सेना टुकड़ियां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ/निकट बंकरों/पिल बॉक्स, नई चौकियों, निगरानी टॉवरों, रक्षा बांधों के निर्माण में लगी हुई है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान में अपने प्रतिपक्ष के पास कड़ी विरोध टिप्पणी दर्ज कराई जाती है। पाकिस्तानी गतिविधियों का गहराई से प्रबोधन किया जाता है और उन्हें लाभ उठाने से रोकने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश

1715. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री जी. कल्याकर रेड्डी :
श्री गणेश सिंह :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश–वार और क्षेत्र–वार उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी निवेश किया गया है;

(ख) ऐसे उद्योगों द्वारा राज्य–वार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निवेश हेतु कुछ अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश–वार तथा क्षेत्र–वार निवेश प्रस्ताव क्या हैं; और

(ङ) किन राज्यों में यह निवेश किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अप्रैल–मई) के दौरान प्राप्त देश–वार एवं क्षेत्र–वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाह दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण–I एवं II में दिए गए हैं।

(ख) किसी अन्य निवेश की तरह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रोजगार के अवसरों के सृजन की क्षमता रखता है। एफडीआई से संबंधित विभिन्न कंपनियों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के संबंध में पृथक आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) उदारीकृत आर्थिक वातावरण के अन्तर्गत अवस्थिति के चयन सहित, निवेश संबंधी निर्णय, निवेश माहौल, मेजबान देश की वृहद–आर्थिक नीति, विदेशी निगमों की नीतियों तथा निवेशकों के वाणिज्यिक विवेक जैसे विविध तकनीकी–आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। सरकार ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया है जिसमें निवेश पर समझौता भी शामिल है। सिंगापुर के साथ यह समझौता जून, 2005 में किया गया तथा यह अगस्त, 2005 में लागू हुआ।

(घ) अगस्त, 2005 से मई, 2006 के दौरान सिंगापुर से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 273.76 मिलियन अमरीकी डॉलर है। साबुन, सौंदर्य–प्रसाधन एवं प्रसाधन सामग्री, सेवा क्षेत्र, औषधि एवं भेषज, रसायन (उर्वरकों को छोड़कर) निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं।

(ङ) सिंगापुर से प्रमुख रूप से निवेश आकर्षित करने वाले राज्य हैं : दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश।

विवरण-I

देश–वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (अप्रैल, 2003 से मई 2006 तक)

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	देश	2003–04 अप्रैल–मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2004–05 अप्रैल–मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2005–06 अप्रैल–मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2006–07 अप्रैल–मई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	योग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आस्ट्रेलिया	91.30	84.98	41.33	33.18	250.80
2.	आस्ट्रीया	9.26	21.67	7.19	0.01	38.34

1	2	3	4	5	6	7
3.	बहमास	12.05	26.04	2.69	0.00	40.78
4.	बहरीन	49.25	0.00	1.01	0.01	50.27
5.	बेलजियम	81.98	2.47	54.00	0.54	139.00
6.	बरमुडा	3.24	12.07	0.76	0.00	16.08
7.	ब्राजील	0.00	0.11	0.14	0.00	0.25
8.	बंगलादेश	12.87	13.39	1.15	0.00	27.41
9.	बुल्गारिया	0.01	0.63	0.00	0.00	0.64
10.	कनाडा	46.50	65.64	53.73	1.33	167.19
11.	केयमेन द्वीपसमूह	91.15	38.27	132.55	0.61	262.58
12.	चेनल द्वीपसमूह	3.00	2.45	18.58	0.00	24.03
13.	चीन	0.26	5.98	4.17	0.01	10.42
14.	क्रोएशिया	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
15.	चेग गणराज्य	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44
16.	साइप्रस	16.29	12.09	309.97	6.55	344.90
17.	डेनमार्क	63.63	95.49	207.14	0.77	367.03
18.	फिनलैण्ड	0.03	6.69	14.77	0.00	21.49
19.	फ्रांस	176.27	536.78	82.20	71.68	866.92
20.	ग्रीस	0.01	0.01	0.24	0.00	0.26
21.	जर्मनी	373.40	663.18	1,344.53	44.22	2,425.33
22.	हांगकांग	97.74	49.23	116.36	46.87	310.20
23.	हंगरी	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47
24.	इण्डोनेशिया	8.27	1.28	4.71	0.41	14.67
25.	आयरलैण्ड	4.90	3.95	40.24	0.00	49.09
26.	आइसले ऑफ मैन	0.76	2.00	1.97	0.00	4.73
27.	इज़राइल	1.12	0.56	20.00	0.06	21.74
28.	इटली	25.00	124.86	179.39	2.95	332.21
29.	लिचटैन्सटीन	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
30.	जापान	360.45	575.19	925.07	73.75	1,934.45
31.	कजाकिस्तान	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
32.	कोरिया (उत्तरी)	0.00	1.50	0.10	0.00	1.60
33.	लेबनान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
34.	कोरिया (दक्षिण)	109.94	157.04	269.05	50.42	586.45
35.	कुवैत	0.42	7.25	0.87	0.00	8.55
36.	लगजम्बर्ग	17.16	2.09	25.85	7.50	52.60
37.	मलेशिया	217.36	36.50	31.10	4.58	289.54
38.	मॉरिशस	2,608.68	5,141.36	11,441.07	3,538.55	22,729.66
39.	मैक्सिको	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
40.	मालदीव	0.01	0.00	13.06	0.00	13.07
41.	एनआरआई	72.53	296.29	2,288.68	46.19	2,703.69
42.	नेपाल	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35
43.	नीदरलैंड	2,247.32	1,216.81	340.37	180.00	3,984.50
44.	नेविस	0.00	0.00	83.96	0.00	83.06
45.	न्यूजीलैंड	0.00	0.49	0.55	0.00	1.04
46.	नाइजीरिया	4.50	2.14	0.00	0.00	6.65
47.	नार्वे	0.58	0.62	2.53	0.10	3.83
48.	ओमान	37.44	24.86	2.13	0.00	64.44
49.	पनामा	0.00	0.06	10.60	0.00	10.66
50.	फिलीपिन्स	0.00	1.29	0.73	0.00	2.02
51.	पोलैण्ड	1.10	0.25	7.04	0.00	8.39
52.	पुर्तगाल	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
53.	कतर	0.05	0.35	0.00	0.00	0.40
54.	रूस	0.20	1.21	1.61	113.71	116.74
55.	सउदी अरब	28.20	0.20	3.95	0.15	32.50
56.	सिंगापुर	171.73	821.73	1,218.24	116.02	2,327.72
57.	स्कॉटलैण्ड	0.00	0.00	8.79	0.00	8.79
58.	दक्षिण अफ्रीका	11.75	20.93	97.30	0.00	129.98
59.	स्लोवाकिया	0.00	7.93	0.00	0.00	7.93
60.	स्पेन	9.15	27.54	38.05	78.74	153.48

1	2	3	4	5	6	7
61.	श्रीलंका	0.00	1.68	2.10	0.00	3.78
62.	स्वीडन	187.34	338.19	137.00	0.85	663.38
63.	स्वीट्जरलैंड	206.61	353.38	425.83	30.12	1,015.94
64.	ताइवान	2.63	12.76	4.26	0.01	19.67
65.	थाईलैंड	5.63	11.17	21.87	8.73	47.41
66.	तुर्की	0.19	0.04	0.00	0.00	0.23
67.	यू.ए.ई.	77.33	177.71	219.41	13.05	487.50
68.	यू.के.	768.54	458.34	1,164.13	211.47	2,602.47
69.	यू.एस.ए.	1,658.25	3,055.31	2,209.83	681.01	7,604.40
70.	यूक्रेन	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
71.	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.	उरूग्वे	0.00	0.00	6.33	7.25	13.58
73.	ब्रिटिश वर्जिनिया	9.61	6.52	24.26	6.76	47.15
74.	वेस्ट इन्डीज	0.00	1.10	130.97	0.00	132.07
75.	युगोस्लाविया	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47
76.	देश जो दर्शाये नहीं गये हैं	0.07	61.09	614.63	20.19	695.99
77.	माल्टा	0.42	0.09	0.00	0.00	0.51
78.	ईरान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
79.	मस्कट	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91
80.	तनजानिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.	जोर्जिया	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
82.	जिब्राल्टर	0.01	10.08	37.03	0.00	47.12
83.	जॉर्डन	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
84.	वियतनाम	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
85.	आइस लैण्ड	0.80	0.00	78.03	0.00	78.83
86.	केन्या	4.62	0.00	0.04	0.00	4.66
87.	मिस्र	0.00	0.07	0.22	0.00	0.29
88.	यमन	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
89.	क्यूबा	0.01	2.15	2.16	0.00	4.31
90.	लाइबेरिया	0.00	0.00	48.64	0.00	48.64
91.	म्यांमार	0.23	0.00	0.00	0.22	0.46
92.	माल्टा	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
93.	मोरक्को	69.97	0.00	0.00	0.00	69.97
94.	कोलंबिया	0.01	0.00	1.09	0.00	1.10
95.	ब्रिटिश आइसल्स	0.00	22.68	1.21	0.00	23.89
96.	अल्जीरिया	1.74	0.22	0.00	0.00	1.96
97.	वर्जीन आईलैण्ड	0.00	0.58	0.00	3.58	4.15
98.	पेरू	0.00	0.16	0.04	0.00	0.20
99.	टुनीसिया	0.00	19.84	0.00	0.00	19.84
100.	युगांडा	0.00	0.41	3.12	0.00	3.52
101.	सेचेलेस	0.00	4.47	0.00	0.00	4.47
102.	पश्चिमी अफ्रीका	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
103.	फिजी द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63
104.	अंतर्वाह अग्रिम	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
105.	स्टॉक विनियम	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.27	17,137.87	24,612.74	5,415.81	59,283.69

टिप्पणी : 1. इस राशि में एफआईपी/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह मौजूदा सेवा का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।
2. * दर्शाता है कि अंतर्वाह और स्टॉक विनियम को आरबीआई, मुम्बई द्वारा क्षेत्र-वार अलग-अलग नहीं किया है।

विवरण-II

क्षेत्र-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक)

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	देश	2003-04 अप्रैल-मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2004-05 अप्रैल-मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2005-06 अप्रैल-मार्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	2006-07 अप्रैल-मई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में)	योग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रुपये में).
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग	146.06	880.95	680.84	160.09	1,867.94
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	520.94	759.00	415.71	387.84	2,083.49

1	2	3	4	5	6	7
3.	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	0.20	2.34	0.00	0.00	2.54
4.	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
5.	विद्युत उपकरण (सॉफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	2,449.32	3,280.58	6,499.06	358.36	12,587.33
6.	दूरसंचार	531.95	588.41	3,023.46	1,383.83	5,527.65
7.	परिवहन उद्योग	1,417.13	815.10	982.99	318.09	3,533.31
8.	औद्योगिक मशीनरी	13.93	40.74	187.52	20.11	262.29
9.	मशीन औजार	250.75	50.73	100.25	3.43	405.16
10.	कृषि मशीनरी	0.11	0.01	415.97	0.00	416.09
11.	अर्थमूविंग मशीनरी	0.05	0.47	231.30	0.00	231.82
12.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	100.07	56.73	226.21	3.37	386.37
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू	40.96	62.46	111.41	4.50	219.33
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	9.26	24.05	6.72	0.00	40.03
15.	औद्योगिक उपकरण	4.16	4.95	1.69	0.00	10.80
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.07	0.14	0.45	0.00	0.66
17.	उर्वरक	99.29	61.90	19.31	0.00	180.50
18.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	93.69	908.68	1,979.06	81.93	3,063.36
19.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	1.35	27.62	0.00	0.00	28.97
20.	डाईस्टफ	2.00	5.42	0.00	0.00	7.42
21.	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	501.67	1,342.91	759.70	10.32	2,614.60
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	42.84	196.84	414.67	26.21	680.56
23.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित	31.68	12.41	122.90	1.80	168.80
24.	चीनी	0.25	13.51	13.10	0.00	26.86
25.	किण्वन उद्योग	7.82	41.64	28.57	0.00	78.03
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	510.85	174.08	182.94	3.75	871.63
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	7.79	41.03	54.00	0.74	103.56
28.	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.00	4.09	388.49	1.74	394.32
29.	रबड़ उत्पाद	29.31	184.18	150.77	0.70	364.96
30.	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	32.18	2.03	4.89	0.34	39.44

1	2	3	4	5	6	7
31.	कांच	24.11	38.47	3.54	1.37	67.50
32.	सिरेमिक	6.78	123.09	25.02	4.40	159.29
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	44.04	0.73	1,969.82	1.99	2,016.58
34.	टिम्बर उत्पाद	0.50	0.31	465.64	0.00	466.45
35.	रक्षा उद्योग	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
36.	परामर्श सेवाएं	257.13	1,166.83	206.44	13.61	1,644.02
37.	सेवा क्षेत्र	1,235.27	2,105.53	2,565.04	1,089.25	6,995.11
38.	होटल तथा पर्यटन	226.80	168.85	315.59	22.33	733.58
39.	व्यापार	104.66	65.72	123.43	108.95	402.77
40.	विविध उद्योग	1,319.11	1,399.71	1,907.83	1,406.75	6,033.39
42.	अंतर्वाह अग्रिम	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
43.	स्टॉक विनियम	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.27	17,137.87	24,612.74	5,415.81	59,283.69

टिप्पणी : 1. इस राशि में एफआईए/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह भीजूदा सेवा का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।
2. * दर्शाता है कि अंतर्वाह और स्टॉक विनियम को आरबीआई, मुम्बई द्वारा क्षेत्र-वार अलग-अलग नहीं किया है।

कृषि उत्पादों का पेटेंट

1716. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय, मालाबार काली मिर्च, इडुक्की इलायची, व्यानाडु हल्दी इत्यादि जैसे भौगोलिक संकेतकों के अंतर्गत हमारे कुछ कृषि उत्पादों का पेटेंट करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय विशेष कृषि उत्पादों का भौगोलिक संकेतकों के अंतर्गत पेटेंट करने के लिए मसाला बोर्ड की कोई सीमा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मसाला बोर्ड ने मालाबार काली मिर्च और तेल्लिचेरी काली मिर्च के पंजीकरण हेतु चेन्नई स्थित ज्यॉग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री में अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। बोर्ड ने भौगोलिक संकेतक अधिनियम के अंतर्गत अलेप्पी हरी इलायची, कुर्ग हरी इलायची व गुण्टूर सन्नम मिर्च के पंजीकरण के लिए भी पहल की है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम के तहत मसालों के पंजीकरण में मसाला बोर्ड ने किसी परिसीमा का सामना नहीं किया है।

चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय को भौगोलिक संकेतक (पंजीयन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1999 के तहत एक भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत कराया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा का अधिकार विधेयक

1717. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक अधिनियमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक सभा पटल पर रखे जाने तथा अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले शिक्षा के अधिकार संबंधी एक मॉडल विधेयक के प्रारूप, जिसमें समतुल्य गुणवत्ता वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बच्चे के अधिकार, राज्य तथा उपयुक्त सरकारों आदि के उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, को हाल ही में केन्द्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों तथा राज्य सरकारों को उनका अभिमत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया गया है।

निर्यात हेतु खाद्यान्न भण्डार

1718. श्री सुव्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2006 की स्थिति के अनुसार निर्यात हेतु गेहूं और चीनी के भण्डार की स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चीनी का निर्यात किया जाना है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यात हेतु गेहूं और चीनी का कोई स्टॉक अलग से नहीं रखा जाता है।

(ख) निर्यात हेतु गेहूं और चीनी की मात्रा का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि निर्यात अलग-अलग व्यापारियों के वाणिज्यिक सौदे होते हैं और जो मांग और आपूर्ति के कारकों सहित प्रचालित बाजारी स्थितियों द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय समझौता

1719. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस का दौर किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच किन-किन बातों पर चर्चा हुई तथा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के कितना बढ़ने की संभावना है;

(घ) क्या दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं;

(ङ) क्या फ्रांस भारत में सम्पर्क कार्यालय खोलने पर भी सहमत हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के 14वें सत्र के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 30 मई – 1 जून, 2006 के दौरान फ्रांस की यात्रा की थी। दिनांक 31 मई, 2006 को पेरिस में हुए भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के 14वें सत्र में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया था।

राज्य मंत्री (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन) ने 11-12 जुलाई, 2006 तथा 15 जुलाई, 2006 को फ्रांस का दौरा किया था। 15 जुलाई, 2006 को भारत तथा फ्रांस के बीच बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) दोनों देशों ने पांच वर्ष के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) फ्रांस गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय ने समूचे भारत में फ्रांसीसी दूतावास के संरक्षण में अपने आर्थिक एवं व्यापार कार्यालयों के नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के जरिए वर्ष 2006 तक भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सहकारी चाय प्रसंस्करण फैक्ट्रियों की स्थापना

1720. श्री मित्रसेन यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड का विचार असम में कतिपय सहकारी चाय प्रसंस्करण फैक्ट्रियों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फैक्ट्रियों की स्थापना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इन फैक्ट्रियों से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना बागान स्वामियों/उद्यमियों द्वारा स्वयं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रश्न पत्रों का लीक होना

1721. श्री गणेश प्रसाद सिंह :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 20 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3986 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा तकनीकी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने के संबंध में कोई केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि विभिन्न संगठनों द्वारा देश भर में उनका आयोजन किया जाता है। तथापि विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, भारतीय प्रबंध संस्थानों की सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) आदि से सूचना एकत्र की गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कैट प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों में उनके द्वारा आयोजित तकनीकी शिक्षा परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का कोई लीकेज नहीं हुआ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि :–

(i) अखिल भारतीय पूर्व मेडिकल/पूर्व दंत चिकित्सा प्रवेश (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 का प्रश्न पत्र लीक हुआ था।

(ii) अभी तक दिल्ली पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके विरुद्ध मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली के न्यायालय में एक आरोप–पत्र दायर किया गया है। दो व्यक्ति भागे हुए हैं और उन्हें घोषित अपराधी करार कर दिया गया है।

(iii) मौजूदा परीक्षा पद्धति का अध्ययन करने और इस पद्धति को और सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपायोग का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

(iv) समिति की सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय पूर्व मेडिकल/पूर्व दंत चिकित्सा प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा तथा फाइनल परीक्षा अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा की तरह ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली प्रवृत्ति व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन के लिए अन्य उपाय पहले ही किए गए हैं।

जहां तक भारतीय प्रबंध संस्थाओं की कैट परीक्षा का संबंध है, कैट, 2003 परीक्षा–पत्र कथित रूप से प्रिंटिंग प्रैस से लीक हुआ था। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और फरवरी, 2004 में इसकी पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। भारतीय प्रबंध संस्थानों ने परीक्षा आयोजित करने की समूची प्रक्रिया की समीक्षा की ताकि गुप्तता और गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। बाद के वर्षों में अनेक अतिरिक्त सावधानियां – अर्थात् प्रिंटिंग प्रैस को बदलना, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अतिरिक्त सील, परीक्षा के आयोजन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा, परीक्षा के आयोजन के दौरान संकाय तथा कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती आदि – बरती गई थीं और भारतीय प्रबंध संस्थाओं ने बिना किसी समस्या के तीन परीक्षाएं (कैट, 2003 की पुनः परीक्षा, कैट 2004 तथा कैट, 2005) सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।

[हिन्दी]

युवाओं को उग्रवादी प्रशिक्षण

1722. श्री कैलाश मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के आई.एस.आई. ने विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए देश के युवाओं को बहकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्यों के युवाओं को पड़ोसी देशों में उग्रवादी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से

(ग) उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि आई.एस.आई. द्वारा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ भारतीय युवकों को भारत में हिंसात्मक और विध्वंसक गतिविधियां करने के लिए बहकाया गया है। यह भी ध्यान में आया है कि इनमें से कुछ भारतीय युवकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का दौरा किया था और शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(घ) सरकार, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत आयामी दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियान चलाना आदि शामिल है। इसके अलावा, आतंकवाद के विश्वव्यापी आयामों का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए तंत्र गठित किए गए हैं।

किशोर न्याय संबंधी कानून

1723. श्री रामदास आठवले : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर, 2005 में केन्द्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों को किशोर न्याय संबंधी कानूनों के उचित कार्यान्वयन, किशोर अपराधियों की सुरक्षा तथा पुनर्वास, किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना तथा उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने संबंधी जनहित याचिका के संबंध में कोई नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के नोटिस का उत्तर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नों का निर्यात

1724. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी मात्रा में कीमती रत्नों का निर्यात किया गया तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) रत्नों के निर्यात में कार्यरत एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विभिन्न कीमती रत्नों की मात्रा जानने के लिए प्रयुक्त की जा रही भिन्न-भिन्न इकाइयों के कारण कीमती रत्नों के निर्यात के मात्रा-वार संचयी आंकड़े संकलित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निर्यातित कीमती रत्नों की मात्रा के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों तथा अप्रैल-जून, 2006 के दौरान अभिसूचित पत्तनों के जरिए निर्यातित कीमती रत्नों (हीरे को छोड़कर) के निर्यात मूल्य संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन अम. डा. में)

पत्तन	2003-2004	2004-2005	2005-2006	अप्रैल-जून 2006
मुम्बई	10.53	10.83	4.90	1.60
जयपुर	141.05	158.16	212.04	45.19
दिल्ली	26.77	23.60	16.07	2.52
कोलकाता	0.04	0.03	0.20	0.48
चेन्नई	0.08	0.13	0.31	0.00
कोचीन	0.01	0.00	0.00	0.00
हैदराबाद	0.00	0.00	0.01	0.00
कुल	178.48	192.75	233.53	50.09

(स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

कीमती रत्नों (हीरे को छोड़कर) के निर्यात के जरिए देश-वार अर्जित विदेशी मुद्रा संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन अम. डा. में)

देश	2003-2004	2004-2005	2005-2006	अप्रैल-जून 2006
1	2	3	4	5
अमरीका	91.21	88.35	99.06	21.61
हांगकांग	23.92	26.53	37.87	6.52

1	2	3	4	5
थाईलैण्ड	20.61	28.06	39.58	7.87
जापान	12.99	13.60	15.51	2.72
ताईवान	1.38	1.72	1.62	0.44
लेबनान	0.64	1.31	1.34	0.30
यूएई	1.91	2.90	5.01	1.51
आस्ट्रेलिया	1.09	0.88	1.13	0.11
इज़रायल	1.09	1.29	1.25	0.30
कनाडा	1.25	1.31	1.13	0.18
जर्मनी	6.10	8.57	8.06	1.64
स्वीट्जरलैण्ड	2.34	7.60	4.99	0.76
फ्रांस	4.58	4.40	2.49	0.77
इटली	9.13	11.45	12.79	3.70
स्पेन	1.73	1.64	2.80	0.49
यू.के.	2.83	2.70	5.51	1.39
बेल्जियम	1.08	0.74	0.81	0.53
अन्य	5.59	7.34	8.14	2.21
सकल निर्यात	189.47	208.39	249.09	53.05
वापसी परेषण	10.99	15.64	15.56	2.96
निवल निर्यात	178.48	192.75	233.53	50.09

(स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) कीमती रत्नों का निर्यात निजी निर्यातकों द्वारा किया जाता है जिसे विदेश व्यापार नीति तथा सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) जो एक प्रतिनिधिक व्यापार निकाय है के अनुसार उनके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय में नामांकित पंजीकृत सदस्य–निर्यातकों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य निर्यातकों की संख्या
1	2
मुम्बई	85
दिल्ली	84
जयपुर	882
कोलकाता	5
चेन्नई	39
सूरत	14
कुल	1109

(स्रोत : जीजेईपीसी)

एस्बेस्टास का खनन

1725. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से एस्बेस्टास के खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार ने एस्बेस्टास के खनन पट्टे मंजूर करने/उनके नवीकरण करने पर लगाए गए प्रतिबंध का हटाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) और खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ परामर्श से वायु में श्वसनीय एस्बेस्टास फाइबर धूल की अनुमेय सीमा को कम करते हुए एस्बेस्टास के सुरक्षित खनन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार कर रहा है। मार्गदर्शी सिद्धांतों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विदर्भ तथा महाराष्ट्र विकास बोर्ड की कार्य अवधि बढ़ाना

1726. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदर्भ तथा महाराष्ट्र विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बोर्डों की कार्य अवधि बढ़ा दी है;

(घ) यदि हां, तो कार्य अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे बोर्डों की कार्य अवधि बढ़ाने से पहले इनके कार्य तथा उपलब्धियों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के प्रावधानों के तहत तीन विकास बोर्डों, अर्थात् विदर्भ विकास बोर्ड, मराठवाड़ा विकास बोर्ड और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया है जो 1.5. 1994 से महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं।

(ग) विकास बोर्डों की समयावधि 30.4.2010 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) अप्रैल, 2005 में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सूचित किया कि अपनी स्थापना से लेकर इन विकास बोर्डों ने संविधान के अनुच्छेद 371(2) के तहत उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के संबंध में कई पहलें की हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनकी गतिविधियां एक ऐसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई थी कि उन पर प्रभावी रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। अतः उन्होंने विकास बोर्डों की समयावधि 30.4.2010 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी जिसे संघ सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सांविधिक विकास बोर्डों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन अध्ययन किया था और 3.9.2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। योजना आयोग ने इन विकास बोर्डों को जारी रखने का समर्थन किया था।

सोने तथा रत्नों के भण्डार

1727. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री परशुराम माझी :
श्री जुएल ओराम :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार किन-किन स्थानों पर सोना, बहुमूल्य/कम बहुमूल्य रत्न पाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के इन भण्डारों के निष्कर्षण तथा दोहन के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन भण्डारों में उपलब्ध सोने तथा ऐसे रत्नों की मात्रा कितनी है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक निकाले गए रत्नों की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ङ) दोहन किए गए सोने तथा निकाले गए ऐसे रत्नों की कीमत कितनी है और स्थानीय बाजार में इनका कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया;

(च) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी खानें बंद कर दी गईं; और

(छ) ऐसी खानों में अतिरिक्त घोषित किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

1728. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे चाय उत्पादकों के लिए चाय पैकेज

1729. श्रीमती मिनाती सेन :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के छोटे चाय उत्पादकों के लिए कोई विशेष पैकेज स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी बोर्ड के तत्वावधान में कुछ छोटे चाय उत्पादकों का निदेशालय बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक पारम्परिक चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में नए चाय नीलामी केन्द्र/टी/काफी बोर्ड की शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) चाय के लघु उपजकर्ताओं की विकास संबंधी जरूरतों की पूर्ति 10वीं योजना के दौरान चाय बोर्ड की चल रही स्कीमों से की जा रही है जिसमें नवरोपण, पुनर्रोपण तथा पुराने एवं अलाभकारी चाय क्षेत्रों के पुनरुद्धार और सिंचाई सुविधाओं के सृजन के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता शामिल हैं। स्व–सहायता समूहों में स्वयं को संगठित करने के लिए भी लघु उपजकर्ताओं को विशेष सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) चाय के लघु उपजकर्ताओं की विकास संबंधी आवश्यकताओं की देख–रेख चाय बोर्ड के विकास निदेशालय द्वारा की जा रही है। दिनांक 31 जुलाई, 2006 तक परम्परागत चाय हेतु वितरित सब्सिडी का राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

राज्य	वितरित निधि (करोड़ रुपये में)
असम	7.05
पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग को छोड़कर)	1.80
दार्जिलिंग	2.95
तमिलनाडु	6.52
केरल	2.68
अन्य (हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि)	0.26
कुल	21.26

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मानदण्ड

1730. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निवेश विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी क्या मानदण्ड बनाए गए हैं;

(ख) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदंडों में छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विस्तृत एफ.डी.आई. नीति संबंधी मानकों को सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित किया गया है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी विनिर्माणकारी कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है:

(i) रक्षा उद्योग (जिसमें इक्विटी सीमा 26% है तथा प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंध है);

(ii) सिगार एवं सिगरेट विनिर्माण (जिसमें प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंध है);

(iii) जिनमें प्रेस नोट 1(2005 श्रंखला) के प्रावधान लागू हैं, अर्थात् जिनमें समान कार्य क्षेत्र (जहां प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंध है) में विदेशी निवेशक का भारत में संयुक्त उपक्रम मौजूद है;

(iv) जिनमें 24% से अधिक विदेशी इक्विटी लघु उद्योग क्षेत्र (जहां प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंध हैं) के लिए आरक्षित मदों के निर्माण के लिए निवेश करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) नीति एवं प्रक्रियाओं दोनों को उदारीकृत/युक्तिसंगत/सरलीकृत करने के उद्देश्य से एफ.डी.आई. नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि उद्योग एवं उद्यमियों के लाभों को इष्टतम किया जा सके। इस नीति की पिछली समीक्षा जनवरी, 2006 को की गई थी।

राज्यों से कृषि एवं ग्रामीण उद्योग संबंधी प्रस्ताव

1731. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश से गत छः माह के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (ए.आर.आई.) संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) "पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि की योजना" (एस एफ यू आर टी आई) के तहत क्लस्टर विकास के लिए जून 2006 के अंत तक आंध्र प्रदेश सहित, विभिन्न राज्यों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच कर ली गई है। एस एफ यू आर टी आई के तहत विभिन्न राज्यों के लिए कुल 68 ऐसे क्लस्टरों में से आंध्र प्रदेश में विकास के लिए सात क्लस्टरों की पहचान की गई है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में हिन्दुओं का धर्मान्तरण

1732. श्री राकेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी गैर–हिन्दू क्षेत्र बनाने की अपनी रणनीति के अनुसार जम्मू और कश्मीर में हिन्दुओं का धर्मान्तरण जबरदस्ती करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घाटी में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा वहां से हिन्दुओं के पलायन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराये जाने संबंधी कोई घटना आज तक सूचित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

निजी मानित विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना

1733. श्री वसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का विचार निजी मानित विश्वविद्यालयों में विद्यमान शुल्क संरचना का अध्ययन करने तथा एक समान प्रवेश नीति की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का है जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2006 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निजी सम विश्वविद्यालयों में वर्तमान शुल्क संरचना पर विचार करने के लिए और एक समान दाखिला नीति की सिफारिश करने के लिए एक समिति की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सम विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में एक प्रावधान है कि छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों के अनुसार होगा।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को हुआ लाभ/हानि

1734. श्री प्रतिभा सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में विद्यमान कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार कुल कितने उद्योगों ने लाभ कमाया/कितनों को हानि हुई;

(ग) इन उद्योगों को हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन उद्योगों के पुनरुद्धार/को सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए, सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) अपनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), जो खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, के तहत भावी उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश सहित देश में आरईजीपी के तहत पात्र लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा (31 मार्च, 2005 तक) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन उद्योगों की वैयक्तिक इकाइयों या इकाइयों के समूह की लाभ/हानि सहित वर्तमान वित्तीय स्थिति का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं किया जाता है।

(ग) इन उद्योगों को हानि होने के कारणों में ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, आधारभूत संरचना संबंधी कठिनाइयां, अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्पादों की असंगत गुणवत्ता, उत्पाद डिजाइनों का बाजार मांग के अनुरूप न होना, बाजार का पहुंच में कठिनाइयां, उद्यमिता/प्रबंधकीय कौशल का अभाव, आदि शामिल हैं।

(घ) ऐसी विद्यमान इकाइयां/स्व–रोजगार उद्यम, जो बैंकों से ऋण लेकर स्थापित किए गए थे परंतु अब रुग्ण हो गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों को उपलब्ध पुनर्वास सहायता के लिए पात्र हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, जिस वर्ष से इकाई ने नकद हानि उठानी आरंभ की, उस वर्ष से नकद ऋण और आवधिक ऋण पर दंड ब्याज की छूट, नकद ऋण और आवधिक ऋण पर नहीं चुकाए गए ब्याज को कुल जवाबदेही से पृथक करना और पूर्व राशि को एक पृथक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देखना, बिना भुगतान किए आवधिक ऋणों पर ब्याज की घटी दर (अति लघु इकाइयों के लिए 3 प्रतिशत तक की कमी), प्राइम लैंडिंग रेट से अधिक नहीं ब्याज दर पर अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, आदि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 10 अगस्त, 2005 को संसद में सरकार द्वारा घोषित "लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज"

के आधार पर, आरबीआई ने 8 सितम्बर 2005 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों सहित रुग्ण/संभावित रुग्ण लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को पुनः स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र का प्रावधान है।

विवरण

आरईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों का राज्य–वार ब्यौरा (31 मार्च, 2005 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरईजीपी इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	चण्डीगढ़	156
2.	दिल्ली	228
3.	हरियाणा	6249
4.	हिमाचल प्रदेश	2374
5.	जम्मू और कश्मीर	7556
6.	पंजाब	10467
7.	राजस्थान	27434
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	422
9.	बिहार	1100
10.	झारखंड	1058
11.	उड़ीसा	4157
12.	पश्चिम बंगाल	19807
13.	अरुणाचल प्रदेश	422
14.	असम	3865
15.	मणिपुर	840
16.	मेघालय	3293
17.	मिजोरम	1070
18.	नागालैंड	4941
19.	सिक्किम	286
20.	त्रिपुरा	666
21.	आंध्र प्रदेश	14858
22.	कर्नाटक	14093
23.	केरल	9341
24.	लक्षद्वीप	10
25.	पांडिचेरी	956
26.	तमिलनाडु	6741
27.	दादरा और नगर हवेली	15
28.	गोवा	2439
29.	गुजरात	1474
30.	महाराष्ट्र	21684
31.	छत्तीसगढ़	1787
32.	मध्य प्रदेश	19884
33.	उत्तरांचल	2307
34.	उत्तर प्रदेश	17725
	कुल	209705

औद्योगिक केन्द्रों (हब्स) हेतु नीति

1735. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में औद्योगिक केन्द्रों (हब्स) की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) औद्योगिक केन्द्रों (हब्स) को खोलने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) सामान्यतः "औद्योगिक केन्द्र" शब्दों का प्रयोग सरकारी शब्दावली में नहीं किया जाता है। तथापि, जहां भी उद्योगों की सघनता होती है, औद्योगिक पार्क/क्लस्टर/विकास केन्द्र शब्दों का प्रयोग इस मंत्रालय द्वारा तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। औद्योगिक पार्कों, विकास केन्द्रों, आई.आई.यू.एस. क्लस्टरों, लघु उद्योग क्लस्टरों तथा आई.आई.डी. केन्द्रों की राज्य–वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) **औद्योगिक पार्क :** औद्योगिक पार्क योजना के तहत 1 अप्रैल, 1997 से किसी औद्योगिक पार्क को विकसित करने, विकसित करने व चलाने अथवा उसका रख–रखाव करने और चलाने के लिए आयकर में छूट का लाभ दिया जाता है। यह स्कीम 31 मार्च, 2006

को समाप्त हो जानी थी, किंतु इसे मार्च, 2009 तक बढ़ा दिया गया है।

आई.आई.यू.एस. क्लस्टर : औद्योगिक अवसंरचनात्मक उन्नयन योजना (आईआईयूएस) का लक्ष्य ऐसे चुनिंदा कार्यशील क्लस्टरों/स्थानों पर सरकारी–निजी साझेदारी के जरिये गुणवत्ता की अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर घरेलू उद्योगों की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिनकी वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने की संभाव्यताएं हैं। इस पहल की विशेषता यह है कि इसका कार्यान्वयन विशेष क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर/उद्योग एसोसिएशन द्वारा गठित स्पेशल परपज विहिकल के जरिये किया जाता है। उपयोगकर्ता उद्योग को परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग देना होता है।

विकास केन्द्र : देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी। इन विकास केन्द्रों को विद्युत, जल, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा ताकि ये उद्योगों को आकर्षित कर सकें। इनको क्षेत्र, जनसंख्या और पिछड़ेपन की सीमा के संयुक्त मानदंड के आधार पर राज्यों में आबंटित किया गया है। प्रत्येक विकास केन्द्र को 25–30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400–800 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जायेगा। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 10 करोड़ रुपये तक की इक्विटी देकर सहायता करती है। शेष निधियां परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली राज्य सरकारों व उनके अभिकरणों द्वारा जुटाई जानी होती है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी गई है।

आई.आई.डी. केन्द्र : लघु उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास (आईआईडी) योजना के अंतर्गत नई औद्योगिक संपदाओं की स्थापना और मौजूदा आई.आई.डी. केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) **औद्योगिक पार्क** : वर्ष 1999 में औद्योगिक पार्क योजना के प्रारंभ होने से आज तक (4.8.06) 213 अनुमोदन किय गये हैं जिनमें से 24 अनुमोदन विभिन्न कारणों से वापिस ले लिये गये हैं।

आई.आई.यू.एस क्लस्टर : आई.आई.यू.एस. के अन्तर्गत 24 क्लस्टर स्वीकृत किये गये हैं।

विकास केन्द्र : इस योजना के अंतर्गत देशभर में स्थापित करने के लिए 71 विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस योजना के प्रारंभ होने से 548.94 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की कुल राशि जारी कर दी गई है।

आई.आई.डी. केन्द्र : आज तक 84 नये आई.आई.डी. केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं और 21 आई.आई.डी. केन्द्रों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है।

विवरण

औद्योगिक पार्कों, आई.आई.यू.एस. समूहों (क्लस्टर्स), विकास केन्द्रों, लघु उद्योग समूहों (क्लस्टर्स) तथा आई.आई.डी. केन्द्रों के राज्य–वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औद्योगिक पार्क	आई.आई.यू.एस. समूह	विकास केन्द्र	एस.एस.आई. समूह	आई.आई.डी केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	1	5
2.	आंध्र प्रदेश	15	2	4	71	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	–	–
4.	असम	–	–	3	8	9
5.	बिहार	–	–	5	54	–
6.	चण्डीगढ़	1	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	छत्तीसगढ़	–	1	2	25	2
8.	दिल्ली	–	–	–	2	–
9.	गोवा	–	–	1	–	–
10.	गुजरात	5	4	3	103	1
11.	हरियाणा	1	1	2	38	21*
12.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	20	1
13.	जम्मू और कश्मीर	1	–	2	13	2
14.	झारखंड	–	–	1	15	–
15.	कर्नाटक	37	2	3	125	4
16.	केरल	1	1	2	151	8
17.	मध्य प्रदेश	–	1	4	91	8
18.	महाराष्ट्र	57	2	5	75	2
19.	मणिपुर	–	–	1	4	–
20.	मेघालय	–	–	1	1	–
21.	मिजोरम	–	–	1	1	2
22.	नागालैंड	–	–	1	–	1
23.	उड़ीसा	–	1	4	4	3
24.	पांडिचेरी	–	–	1	–	–
25.	पंजाब	1	1	2	69	3
26.	राजस्थान	40	1	5	38	10
27.	सिक्किम	–	–	1	–	–
28.	तमिलनाडु	11	5	3	128	10*
29.	त्रिपुरा	–	–	1	–	1
30.	उत्तर प्रदेश	7	1	7	134	8
31.	उत्तरांचल	4	–	1	16	3
32.	पश्चिम बंगाल	8	3	3	36	1
	कुल	189	26	71	1223	105
	कुल योग 1614					

* उन्नयन के लिए शुरू किये गये मौजूदा आई.आई.डी. केन्द्र शामिल है (हरियाणा 18 और तमिलनाडु 3)

[हिन्दी]

खराब गुणवत्ता वाले मसालों का निर्यात

1736. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार मसालों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान कुछ देशों ने खराब गुणवत्ता के कारण मसालों की खेप वापस भेज दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अच्छी गुणवत्ता वाले मसालों का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार अन्य देशों को मसालों का सीधे निर्यात नहीं कर रही है। तथापि वर्ष 2005–06 के दौरान 517.90 अमरीकी डॉलर मूल्य के 320527 टन मसालों का निर्यात किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार को पिछले वर्ष के दौरान कतिपय देशों द्वारा मसालों की गुणवत्ता घटिया होने के कारण इनकी खेपें वापस भेज देने की कोई जानकारी नहीं है, किन्तु निर्यातित मसालों के मुख्यत: एफ्लोटॉक्सिन, ओक्रेटॉक्सिन, सूडान डाई तथा सूक्ष्म जैविक सन्दूषणों से संदूषित होने के कारण यूरोपीय संघ से 31 त्वरित चेतावनी संबंधी अधिसूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ङ) मसाला बोर्ड ने कोचीन में एनएबीएल द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की है। इस प्रयोगशाला के भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट तथा सूक्ष्म जैविकीय गुणवत्ता पहलुओं के मूल्यांकन की दृष्टि से मसालों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रयोशाला द्वारा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ प्रदीणता/वैधीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष औसतन 30,000 नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। बोर्ड द्वारा प्रसंस्कर्ता निर्यातकों को गुणवत्ता आश्वासन हेतु अपने उत्पाद का विश्लेषण करने के लिए उनके परिसरों में ही प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता भी दी जाती है। बोर्ड, गुणवत्ता सुधार हेतु मसाला उत्पादक क्षेत्रों के चुनिन्दा गांवों में "समेकित कीट प्रबंधन" तथा "समेकित रोग प्रबंधन" कार्यान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

शिष्टमंडलों की यात्रा

1737. **श्री विजय कृष्ण** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब, फ्रांस, अमरीका और आस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने व्यावसायिक शिष्टमंडलों के साथ इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी शिष्टमंडल ने भारतीय कृषि और ग्रामीण उद्योगों में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि और ग्रामीण उद्योग उत्पादों के महत्व को प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सऊदी अरब के महामहिम राजा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज ने भारतीय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर भारत का दौरा किया था और भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा संयुक्त व्यावसायिक परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में कोई विशिष्ट रुचि नहीं प्रदर्शित की गई थी।

फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जेक्स शिराक ने व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 20.02.2006 को नई दिल्ली का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि ग्रामीण उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे।

अमरीका के राष्ट्रपति महामहिम जार्ज डब्ल्यू बुश ने 1–3 मार्च, 2006 को भारत का दौरा किया था। दोनों पक्षों ने उन करारों के जरिए कृषि में द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक सहमत कार्य योजना का अनुमोदन किया था जिनसे अमरीकी बाजार को खोलने और ताजे फलों, सब्जियों, कुक्कुट एवं डेयरी उत्पादों के व्यापार को शुरू करने वाले वर्तमान विनियमों के संबंध में विचार–विमर्श का प्रावधान करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दिनांक 6 मार्च, 2006 को भारत का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच एक व्यापार एवं आर्थिक कार्यढांचे (टीईएफ) पर हस्ताक्षर किए गए थे। कृषि एवं खाद्य पेय उद्योग सहित मुख्य संभावित क्षेत्रों में टीईएफ के अंतर्गत पहलों और सहयोग से द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश सुदृढ़ होगा।

(घ) लागू नहीं होता।

नाथुला दर्रे के रास्ते भारत-चीन व्यापार

1738. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के व्यापारियों को हाल ही में खोले गए नाथुला दर्रे के रास्ते अपने सामान बेचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नाथुला दर्रे के रास्ते सामान के आयात और निर्यात हेतु कोई दिशा–निर्देश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 6.7.2006 से 27.7.2006 तक की अवधि के दौरान नाथुला दर्रे के जरिए निर्यात एवं आयात करने में कुछ कठिनाइयां थी। प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 2.8 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.2 के अनुसार वैध आयात–निर्यात कोड के बिना निर्यात और आयात की अनुमति नहीं थी। डीजीएफटी द्वारा दिनांक 27.07.2006 को जारी सार्वजनिक नोटिस सं. 36 (आर.ई.–2006)/2004–2009 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 25,000/– रुपये के सीआईएफ मूल्य तक आयात एवं निर्यात के लिए आयात–निर्यात कोड की जरूरत नहीं होगी।

(ग) नाथुला दर्रे के जरिए सीमापार व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिए डीजीएफटी द्वारा दिनांक 13.06.2006 के सार्वजनिक नोटिस संख्या 20(आर.ई.–2006)/2004–2009 और दिनांक 27.7.2006 के सार्वजनिक नोटिस संख्या 36(आर.ई.–2006)/2004–2009 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

उर्दू स्कूलों की स्थापना

1739. श्री मुन्नी राम :
श्री मो. ताहिर :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कैलाश नाथ सिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर उर्दू स्कूलों को स्थापित करने का है जैसा कि 13 जुलाई, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना हेतु स्थानों के चयन के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है;

(घ) क्या इन स्कूलों की स्थापना हेतु पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की स्थाई समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार नवोदय विद्यालयों की पद्धति पर अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उर्दू माध्यम के विद्यालय खोल सकती है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ लगाना

1740. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उग्रवादियों ने कंटीले तार काट दिए हैं जैसा कि दिनांक 21 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली कंटीली तार की बाड़ हेतु विद्युत प्रवाह अनियमित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उग्रवादियों द्वारा अंधेरे का पूरा फायदा उठाए जाने के कारण इस वर्ष घुसपैठ अधिक हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। आसूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि सीमा पार के शिविरों में आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) बाड़ का अतिक्रमण करने की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है और विफल की गई घुसपैठ की कोशिशों के दौरान एल ओ सी पर मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने तार काटने के औजार (वायर कटर) भी बरामद किए हैं।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में संपूर्ण एल ओ सी/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्मित कंटीले तार की बाड़ में यह व्यवस्था है कि जब कभी विद्युत प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न होता है तो बैक अप जनरेटर सेटों के माध्यम से इसमें विद्युत प्रवाह होता है।

(ङ) और (च) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 92 आतंकवादियों की तुलना में 30 जून, 2006 तक अनुमानतः 299 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी।

(छ) सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिल कर जम्मू और कश्मीर में सीमा पार में घुसपैठ रोकने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, अन्य बातों के साथ–साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ–साथ और घुसपैठ के निरंतर बदलते मार्गों के निकट सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना और बहु–स्तरीय और बहु–रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और आपरेशनल समन्वय और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना के प्रवाह को सहक्रियाशील बनाना तथा राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरूद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना शामिल है। राज्य सरकार में (जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर घुसपैठ रोकने के प्रयासों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों हेतु धनराशि का आबंटन

1741. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र अपनी गरीबी वाली आर्थिक स्थितियों के कारण अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों के विकास हेतु प्रतिवर्ष एक अलग शीर्ष के लिए कुछ धनराशि निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद छात्रों की क्षमता का विकास करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से सभी जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, यह निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराता है:

1. एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालय
2. प्रतिभा उन्नयन
3. कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना
4. विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना
5. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के दृष्टिगत प्रतिभाशाली जनजातीय छात्रों के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष अलग से निधियां आरक्षित रखने संबंधी इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेनों में सुरक्षा

1742. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह सचिव द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2006 को बुलाई गई समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने ट्रेन मे मारी सुरक्षा कवर और विशेष सशस्त्र अंगरक्षकों का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर गृह मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) गृह सचिव ने, हाल में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के साथ रेलवे सम्पत्ति, ट्रेनों, यात्रियों इत्यादि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय

करने के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया। अन्य बातों के साथ–साथ, विशेषतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेनों में मार्गरक्षण ड्यूटी के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित आर पी एफ कार्मिकों की तैनाती, आर पी एफ, जी आर पी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय तथा आर पी एफ को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विचार–विमर्श हुआ।

राज्यों से विधेयक

1743. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "कर्नाटक एसेंसियल सर्विसेज मैंटेनेंस बिल, 2005" को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से अनुमोदनार्थ प्राप्त अन्य विधेयकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विधेयकों को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, तमिलनाडु, मेघालय और महाराष्ट्र सरकार के आवश्यक सेवाओं के रखरखाव से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली है।

(ग) कर्नाटक आवश्यक सेवा रखरखाव विधेयक, 2005 सरकार के विचाराधीन है और प्रक्रिया के पूरा कर लिये जाने के संबंध में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

1744. डा. पी. पी. कोया : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र (ए.डब्ल्यू.) चल रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने केन्द्र खाले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने और वर्तमान केन्द्रों को चालू रखने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) पूरे देश में वर्तमान आंगनवाड़ी केन्द्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने कार्यकर्ता/सहायक कार्यरत हैं;

(घ) पूरे देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी गर्भवती माताएं, स्तन–पान कराने वाली माताएं और प्रसव पूर्व तथा प्रसव–पश्च माताएं और 5 वर्ष से कम के कितने बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में भाग ले रहे हैं;

(ङ) समेकित बाल विकास योजना के लिए प्रतिवर्ष तथा वेतन, मजदूरी और अन्य पारिश्रमिक आदि, किराया तथा स्थापना प्रभारों, पोषण संबंधी सहायता और दवाइयों के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) क्या इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों हेतु ई.पी.एफ., सी.पी.एफ., ई.एस.आई., पेंशन योजना उपदान आदि जैसी कोई कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस योजना के कार्यकरण के आवधिक मूल्यांकन हेतु कोई समाधान है; और

(झ) यदि हां, तो गत वर्ष ऐसे मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में 7,45,943 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यशील थे। इन केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित सरकार की प्रतिबद्धता तथा पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका में प्रत्येक बस्ती में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में विगत वर्ष 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए गए, जिन्हें इस वर्ष प्रचालित किए जाने की आशा है। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्र की संस्वीकृति के जनसंख्या मानक विवरण–III में दर्शाए गए हैं।

(ग) दिनांक 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की राज्य–वार संख्या विवरण–IV में दर्शायी गई है।

(घ) दिनांक 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार पूरक पोषण तथा शाला–पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–V में दर्शाया गया है।

(ङ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत निधियां सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाने वाली सहायतानुदान पद्धति के

अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत सहायतानुदान के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण–VI में दिया गया है।

(च) और (छ) आई.सी.डी.एस. स्कीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय की ऐसी अवैतनिक कार्यकर्त्री माना गया है, जो बाल देखभाल एवं विकास के क्षेत्र में अंशकालिक सेवाएं प्रदान करने हेतु आगे आती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें दिए गए अवैतनिक दर्जे के मद्देनजर, वे संदर्भित लाभ पाने की हकदार नहीं हैं। तथापि, उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 1.4.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना का शुभारंभ किया।

(ज) और (झ) यह मंत्रालय आई.सी.डी.एस. स्कीम का मॉनीटरन आवधिक रिपोर्टों तथा राज्यों के आई.सी.डी.एस. प्रभारी सचिवों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठक के माध्यम से करता है। राज्य सरकारें भी राज्य–स्तरीय समेकित रिपोर्टें प्रति माह भेजती हैं। गहन मॉनीटरन के कारण पिछले एक–दो वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसके परिणाम–स्वरूप लाभार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

(लाखों में)

समाप्ति वर्ष	पूरक पोषण के लाभार्थी	शाला–पूर्व शिक्षा के लाभार्थी
मार्च, 2004	415.08	204.38
मार्च, 2005	484.42	218.41
दिसम्बर, 2005	546.31	237.64

विगत में समय–समय पर इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया है।

राष्ट्रीय जन–सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) ने वर्ष 2005–06 में इस स्कीम (150 परियोजनाएं) का त्वरित मूल्यांकन किया। निपसिड द्वारा किए गए मूल्यांकन के प्रारंभिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

पूरक पोषण हेतु पंजीकृत 6 माह – 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या वर्ष 1992–2006 के बीच 45% से बढ़कर 57% हो गई है, जिसमें से 78% बच्चे वास्तव में पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं।

- 3–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के मामले में पंजीकृत किए गए बच्चों की संख्या 56% से बढ़कर 63.5% हो गई है, जिनमें से 75% बच्चे वास्तव में पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं। गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के संदर्भ में पंजीकृत एवं ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर रही महिलाओं की संख्या 1992–2006 के बीच बढ़कर क्रमशः 78% से 87% तथा 78% से 89% हो गई है।
- जन्म के समय अल्प–वजनी बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992 में 41 से घटकर वर्ष 2006 में 29 रह गया है।
- 0–3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में अत्याधिक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 1992 में 7 से घटकर वर्ष 2006 में 1 रह गया है तथा 3–5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में यह प्रतिशत वर्ष 1992 में 4 से घटकर 2006 में 0.8 रह गया है।

विवरण-I

31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत प्रचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की राज्य–वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार प्रचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	55950
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359
3.	असम	25278
4.	बिहार	57767
5.	छत्तीसगढ़	20289
6.	गोवा	1012
7.	गुजरात	37457
8.	हरियाणा	13546
9.	हिमाचल प्रदेश	7354
10.	जम्मू और कश्मीर	10398
11.	झारखंड	22170
12.	कर्नाटक	40301
13.	केरल	25373
14.	मध्य प्रदेश	49423
15.	महाराष्ट्र	64040

1	2	3
16.	मणिपुर	4500
17.	मेघालय	2218
18.	मिजोरम	1361
19.	नागालैंड	2770
20.	उड़ीसा	34201
21.	पंजाब	14730
22.	राजस्थान	35814
23.	सिक्किम	500
24.	तमिलनाडु	42677
25.	त्रिपुरा	3768
26.	उत्तर प्रदेश	103523
27.	उत्तरांचल	6651
28.	पश्चिम बंगाल	54858
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	527
30.	चण्डीगढ़	300
31.	दिल्ली	3852
32.	दादरा और नगर हवेली	138
33.	दमन और दीव	87
34.	लक्षद्वीप	74
35.	पांडिचेरी	677
	अखिल भारत	745943

विवरण-II

वर्ष 2005–06 के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	05–06 के दौरान कृत आंगनबाड़ी ों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9562
2.	अरुणाचल प्रदेश	678
3.	असम	6659
4.	बिहार	19715
5.	छत्तीसगढ़	9148
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	3523
8.	हरियाणा	2813
9.	हिमाचल प्रदेश	10894
10.	जम्मू और कश्मीर	6817
11.	झारखंड	6683
12.	कर्नाटक	11313
13.	केरल	3258
14.	मध्य प्रदेश	9537
15.	महाराष्ट्र	12864
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	961
18.	मिजोरम	231
19.	नागालैंड	265
20.	उड़ीसा	3279
21.	पंजाब	2691
22.	राजस्थान	11041
23.	सिक्किम	488
24.	तमिलनाडु	3049
25.	त्रिपुरा	2220
26.	उत्तर प्रदेश	31498
27.	उत्तरांचल	1134
28.	पश्चिम बंगाल	17100
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	94
30.	चण्डीगढ़	29
31.	दिल्ली	526
32.	दादरा और नगर हवेली	77
33.	दमन और दीव	10
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	11
	अखिल भारत	188168

विवरण-III

संशोधित जनसंख्या मानक (कार्यबल द्वारा अनुशंसित)

परियोजना : राज्य में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. परियोजना की संस्वीकृति हेतु परियोजना में शामिल ग्रामों की संख्या अथवा जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना समुदाय/ग्रामीण विकास ब्लॉक एक इकाई होगी।

आंगनवाड़ी केन्द्र :

ग्रामीण परियोजना के लिए :
जनसंख्या :

500–1500 – एक आंगनवाड़ी केन्द्र

150–500 – एक लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

जनजातीय परियोजना के लिए :
जनसंख्या :

300–1500 – एक आंगनवाड़ी केन्द्र

150–300 – एक लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

(150 से कम आबादी वाली बस्तियों के लिए भारत सरकार के उचित निर्णय हेतु राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिएं)

शहरी परियोजना के लिए :
जनसंख्या :

500–1500 – एक आंगनवाड़ी केन्द्र

विवरण-IV

31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की राज्य–वार स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	कार्यरत सहायिकाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	55077	55141
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2359
3.	असम	25416	25416
4.	बिहार	60041	59797
5.	छत्तीसगढ़	20128	20046
6.	गोवा	999	981
7.	गुजरात	35828	35685
8.	हरियाणा	13446	13526
9.	हिमाचल प्रदेश	7096	7318
10.	जम्मू और कश्मीर	10520	10363
11.	झारखंड	20389	20284
12.	कर्नाटक	39836	40237
13.	केरल	25183	24908
14.	मध्य प्रदेश	45932	45770
15.	महाराष्ट्र	61987	60775
16.	मणिपुर	4496	4491
17.	मेघालय	2218	2218
18.	मिजोरम	1361	1361
19.	नागालैंड	2770	2770
20.	उड़ीसा	33502	33977
21.	पंजाब	14604	14581
22.	राजस्थान	35613	35540
23.	सिक्किम	496	488
24.	तमिलनाडु	42677	36258
25.	त्रिपुरा	3789	3761
26.	उत्तर प्रदेश	99325	100236
27.	उत्तरांचल	6592	6574
28.	पश्चिम बंगाल	53490	53149
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	527	527
30.	चण्डीगढ़	300	300
31.	दिल्ली	3852	3852
32.	दादरा और नगर हवेली	138	138
33.	दमन और दीव	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पांडिचेरी	677	677
	अखिल भारत	730825	723676

विवरण-V

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार पूरक पोषण के लाभार्थियों तथा शाला–पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या					शाला पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
		0–3 वर्ष	3–6 वर्ष	कुल बच्चे	महिलाएं	कुल बच्चे एवं महिलाएं	बालक	बालिकाएं	कुल बच्चे (3–6 वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	958922	1526391	2485313	650466	3135779	779453	785540	1564993
2.	अरुणाचल प्रदेश	40841	30487	71328	10425	81753	15055	15431	30486
3.	असम	510954	484598	995552	111343	1106895	437968	420628	858596
4.	बिहार	2012101	1999242	4011343	818937	4830280	1013826	933924	1947750
5.	छत्तीसगढ़	837952	570122	1408074	370507	1778581	306693	310468	617161
6.	गोवा	21205	18119	39324	9363	48687	8998	9057	18055
7.	गुजरात	812236	820472	1632708	287138	1919846	695904	656411	1352315
8.	हरियाणा	484839	445411	930250	232495	1162745	237457	207954	445411
9.	हिमाचल प्रदेश	189245	144792	334037	75006	409043	61492	59841	121333
10.	जम्मू और कश्मीर	153270	120520	273790	69858	343648	63493	57832	121325
11.	झारखंड	632227	697049	1329276	401322	1730598	367579	380386	747965
12.	कर्नाटक	1232636	1237353	2469989	582050	3052039	620609	616744	1237353
13.	केरल	371967	489486	861453	159025	1020478	243040	242286	485326
14.	मध्य प्रदेश	1394953	1234168	2629121	641957	3271078	925812	746647	1672459
15.	महाराष्ट्र	2013736	2589450	4603186	738625	5341811	1312934	1235218	2548152
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	56429	55422	111851
17.	मेघालय	84538	101560	186098	33254	219352	44593	45405	89998
18.	मिजोरम	62496	43071	105567	26816	132383	23644	23199	46843
19.	नागालैंड	152240	101836	254076	42413	296489	50402	49059	99461
20.	उड़ीसा	1820372	1859920	3680292	670753	4351045	476723	480159	956882
21.	पंजाब	42392	409367	451759	191950	643709	229399	204480	433879
22.	राजस्थान	1326418	1247307	2573725	595525	3169250	656434	638925	1295359
23.	सिक्किम	20483	11388	31871	5793	37664	4859	4943	9802
24.	तमिलनाडु	652710	1056636	1709346	497902	2207248	531725	523861	1055586
25.	त्रिपुरा	62199	86006	148205	22088	170293	51086	49966	101052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	3857178	3804758	7661936	1486633	9148569	2021407	1926324	3947731
27.	उत्तरांचल	210149	157859	368008	94325	462333	92786	90545	183331
28.	पश्चिम बंगाल	1706170	1846751	3552921	412864	3965785	730043	743600	1473643
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9745	9085	18830	4268	23098	4238	4443	8681
30.	चण्डीगढ़	18288	13193	31481	7804	39285	6525	6668	13193
31.	दिल्ली	238952	150911	389863	77937	467800	78191	72644	150835
32.	दादरा और नगर हवेली	6353	6167	12520	2184	14704	2514	2505	5019
33.	दमन और दीव	3400	3577	6977	1898	8875	2083	2130	4213
34.	लक्षद्वीप	2023	1854	3877	986	4863	2023	2001	4024
35.	पांडिचेरी	22213	4419	26632	8763	35395	2117	2210	4327
	अखिल भारत	21965403	23323325	45288728	9342673	54631401	12157534	11606856	23764390

विवरण-VI

वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान आई.सी.डी.एस. (सामान्य), विश्व बैंक सहायता–प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदिसा) तथा पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राशियों की राज्य–वार स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06	2006–07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26824.69	14280.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	1893.69	886.75
3.	असम	26003.23	7931.1
4.	बिहार	18393.33	18526.06
5.	गोवा	492.66	270.65
6.	गुजरात	13582.36	8821.06
7.	हरियाणा	7319.71	4282.29
8.	हिमाचल प्रदेश	4393.80	2038.46
9.	जम्मू और कश्मीर	5642.75	3418.36
10.	कर्नाटक	22038.89	10142.6485
11.	केरल	9431.93	5565.96
12.	मध्य प्रदेश	21229.49	13142.094
13.	महाराष्ट्र	32266.86	17344.1635
14.	मणिपुर	2344.45	1435.36
15.	मेघालय	2876.12	870.16
16.	मिजोरम	1952.90	556.96
17.	नागालैंड	3460.71	1241.90
18.	उड़ीसा	18096.34	12996.[illegible]
19.	पंजाब	6868.14	3692.85
20.	राजस्थान	13958.87	10975.659
21.	सिक्किम	477.23	217.47
22.	तमिलनाडु	19266.53	10102.18
23.	त्रिपुरा	3226.97	1274.63
24.	उत्तर प्रदेश	52076.79	33873.86
25.	पश्चिम बंगाल	26660.80	14658.91
26.	छत्तीसगढ़	9841.75	6429.01
27.	झारखंड	6249.82	6487.57
28.	उत्तरांचल	4137.15	1917.32
29.	दिल्ली	2086.72	1320.067
30.	पांडिचेरी	319.40	240.25
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	328.21	205.23
32.	चण्डीगढ़	235.16	192.12
33.	दादरा और नगर हवेली	92.69	68.92
34.	दमन और दीव	61.48	70.52
35.	लक्षद्वीप	50.19	41.44
	जोड़	364181.81	215518.87

नाल्को संयंत्रों की स्थापना

1745. श्री परशुराम माझी :
श्री जुएल ओराम :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश और विदेश में नाल्को के एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाल्को का विचार अपने उत्पादों का विविधिकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नाल्को के विस्तार कार्यक्रम के संबंध में अब तक की नई प्रगति का चरण–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) मै. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई.आई.एल.), जिसे मिडल ईस्ट में नालको का एल्युमिनियम स्मेल्टर स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता–पूर्व रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है और इसकी जांच की जा रही है/इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नालको ने प्रथम चरण का विस्तार, वर्ष 2004 के दौरान पहले ही पूरा कर लिया है। वर्तमान में जारी, द्वितीय चरण के विस्तार कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना खण्ड	जुलाई, 2006 तक पूरे किए गए कार्य की प्रगति	
	निर्धारित	वास्तविक
खानें एवं एल्युमिना	6.1%	6.6%
स्मेल्टर	9.3%	13.0%
कैप्टिव पावर प्लांट	16.83%	15.88%

(च) जुलाई, 2006 तक दिए गए कार्य आदेशों का कुल मूल्य 1740.57 करोड़ रु. है।

प्राकृतिक आपदाएं

1746. श्री हितेन बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों से गरीबों की भूकंप जैसी विभिन्न आपदाओं से रक्षा करने के लिए सामाजिक जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व बैंक ने भूकंप जैसी विभिन्न आपदाओं के संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कोबे, ह्योगो, जापान में 18–22 जनवरी, 2005 को हुए आपदा न्यूनीकरण विश्व सम्मेलन में सदस्य देशों से कहा गया था कि वे आपदाओं से प्रभावित गरीब लोगों की सहायता करने के लिए सामाजिक सुरक्षा–तंत्र के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाएं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से गरीब लोगों और समाज के सुभेद्य वर्गों को बचाने के लिए भारत सरकार के कई कार्यक्रम और योजनाएं पहले से ही हैं।

नवोदय विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यकलाप

1747. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलाप संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्यकलापों के संबंध में रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय वृहत् प्रणालियां हैं जो कि पूरे देश में स्कूल स्तरीय शिक्षा हेतु गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करती है। शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ–साथ, यह सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी बल देते हैं। सरकार ने जून, 2006 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो कि भारतीय संस्कृति को समझने और प्रोत्साहित करने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोन्नयन हेतु नीतियों के लिए सलाह देगी।

(घ) समिति से 27.6.2006 से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में उच्चस्तरीय शिक्षा

1748. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में नवोदय विद्यालयों की क्षमता के संबंध में समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्दरेश्वरी) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय समिति की प्रबंधन संरचना तथा कार्य संचालन पद्धति की समीक्षा करने हेतु जून, 2001 में श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नवोदय विद्यालयों की क्षमता के संबंध में वाई.एन. चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सार विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	समिति की सिफारिशें
1	2
1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X तथा XII की बोर्ड परीक्षाओं में नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। कक्षा X हेतु सी.बी.एस.ई. परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कुल विद्यार्थियों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है और कक्षा XII हेतु यह प्रतिशतता 10 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, नवोदय विद्यालयों में शैक्षिक प्रदर्शन का आकलन करने हेतु बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा किया गया प्रदर्शन ही एकमात्र मानदण्ड नहीं है।
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा करवाए अध्ययन से पता चला है कि नवोदय विद्यालयों द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की आमतौर पर सराहना की जाती है जिसके तहत 80 प्रतिशत विद्यार्थी तथा उनके माता–पिता ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की सराहना की है। नवोदय विद्यालय स्कीम की सफलता का एक और सूचक यह है कि नवोदय विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले 75 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च अध्ययन कर रहे हैं।
3.	हाल ही के वर्षों में देखे गए रुझानों से पता चलता है कि नवोदय विद्यालयों में प्रत्येक सीट हेतु लगभग 18 विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आवेदन करने वालों की बड़ी संख्या ही अपने आप में नवोदय विद्यालय स्कीम की सफलता का द्योतक है और यह इस बात का भी सूचक है कि नवोदय विद्यालय की दाखिला प्रणाली में आम लोगों का कितना विश्वास है।
4.	चुने गए कुछ विद्यार्थियों के अपर्याप्त भाषा ज्ञान के बारे में की गई आलोचना अतिशयोक्ति ही प्रतीत हुई है। प्रखंड–वार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में इन स्तरों का निम्न होना जानी हुई बात है। ऐसे मामलों में भाषाई कौशल संबंधी स्तर परीक्षा प्रणाली में किसी बड़े बदलाव को न्यायसंगत नहीं ठहराता। भाषा ज्ञान में कमजोर विद्यार्थियों के कौशल में सुधार करने का दायित्व नवोदय विद्यालयों को ही लेना होगा।
5.	यह महसूस किया गया है कि विभिन्न कक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा बीच में ही अध्ययन छोड़ने से संबंधित समस्या वास्तविक है, हालांकि अध्ययन बीच में ही छोड़ने की घटना जरूरी नहीं कि नवोदय विद्यालय स्कीम की कमी को दर्शाती हो। यह सिफारिश की जाती है कि बड़ी लागत से तैयार की गई नवोदय विद्यालय योजना को उच्चतर कक्षाओं में सीटों को खाली रखकर अनुपयोगी बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
6.	हालांकि कक्षा X तथा XII की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों से पता चलता है कि नवोदय विद्यालयों में अध्यापन की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर की है, परन्तु इसे अध्ययोन्मुखी बनाए जाने की आवश्यकता है जो ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है।
7.	इस समय भाषा अध्ययन के तहत लेखन कौशल पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि यही परीक्षाओं में

1	2
	प्राप्त किए जाने वाले अंकों को निर्धारित करता है। इस समय बोल चाल तथा पठन कौशलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक कक्षा हेतु बड़ी संख्या में पुस्तकें अभिनिर्धारित की जा सकती हैं और इन्हें 4 अथवा 5 उप–श्रेणियों में बांटा जा सकता है और विद्यार्थियों को कहा जाना चाहिए कि वे प्रत्येक श्रेणी से एक–एक पुस्तक चुनें तथा वे 3–6 महीने की अवधि में इन पुस्तकों का अध्ययन करके उनकी कक्षा हेतु आयोजित सेमिनार में इन पुस्तकों का एक सार प्रस्तुत करें। इससे निश्चित रूप से उस विद्यार्थी का अध्ययन का दायरा बढ़ेगा और इससे उसकी बोधगम्यता एवं आत्मसात करने की क्षमता में उत्तरोत्तर सुधार होगा। सेमिनार में प्रस्तुतीकरण के जरिए उसके संप्रेषण कौशल तथा बोलचाल में सुधार होगा। विशेषतः तृतीय भाषा के संबंध में बोलचाल कौशल महत्वपूर्ण है।
8.	शिक्षण विधि में तत्काल सुधार की आवश्यकता है और शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्कूल पर्यवेक्षण के जरिए प्रबोधित किया जाना चाहिए ताकि वे लेक्चर न देकर बोलचाल की तर्ज पर पढ़ाएं।
9.	हालांकि शिक्षकों के मन में एक धारणा है कि उन पर काम का अत्याधिक बोझ है परन्तु उनके दैनिक कार्यसूची के अध्ययन से ऐसा नहीं लगता है। यह नोट किया गया है कि समिति की प्रवृत्ति हर वो चीज शामिल करने की है जो अच्छी प्रतीत हो। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो विद्यार्थी विद्यालय के अधिकांश कार्यकलापों में संजीदगी से शामिल नहीं होंगे अथवा यह उन्हें बोझ सा प्रतीत होगा।
10.	यह सिफारिश की जाती है कि विभिन्न सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों को 3 अथवा 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाए जैसा कि एक समूह सृजनात्मक कार्यकलापों हेतु, एक समूह शारीरिक कार्यकलापों हेतु आदि। प्रत्येक विद्यार्थी को सहभागिता हेतु एक समूह से केवल एक कार्यकलाप चुनने को कहा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन केवल उसी कार्यकलाप हेतु किया जाना चाहिए।

1	2
11.	यह सिफारिश की जाती है कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्यों को और सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5/6 विद्यार्थियों के समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। बुनियादी साधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें कहा जाना चाहिए कि वे पर्यवेक्षक की निगरानी में कैम्पस/छात्रावास अनुरक्षण एवं साफ–सफाई जैसे कार्यकलापों में शामिल हों। इनमें कैम्पस के भीतर वृक्षारोपण तथा इसकी देखभाल शामिल होना चाहिए। विद्यार्थियों को बारी–बारी से अलग–अलग कार्य सौंपें जा सकते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को छोटे–मोटे मरम्मत कार्य सौंपकर इस अभिकल्पना का विस्तार किया जाना चाहिए, हालांकि उन्हें मरम्मत संबंधी बड़े कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है।
12.	कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ नवोदय विद्यालय समिति ने अत्याधिक प्रयास किए हैं। हालांकि कम्प्यूटर साक्षरता से संबंधित अभी तक कोई पाठ्यक्रम अथवा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पाठ्यक्रम से संबंधित तैयार किए गए मसौदे में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर से संबंधित उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के निमित्त अवास्तविक बातों का उल्लेख है। यह वास्तविकता से परे है। कम्प्यूटर साक्षरता के तहत यदि विद्यार्थियों को पी.सी. चलाना आ जाए, यह डाटा प्रविष्टि की विधि तथा प्रिंटआउट निकालना सीख लें तो यह अपने आप में पर्याप्त होगा। विद्यार्थियों को विंडोज सिखाया जाना चाहिए जो उसकी अधिकांश जरूरतों को पूरा करेगा। उन्हें ई–मेल भेजने तथा प्राप्त करने की विधि सिखाई जानी चाहिए तथा इंटरनेट चलाना सिखाया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को कम्प्यूटर संबंधी इतनी ही शिक्षा सम्यक रूप से दी जाए तो यह अपने आप में पर्याप्त है।
13.	नवोदय विद्यालयों से एक गति निर्धारक संस्था के रूप में उभरने की अपेक्षा की गई है परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यक्रम सामने नहीं आया है। यह सिफारिश की जाती है कि बड़ी संख्या में आम विचारों के बारे में बात करने के बजाय कुछ गिने–चुने ठोस उपायों को अधिमान्यता दी जाए।

1	2
14.	नवोदय विद्यालयों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु एक कारगर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेक्षित है। हालांकि यह दुर्भाग्य ही है कि नवोदय विद्यालयों हेतु अभी तक एक भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालयों के शिक्षकगण डी. आई.ई.टी. अथवा राज्य शिक्षक शिक्षा कॉलेजों से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं।
15.	यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय विद्यालयों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नवोदय विद्यालयों हेतु अथवा दोनों के लिए अलग–अलग क्षेत्रीय आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं। इन संस्थानों में प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ उस विषय वस्तु में प्रशिक्षण किया जाना चाहिए जिसमें प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार, योग शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा तथा कम्प्यूटर साक्षरता जैसे साझा घटक शामिल हो।
16.	खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण एवं वांछनीय है। तथापि, यह महसूस किया जाना चाहिए कि पढ़ाई के उपरांत रोजगार प्राप्ति हेतु दबाव के कारण सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना ही प्रमुख सरोकार होगा। अतः विद्यार्थियों से खेलकूद में किसी विशिष्ट उपलब्धि की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यदि वे नियमित रूप से जोश के साथ खेलकूद में सम्मिलित होते हैं तो इसे पर्याप्त समझा जाना चाहिए।
17.	योग की शिक्षा एकाधिक कारणों से अच्छी है। तथापि, नवोदय विद्यालय समिति को अलग–अलग विद्यालयों हेतु योग की शिक्षा निर्धारि करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि, योग शिक्षक तो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं, परन्तु अधिकांश मामलों में उनके द्वारा दी जाने वाली योग शिक्षा/दिया जाने वाला प्रशिक्षण स्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाता है तो वे स्वयं ही एक समस्या बन जाते हैं। अतः नवोदय विद्यालय समिति को सावधानीपूर्वक योग संस्थानों की जांच पड़ताल करनी चाहिए और केवल उन संस्थानों को अनुमोदित करना चाहिए जहां शिक्षा का स्तर स्वीकार्य योग्य हो। केवल ऐसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को ही योग शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। नवोदय विद्यालयों में योग शिक्षा चरणबद्ध तरीके से आरंभ की जानी चाहिए अर्थात् केवल उसी सीमा तक जहां तक अच्छे योग शिक्षक उत्तरोत्तर उपलब्ध होते रहें।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

1749. श्री के. एस. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कार्य–निष्पादन और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध प्रणाली क्या है;

(ख) स्कूली शिक्षा प्रणाली का स्तर उठाने और इसे रोजगारोन्मुखी बनाने तथा कौशल शिक्षण प्रक्रिया बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशिष्ट रोजगारों हेतु छात्र की अभिरुचि तथा उपयुक्तता निर्धारित करने और छात्रों की रोजगार की योग्यता को बढ़ाने हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय–समय पर परीक्षाएं आयोजित करने हेतु प्रणाली विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) समवर्ती सूची का विषय होने के कारण शिक्षा केन्द्र तथा राज्य सरकारों की साझी जिम्मेवारी है। स्कूल शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। सांविधिक संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय निर्धारण एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। एक अन्य सांविधिक संगठन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा के विकास के समन्वय, गुणवत्ता–सुधार संवर्धन तथा मानदंडों एवं मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास करने और अध्यापक शिक्षा के मानदंडों एवं मानकों के विनियमन एवं समुचित अनुरक्षण के लिए एक सांविधिक निकाय है।

वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में यह प्रावधान है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्गठन किया जायेगा

और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जायेगी ताकि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से अथवा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन द्वारा भी शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाए जाने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की एक नई निर्माणाधीन योजना (वी.ई.टी.) के अन्तर्गत कौशल प्रोफाइलों के स्तरों का निर्धारण करने, सक्षमता का मूल्यांकन करने, मूल्यांकन केंद्रों तथा मूल्यांककों के प्रत्यायन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मानदंड एवं कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु एक राष्ट्रीय सक्षमता परीक्षण एजेंसी (एन.सी.टी.ए.) की स्थापना का प्रस्ताव है।

लघु उद्योगों को आबंटन

1750. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों को जीडीपी/कुल धनराशि का कितना प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया गया;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस क्षेत्र को आबंटन राशि में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लघु उद्योग मंत्रालय हेतु कुल योजना परिव्यय 2200 करोड़ रु. है। इस क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निश्चित प्रतिशत के आधार पर नियत किया गया प्रतीत नहीं होता है।

(ख) लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुमानित 11वें योजना परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रत्येक वार्षिक योजना तथा साथ ही साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आबंटन में वृद्धि के मामले को योजना आयोग के साथ उठाया जाता है।

स्व-शक्ति परियोजना

1751. श्री जयावहन बी. ठक्कर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 1999 में आरंभ की गई और आई.एफ.ए.डी., विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित स्व–शक्ति परियोजना 30 जून, 2005 को समाप्त कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस योजना हेतु आई.एफ.ए.डी., विश्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं विश्व बैंक ने निधियों का आबंटन सम्पूर्ण परियोजनावधि के लिए किया था न कि वार्षिक आधार पर। सम्पूर्ण परियोजना के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का योगदान क्रमशः 4347 लाख रुपये और 4189 लाख रुपये था। वर्ष 2005–06 में परियोजना के लिए भारत सरकार का बजटीय आबंटन 500 लाख रुपये था।

हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करना

1752. श्री सुबोध मोहिते : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से हस्तकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। महाराष्ट्र सरकार सहित राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। व्यवहार्य प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाते हैं और शेष अव्यवहार्य प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों के पास आवश्यक संशोधन के लिए वापस भेज दिए जाते हैं।

(घ) प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2005–06 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 43.85 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट

1753. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकारों से मिलकर कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) सरकार ने सभी चक्रवात संभावित तटीय राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तथा दमन और दीव संघ शासित क्षेत्रों में बाहरी सहायता से कार्यान्वित किए जाने के लिए एक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एन सी आर एम पी) तैयार की है। इस परियोजना में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संवेदनशीलताओं और उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम निवेशों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपने उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम निवेशों की पहचान की है जैसे चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण, तटीय शेल्टर बेल्ट पौध रोपण, कच्छ वनस्पति पुनः लगाना, लवणीय तटबन्धों का निर्माण और इसी प्रकार के अन्य उपाय।

बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना के अन्य घटकों के साथ संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पता लगाए गए उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम निवेशों के एकीकरण के पश्चात् परियोजना शुरू की जाएगी।

अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों के आश्रितों का पुनर्वास

1754. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अर्द्ध–सैनिक बलों के जवानों के आश्रितों के पुनर्वास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों के आश्रितों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था है:–

(i) केन्द्रीय पुलिस बलों में ग्रुप 'ग' और 'घ' में आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 5% रिक्तियां आरक्षित की जाती हैं।

(ii) उन कार्मिकों, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, के निकटतम संबंधी (एन ओ के) को अनुग्राही अदायगी की जाती है।

(iii) निकटतम संबंधी, उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने/असाधारण पेंशन के पात्र हैं।

(iv) निकटतम संबंधी, बल संबंधी बीमा/कल्याण योजनाओं से पर्याप्त बीमा कवर के पात्र हैं।

(v) निकटतम संबंधियों को तत्काल एकमुश्त वित्तीय अनुदान, बच्चों को मुफ्त शिक्षा/छात्रवृत्ति और पुत्री के विवाह हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(vi) अर्द्ध सैनिक बलों के उन कार्मिकों की विधवाओं के लिए क्वार्टर जिनकी सीमित अवधि के लिए ड्यूटी करते हुए मृत्यु हुई हो।

(vii) अर्द्ध–सैनिक बल के आश्रितों और भूतपूर्व–कार्मिकों की शिकायतों से निपटने हेतु गृह मंत्रालय में एक पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय कार्य कर रहा है।

पाकिस्तान में बंदी भारतीयों को रिहा किया जाना

1755. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी असैनिक बंदियों को 30 जून, 2006 को रिहा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सजा के समाप्त होने पर और जमानत पर रिहा किए गए बंदियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बंदियों को रिहा किए जाने से पूर्व पाकिस्तानी उच्चायोग ने उनकी नागरिकता का सत्यापन किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) भारतीय जेलों में बंद 38 पाकिस्तानी सिविलियन कैदियों को उनकी सजा पूरी होने पर 30 जून, 2006 को छोड़ दिया गया था।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। पाकिस्तानी सिविलियन कैदियों को उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि होने और पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा अमरजेन्सी पासपोर्ट जारी करने के बाद ही छोड़ा गया था।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उपयोग

1756. **श्री वी. विनोद कुमार :**
श्री रशीद मसूद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो कि अब इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई निधियों का ब्यौरा क्या है, जो नौ वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कोष से कम्पनियों को संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संवितरित ऋण का वापसी भुगतान किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जिन कम्पनियों के विरुद्ध बकाया देय है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) सरकार ने आईबीईएफ को 83.67 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। दिनांक 31.3.2006 तक, आईबीईएफ द्वारा किया गया व्यय 22.12 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, आईबीईएफ ने विभिन्न कम्पनियों को 16.34 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किया है। न्यास द्वारा शेष राशि का निवेश अनुमोदित निवेशों तथा प्रतिभूतियों में किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आईबीईएफ द्वारा संवितरित ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

		(करोड़ रुपये में)
1.	मै. केजी डेनिम	1.48
2.	मै. एचएमटी (आई) लि.	1.00
3.	मै. इंटरनेशनल क्रिएटिव फूड्स लि.	6.00
4.	मै. विशुद्ध रसायनी प्रा. लि.	4.25
5.	मै. क्लच आटो	3.50
6.	मै. ईस्टमैन इंडस्ट्रीज	0.11
	कुल	16.34

(घ) मै. केजी डेनिम, मै. एचएमटी (आई) लि. तथा मै. ईस्टमैन इंडस्ट्रीज ने अपने ऋण का वापसी भुगतान कर दिया है। मै. इंटरनेशनल क्रिएटिव फूड्स लि. तथा मै. क्लच ऑटो अपने ऋण को चुकता कर रहे हैं।

(ङ) मै. विशुद्ध रसायनी प्रा. लि. की तरफ राशि बकाया है जिसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। मुकदमें की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आईबीईएफ द्वारा इसकी पहल की जा रही है।

मानवाधिकार विधेयक में संशोधन

1757. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक में कई परिवर्तनों को शामिल करने हेतु इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विधेयक में परिवर्तन करने के संबंध में विभिन्न पक्षों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में वृद्धि होगी और उससे सशस्त्र बलों द्वारा की गई ज्यादतियों से संबंधित आरोपों की जांच करने और राज्य मानवाधिकार आयोगों पर पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2006 को पारित कर दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) विभिन्न पक्षों से प्रापत सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच–पड़ताल की गई है और उन्हें उपयुक्त रूप से मानवाधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006 में शामिल कर दिया गया है।

(ङ) और (च) राज्य सभा द्वारा यथा पारित संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों में, सशस्त्र बलों द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोपों की जांच करने की शक्ति के संबंध में इस अधिनियम के मौजूदा

उपबंधों में बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई है और न ही इसमें राज्य मानवाधिकार आयोगों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) की पर्यवेक्षक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को रोजगार

1758. **श्री वृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा युद्ध में मारे गए सैनिकों की कितनी विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपर्व–सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस योजना से युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व–सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने में कितनी सहायता मिलेगी?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, केवीआईसी देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने में, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व–सैनिकों एवं उनके आश्रितों सहित उद्यमियों की सहायता करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), नाम के एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना कार्यान्वित कर रहा है। आरईजीपी के तहत, सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए स्वीकृत 25 प्रतिशत की तुलना में, भूतपूर्व सैनिक और महिला उद्यमी (युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं सहित) 10 लाख रु. तक परियोजनाओं के लिए 20 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता के लिए पात्र हैं। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं सहित महिला उद्यमियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निजी अंशदान के रूप में मात्र 5 प्रतिशत राशि (सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के मुकाबले) का अंशदान करना अपेक्षित है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, आरईजीपी के तहत, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए इस प्रकार का अलग विवरण नहीं रखा जाता है।

केवीआईसी ने हाल ही में आरईजीपी के लाभों को ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए के तहत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपर्वू सैनिकों, आदि को विस्तारित करने तथा ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए और केवीआईसी की अपने संबंधित निर्गमों के माध्यम से विपणन क्रियाकलापों के कन्वर्जेंस को प्रोत्साहित करने के लिए आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण-I

2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान, आरईजीपी के तहत भूतपर्वू सैनिकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	0	22	9
2.	हिमाचल प्रदेश	6	11	12
3.	जम्मू और कश्मीर	7	12	11
4.	पंजाब	4	6	3
5.	राजस्थान	15	28	6
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	5
7.	बिहार	8	2	6
8.	झारखंड	50	0	0
9.	उड़ीसा	14	19	4
10.	पश्चिम बंगाल	2	51	21
11.	असम	0	1	16
12.	आंध्र प्रदेश	2	37	1
13.	कर्नाटक	173	19	11
14.	केरल	10	18	8
15.	तमिलनाडु	16	17	2
16.	गुजरात	0	0	3
17.	महाराष्ट्र	0	35	28
18.	छत्तीसगढ़	4	1	1
19.	मध्य प्रदेश	3	89	4

1	2	3	4	5
20.	उत्तरांचल	9	6	4
21.	उत्तर प्रदेश	7	42	15
	कुल	331	416	170

अर्द्ध-सैनिक बलों को रासायनिक युद्ध संबंधी प्रशिक्षण

1759. श्री एन. शिवन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाओं की निगरानी करने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों को जैविक और रासायनिक हथियारों को चुनौती का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जैविक, रासायनिक इत्यादि युद्ध से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों (सी पी एम एफ) की आठ बटालियनों अर्थात् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ), प्रत्येक से दो-दो बटालियनें लेकर राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन किया है। इन आठ एन डी आर एफ बटालियनों, प्रत्येक में 18 विशेषज्ञ कार्रवाई टीमें होंगी। इन आठ बटालियनों में से चार बटालियनों को देश में, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आपदाओं पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है। इन चार बटालियनों को रणनीतिक ढंग से इस प्रकार तैनात किया जायेगा ताकि देश के सभी भागों में इन बटालियनों की शीघ्र तैनाती को सुकर बनाया जा सके। एन डी आर एफ बटालियनों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, टीमों के प्रशिक्षण और उपकरणों के प्रापण की प्रक्रिया पहले से चल रही है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कोचिंग सुविधाएं

1760. श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कोचिंग हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना में शामिल किए गए प्रमुख पाठ्यक्रम कौन-से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना सभी राज्यों में समुचित ढंग से क्रियान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए कोचिंग से संबंधित योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग भर्ती सेवा, रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा इत्यादि के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग आती है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों एवं गैर-सरकारी संगठनों को उनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही निधियां जारी करता है। योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय को अब न्यूनतम सफलता दर सूचित करना अपेक्षित है। योजना को व्यापक बनाने की प्रतिक्रिया में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में योजना का व्यापक प्रचार किया जाता है।

विवरण

कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियां		
		2003-04*	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	11.48	32.05
2.	असम	0.00	2.83	3.23
3.	छत्तीसगढ़	0.00	3.05	0.00
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	9.48	1.69
5.	गुजरात	0.00	11.31	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	8.58
7.	कर्नाटक	0.00	1.92	2.00

1	2	3	4	5
8.	केरल	0.00	0.00	0.48
9.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	11.02
10.	मध्य प्रदेश	0.00	14.25	7.42
11.	मिजोरम	0.00	1.67	7.46
12.	उडीसा	0.00	0.00	4.82
13.	उत्तर प्रदेश	0.00	2.67	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.75
	कुल	0.00	58.76	79.50

* राज्यों एवं एनजीओ से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियां निमुक्त नहीं की जा सकी।

जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन

1761. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं अधिसूची में सम्मिलित अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत परिकल्पित जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिषद के सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इससे संबंधित उपबंध क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन कर लिया गया है।

(ग) और (घ) पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि हों। प्रावधानों में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जायेगी, जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जायेंगे।

नवोदय विद्यालयों में विदेशी भाषाएं

1762. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवोदय विद्यालयों में 5वीं कक्षा से फ्रेंच, जर्मन और चीनी भाषा का अध्यापन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवोदय विद्यालयों में इसे कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेशम का आयात

1763. श्री ए. साई प्रताप : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध रेशम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेशम का आयात करने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में उपलब्ध सस्ते चीनी रेशम की तस्करी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू रेशम उत्पादकों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां। भारत में रेशम के लिए घरेलू मांग अनुमानित रूप से लगभग 25,000 मी.टन है जबकि देश का उत्पादन लगभग 17,305 मी. टन (2005–06) है, परिणामस्वरूप वार्षिक रूप से लगभग 8000 मी. टन का अंतराल है।

(ख) सरकार ने ओजीएल के तहत रेशम के आयात की अनुमति दे दी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कच्ची रेशम का देशवार आयात विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश में मुख्य रूप से नेपाल एवं बंग्लादेश सीमाओं के माध्यम से सस्ती कोटि के चीनी रेशम की तस्करी की जा रही है। देश में अवैध रूप में आ रहे तस्करी के सामानों की मात्रा और मूल्य के संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं है। भारत में अवैध रूप से आ रहे सस्ते कच्चे रेशम से वर्ष 2001–02 से देश में रेशम क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सस्ते आयात से भारतीय रेशम रीलिंग उद्योग तथा कोया उत्पादन में लगे रेशम उत्पादक कृषक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और कई एकक बंद किये गये जिससे बेरोजगारी एवं दिवालियापन आया है।

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने 4 जुलाई, 2003 को एक आदेश जारी किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से आयातित कच्ची रेशम पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। यह पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारतीय रेशम बाजार में कुछ स्थिरता आई है। डीजीएडी ने चीन से आयातित रेशम फैब्रिक के संबंध में अंतिम निष्कर्ष आने तक 28 अप्रैल, 2006 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क भी लगाया है। इससे विद्युतकरघा उद्योग को सहायता मिली है। तथापि, भारत चीन सीमा व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी दिनांक 13 जून, 2006 की अधिसूचना द्वारा एक अधिसूचना जारी की है जिसमें "रेशम" मद मुक्त रूप से आयातित किए जाने की अनुमति है।

उपर्युक्त उपलब्ध कानूनी उपायों के अलावा सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं राज्य सरकारों के माध्यम से देश में चीनी रेशम के आयात का मुकाबला करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार पर संकेन्द्रित बल देकर भारतीय रेशम उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार भारतीय कच्ची रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में सुधार लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कच्ची रेशम का देश–वार आयात

क्र. सं.	देश	2003–04 मात्रा (मी. टन)	2004–05 मात्रा (मी. टन)	2005–06 (अनंतिम) मात्रा (मी. टन)
1	2	3	4	5
1.	चीन जनवादी गणराज्य	7576	7243	8116
2.	चीन ताइपे (ताईवान)	25	54	27
3.	ब्राजील	269	79	57
4.	कोरिया गणराज्य	111	18	19
5.	हांगकांग	24	2	3
6.	स्विटजरलैंड	925	101	–
7.	जापान	190	423	10
8.	उज्बेकिस्तान	45	21	50
9.	यू एस ए	12	–	1
10.	सिंगापुर	–	–	1
	अन्य	81	7	50
	कुल	9258	7948	8334

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

कुटीर उद्योग हेतु धन उपलब्ध कराना

1764. श्री डी. बी. सदानन्द गौडा : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में कुटीर उद्योग गंभीर वित्तय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों विशेषकर कर्नाटक ने राज्यों में कुटीर उद्योग के विकास हेतु और अधिक धन आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महादीर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सहित देश के कुटीर उद्योग कई कारणों जैसे उद्यमियों का कमजोर वित्तीय आधार और प्रबंधकीय कौशल, अपर्याप्त ऋण उपलब्धता, खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान, आदि के कारण वित्तीय संकटों का सामना कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) कुटीर उद्योगों के विकास के लिए निधियों के अधिक आबंटन हेतु कर्नाटक सहित राज्यों से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त

नहीं हुए हैं। तथापि, सरकार देश में कुटीर उद्योगों सहित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जारी राशि
2003–04	606.13
2004–05	695.98
2005–06	868.03

समन्वित अवसंरचना विकास योजना (आई.आई.डी.एस.) के अंतर्गत अति लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाई

1765. श्री मोहन रावले : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समन्वित अवसंरचना विकास योजना (आई.आई.डी.एस.) के अंतर्गत देश में विशेषकर महाराष्ट्र में स्थापित अति लघु उद्योग इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अति लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए अभिकल्पित उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.आई.डी.एस. में अति लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना समूह आधार पर करने का प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस योजना को राज्यों के अन्य भागों में विस्तारित करने का है जहां योजना अभी तक कार्य नहीं कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र सहित देश में आईआईडी केन्द्रों में स्थापित लघु/अति लघु इकाइयों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) नए एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों अथवा पात्र गैर–सरकारी संगठनों (संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से) से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के तहत 84 आईआईडी केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। अनुमोदित केन्द्रों में स्थापित इकाइयों की संख्या से पता चलता है कि अतिलघु एवं लघु इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) आईआईडी योजना का एक उद्देश्य लघु एवं अतिलघु इकाइयों के क्लस्टरों का संवर्धन करना है। योजना में अतिलघु इकाइयों के लिए विकसित स्थलों के 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(च) और (छ) आईआईडी योजना मांग आधारित है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सहित देश के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों को आईआईडी योजना का विस्तार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का स्थल	स्थापित लघु/अतिलघु इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	ग्राम नांदियाल, जिला मंडल, कुरनूल	5
		गाजूलारामारम, जिला रंगारेड्डी	67
		ग्राम टाडा, जिला नेल्लौर	5
		विजयवाड़ा, जिला कृष्णा	12
2.	असम	देमोव, जिला सिबसागर	1
		दालगांव, जिला दारांग	4
3.	हरियाणा	ग्राम मानकपुर, जिला यमुना नगर	119
		ग्राम खैरपुर, जिला सिरसा	3

1	2	3	4
4.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम ग्वालथाई, जिला बिलासपुर	5
5.	जम्मू – कश्मीर	ग्राम बाटन बलैन, जिला उधमपुर	23
6.	कर्नाटक	ग्राम कनबरगी, जिला बेलगाम	489
		मालूर, जिला कोलार	66
		अलीबाद, बीजापुर	3
7.	केरल	कझाकुट्टम, जिला त्रिवेंद्रम	23
		इरानकोली और काथीपुर, जिला कन्नूर	27
		मझुवन्नूर, जिला एरनाकुलम	75
		सीथानगोल, जिला कसरगोड	36
		काक्कानाचेरी, जिला मल्लापुरम	17
		कलपेटा, वायनाड	6
		कोराट्टी, त्रिशूर	20
8.	महाराष्ट्र	घटोदी पुसद, जिला येवतमाल	2
		ग्राम सांगवी, जिला सतारा	5
9.	मध्य प्रदेश	जग्गाखेडी, जिला मंदसौर	2
		नौगांव, जिला सागर	2
		प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़	1
		सांदिया, जिला नीमच	20
10.	मिजोरम	पुकपुई, जिला लुंगलई	43
11.	उड़ीसा	मुकंदप्रसाद, जिला खुर्दा	10
		पित्तामहल, जिला रायगडा	3
12.	राजस्थान	संगारिया, जिला जोधपुर	327
		गोगेलाओ, जिला नागौर	20
		निवाई, जिला टोंक	18
		कालडवास, जिला उदयपुर	102
		हिन्दौन शहर, जिला करौली	27
		बयाना, जिला भरतपुर	6
		कुरूक्षेत्र, जिला अलवर	6
13.	तमिलनाडु	उरंगमपैथी, जिला मदुरई	69
		थिरूमुडी–वक्कम, जिला कांचीपुरम	71
		विचूर, जिला थिरूवेल्लोर	25
		कट्टूर अवादी, ब्लॉक चेन्नै	12
		वनवनथनकोट्टई, जिला तिरूचिरापल्ली	2

1	2	3	4
14.	उत्तरांचल	सेलाकी, जिला देहरादून	37
		पंतनगर, जिला उधमसिंहनगर	84
		हरिद्वार, जिला हरिद्वार	84
15.	उत्तर प्रदेश	बाराबंगी, जिला बाराबंकी	43
		बंनथर, जिला उन्नाव	3
		कोसीकोटवान, जिला मथुरा	7
		भदोही, जिला भदोही	9

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

1766. श्री देविदास पिंगले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधाओं में डिग्री सहित तकनीकी अथवा प्रबंधन शिक्षा में कोई कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) की पूर्वानुमति अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार समविश्वविद्यालय ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही तकनीकी अथवा प्रबंधन शिक्षा का कोई कार्यक्रम आरंभ करने के लिए स्वतंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या है; और

(घ) समविश्वविद्यालयों द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानदंडों को बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा को तकनीकी शिक्षा के समन्वित और समेकित विकास और स्तर बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। डिग्री स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए तकनीकी संस्था की स्थापना करने वालों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

(ख) से (घ) दिनांक 5.4.2006 की अधिसूचना नं. 2–1/2006–यू. 3(ए) के अनुसार, सम विश्वविद्यालयों के मामले में 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में अधिसूचित संस्था के लिए एक विशेष अर्हता प्रदान करने हेतु तकनीकी या प्रबन्धन शिक्षा में किसी भी कार्यक्रम जिनमे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत शामिल विषयों में डिग्रियां शामिल हैं, को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तथापि समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं को उक्त परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिम्न पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करना अपेक्षित है। आशा की जाती है कि 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में अधिसूचित संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा के न्यूनतम स्तरों की तुलना में उच्च स्तर को बनाये रखती है।

उच्चतर शिक्षा

1767. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतर शिक्षा समृद्धोन्मुखी एवं शहरी कार्यकलाप है और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी उनकी जनसंख्या की तुलना में असामान्य रूप से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी और ग्रामीण परिदृश्य में असंतुलन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 20 जनवरी, 2006 से लागू किए गए संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 में अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थाओं को छोड़कर सभी शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के मामलों में कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रत्येक राज्य इस उदेश्यार्थ उपयुक्त कानून बना सकते हैं। उपर्युक्त के

अनुसरण में केन्द्रीय विधान के मसौदे पर विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। आयोग से सामान्य विकास अनुदान के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को पात्रता शर्तों में छूट भी दी गई है।

जनजातियों की साक्षरता दर

1768. श्री वरकला राधाकृष्णन :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार और लिंग–वार कुल जनजातीय जनसंख्या क्या है;

(ख) जनजातियों की लिंग–वार साक्षरता दर क्या है;

(ग) देश में कार्य कर रहे समन्वित जनजातीय विकास अभिकरणों (आईटीडीए) की राज्य–वार संख्या क्या है;

(घ) क्या ये आईटीडीए जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अपने उत्तरदायित्वों/कार्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) देश में जनजातीय जनसंख्या के राज्यवार एवं लिंगवार आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की साक्षरता निम्नानुसार है:

कुल	पुरुष	महिला
47.1%	59.2%	34.8%

(ग) से (ङ) दो राज्यों में कार्य कर रही एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) की कुल संख्या 29 है, 8 आंध्र प्रदेश में तथा 21 उड़ीसा में। अन्य राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी) हैं, जो पंजीकृत निकाय नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य प्रमुख रूप से प्रशासनिक, नियामक एवं विकासात्मक स्वरूप के कार्यों का निर्वहन एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों द्वारा संतोषजनक रूप से किया जाता है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार एवं लिंगवार जनजातीय जनसंख्या

भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4
भारत*	84,326,240	42,640,829	41,685,411
आंध्र प्रदेश	5,024,104	2,548,295	2,475,809
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29,469	15,127	14,342
अरुणाचल प्रदेश	705,158	352,017	353,141
असम	3,308,570	1,678,117	1,630,453
बिहार	758,351	393,114	365,237
छत्तीसगढ़	6,616,596	3,287,334	3,329,262
दादरा और नगर हवेली	137,225	67,663	69,562
दमन और दीव	13,997	7,190	6,807
गुजरात	7,481,160	3,790,117	3,691,043
गोवा	566	299	267
हिमाचल प्रदेश	244,587	122,549	122,038
जम्मू और कश्मीर	1,105,979	578,949	527,030
झारखंड	7,087,068	3,565,960	3,521,108
कर्नाटक	3,463,986	1,756,238	1,707,748
केरल	364,189	180,169	184,020
लक्षद्वीप	57,321	28,611	28,710
मध्य प्रदेश	12,233,474	6,195,240	6,038,234
महाराष्ट्र	8,577,276	4,347,754	4,229,522
मणिपुर	741,141	374,319	366,822

1	2	3	4
मेघालय	1,992,862	996,567	996,295
मिजोरम	839,310	422,963	416,347
नागालैंड	1,774,026	913,203	860,823
उड़ीसा	8,145,081	4,066,783	4,078,298
राजस्थान	7,097,706	3,650,982	3,446,724
सिक्किम	111,405	56,940	54,465
तमिलनाडु	651,321	328,917	322,404
त्रिपुरा	993,426	504,320	489,106
उत्तरांचल	256,129	131,334	124,795
उत्तर प्रदेश	107,963	55,834	52,129
पश्चिम बंगाल	4,406,794	2,223,924	2,182.870

* मणिपुर की 2001 की जनसंख्या में सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारम एवं पुरुल उप-प्रभागों की जनसंख्या शामिल नहीं है।

टिप्पणी : पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एवं पांडिचेरी में कोई भी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

लोहित और खाबोलू नदी के ऊपर पुल संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

1769. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या उत्तर-पूर्व विकास मंत्री 15 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स कंसल्टेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज, नई दिल्ली के समझौते के अनुरूप यथा आश्वासित रूप से पुल की व्यवहार्यता एवं अनुमानित लागत के संबंध में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की तिथि, सर्वेक्षण के विस्तृत निष्कर्ष तथा लागत अनुमान क्या है और प्रबंधित आश्वासित निधिपोषण के स्रोत सहित इसकी मंजूरी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह पुल एन.ई.सी. की ग्यारहवीं योजना में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद ने जानकारी दी है कि लोहित और खोबोलू नदियों पर पुल के लिए असम सरकार ने मैसर्स घार्जी ईस्टर्न लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में काम पर लगाया है। असम राज्य पी डब्ल्यू डी ने पूर्वोत्तर सचिवालय को 5 जुलाई, 2005 को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अनुमानित लागत 216.72 करोड़ रु. है। असम पी डब्ल्यू डी से डी पी आर की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) एन ई सी की 11वीं योजना के प्रस्तावों और प्राथमिकताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। एन ई सी वर्तमान में 11वीं योजना को बनाने के लिए सदस्य राज्यों से चर्चा कर रही है। इसलिए इस स्थिति में कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं दी जा सकती है।

खाद्य मदों का आयात

1770. श्री सुब्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष में आयातित खाद्य मदों की मात्र क्या है और इन पर देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) इन खाद्य मदों के आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मदों के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) खाद्य मदों के आयात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खण्ड-II (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार व्यवस्था द्वारा ऐसे आयातों को पहुंच सुनिश्चित की गई है जो निर्यात, उपभोग, वृद्धि और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। तथापि सभी आयात सीमाशुल्कों की लागू दर तथा घरेलू रूप से उत्पादित खाद्य वस्तुओं के लिए यथा लागू घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा मानकों के अध्यधीन है। जहां भी आवश्यक था आयातों को विनियमित करने के लिए अनेक खाद्य मदों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।

जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

1771. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विरुद्ध

कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में सांप्रदायिकता फैलाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को मिलने वाला अनुदान रोक दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं अथवा तंत्र अपनाया गया है कि जनजातियों के विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का व्यय विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदानों की राशि का उपयोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के बारे में मंत्रालय को किसी गैर–सरकारी संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्ष 2005–06 से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक विकेन्द्रीकृत कार्यविधि अपनाई है। बहु–आयामी राज्य–स्तरीय समिति के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की पहचान, संवीक्षा, जांच में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सक्रिय रूप से सेवाहीन क्षेत्रों में सहयोगी बनाकर विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक पारदर्शिता लाने और निधियों का विवेकसम्मत उपयोग करने के लिए मंत्रालय केवल राज्य स्तरीय समितियों द्वारा संस्तुतित गैर–सरकारी संगठनों की परियोजनाओं को तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि पहले निर्मुक्त की गई थी, उस प्रयोजन के लिए धनराशि का उपयोग करने के बारे में सूचना प्राप्त होने जा रही निधियां उपलब्ध कराता है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा निजी एजेंसियों को फर्जी भुगतान

1772. श्री गणेश प्रसाद सिंह :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के गंदी बस्ती एवं झुग्गी विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी एजेंसियों की फर्जी भुगतान के मामले की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के ब्यौरे एवं परिणाम क्या हैं;

(ग) इसमें संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली नगर निगम के स्लम और झुग्गी–झोपड़ी विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी को फर्जी भुगतान के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अग्रेषित शिकायत की दिल्ली नगर निगम ने जांच की है। जांच से, दिल्ली नगर निगम में सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा कार्मिकों के भुगतान से संबंधित वाउचरों पर कार्रवाई करने में कुछ अनियमितताओं का पता चला है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने तीन अधिकारियों के विरुद्ध भारी दंड और चार अधिकारियों के विरुद्ध हलका दंड देने हेतु नियमित विभागीय कार्यवाही शुरू की है।

[हिन्दी]

स्टोन क्रैशरों पर प्रतिबंध

1773. श्री रामदास आठवले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1992 में तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 दिसम्बर, 2003 को दिल्ली में महरौली रिज पर खनन एवं स्टोन क्रैशर के संचालन को रोकने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 4677 में दिनांक 15.05.1992 के अपने निर्णय में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पत्थर तोड़ने (स्टोन क्रैशरों) के प्रचालन पर दिनांक 15.8.1992 से प्रतिबंध लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 6.5.2002 के अपने निर्णय के तहत इस प्रतिबंध को अरावली पहाड़ियों के विस्तार में दिल्ली–हरियाणा सीमा से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में और बढ़ा दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.11.2003 के अपने आदेश के तहत महरौली रिज में खनन को प्रतिबंधित कर दिया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने गश्त (पेट्रोलिंग), लगातार मॉनिटरिंग और खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना आरंभ कर दिया है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

1774. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच सीमा व्यापार की देश-वार मात्रा क्या है; और

(ख) इन देशों के साथ सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) म्यांमार और चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए सीमा व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को सामान्य व्यापार व्यवस्था के रूप में विनियमित किया जाता है।

म्यांमार और चीन के साथ सीमा व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

देश	2003-04 (करोड़ रुपये)	2004-05 (करोड़ रुपये)	2005-06 (करोड़ रुपये)
म्यांमार	18.32	11.61	9.07
चीन	6.07	18.47	4.75

(ख) सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई कुछ पहलों में अतिरिक्त सीमा व्यापार स्थलों को खोलना, सीमा व्यापार माल का विविधीकरण करना, व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों आदि को सहायता देना शामिल है।

[हिन्दी]

लोकतांत्रिक सेनानी को वित्तीय सहायता

1775. श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को लोकतांत्रिक सेनानी घोषित किया है और उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है।

निजी संस्थानों में प्रवेश संबंधी राष्ट्रीय नीति

1776. श्री चन्द मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी संस्थानों में प्रवेश एवं उनके शुल्क ढांचे के नियमन के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में इस संबंध में नीति तैयार करने के लिए सरकार को निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में राष्ट्रीय नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 20 जनवरी, 2006 से लागू संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 में कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के संबंध में उपयुक्त कानून बनाने का प्रावधान है। उक्त संशोधन के अनुसरण में एक प्रारूप केन्द्रीय विधान विचाराधीन है। राज्य विधानमंडल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संस्थाओं के लिए कानून बना सकते हैं।

पेटेंट मामलों के निपटान के लिए नए कार्यालय

1777. श्री रशीद मसूद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेटेंट मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेटेंट मामलों के शीघ्र निपटान के लिए नए कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है/स्थान क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) दिनांक 5 मई, 2006 से प्रभावी पेटेंट (संशोधन) नियमावली, 2006 द्वारा यथा संशोधित पेटेंट नियमावली, 2003 पेटेंट कार्यालयों के विभिन्न कार्यकलापों हेतु विशिष्ट समय–सीमाओं को निर्धारित करती है ताकि पेटेंट आवेदनों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ ये सम्मिलित हैं : कोई पेटेंट आवेदन, जांचकर्ता को उसकी जांच के लिए अनुरोध करने के एक माह के भीतर भेजना जाना हो; जांचकर्ता को इसके बाद एक से तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट बनानी होती है; नियंत्रक को जांचकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के एक माह के अन्दर इसकी रिपोर्ट पर निर्णय लेना होता है; तथा पेटेंट आवेदन की जांच हेतु अनुरोध की तिथि के 6 माह के भीतर प्रथम जांच रिपोर्ट जारी की जानी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु और मध्यम उद्योग

1778. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को मध्यम दर्जे के उद्योगों के समकक्ष बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्र पर इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में अन्य बातों के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विशिष्ट परिभाषा के लिए प्रावधान है। उद्यमों को व्यापक रूप से (i) किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं का विनिर्माण/उत्पादन एवं (ii) सेवाएं देना/प्रदान करना में वर्गीकृत किया गया है। विनिर्माण उद्यम, जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रु. से अधिक और पांच करोड़ रु. तक है, लघु उद्यमों (लघु उद्योगों के समान) के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। विनिर्माण उद्यम, जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश पांच करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. तक है, को मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धारा 11 और धारा 15 से 24 में शामिल सहयोग उपाय मात्र सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों के लाभार्थ हैं तथा मध्यम उद्यमों पर लागू नहीं है। सरकार ने इस प्रकार वैधिक व्यवहार्यों के अनुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैधानिक संरचना का प्रावधान किया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त मध्यम उद्यमों की परिभाषा का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

ग्रेनाइट का खनन

1779. श्री ब्रजेश पाठक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रेनाइट के खनन और देश में खनन सम्बन्धी क्रियाकलापों में सुधार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के किन–किन राज्यों में स्थान–वार ग्रेनाइट के भण्डार उपलब्ध हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित ग्रेनाइट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही के वर्षों में ग्रेनाइट का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की धारा 3 (ई) के अंतर्गत परिभाषित ग्रेनाइट एक गौण खनिज है और एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के लिए नियम बनाने तथा खनिज रियायतें प्रदान करने की सभी शक्तियां संबंधित राज्य सरकार को दी गई हैं। केन्द्र सरकार ने 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली अधिसूचित की है ताकि पूरे देश में ग्रेनाइट संसाधनों का संरक्षण हो और ग्रेनाइट का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक गवेषण करने के संबंध में एक समान फ्रेमवर्क निर्धारित किया जा सके।

केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनका निवारण करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों सहित ग्रेनाइट विकास परिषद का गठन किया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.4.2000 को ग्रेनाइट संसाधन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासीफिकेशन (यू एन एफ सी) के अनुसार निम्नवत् है :–

राज्य	('000 घन मीटर में)
आंध्र प्रदेश	2405890
असम	583950
बिहार	877612
छत्तीसगढ़	50057
गुजरात	419547
हरियाणा	34000
झारखंड	8847364
कर्नाटक	9571593
केरल	2808
मध्य प्रदेश	1994084
महाराष्ट्र	1158847
मेघालय	286467
उड़ीसा	1843204
राजस्थान	8461408
तमिलनाडु	559435
उत्तर प्रदेश	494819
पश्चिम बंगाल	33426
कुल अखिल भारत	37624611

(घ) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान ग्रेनाइट का मात्रावार निर्यात निम्नवत् है:–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05
मात्रा (टन में)	2183570	2098169	2468182

विगत कुछ वर्षों में ग्रेनाइट के निर्यात में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एसोसिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी

1780. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभ्य समाज को इससे जोड़ने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नागरिक सुरक्षा अभियान शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित तंत्र क्या है; और

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शेयर किये जाने वाले व्यय का अनुपात कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सामान्य रूप से जनता को संदिग्ध तत्वों और वस्तुओं के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के प्रति समय–समय पर सुग्राही बनाया जाता है।

(ग) और (घ) नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। नागरिक सुरक्षा को आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम और इससे निपटने की तैयारी के साथ ही साथ आपदा आने के पश्चात् कार्रवाई करने और राहत के लिए उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है और राज्यों को भी राज्य स्तर पर ऐसे प्राधिकरणों का गठन करने की सलाह दी गई है।

(ङ) मौजूदा मानदंड के अनुसार, असम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अंशदान और असम सहित सभी अन्य राज्यों में 25 प्रतिशत अंशदान किया जाता है।

के.वी.आई.सी. को वित्तीय सहायता

1781. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) गत तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त आयोग को सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) के.वी.आई.सी. के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है। तथापि, अपने संवर्धनात्मक क्रियाकलाप के दौरान, केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए

कुछ व्यापारिक क्रियाकलाप करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी को व्यापारिक प्रचालनों में हुई हानि निम्नोक्त है:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2002–03	1.13
2003–04	1.31
2004–05	1.40

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी को सरकार द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए प्रदान किए गए फण्डों सहित वर्ष–वार बजटीय सहायता निम्नोक्त है:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2003–04	423.60
2004–05	460.99
2005–06	558.56

(घ) केवीआईसी के पुनरुद्धार के लिए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भाग के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया गया है तथा आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है।

कारीगरों के लिए बीमा योजना

1782. श्री रघुनाथ झा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारीगरों के लिए बीमा योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) क्या 66000 कारीगरों के लक्ष्य की तुलना में महिलाओं सहित केवल 3569 कारीगर इस दायरे में आ पाए हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2003–04 में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम के आरम्भ होने से लेकर, 2,00,000 कारीगरों को शामिल करने के दसवीं योजना के लक्ष्य की तुलना में जून, 2006 तक, इस स्कीम के तहत महिला कारीगरों सहित कुल 2,19,194 कारीगरों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनटीसी मिलों के पुनरुद्धार हेतु सलाहकारों का नामांकन

1783. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीसी ने अपनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए सलाहकारों के रूप में तीन फर्मों को सूचीबद्ध किया है जैसा कि दिनांक 18 जुलाई, 2006 के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अंतिम रूप में दिए गए सलाहकारों के नाम क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) से (ग) एनटीसी ने संयुक्त उद्यम के माध्यम से कुछ मिलों के आधुनिकीकरण के लिए नीति और अपेक्षित औपचारिकताएं तैयार करने में एनटीसी की सहायता करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया में तीन फर्मों को चुना है। चुनी गई तीन फर्मों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु धनराशि का आबंटन

1784. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में कम्प्यूटर की आपूर्ति और स्नातक पूर्व स्तर पर अनुसंधान के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं के अवसंरचना के विकास के हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकपूर्व स्तर पर अनुसंधान हेतु विज्ञान प्रयोगशालाओं के अवसंरचना विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) शैक्षिक उत्कृष्टता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसकी ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके

अंतर्गत कालेजों की विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास हेतु कम्प्यूटर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है, तथापि आयोग ने कालेज में Xवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत कम्प्यूटर सिस्टम की खरीद हेतु अभी तक 3357 कालेजों को सहायता दी है। आयोग ने Xवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित/स्तरोन्नयन करने की स्कीम के अंतर्गत 66 विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) आयोग ने कम्प्यूटर सिस्टम की खरीद, नेटवर्किंग तथा इंटरनेट कनेक्शन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में 4 विश्वविद्यालयों को 80.0 लाख रु. तथा 249 कॉलेजों को 207.35 लाख रु. की राशि प्रदान की है।

(घ) आयोग, सामान्य विकास अनुदान और अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।

खानों का परित्याग

1785. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनेक खानों को परित्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार ऐसी कितनी खानें हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को एड्स

1786. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीआरपीएफ के अनेक कार्मिकों को एड्स होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य अर्ध–सैनिक बलों से भी ऐसे मामलों की रिपोर्टें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) में एच आई वी/एड्स के 304 मामले और अन्य अर्द्ध–सैनिक बलों में 682 मामलों का पता लगाया गया है;

(ङ) (1) केन्द्रीय पुलिस बल (सी पी एफ) कार्मिकों के बीच एच आई वी/एड्स की रोकथाम के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना।

(2) केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) में एच आई वी/एड्स की रोकथाम के लिए कार्यदल का गठन करना।

(3) सभी यूनिट अस्पतालों को परीक्षण किटों की आपूर्ति भी करना।

(4) एच आई वी/एड्स और इसके रोकथाम के उपायों के संबंध में जवानों और उनके परिवारों को शिक्षित करना।

(5) यूनिट मनोरंजन कक्षों और परिवार कल्याण केन्द्रों में एच आई वी/एड्स पर फिल्मों और वृतचित्रों का नियमित रूप से प्रदर्शन करना।

(6) प्रशिक्षण स्कूलों में जानकारी पुस्तिका (पैम्फलेट) का प्रसार करना है।

समसामयिक अध्ययन हेतु राजीव गांधी चेयर

1787. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समसामयिक अध्ययन हेतु राजीव गांधी चेयर की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सभी चेयरों की स्थापना में कोई विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी चेयरों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में 10 राजीव गांधी चेयर स्थापित कर चुका है :–

1. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
2. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
4. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
5. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
6. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7. शेर–ए–कश्मीर कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
8. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची
9. मद्रास विश्वविद्यालय, चैन्नई
10. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

योजना का उद्देश्य जीवन स्तर तथा जीवन प्रबंधन सिस्टम को बेहतर बनाने और समकालीन अनुरूपता के अग्रणी क्षेत्रों में शैक्षिक विचार–विमर्श और कार्योन्मुख अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों को सृजित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चेयरों की स्थापना के लिए इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

1788. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए इससे वंचित जिलों हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कितनी केंद्रीय सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या राज्यों विशेषकर गुजरात में नए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए चालू वर्ष के दौरान अब तक कोई धनराशि जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जी, हां। जिन जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) नहीं हैं उनमें इनकी स्थापना के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में स्थिति नीचे दर्शाई गई है :–

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित डाइट्स की संख्या	मांगी गई वित्तीय सहायता राशि (रु. करोड़ में)
1.	बिहार	13	16.90
2.	झारखंड	12	15.15
3.	सिक्किम	1	1.80
4.	हरियाणा	2	3.50
5.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1	1.63

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को कोई राशि जारी नहीं की गई है क्योंकि ये प्रस्ताव अभी अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं। जहां तक गुजरात का संबंध है, सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं।

विनिर्माण निवेश नीति के लिए विनिवेश आयोग

1789. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री के.एस. राव :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण पहल तथा नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या विनिवेश आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इनका निवेश, रोजगार सृजन तथा विनिर्माण हब पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विनिर्माण निवेश क्षेत्रों विशेषकर पेट्रो निवेश क्षेत्रों में निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विनिर्माणकारी पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती है। विनिर्माणकारी पहल का उद्देश्य रोजगार तथा आर्थिक विकास हेतु विनिर्माणकारी क्षेत्र को प्रमुख संचालक बनाने से है। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी एक उदार नीति की शुरूआत की है जिसके तहत अधिकांश विनिर्माणकारी कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है।

(ग) और (घ) निवेश आयोग ने व्यापार तथा निवेश वातावरण में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश की है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में एफ.डी.आई. संबंधी मौजूदा प्रतिबंधों को हटाना/दूर करना शामिल है।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निवेश में रोजगार सृजित करने, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन पद्धतियां लाने तथा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के अंश को बढ़ाने की संभावना है।

(च) और (छ) विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एम आई आर) तथा पैट्रोलियम केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना करना उन पहलों में से हैं जिन पर गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, तीव्र स्वीकृतियां तथा दक्ष और पारदर्शी विनियामक प्रणाली प्रदान करने के लिए विचार किया जा रहा है ताकि विनिर्माणकारी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र तथा स्थापना के बारे में नीति की रूप रेखा तथा कानूनी ढांचा राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों के विचाराधीन है।

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

1790. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों तथा अन्य उत्पादों के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2006 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 2005–2006 तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात की गई आयुर्वेदिक औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005–2006 के दौरान जनवरी, 2006 तक कुल 18,825 लाख रुपए मूल्य की आयुर्वेदिक दवाओं/औषधियों का निर्यात किया गया था।

(घ) वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है। नीति में विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग स्कीम के तहत लघु वनोत्पादों में शामिल औषधीय पौधों तथा उनकी मूल्यवर्धित किस्मों के निर्यातों को अभिमान भी प्रदान किया जाता है।

भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध

1791. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए फलों का देश–वार ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या कुछ देशों ने भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी फल–वार तथा देश–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान फलों के आयात से प्रतिबंध हटाने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान क्रमशः 388 करोड़ रुपए, 362 करोड़ रुपए और 651 करोड़ रुपए (अनंतिम आंकड़े) मूल्य के फलों का निर्यात किया गया था। वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान प्रमुख आयातक देशों को निर्यातित फलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मूल्य करोड़ रुपये में)

देश	2003–04	2004–05
बंग्लादेश	107.53	101.17
बहरीन	5.26	4.49
यूनाइटेड किंगडम	47.95	43.61
कुवैत	3.02	2.94
नीदरलैंड	27.81	45.70
नेपाल	18.30	28.13
सऊदी अरब	18.61	16.58
संयुक्त अरब अमीरात	100.22	81.78
जर्मनी	11.84	6.55

(स्रोत : एपीडा)
वर्ष 2005–06 और चालू वर्ष में फलों के निर्यात के देश–वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भारतीय फलों में फल की मक्खियों आम गुठली, कीटों, गुद्दे के घुन और अन्य कीटों एवं अन्य संगरोध अपेक्षाओं के कारण भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

(घ) जापान ने दिनांक 23 जून, 2006 को भारतीय आमों के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया था।

(ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि उत्पादों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस दिशा में उठाये जा रहे अन्य कदमों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो की हैंडलिंग के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना, मेलों में भागीदारी करना, संवर्धन अभियानों और क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

खनन पट्टा

1792. श्री सुबोध मोहिते : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन (संरक्षण) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खनन पट्टा देने में अपनी सीमाओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई नीति कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) खनन पट्टों सहित खनन रियायत खान और खजिन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एम एम डी आर एक्ट) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। एम एम डी आर अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफ सी ए), पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (ई पी ए) तथा अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता होती है। ई पी ए 1986 के अंतर्गत जारी की गई पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई आई ए) अधिसूचना के अनुसार 5 हैक्टेयर से अधिक के पट्टा क्षेत्र वाले प्रमुख खनिजों की खनन परियोजनाओं पर ई आई ए अधिसिचून के प्रावधान लागू होते हैं और उसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि में खनन, खनन पट्टों के नवीकरण सहित गैर–वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि को बदलने हेतु पूर्व अनुमोदन लेना होता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 तथा एम एम डी आर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि वन संबंधी स्वीकृति एक स्तर पर दी जाए और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए केवल स्थानीय जनता पात्र हो, जबकि बाहरी व्यक्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वनस्पति का शुल्क मुक्त आयात

1793. श्री एम. शिवन्ना :
श्री विक्रम केशरी देव :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्रीमती गीता पटैरिया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत श्रीलंका तथा मलेशिया से वनस्पति/खाद्य तेल का शुल्क मुक्त तथा बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वनस्पति निदेशालय ने श्रीलंका से वनस्पति के आयात पर प्रशुल्क दर कोटा लगाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो वनस्पति निदेशालय ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) वनस्पति निदेशालय की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में वनस्पति की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा पाटन को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) श्रीलंका से वनस्पति/खाद्य तेल का आयात भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई एस एफ टी ए), जिस पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे और जो मार्च, 2000 में लागू हुआ था, के तहत शून्य शुल्क पर किया जा सकता है। तथापि मलेशिया से वनस्पति का आयात एम एफ एन शुल्क पर किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जिसके अधीन वनस्पति निदेशालय है, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा वाणिज्य विभाग ने श्रीलंका से वनस्पति के आयातों पर टैरिफ दर कोटा (टी आर क्यू) प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि बेकरी शॉर्टनिंग तथा मार्जरीन सहित वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात को सरणीकृत किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा वनस्पति के पाटन को रोकने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वनस्पति के सभी आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी एफ ए) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे।

अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की मृत्यु

1794. श्री के.एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत–तिब्बत सीमा पुलिस तथा अन्य विनिर्दिष्ट अर्ध–सैनिक संगठनों के वर्ष–वार तथा रैंक–वार कितने अधिकारियों तथा जवानों की अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से मृत्यु हुई अथवा बहुत अधिक बीमार हुए हैं;

(ख) सीमाओं पर अधिक ऊंचाई पर 45 वर्ष की उम्र के कितने अधिकारी तथा जवान सक्रिय सेवा में हैं;

(ग) प्रभावित अधिकारियों को समायोजित करने के लिए बेस कैंप तथा अन्य पोस्टिंग स्टेशनों पर कितने पद या रिक्तियां उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक ऊंचाई पर कार्य करने वाले अर्ध–सैनिक संगठनों में युवाओं को रखने तथा 45 वर्ष से अधिकतम की उम्र के अधिकारियों को बढ़ती हुई उम्र में अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए तथा बहुत तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने के लिए अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रशासन तथा प्रबन्धन सेवाओं में समायोजित करने के लिए एक तंत्र बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) केन्द्रीय पुलिस बलों (पी पी एफ) में अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों के कारण मरने वाले कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:–

रैंक	2003	2004	2005
कमांडेंट	1	0	0
निरीक्षक	3	0	0
उप–निरीक्षक	5	1	2
हैड–कांस्टेबल	5	7	10
कांस्टेबल	18	5	17
कुल	32	13	29

अधिक ऊंचाई के कारण बीमार हुए:

वर्ष	कुल
2003	1644
2004	1911
2005	1660

रैंक वार ब्यौरा केन्द्रीय पुलिस बलों से एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) 1929

(ग) से (ङ) प्रभावित कार्मिकों की, उनकी स्थिति पर निर्भर करते हुए, मैदानी अथवा कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में 'आसान' तैनाती की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केवल युवा व्यक्तियों को तैनात करने तथा अधिक आयु वाले कार्मिकों को अपेक्षाकृत हल्के कामों में लगाने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। जब भी आवश्यक होता है सरकार द्वारा आई टी बी पी के विस्तार पर भी विचार किया जाता है। हाल में, आई टी बी पी द्वारा 38 अतिरिक्त कम्पनियों का गठन किया गया है।

निर्यात वृद्धि सम्बन्धी फिक्की का सर्वेक्षण

1795. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री मो. ताहिर :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने देश का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिक्की ने चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान निर्यात संबंधी कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फिक्की ने आई आई टी तथा आई आई एम की तर्ज पर इस क्षेत्र की वृद्धि के संबंध में सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ङ) क्या फिक्की ने औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर के संबंध में सरकार को कुछ सुझाव/सिफारिशें दी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आन्तरिक सुरक्षा

1796. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धों तथा विभिन्न पुलिस संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए कोई समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ऐसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की अवधि में विस्तार

1797. श्री वी. विनोद कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत टीयूएफएस, सहायक एजेन्सियों/बैंकों को नए कदम की प्रक्रिया नहीं करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुत सी वस्त्र इकाइयों विशेषकर लघु वस्त्र इकाइयों ने टीयूएफएस की अवधि को 31 मार्च, 2007 से आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की समाप्ति अवधि से पूर्व ही इसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (घ) चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधानों की कमी को देखते हुए सरकार ने टीयूएफएस के तहत सहयोजित पीएलआई/प्रमुख एजेंसियों/प्रमुख बैंकों को 6 जुलाई, 2006 से टीयूएफएस के अंतर्गत नई स्वीकृतियां रोके जाने के संबंध में निदेश दिए हैं। तथापि, वित्त मंत्रालय से अधिक निधियां प्रदान किए जाने के आश्वासन के मद्देनजर इस निदेश को 21.07.2006 को वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

लोगों का पलायन

1798. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की अपर्याप्तता के कारण देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों में पलायन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीणों का शहरों में पलायन रोकने के लिए गांवों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) देश में व्यक्तियों का गांवों से शहरों में तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन विभिन्न कारणों से होता है।

सरकार (कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) रोजगार सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमों अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.) का क्रियान्वयन कर रही है ताकि देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। इन दोनों कार्यक्रमों का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राज्य के स्थानीय (ग्रामीण या शहरी) क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन को सुगम बनाना है। आर.ई.जी.पी. का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की आबादी वाले छोटे कस्बों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में पात्र आवेदकों को सहायता दी जा सके तथा पी. एम.आर.वाई. का क्रियान्वयन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है ताकि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

दसवीं योजना के पिछले चार सालों के दौरान क्रमशः आर.ई.जी. पी. के तहत अनुमानः 19.30 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है तथा पी.एम.आर.वाई के तहत 13.16 लाख अवसर प्रदान किए गए हैं। पी.एम.आर.वाई. के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की मृत्यु

1799. श्री सुब्रत बोस :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के रैंक-वार तथा जिले-वार कुल कितने कार्मिक मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने के लिए मृत कर्मचारियों के आश्रितों से रैंक-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुकम्पा आधार पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई;

(घ) रैंक-वार कुल कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर दिल्ली पुलिस में कब तक नियुक्ति दे दिये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) दिल्ली पुलिस के उन कार्मिकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है:-

मृतक का रैंक	2003	2004	2005	2006 (27 जुलाई तक)
सहायक पुलिस आयुक्त	-	-	1	-
उप निरीक्षक	1	3	1	3
सहायक उप निरीक्षक	2	2	1	1
हैड कांस्टेबल	7	5	4	1
कांस्टेबल	10	8	8	1
कुल	20	18	15	6

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान एक सहायक पुलिस आयुक्त, छह उप-निरीक्षकों, दो सहायक उप-निरीक्षकों, सात हैड कांस्टेबलों और चौदह कांस्टेबलों सहित मृतक अधिकारियों के आश्रितों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 19 उम्मीदवारों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन किया गया है।

(घ) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों, उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और अन्य संगत कारकों जैसे परिवारों का आकार, मृत्यु के समय मृतक अधिकारियों की आयु, बच्चों की आयु, आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मौजूदगी तथा परिवारों की परिसम्पत्तियां और देनदारियों को ध्यान में रखते हुए छानबीन समिति द्वारा मृतक अधिकारियों अर्थात एक उप-निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक, दो हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबलों के आश्रितों के सात आवेदन रद्द कर दिए गए हैं।

(ङ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों के सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिक से अधिक 5 प्रतिशत तक की जा सकती है। इस संबंध में कोई भी समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि नियुक्तियां आवेदनकर्ताओं की उपयुक्तता और रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर की जाती हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में उपग्रह केंद्र की स्थापना

1800. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चल रहे सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में उपग्रह केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों द्वारा धनराशि का उपयोग न करना

1801. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में स्थापित नवोदय विद्यालयों ने गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें आबंटित की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नवोदय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 तथा 2005-06) के दौरान नवोदय विद्यालय समिति को संस्वीकृत तथा उसके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	योजनागत		योजनेत्तर	
	संस्वीकृत	उपयोग किया गया (आंतरिक संसाधनों सहित)	संस्वीकृत	उपयोग किया गया (आंतरिक संसाधनों सहित)
2003-04	439.56	424.44	130.00	130.24
2004-05	449.00	442.02	139.66	145.20
2005-06	571.00	572.77	150.85	157.43

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 की समाप्ति के समय पर कुछ शेष बचाकर रखा गया था ताकि अगले वित्त वर्ष के आरम्भ में दो महीनों हेतु अनिवार्य खर्च को पूरा किया जा सके।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आधारभूत विज्ञान

1802. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने भारत में विज्ञान की चिंताजनक स्थिति के संबंध में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है, जैसाकि दिनांक 21 जुलाई, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आधारभूत विज्ञान के संबंध विश्व विज्ञान में योगदान के प्रतिशत और उच्च गुणवत्ता अनुसंधान शोध पत्र के प्रतिशत, दोनों ही संबंध में निष्पादन में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में भारत के विश्व विज्ञान में योगदान के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और इस स्थिति के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) आधारभूत विज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा 'भारत विज्ञान रिपोर्ट' के शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में निहित सूचना के अनुसार, उत्तर स्नातक स्तर पर विज्ञान विषयों में दाखिला का अनुपात वर्ष 1995-96 में दाखिल किए गए 28.8 प्रतिशत छात्रों से बढ़कर 2004 में 34.6 प्रतिशत हो गया है। तथापि, एम.एस.सी./बी.टेक. की अपेक्षा भारत में पी.एचडी. धारियों की संख्या यू.एस.ए., यू.के., जर्मनी तथा जापान देशों की तुलना में कम है।

विश्वविद्यालयों में बुनियादी विज्ञान संबंधी अनुसंधान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च, 2005 में एक कार्य बल गठित किया था। अपनी रिपोर्ट में कार्य बल ने, अन्य बातों के साथ-साथ,

विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पदों का सृजन, उचित मानकों के साथ दस वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय विश्वविद्यालयों से पी.एचडी. करने वालों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि करना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं सहित विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के औपचारिक संबंधों को प्रोत्साहन देना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनुसंधान को संघटक के रूप में शामिल करना, गुणवत्तापूर्ण विज्ञान संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का स्तरोन्नयन करना और परस्पर सहयोग से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के अग्रणी विभागों में बुनियादी विज्ञानों के नेटवर्किंग केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

1803. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किन–किन राज्यों के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की भारी मांग है; और

(ख) इन राज्यों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किन संभावनाओं का पता लगाया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) तमिलनाडु में करुर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर एवं हरियाणा में पानीपत हथकरघा उत्पादों के मुख्य निर्यात केन्द्र हैं।

यह अनुमान है कि देश के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्रों से हस्तशिल्प उत्पादों एवं गलीचों का कुल निर्यात 80% है। मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल एवं उत्तरी क्षेत्र के तहत राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली के हस्तशिल्प एवं गलीचों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है।

(ख) इक्सिम पॉलिसी (2004–09) में पानीपत को ऊनी कम्बल के लिए निर्यात विशिष्ट शहर घोषित किया गया है। उक्त इक्सिम पॉलिसी में विशिष्ट निर्यात शहर के लिए 1000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है और तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर और उत्तर प्रदेश में खेकड़ा को नए निर्यात विशिष्ट शहर के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन शहरों से हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय उपर्युक्त राज्यों सहित देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :– समूह विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिक उन्नयन योजना, बाजार सहायता योजना, विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना इत्यादि। उपर्युक्त के अलावा निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी, भारत एवं विदेशों में क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन, विषय विशेष उत्सवों का आयोजन, विदेशों में प्रचार एवं ग्रेटर नोएडा में भारतीय प्रदर्शन बाजार की स्थापना इत्यादि के लिए उपाय किए जाते हैं।

कपास की खरीद

1804. श्री रघुनाथ झा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय कपास निगम को देश के कुल कपास उत्पाद का लगभग 25% से 30% उत्पाद खरीदना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुल कपास उत्पादन में कपास की खरीद संबंधी सी सी आई की हिस्सेदारी का प्रतिशत गत छः वर्षों के दौरान सी ए सी पी. द्वारा संस्तुत खरीद करने के प्रतिशत से काफी कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सी.सी.आई. ने उक्त अवधि के दौरान विनियमित बाजार में कपास की खरीद के लिए एजेंटों/व्यापारियों को कई करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसके फलस्वरूप खरीद की लागत में वृद्धि हुई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने और प्रयोक्ता मिलों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति करने में सहायता देने हेतु स्वदेशी कपास की खरीद में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए सी. सी.आई. द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारतीय कपास निगम

लिमिटेड (सीसीआई) न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियानों तथा वाणिज्यिक अभियानों दोनों के तहत किसानों से कपास (बीज कपास) खरीदता है। जब भी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर होती हैं तो सीसीआई कपास किसानों द्वारा इसे पेश की गई कपास की पूरी मात्रा बिना किसी मात्रात्मक सीमा के खरीदता है। सीसीआई कपास किसानों की सहायता करने के लिए एफएक्यू कपास और एफएक्यू श्रेणी से तीन चरण नीचे की कपास खरीदता है। जब प्रचलित मूल्य एमएसपी से ऊपर हों तो सीसीआई किसानों की सहायता करने के लिए अपने जोखिम और लागत पर अपने वाणिज्यिक अभियानों के तहत खरीद करता है।

(ङ) और (च) सीसीआई, एपीएमसी के अधिकारियों की उपस्थिति में एपीएमसी के तत्वावधान में विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों में अधिसूचित बाजार यार्डों में कपास खरीदता रहा है। जहां भी संबंधित राज्य सरकार की एपीएमसी के नियमों में कपास की खरीद कमीशन एजेंटों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है, वहां सीसीआई द्वारा खरीद उसी के अनुसार की गई है और एजेंटों को कमीशन का भुगतान एपीएमसी द्वारा नियत दरों के अनुसार किया गया है। भुगतान किए जाने वाले कमीशन की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। ये कमीशन सभी क्रेताओं द्वारा भुगतान योग्य हैं जिनमें सीसीआई मिलें और गिनरीज आदि शामिल हैं। इन कमीशनों का भुगतान उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों और उसके बाद गुजरात और कर्नाटक राज्यों में किया जाता है। शेष राज्यों में, सीसीआई कपास उत्पादकों से सीधे खरीद करता रहा है अथवा कमीशन विक्रेताओं अर्थात् किसानों द्वारा किया जाना होता है। विभिन्न राज्य सरकारों के एपीएमसी अधिनियमों के तहत कार्य कर रहे कमीशन एजेंटों को भुगतान किए गए कमीशन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

लाख रु. में

वित्तीय वर्ष	वाणिज्यिक खरीद	एमएसपी खरीद	कुल
2000-01	510.37	–	510.37
2001-02	94.95	267.76	362.71
2002-03	207.46	69.05	276.51
2003-04	473.05	–	473.05
2004-05	66.89	1551.14	1618.03
2005-06	76.66	642.27	718.93

(1) किसी भी व्यापारी को कोई कमीशन नहीं दिया गया है।

(2) एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों और उपनियमों के तहत कार्यरत कमीशन एजेंट, न कि व्यापारी।

(छ) कपास उत्पादकों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने तथा आपदा बिक्री की स्थिति से बचने के उद्देश्य से, प्रचलित कपास कीमतों के एमएसपी स्तर तक पहुंचने पर सीसीआई एपीएमसी बाजार यार्डों में इसे पेश की गई एफएक्यू श्रेणी की कपास की संपूर्ण मात्रा बिना किसी मात्रात्मक सीमा के खरीदता रहा है। इसके अतिरिक्त, कपास किसानों की सहायता के लिए, सीसीआई एफएक्यू श्रेणी से तीन चरण नीचे की कपास की खरीद भी करता रहा है। टीएमसी की सहायता से जीएंडपी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के मद्देनजर, प्रसंस्करण की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और सीसीआई घरेलू मिलों को उचित मूल्य पर न्यूनतम संदूषित गांठों की आपूर्ति कर पाया है।

[हिन्दी]

घरेलू खुदरा व्यापारियों की रक्षा

1805. डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विदेशी खुदरा व्यापारियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए और घरेलू खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) यद्यपि योजना आयोग ने दर्शाया है कि विदेशी खुदरा व्यापारियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से घरेलू खुदरा व्यापारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, फिर भी सरकार ने दिनांक 10 फरवरी, 2006 की प्रेस नोट संख्या 3(2006) के तहत अधिसूचित एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापारियों में ही पूर्व सरकारी अनुमोदन के साथ 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है। सरकार घरेलू खुदरा व्यापारियों के हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

भारत-फ्रांस व्यापार के संबंध में संयुक्त समिति की बैठक

1806. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया है और इसको विविध रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष

में आयोजित की गई भारत–फ्रांस संयुक्त समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच हुई चर्चा और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002–2005 की अवधि के दौरान भारत–फ्रांस संयुक्त समिति की दो बैठकें हुई थीं। 12वें सत्र का आयोजन पेरिस में 4 नवम्बर, 2003 को हुआ था और 13वां सत्र नई दिल्ली में 9 दिसम्बर, 2004 को आयोजित किया गया था। चालू वर्ष के दौरान 14वां सत्र पेरिस में 31 मई, 2006 को आयोजित किया गया।

(ग) इन बैठकों में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहायेग को बढ़ाने के तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया था। दोनों पक्षों ने 4 नवम्बर, 2003 को कृषि मत्स्य, ग्रामीण विकास, वानिकी और खाद्य उद्योगों के क्षेत्रों में सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(घ) दोनों देशों का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का है।

खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना

1807. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी क्षेत्र के दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए "खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रति दस्तकार, कुल कितने वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने दस्तकारों को शामिल किया गया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) 15 अगस्त, 2003 को सरकार ने खादी कारीगरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) आरंभ की। जेबीवाई के तहत 200 रुपये प्रति कारीगर का वार्षिक प्रीमियम इस प्रकार से विभाजित किया जाता है:

(i)	कारीगर	–	25 रुपये
(ii)	सरकारी सामाजिक सुरक्षा निधि	–	100 रुपये
(ii)	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	–	25 रुपये
(iv)	संबंधित खादी संस्थान	–	50 रुपये

यह योजना प्रत्येक कारीगर को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। (i) प्राकृतिक मृत्यु के लिए 20,000 रुपये और दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 50,000 रुपये, (ii) दुर्घटनावश स्थायी विकलांगता (दो आंखों/अन्य उपयोगी अंग की क्षति) की स्थिति में 50,000 रुपये और (iii) आंशिक विकलांगता के लिए 25,000 रुपये।

शिक्षा सहयोग योजना जेबीवाई के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के बिना एक अतिरिक्त कवरेज है। जेबीवाई के तहत कवर प्राप्त खादी कारीगरों के आश्रित (लाभ दो बच्चे प्रति सदस्य/परिवार तक सीमित है) शिक्षा सहयोग योजना के तहत ट्यूशन शुल्क हेतु प्रति तिमाही 300 रुपये प्रति आश्रित तक प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। यह लाभ कक्षा IX से XII तक की कक्षाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे आश्रितों को ही मिलेगा।

(घ) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, कवर किए गए कारीगरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जेबीवाई के तहत संस्वीकृत और व्यय की गई राशि (केवीआईसी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया गया प्रीमियम) का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

अवधि	संस्वीकृत और व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
15.08.2003 से 14.08.2004 के दौरान	1.17
15.08.2004 से 14.08.2005 के दौरान	1.77
15.08.2005 से 14.08.2006 के दौरान	1.07*

* भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम घटाने के कारण बाद में भुगतान की गई कम राशि

विवरण

15.08.2003 से 14.08.2006 के दौरान 'खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना' के तहत कवर किए गए कारीगरों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.08.2003 से 14.08.2004	15.08.2004 से 14.08.2005	15.08.2005 से 14.08.2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5119	9781	11684
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	13	15
3.	असम	529	541	1446
4.	बिहार	3375	3690	4236
5.	छत्तीसगढ़	311	1189	1189
6.	दिल्ली	1138	1646	2062
7.	गुजरात	0	3217	5823
8.	हरियाणा	7383	9414	12204
9.	हिमाचल प्रदेश	0	266	662
10.	जम्मू और कश्मीर	508	833	833
11.	झारखंड	1060	1154	2329
12.	कर्नाटक	4862	9650	12658
13.	केरल	3663	7557	7557
14.	मध्य प्रदेश	0	446	795
15.	महाराष्ट्र	776	1047	1149
16.	मणिपुर	49	74	238
17.	मेघालय	0	14	14
18.	नागालैंड	18	18	18
19.	उड़ीसा	410	941	941
20.	पंजाब	6678	10405	10405
21.	राजस्थान	5923	11944	13741
22.	तमिलनाडु	8339	9798	13309
23.	त्रिपुरा	0	7	7
24.	उत्तर प्रदेश	61290	85282	101192
25.	उत्तरांचल	937	958	2555
26.	पश्चिम बंगाल	4956	7066	7066
	कुल	117337	176951	214128

पौधरोपण क्षेत्र के लिए पैंशन योजना

1808. श्री एस. के. खारवेनथन :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पौधरोपण क्षेत्र के लिए नई पैंशन योजना लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से पौधरोपण क्षेत्र से जुड़े कितने कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जी.एस.आई. द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

1809. श्री ब्रजेश पाठक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 26 दिसम्बर, 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के मद्देनजर तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या जी.एस.आई. ने विश्वभर में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) तटीय इलाकों में रह रहे लोगों की सुरक्षा संबंधी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। तथापि, जी.एस.आई., अंडमान और निकोबार क्षेत्र में सुनामी के परिणामस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा गठित पुनर्वास मुद्दों संबंधी समिति का एक सदस्य है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए 26 दिसम्बर, 2004 के सुनामी और विध्वंसकारी भूकंप के परिणामों पर विविध भूवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए तत्काल कार्रवाही की है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:–

(i) भूकंप और सुनामी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भारतीय भूर्वज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने दक्षिण अंडमान और बारातांग द्वीपसमूह का दौरा किया।

(ii) इस भूकंप के बाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कई टीमों ने अंडमान द्वीपसमूह में विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों में मैक्रोसीस्मिक (भूकंप तीव्रता को नियंत्रित करने हेतु भूकम्पोत्तर क्षति सर्वेक्षण) सर्वेक्षण, भू–विरूपण को नियंत्रित करने हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) सर्वेक्षण तथा पोर्ट ब्लयेर, कारनिक (कार निकोबार), हट बे (लिटिल अंडमान), रंगट (मिडल अंडमान) और दिग्लीपुर (उत्तरी अंडमान) द्वीपों में लगाए गए पांच डिजीटल भूकंपलेखी से भूकंपोत्तर झटकों का अध्ययन, शामिल है। जी.एस.आई. द्वारा लगभग 6500 भूकंपोत्तर झटके रिकार्ड किए गए हैं जो स्ट्रैस ऊर्जा की निरंतर निर्मुक्ति की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

(iii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों की टीमों ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के सबसे ज्यादा प्रभावित तटीय भू–भागों में सुनामी के प्रभावों (सुनामी–उपरांत सर्वेक्षण) पर अध्ययन किए हैं।

(iv) अपतटीय क्षेत्र में परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु जी.एस.आई. ने अंतः समुद्री भूआकृतिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के आसपास के समुद्र में बाथीमीट्री और चुम्बकीय सर्वेक्षण किए हैं।

(v) जी.एस.आई. ने समस्त प्रासंगिक सूचना और डाटा को अपनी वेबसाइट अर्थात् www.gsi.gov.in पर डाल दिया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों को शामिल करते हुए जी.एस.आई. का एक विशेष प्रकाशन (सं. 89 जोकि प्रेस में है) निकाला जा रहा है।

(vi) 25 से 27 जनवरी, 2005 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आप्लावन/पुनर्वास मुद्दों पर डाटा एकत्र करने के प्रयोजनार्थ जी.एस.आई. के सदस्यों ने डी.एस.टी. समिति के अन्य सदस्यों के साथ पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया।

(ग) इस प्रयोजनार्थ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कोई विशिष्ट धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है और जी.एस.आई. ने उक्त अध्ययनों हेतु अपने बजटीय आबंटन का उपयोग किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श किया है। जापानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान में जी.एस.आई. एक अग्रणी एजेंसी है। जी.एस. आई. ने आई.आई.टी. कानपुर; टोक्यो विश्वविद्यालय और जापानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त फील्ड अध्ययन भी किए हैं। जी.एस.आई. के वैज्ञानिकों ने सुमात्रा के भूकंप और भारत–ऑस्ट्रेलिया सबडक्शन पर पेरिस में हुए सममेलनों में भाग लिया। भू–विज्ञान सेक्टर, प्राकृतिक संसाधन, कनाडा ने सुनामी सहित समग्र आपदा उपशमन प्रयासों पर भारत और कनाडा के बीच एक सहयोगी कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है।

कॉफी का निर्यात

1810. श्री एम. शिवन्ना : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कितनी मात्रा में कॉफी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कॉफी के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यातित कॉफी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार ब्यौरा का विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि कॉफी बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2005–06 के दौरान समनुरूपी अवधि में 72,541 मी.टन की तुलना में चालू वर्ष की इसी अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2006 से 31 जुलाई, 2006) के

दौरान 98,180 मी.टन के निर्यात परमिट जारी किए गए हैं, इसलिए वर्तमान वर्ष में कॉफी निर्यातों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कॉफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, कॉफी बोर्ड के जरिए भारतीय कॉफी की छवि को बेहतर बनाने के साथ-साथ बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए मुख्य विदेशी बाजारों में प्रमुख संपर्क पहलें करने, निर्यातकों और उपजकर्त्ताओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी करने एवं प्रमुख बाजारों में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के साथ क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा कपिंग सत्रों का आयोजन करने जैसे उपाय कर रही है।

विवरण

कॉफी निर्यात

(भारतीय एवं पुनः निर्यातित कॉफी दोनों)

रिपोर्ट की अवधि : 01/04/2004 से 31/03/2005

क्र. सं.	देश	मात्रा (टन में)	भारतीय रुपया (करोड़)	अमरीकी डालर (मिलियन)
1	2	3	4	5
1.	इटली	49,232.0	254.81	56.68
2.	रूसी परिसंघ	34,459.0	235.74	54.67
3.	जर्मनी	16,518.0	106.16	23.54
4.	स्पेन	11,499.0	48.16	10.74
5.	बेल्जियम	9,204.0	47.34	10.78
6.	स्लोवेनिया	8,441.0	30.54	6.89
7.	यूक्रेन	6,131.0	49.61	11.08
8.	जापान	5,918.0	40.49	9.07
9.	अमरीका	5,646.0	27.80	6.18
10.	यूनान	5.642.0	22.44	5.02
11.	फ्रांस	4,283.0	22.41	5.01
12.	मलेशिया	3,680.0	18.54	4.20
13.	फिनलैंड	3,677.0	26.76	23.14
14.	नीदरलैंड्स	3,604.0	26.10	5.94
15.	पुर्तगाल	3,253.0	13.50	2.96
16.	स्विटजरलैंड	3,244.0	22.79	5.20
17.	जॉर्डन	2,727.0	15.85	3.54
18.	कुवैत	2,657.0	21.71	4.68
19.	हंगरी	2,607.0	12.22	2.71
20.	लातविया	2,504.0	24.14	5.30
21.	ऑस्ट्रेलिया	2,393.0	13.52	3.00
22.	संयुक्त अरब अमीरात	1,781.0	15.25	3.44
23.	सिंगापुर	1,767.0	9.71	4.23
24.	ताइवान	1,755.0	9.18	2.04
25.	इजराइल	1,529.0	8.33	1.86
26.	लीबिया	1,481.0	7.76	1.71
27.	क्रोएशिया	1,459.0	5.45	1.21
28.	पोलैंड	1,302.0	8.83	1.96
29.	कनाडा	1,263.0	5.66	1.20
30.	यूनाइटेड किंगडम	1,222.0	8.36	1.86
31.	सउदी अरब	1,181.0	8.33	1.85
32.	मिस्र	966.0	4.21	1.13
33.	नॉर्वे	934.0	5.19	1.01
34.	ओमान सल्तनत	691.0	3.62	0.81
35.	अल्जीरिया	614.0	2.21	0.50
36.	बुल्गारिया	576.0	2.57	0.57
37.	कोरिया गणराज्य	541.0	5.15	1.18
38.	रोमानिया	450.0	2.39	0.53
39.	ट्यूनिशिया	440.0	1.61	0.36
40.	दुबई	318.0	2.41	0.53
41.	तुर्की	316.0	1.55	0.34
42.	न्यूजीलैंड	310.0	1.67	0.37
43.	लिथुआनिया	303.0	2.38	0.53
44.	युगोस्लाविया	269.0	0.90	0.20
45.	मोरक्को	250.0	0.81	0.18
46.	ऑस्ट्रिया	230.0	1.78	0.41
47.	एस्तोनिया	221.0	1.59	0.36

1	2	3	4	5
48.	एस ई जेड – कोचीन	218.0	0.86	0.19
49.	सीरिया	212.0	1.08	0.24
50.	तुर्कमेनिस्तान	204.0	1.62	0.36
51.	आबूधाबी	184.0	1.48	0.33
52.	वियतनाम	182.0	1.28	0.28
53.	स्वीडन	170.0	1.16	0.26
54.	कजाकिस्तान	159.0	1.25	0.28
55.	जॉर्जिया	157.0	0.99	0.22
56.	नेपाल	155.0	3.21	0.76
57.	डेनमार्क	80.0	0.87	0.20
58.	लेबनान	77.0	0.29	0.07
59.	कोन्या	70.0	0.19	0.09
60.	ईरान इस्लामिक गणराज्य	69.0	0.49	0.14
61.	बहरीन	58.0	0.49	0.11
62.	वेस्ट इंडीज	51.0	0.24	0.05
63.	हांगकांग	48.0	0.21	0.05
64.	अल्बानिया	38.0	0.17	0.04
65.	न्यू कैलेडोनिया	38.0	0.23	0.05
66.	बंग्लादेश	22.0	0.33	0.07
67.	चीन जनवादी गणराज्य	18.0	0.16	0.04
68.	कतर	18.0	0.15	0.03
69.	बेलारूस	16.0	0.08	0.02
70.	मोल्डोवा	12.0	0.11	0.02
71.	पेरू	6.0	0.04	0.01
72.	दक्षिण अफ्रीका	6.0	0.06	0.01
73.	शारजाह	6.0	0.06	0.01
74.	श्रीलंका	3.0	0.04	0.01
75.	फिजी	–	–	–
76.	ताहिती	–	–	–
	कुल	2,11,765.0	1,224.67	294.64

* – एक टन से कम

कॉफी निर्यात
(भारतीय एवं पुनः निर्यातित कॉफी दोनों)
रिपोर्ट की अवधि : 01/04/2005 से 31/03/2006 तक

क्र. सं.	देश	मात्रा (टन में)	भारतीय रुपया (करोड़)	अमरीकी डालर (मिलियन)
1	2	3	4	5
1.	इटली	53,413.0	365.86	90.24
2.	रूसी परिसंघ	29,432.0	228.25	52.34
3.	जर्मनी	16,742.0	147.41	34.66
4.	बेल्जियम	11,190.0	84.72	19.30
5.	स्पेन	10,292.0	63.33	14.39
6.	स्लोवेनिया	7,458.0	41.46	9.40
7.	यूक्रेन	6,920.0	60.91	13.83
8.	यूनान	4,392.0	26.17	6.00
9.	फिनलैंड	4,245.0	33.48	7.72
10.	जापान	4,147.0	37.27	8.56
11.	फ्रांस	3,811.0	26.75	5.84
12.	पुर्तगाल	3,504.0	20.44	4.66
13.	हंगरी	2,976.0	17.96	4.06
14.	नीदरलैंड्स	2,949.0	26.03	6.00
15.	कुवैत	2,877.0	28.56	7.00
16.	ऑस्ट्रेलिया	2,615.0	21.00	4.78
17.	मलेशिया	2,490.0	13.80	3.15
18.	अमरीका	2,448.0	20.86	4.47
19.	स्विट्जरलैंड	2,440.0	23.83	5.33
20.	लातविया	2,006.0	20.14	4.81
21.	सिंगापुर	1,961.0	14.65	3.32
22.	जॉर्डन	1,784.0	15.76	3.60
23.	इजाराइल	1,581.0	13.02	2.97
24.	संयुक्त अरब अमीरात	1,530.0	16.53	3.78
25.	क्रोएशिया	1,517.0	8.65	1.97
26.	ताइवान	1,462.0	9.17	2.07

1	2	3	4	5
27.	अल्जीरिया	1,306.0	8.38	1.91
28.	लीबिया	1,230.0	7.92	1.81
29.	कनाडा	1,169.0	8.19	1.84
30.	यूनाइटेड किंगडम	1,104.0	10.48	2.34
31.	पोलैंड	1,021.0	6.63	2.40
32.	सउदी अरब	1,012.0	10.93	2.27
33.	नॉर्वे	983.0	7.23	1.68
34.	केन्या	851.0	5.48	1.25
35.	तुर्की	621.0	5.12	1.15
36.	मिस्र	593.0	4.18	0.95
37.	रोमानिया	543.0	3.25	0.72
38.	सीरिया	489.0	5.42	1.24
39.	बुल्गारिया	461.0	4.05	0.65
40.	ओमान सल्तनत	460.0	3.10	0.71
41.	कोरिया गणराज्य	437.0	3.08	0.70
42.	न्यूजीलैंड	341.0	3.28	0.75
43.	लिथुआनिया	325.0	3.13	0.71
44.	कजाकिस्तान	304.0	2.52	0.58
45.	तुर्कमेनिस्तान	282.0	2.73	0.62
46.	आबू धाबी	215.0	2.26	0.52
47.	नेपाल	177.0	2.90	0.67
48.	डेनमार्क	160.0	1.81	0.41
49.	एस्तोनिया	158.0	1.24	0.28
50.	स्वीडन	137.0	1.42	0.32
51.	बेलारूस	136.0	1.24	0.28
52.	कतर	93.0	0.99	0.23
53.	वेस्ट इंडीज	84.0	0.49	0.11
54.	वियतनाम	72.0	0.69	0.16
55.	ऑस्ट्रिया	69.0	0.71	0.16
56.	बहरीन	58.0	0.68	0.15
57.	न्यू कैलेडोनिया	58.0	0.39	0.09
58.	जॉर्जिया	55.0	0.58	0.13
59.	कोरिया जनवादी गणराज्य	41.0	0.34	0.07
60.	स्लोवाकिया	39.0	0.20	0.04
61.	दक्षिण अफ्रीका	33.0	0.34	0.08
62.	दुबई	32.0	0.39	0.09
63.	आइवरी कोस्ट	32.0	0.30	0.07
64.	नाइजीरिया	23.0	0.34	0.09
65.	लेबनान	20.0	0.14	0.03
66.	जिबूती	20.0	0.14	0.03
67.	साइप्रस	19.0	0.11	0.02
68.	मोरक्को	19.0	0.12	0.03
69.	चेक गणराज्य	17.0	0.23	0.05
70.	मेयॉट	12.0	0.16	0.04
71.	मालदीव	10.0	0.10	0.02
72.	मोल्डोवा	10.0	0.10	0.02
73.	क्यूबा	9.0	0.09	0.02
74.	युगांडा	9.0	0.09	0.02
75.	घाना	9.0	0.12	0.03
76.	हांगकांग	8.0	0.09	0.02
77.	बंग्लादेश	4.0	0.07	0.02
78.	श्रीलंका	2.0	0.04	0.01
79.	थाईलैंड	1.0	——*	
80.	पाकिस्तान	——*		
	कुल	2,01,555.0	1,510.04	352.86

* एक टन/लाख से कम

नोट : वर्ष 2005-06 के संबंध में 201555 टन के कुल निर्यात में 38 शामिल है, जिसकी पुष्टि 3 अगस्त, 2006 तक की जा चुकी है।

जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर

1811. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु दी जा रही छात्रवृत्ति की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन दरों में किस सीमा तक और कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) यह मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

(1) अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि में निर्वाह भत्ता, अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति, अध्ययन दौरा प्रभार, थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता सम्मिलित है। अध्ययन पाठ्यक्रमों को चार समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है अर्थात् 1, 2, 3 एवं 4। अध्ययन समूहों के अनुसार निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों की दरें विवरण–I में दी गई हैं।

(2) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य ऐसे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को जो विदेशों में विशिष्ट स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में पीएच. डी. पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए चुने गए हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(3) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना का उद्देश्य उच्च अध्ययन अर्थात् एम.फिल अथवा पीएच.डी. करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति देना है। अध्येतावृत्ति की वर्तमान दरें विवरण–III में दी गई हैं।

(ख) वर्तमान में इन योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

समूह-1	छात्रावासी छात्र	दिवा छात्र
चिकित्सा (ऐलोपैथिक, इंडियन तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों), इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा तथा प्रौद्योगिक सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, वित्त व्यावसाय, व्यापार, प्रशासन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम (जिसमें एम.फिल, पीएच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च शामिल हैं) कमर्शियल पायलट लाइसेंस (जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम शामिल हैं।)	प्रति छात्र 740/– रुपए प्रतिमाह	प्रति छात्र 330/– रुपए प्रतिमाह
समूह-2		
अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल, पीएच.डी. एवं पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम, जो समूह के अंतर्गत नहीं हैं। सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस इत्यादि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी सर्टिफिकेट स्तरीय पाठ्यक्रम	प्रति छात्र 510/– रुपए प्रतिमाह	प्रति छात्र 330/– रुपए प्रतिमाह
समूह-3		
स्नातक तक अथवा डिग्री से ऊपर तक के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं)	प्रति छात्र 335/– रुपए प्रतिमाह	प्रति छात्र 185/– रुपए प्रतिमाह
समूह-4		
समूह–2 अथवा 3 में कवर नहीं किये गए सभी ऐसे मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो स्नातक से पहले हो तथा 10+2 प्रणाली पर आधारित हो, यथा कक्षा 11 तथा 12, आईआईटी, पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु न्यूनतम आवश्यक योग्यता मैट्रिकुलेशन हो)	प्रति छात्र 235/– रुपए प्रतिमाह	प्रति छात्र 140/– रुपए प्रतिमाह

फीस :

छात्रों को अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क दिया जाता है।

अध्ययन दौरा प्रभार :

व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों द्वारा यातायात पर किए गए वास्तविक व्यय की सीमा तक अधिकतम 1000 रुपये उन्हें अध्ययन दौरे प्रभार के रूप में भुगतान किए जाएंगे।

थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग प्रभार :

संस्थान के अध्यक्ष के अनुमोदन पर शोध छात्रों को अधिकतम 1000/- रुपये थीसिस, टाइपिंग/प्रिंटिंग शुल्क के रूप में दिया जाता है।

दूरस्थ एवं सतत जारी शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम

ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त 750/- रुपए प्रतिवर्ष आवश्यक/निर्धारित पुस्तकों हेतु दिए जायेंगे।

विवरण-II

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भत्ते

क्रम सं.	मद	राशि
1	अनुरक्षण भत्ता	8200/- अमरीकी डालर प्रतिवर्ष
2	आनुषंगिक भत्ता	550/- अमरीकी डालर प्रतिवर्ष
3	पोल टैक्स	वास्तविक, जहां कहीं लागू हो
4	वीजा शुल्क	भारतीय रुपये में वास्तविक वीजा शुल्क
5	उपस्कर भत्ते और आकस्मिक यात्रा व्यय	1100/- रुपये के उपस्कर भत्ते और 15/- अमरीकी डालर तक अथवा भारतीय रुपये में इसके समकक्ष आकस्मिक यात्रा प्रभार।
6	शुल्क और चिकित्सा बीमा प्रीमियम	यथा प्रभारित वास्तविक।
7	हवाई यात्रा	भारत से शैक्षणिक संस्था के निकटतम स्थान तक और भारत वापिस आने के लिए हवाई यात्रा (इकानमी क्लास) और राष्ट्रीय कैरियर के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार सबसे छोटे मार्ग द्वारा।
8	स्थानीय यात्रा	अवतरण पत्तन से अध्ययन के स्थान तक अथवा वापस आने के लिए द्वितीय अथवा कोच श्रेणी का रेलवे किराया।

विवरण-III

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) की योजना के अंतर्गत भत्ते

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 8000/- रुपए प्रतिमाह की दर से (जेआरएफ) शेष अवधि के लिए 9000/- रुपये प्रतिमाह की दर से (एसआरएफ)
मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए आनुषंगिक	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से
विज्ञान के लिए आनुषंगिक	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	अवसंरचना प्रदान करने के लिए होस्ट संस्थान को 3000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रति छात्र
एस्कोर्ट/रीडर सहायक	शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामलों में 1000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमानुसार

महिलाओं तथा बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं

1812. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आदिवासी, दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग महिलाओं तथा बच्चों के विकास हेतु विद्यमान योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें स्वयंसिद्ध योजना विद्यमान है; और

(ङ) स्वयंसिद्ध योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोगों को लाभ हुआ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा आदिवासी, दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश में महिला एवं बाल विकास हेतु जिन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, उनके विषय में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उन स्कीमों का प्रचार इलैक्ट्रॉनिक प्रचार-माध्यमों, पत्र-पत्रिकाओं तथा बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) स्वयंसिद्धा स्कीम की मुख्य विशेषताएं तथा इससे लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाई गई है। ये रिपोर्टें लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

छात्रों को प्रवेश दिया जाना

1813. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ए आई सी टी ई द्वारा राज्यवार कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ख) क्या ए आई सी टी ई ने वर्ष 2006-2007 के दौरान दाखिले के लिए छात्रों की संख्या कम कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छात्रों के नामांकन की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) परिषद ने मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा न करने वाली कुछेक संस्थाओं को "न्यूनीकृत नामांकन" अथवा "नो एडमिशन कैटेगरी" में रखा गया था। परिषद की नीति के अनुसार 441 संस्थाओं में 27699 सीटें घटाई गई थीं। सीटों में कटौती की नीति से गुणवत्ता सुधार एवं मानकों और मानदंडों के अनुरक्षण में मदद मिलेगी।

कमियों को दूर किए जाने पर छात्र हित में 268 संस्थाओं में 16461 नामांकन 26.06.2006 तक पुनः बहाल किए गए। साथ ही 26 जून 2006 तक नए/मौजूदा कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई गईं। अतएव उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में छात्रों के नामांकन का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	23955	29380	34780
छत्तीसगढ़	4605	5330	6338
गुजरात	14911	18723	21468
मिजोरम	120	150	150
सिक्किम	525	630	525
उड़ीसा	15624	18337	15191
पश्चिम बंगाल	17333	19994	17876
त्रिपुरा	220	240	340
मेघालय	135	240	240
अरुणाचल प्रदेश	210	210	303
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
असम	1197	1287	1428

1	2	3	4
मणिपुर	145	145	150
नागालैंड	0	0	0
झारखंड	3005	4450	5133
बिहार	2807	3197	4495
उत्तर प्रदेश	42625	47683	55575
उत्तरांचल	4220	3767	4911
चण्डीगढ़	942	992	1853
हरियाणा	13954	17154	19512
जम्मू और कश्मीर	1555	1855	2291
नई दिल्ली	11108	11880	13581
पंजाब	15276	20935	21908
राजस्थान	14665	19625	22346
हिमाचल प्रदेश	1090	1290	1492
आंध्र प्रदेश	92397	111537	132942
पांडिचेरी	2340	2790	3036
तमिलनाडु	101821	103217	126060
कर्नाटक	53891	59062	60837
केरल	23071	28928	30958
महाराष्ट्र	66029	70049	70442
गोवा	1010	1034	1070
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0
कुल	530786	604111	677231

कॉफी बोर्ड का व्यय

1814. **श्री एन. शिवन्ना** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड के प्रशासनिक व्यय में गत पांच वर्षों से चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कॉफी बोर्ड के अनावश्यक व्यय को रोकने की कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा किया गया प्रशासनिक व्यय निम्नानुसार है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
2001–02	3967.18	1033.50	26
2002–03	4668.09	1187.03	25
2003–04	5804.01	1239.87	21
2004–05	5001.30	1373.24	27
2005–06 (अनंतिम)	5648.95	1511.93	27

जैसा कि देखा जा सकता है, पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए कुल व्यय (योजना एवं गैर–योजना) में प्रशासनिक व्यय 21 से 27 प्रतिशत के बीच रहा है तथा पिछले 5 वर्षों में प्रशासनिक व्यय में कोई चिन्ताजनक वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि बोर्ड का प्रशासिनक व्यय यथोचित सीमाओं के भीतर है।

[हिन्दी]

अवैध आप्रवास

1815. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध आप्रवासियों के देश में अंडरवर्ल्ड के संबंध अभी भी जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा नेटवर्क किन-किन राज्यों में चल रहा है;

(ग) ऐसी अवैध गतिविधियों के किन-किन देशों में नागरिक लिप्त हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अवैध आप्रवासियों और अंडरवर्ल्ड के बीच संबंध दर्शाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) अवैध आप्रवासन को रोकने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की शक्ति, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3 (2) (ग) के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी नागरिकों को पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए, समय-समय पर, विशेष अभियान चलाने हेतु उन्हें अनुदेश जारी किए जाते हैं। अन्य उपायों में, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सीमा चौकसी बलों की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाकर चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों और बाड़ निर्माण कार्यक्रम में तेजी लाना, आधुनिक निगरानी उपकरण आदि का प्रावधान करना शामिल है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत पेशेवर लोगों का अन्य देशों में जाना

1816. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव सौंपा है कि सदस्य देशों के बीच पेशेवर लोगों आने-जाने संबंधी विनियम अकारण बोझिल और जटिल नहीं हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से विषय उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर डब्ल्यू.टी.ओ. की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ के सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) में प्रकृत व्यक्तियों का केवल अस्थाई आवागमन शामिल है। व्यावसायिकों का प्रवाह गैट्स के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तथापि, प्रकृत व्यक्तियों के अस्थाई आवागमन के क्षेत्र में भारत ने स्वतंत्र व्यावसायिकों तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा सेवा आपूर्तिकर्त्ताओं के मुक्त आवागमन को सुकर बनाने के लिए वीजा तथा आव्रजन प्रक्रियाओं आदि, आर्थिक आवश्यकता परीक्षणों, कार्य परमिट मानदण्डों, अर्हताओं की गैर-मान्यता आदि में बाधाओं को कम करने के लिए डब्ल्यूटीओ में वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारत घरेलू विनियमों में बहुपक्षीय सिद्धांतों, जिनसे हमारे सेवा प्रदाताओं का अस्थाई आवागमन सुकर बनने की आशा है, को लागू करने के लिए भी वार्ताएं कर रहा है।

(ग) डब्ल्यू टी ओ में गैट्स के तहत सेवा वार्ताएं संपन्न नहीं हुई हैं।

मानद विश्वविद्यालय

1817. श्री वनुचकोडी आर. अतिथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) ने अप्रैल, 2006 के दौरान मानद विश्वविद्यालय दर्जे के लिए कुछ संस्थानों की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की सिफारिश करने से पहले यू जी सी द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) से स्वीकृति मांगी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसने केन्द्र सरकार को 'सम विश्वविद्यालय' घोषित करने के लिए संस्थाओं के मामले भेजने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं, की सिफारिश पर केन्द्र सरकार अधिसूचना के जरिए उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को

सम विश्वविद्यालय घोषित करती है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि ऐसी संस्था विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान के कार्यक्रम चला रही हो जो नवाचारी हों और उच्च शैक्षिक मानकों वाले हों। संस्था विश्वविद्यालय प्रणाली को और अधिक समृद्ध बनाने की क्षमता रखती हो तथा उन उभरते क्षेत्रों में एप्लीकेशन केन्द्रित कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम हो जोकि विभिन्न विकास सेक्टरों तथा समाज के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हो। केवल उन आवेदनों को छोड़कर जोकि 'नई' श्रेणी में आते हैं, अन्य आवेदक संस्थाओं को पिछले 10 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए और उसका प्रबंधन संस्था के उद्देश्यों में योगदान देने में सक्षम होना चाहिए। इसके पास प्रासंगिक वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित अवसंरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार आयोग ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 2006 की बैठक में निम्नलिखित 5 संस्थाओं को 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों की सिफारिश की थी:–

(1) सेंट पीटर्स उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अवादी, चेन्नई

(2) वेल्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च अध्ययन संस्थान, चेन्नई

(3) कलासीलिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी, आनन्दनगर, कृष्णाकोईल, विरूदूनगर, तमिलनाडु

(4) एम.जी.एम. स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई (इसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज, नवी मुम्बई और एमजीएम मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद शामिल हैं)

(5) एनआईआईटी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, निमराणा (राजस्थान) जिसका एक कैम्पस दक्षिण दिल्ली में है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तथापि, आयोग केवल ऐसे इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों पर विचार करता है, जिसके पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 20(1) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 20(1) के तहत केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिया है कि वे किसी भी संस्था को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश देते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या अन्य संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, से परामर्श प्राप्त कर लें।

मानव दुर्व्यापार के पीड़ित

1818. श्री जुएल ओराम : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानव दुर्व्यापार से पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास करने हेतु एक नई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर–सरकारी संगठन और राज्य सरकारें भी उक्त योजना की रूपरेखा बनाने में सम्मिलित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) हेतु "बाल विकास" तथा "महिला सशक्तिकरण" पर कार्य दलों का गठन अप्रैल, 2006 में किया। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित ये कार्य दल, जिनमें गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सहित अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं, अनैतिक व्यापार पीड़ित यौन कर्मियों हेतु मौजूदा दृष्टिकोण तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और उनकी उत्तरजीविता, संरक्षण, कल्याण तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय एवं कार्यक्रम भी सुझाएंगे। इन कार्य दलों में किए गए विचार–विमर्श से योजना आयोग की संचालन समिति की रिपोर्ट हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। इस संचालन समिति की अनुशंसाएं ही ग्यारहवीं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं स्कीमों का आधार बनेंगी।

छात्रों का शोषण

1819. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्व–वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन, विशेषकर व्यावसायिक प्रबंधन द्वारा छात्रों का घोर शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में स्व–वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद गैर अनुमोदित संस्थाओं में दाखिला न लेने के लिए छात्रों को सजग और आगाह करने हेतु समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करती है तथापि, स्व–वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधनों द्वारा छात्रों के शोषण के प्रयास की संभावना हो सकती है। परिषद गैर अनुमोदित पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चलाने वाली दोषी संस्थाओं/सोसायटियों/ट्रस्टों/कंपनियों/संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करती है। परिषद ने संस्थानों को अपेक्षित सूचना अनिवार्य रूप से हर वर्ष सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के अप्रत्याशित तथा आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानदंडों तथा मानकों को बनाए रखा जा रहा है। देश में स्व–वित्तपोषित तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं के कार्यसंचालन को विनियमित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान पार्कों की स्थापना

1820. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे पार्क स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा देश में आई.आई.टी अनुसंधान पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने अपने परिसर के साथ एक अनुसंधान पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

1821. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री के.जे.एस.वी. रेड्डी :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए असंगठित क्षेत्र के एक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) ने "असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अपनी रिपोर्ट में, एनसीईयूएस ने, अन्य बातों के साथ–साथ, सिफारिश की है कि असंगठित कामगारों के लिए "राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना" में पंजीकृत कोई भी कामगार, निर्धारित योगदान के भुगतान पर राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र होगा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, जीवन बीमा, गरीबी रेखा के नीचे के कामगारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी रेखा से ऊपर वाले कामगारों के लिए भविष्य निधि शामिल है।

(ग) और (घ) असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा का मामला, जिसमें इस संबंध में एनसीईयूएस की सिफारिशें भी शामिल हैं, श्रम व रोजगार मंत्रालय में सरकार की जांच के अधीन है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाला भोजन

1822. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के भाग के रूप में सप्लाई की जा रही कुछ खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सप्लाई किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय एवं पोषाहारीय मानकों के आधार पर आई.सी.डी.एस. के लाभार्थियों को अच्छे गुणवत्ता वाले पूरक पोषण की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषण के वित्तीय मानकों को वर्ष 2004 में दोगुना कर दिया गया था तथा वर्ष 2005–06 से केन्द्र द्वारा पूरक पोषण की 50 प्रतिशत लागत भी वहन की जा रही है।

राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरीय आई.सी.डी.एस. कर्मियों के अलावा मंत्रालय खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय अवसंरचना के माध्यम से आई.सी.डी.एस. के पूरक आहार घटक की गुणवत्ता का मॉनीटरन करता है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पाई गई अनियमितताओं/उनकी टिप्पणियों/सुझावों को आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास प्रभारी राज्य सचिवों को भेजा जाता है।

उच्चतर शिक्षा में निजी भागीदारी

1823. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन करने तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत किशोरों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैमब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन्स जैसे वैश्विक शिक्षा प्रदाताओं की तरह केन्द्रीय बाजार बन गया है;

(ग) यदि हां, तो शैक्षणिक बाजार का दोहन करने के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) योजना आयोग ने 11वीं योजनावधि हेतु उच्चतर शिक्षा से संबंधित स्कीमें एवं कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

1824. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर असम में कुछ केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के कुछ नये प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयाजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) असम अथवा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सरकार द्वारा पहले ही कोकराझार, असम में एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुमोदित किया जा चुका है।

(ग) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार की कुल परियोजना लागत 3365.00 लाख रु. है जिसमें 715.00 लाख रु. आवर्ती व्यय और 265.00 लाख रु. अनवर्ती व्यय के हैं। वर्ष 2006–07 के लिए 500.00 लाख रु. का बजट आबंटित है।

(घ) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार की स्थापना वर्ष 2006–07 में ही हो जाएगी।

नये छात्रावासों का निर्माण

1825. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं;

(ख) क्या उनके लिए पर्याप्त संख्या में छात्रावास हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या छात्रावासों में जगह की कमी के कारण छात्राओं को निजी छात्रावासों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है; और

(ङ) निजी छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में 1,15,000 अवर स्नातक नियमित छात्र तथा 17,2000 स्नातकोत्तर नियमित छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) यह सत्य है कि छात्राओं सहित नामांकित छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं सीमित हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छात्रों को निजी छात्रावासों में रहना पड़ रहा है। अभी हाल में 500 सीटों वाले छात्रावास के प्रावधान हेतु कदम उठाए गए हैं।

तकनीकी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन

1826. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निजी संस्थानों हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निजी संस्थानों हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर इन संस्थानों में पढ़ाए जा रहे अन्य पाठ्यक्रमों के साथ–साथ प्रबंधन पाठ्यक्रमों–पूर्णकालिक एवं अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय

1827. श्री बी. विनोद कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 2006–07 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा राज्यवार कितने नए अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को स्वीकृति/मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नए महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करने में अत्याधिक विलंब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनकी शिक्षा परिषद् द्वारा नए महाविद्यालयों को स्वीकृति/मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपने निर्धारित मानदंडों तथा मानकों के अनुपालन के आधार पर नई इंजीनियरिंग संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2006–07 के लिए अनुमोदित की गई नई इंजीनियरिंग संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में नई तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है, जिसका ब्यौरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte.ernet.in. पर उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान अनुमोदित नई इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या (28.07.2006 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या
1	2
मध्य प्रदेश	1
छत्तीसगढ़	1
उड़ीसा	2
पश्चिम बंगाल	1
उत्तर प्रदेश	11
उत्तरांचल	2
हरियाणा	3
जम्मू और कश्मीर	1

1	2
पंजाब	1
हिमाचल प्रदेश	1
आंध्र प्रदेश	7
तमिलनाडु	13
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	9
कुल	54

आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त हथियार

1828. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवादी चीनी हथगोलों का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने नेपाल को हथियारों और गोला–बारूद की तस्करी करने का नया पारगमन बिन्दु बना लिया है जैसा कि क्रमशः 12 जुलाई, 2006 और 16 जुलाई, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आतंकवादियों की सहायता करने वाले देशों के साथ यह मुद्दा उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा हथियारों और गोला–बारूद की तस्करी और सीमापार आतंकवाद को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ अवसरों पर चीनी मूल/चीनी चिन्ह ग्रेनेडों की बरामदगी की सूचना मिली है। तथापि, उस निश्चित स्रोत के बारे में बताना कठिन है जहां से इन्हें प्राप्त किया गया है। हाल में ऐसा कोई विशिष्ट मामला जानकारी में नहीं आया है जिससे हथियारों को भारत भेजने के लिए किसी तीसरे देश से उन्हें नेपाल में उतारा गया हो। तथापि, भारत–नेपाल सीमा पार से हथियारों की तस्करी की जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) भारत में सुरक्षा सरकारों पर, इस प्रयोजनार्थ इन देशों के साथ स्थापित संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों में विभिन्न देशों के साथ चर्चा की जाती है।

(घ) सरकार, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाती है और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए राज्यों की सहायता करती है। सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र चुस्त बनाना, केन्द्र और राज्य, दोनों में सुरक्षा बलों को बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, आसूचना आधारित सुसमन्वित अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी आयामों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय सहयोग प्राप्त करने के वास्ते तंत्र स्थापित किए गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा लघु उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2006–2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4601/06]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4602/06]

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4603/06]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4604/06]

(7) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (उत्तर क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (उत्तर क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4605/06]

(9) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4606/06]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4607/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी–कम–सर्वशिक्षा अभियान, स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी–कम–

सर्वशिक्षा अभियान, स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उलिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4608/06]

(3) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् चण्डीगढ़ के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चण्डीगढ़ के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4609/06]

(5) (एक) यूईई मिशन (सर्वशिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन (सर्वशिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4610/06]

(7) (एक) कर्नाटक सर्वशिक्षा अभियान, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक सर्वशिक्षा अभियान, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4611/06]

(9) (एक) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्था (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल), कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्था (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल), कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4612/06]

(11) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4613/06]

(13) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4614/06]

(15) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4615/06]

(17) (एक) महिला समाख्या गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4616/06]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है"

2. महोदय मैं 3 अगस्त, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(दो) विगत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा निपटाए गए कार्य के बारे में -

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आपकी सूचना के लिए मैं पिछले सप्ताह के दौरान किए गए मुख्य कार्यों का संक्षिप्त में ब्यौरा देना चाहूंगा।

ग्राह्य किये गए 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 14 का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। शेष तारांकित प्रश्नों तथा 782 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गये थे।

सभा ने श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा "जल विवाद अधिकरणों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में ध्यानाकर्षण पर विचार किया।

सभा ने श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा उठाए गए मुद्दे "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित रूप से लापता हो जाने के संबंध में न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा 17 मई, 2006 को सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ज्ञापन" पर नियम 193 के अधीन एक अल्पावधि चर्चा में लगभग दो घंटे 37 मिनट चर्चा की।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के बाद तथा विलम्ब के लिए सभा स्थगन से पहले 69 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए। साथ ही इस अवधि के दौरान नियम 377 के अंतर्गत 51 मामले उठाए गए।

विधायी कार्य के संबंध में सभा ने राज्य सभा द्वारा पुनः यथापारित संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 2006 को पारित करने से पहले इस पर पांच घंटे 45 मिनट तक चर्चा की।

सभा ने बीमांकक विधेयक को पारित करने से पहले इस पर लगभग एक घंटा 37 मिनट चर्चा की। सभा ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 पर लगभग दो घंटे 44 मिनट चर्चा करने के बाद इसे भी पारित किया।

सभा ने राज्य सभा द्वारा यथापारित असम राइफल्स विधेयक, 2006 पर लगभग एक घंटे 49 मिनट चर्चा करने के बाद तथा उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 पर एक घंटक 29 मिनट चर्चा के बाद इन्हें पारित किया। सभा ने स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर लगभग 47 मिनट चर्चा करने के बाद इसे पारित किया।

इस अवधि के दौरान विभाग संबंधी स्थायी समितियों के 19 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

इस सप्ताह के दौरान व्यवधानों तथा स्थगनों के कारण 11 घंटे 16 मिनट का समय बर्बाद हुआ।

तथापि आवश्यक कार्य निपटाने के लिए सभा ने आठ घंटे 42 मिनट तक देर तक बैठकर कार्य किया। जिस आठ घंटे 42 मिनट की अवधि तक सभा देर तक बैठी इसमें से एक घंटा 40 मिनट अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए जब सभा का सामान्य कार्य समाप्त हो गया था।

मैं कार्य संचालन में उनके सहयोग हेतु माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 6 पर चर्चा करेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रबड़ नियम 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्ययधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस मामले के संबंध में है?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : जी नहीं, पहले इसे हो जाने दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रबड़ नियम 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगले सप्ताह किसी समय लेंगे।

अपराह्न 12.04½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें - (रेल) - 2006-07

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं वर्ष 2006–07 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांग के संबंध में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मोहन सिंह। चूंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं इसीलिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मुझे निवेदन करना है कि जिस प्रकार से पाठक कमीशन की रिपोर्ट की जानकारी अखबारों और मीडिया के जरिये सारे देश को हो गई, यहां सदन के सम्मान का प्रकरण पैदा हुआ कि इस रिपोर्ट को किसने लीक किया? संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार इसकी जांच करायेगी और तथ्यों को सदन के सामने रखा जाएगा तथा जो लोग भी इस मामले में दोषी पाए जायेंगे, उनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि उंगली इस बात पर उठी थी कि संभव है इसकी लीकेज प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज उसका स्पष्टीकरण अखबारों में दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी के पास अभी पाठक जी बैठे ही थे कि किसी मीडिया ने समाचार प्रसारित किया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है और संसदीय शिष्टाचार का तकाजा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सदन के सामने आते और अपना स्पष्टीकरण देते और इस बात पर सदन के सामने खेद प्रकट करते कि ऐसी बात हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार नहीं है। एक शिष्टाचार के नाते, सदन के सामने, उनको खेद प्रकट करना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। वह वरिष्ठ सदस्य हैं और इसीलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैं विशेषाधिकार की दी गई सूचनाओं पर विचार कर रहा हूं।

अब, हम 'अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों' पर आते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि उन पर विचार कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : अगर वे सदन में नहीं हैं तो उन्हें सदन में आकर कहना चाहिए था, कर्टसी की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार मैंने उन्हें केवल 2-3 दिनों पूर्व सूचना दी है, वे आ चुके हैं। मुझे निर्णय लेना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : यह सरकार की तरफ से सदन की गंभीर उपेक्षा है। मैं इसके विरोध में, अपने साथियों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय प्रो. राम गोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, हम भी इसका विरोध करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। मैं आपको रोक नहीं सकता।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07½ बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ और अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकापुरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से अनुरोध कर रही हूं कि बंगलौर शहर को ए–1 शहर का दर्जा प्रदान किया जाए। हर कोई जानता है कि इसकी स्थापना नाड प्रभु केंप गौडा द्वारा योजनाबद्ध झीलों तथा योजनाबद्ध मार्गों के साथ की गई थी जो कि प्रत्येक कारीगर समुदाय के लिए थी। बंगलौर का गौरवपूर्ण इतिहास है; आज इसे आर्थिक केन्द्र के रूप में जाना जाता है; यह भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भी है जो विश्व के बहुत प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आज 70 लाख जनसंख्या वाले बंगलौर में विश्व स्तरीय अवसंरचना और उद्योग हैं तथा यहां पर एचएएल, एचएमटी, इसरो आदि जैसी विश्व प्रशिद्ध सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। इसने देश को सम्मान दिलाया है।

बंगलौर को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है जो कि पूरे देश से बहुत सारे व्यक्तियों को आकर्षित करता है। अनेक वृद्ध नागरिक बंगलौर के सुहाने मौसम के कारण वहीं पर बस जाना चाहते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और अपनी अच्छी सड़कों के कारण बंगलौर ए–1 शहर के दर्जे का हकदार है।

मुझे यह मालूम नहीं कि भारत सरकार ने चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे शहरों को ए–1 शहर का दर्जा प्रदान करते समय बंगलौर को यह दर्जा देने से कैसे छोड़ दिया। इस समय यह कर्नाटक की राजधानी है, जो कि पहले मैसूर राज्य में थी। मैं पूरी विनम्रता से सरकार से कर्नाटक की राजधानी को ए–1 शहर का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक बार आप इसे ए–1 शहर बना दीजिए, यह बर्बाद हो जायेगा।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : मैं अपने प्रिय तमिल नेता, थिरू वाइको की अध्यक्षता वाली मारनमालार्थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से बोल रहा हूं।

वर्तमान श्रीलंका सरकार अपनी तीनों सेनाओं का इस्तेमाल करके श्रीलंका में तमिल लोगों के विरुद्ध खुली लड़ाई जारी रखे हुए है। यह जातीय संहारात्मक हमला है, जो कि वह पिछले 50 वर्षों से हर तरफ कर रही है। अब, यह नार्वे के हस्तक्षेप वाले वर्ष 2002 के युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रही है।

एम डी एम के नेता श्री वायको ने दिनांक 19 जुलाई 2006 को माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की और उन्हें उस वर्तमान स्थिति और तरीके के बारे में विस्तार से बताया जिसके द्वारा तमिल क्षेत्रों में रह रहे निर्दोष व्यक्तियों पर श्रीलंका सेना द्वारा हमला किया जा रहा है और निर्दोष तमिल पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंधाधुंध हवाई बमबारी में मारे जा रहे हैं।

एम डी एम के के सभी संसद सदस्यों ने दिनांक 3 अगस्त, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री से भेंट करके इसकी सूचना दी और उन्हें श्रीलंका में रह रहे तमिल व्यक्तियों को बचाने के लिए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, मैं दिनांक 15 अगस्त, 2006 को डेक्कन क्रोनिकल में प्रकाशित अत्यंत दुखद समाचार पर टिप्पणी करना चाहता हूं जिसमें बताया गया था कि श्रीलंका पुलिस के 44 कर्मिकों को कोयंबटूर, तमिलनाडु में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सुविधा में प्रशिक्षण दिलाने के लिए रखा गया है। महोदय, इस समाचार से तमिलनाडु में रह रहे तमिल व्यक्तियों की भावनाओं को बहुत अधिक ठेस पहुंची है। इससे भारत के प्रधानमंत्री को अभ्यावेदन देने वाले श्री वाइको को बहुत चिंता हो गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप दोनों एक ही समय पर नहीं बोल सकते। अपनी–अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : जहां तक मुझे जानकारी है एमडीएमके और एआईएडीएमके के स्वतः अपने नेतृत्व वाले आंदोलन के कारण श्रीलंका से प्रशिक्षण हेतु आए पुलिस बल को बंगलौर अथवा इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत में कहीं भी उनके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महोदय, इसके आगे यह कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री से श्रीलंकाई युद्धपोत के लिए भारतीय नौसेना से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए।

डा. सी. कृष्णन : श्रीलंकाई युद्धपोत श्रीलंका में तमिल क्षेत्रों में अपने अभियान में तेजी लाने के लिए 854 सशस्त्र सैनिकों को ले जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. कृष्णन, इतना पर्याप्त है।

डा. सी. कृष्णन : महोदय, मैं महसूस करता हूं, यदि इसे अनुमति दी गई तो इसका अर्थ होगा कि भारतीय नौसेना को श्रीलंकाई सेना की तमिल लोगों पर नरसंहारात्मक आक्रमण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नोटिस से इतर बातें कह रहे हैं। मुझे खेद है। अपने नोटिस से परे न जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. कृष्णन, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर) : महोदय, द्रमुक पार्टी की ओर से मैं श्रीलंका में तमिलों की हत्या पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान रखते हुए श्रीलंका में तमिलों की हत्या को रोकने के लिए एक पत्र लिखा था।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ डा. कृष्णन ने कहा वह सही नहीं है *...(व्यवधान)* कोयम्बटूर में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ...*

अध्यक्ष महोदय : वह शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

डा. कृष्णास्वामी : द्रमुक पार्टी की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका में तमिलों की हत्या को रोका जाए।

अपराह्न 12.14 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के कई विशेष जिलों में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया है, विशेषकर शिवहर, मोतीहारी और सीतामणि जिले में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। पश्चिमी चम्पारण भी उन्हीं विशेष जिलों में से एक है। किसानों को नहरों द्वारा पानी नहीं मिल रहा है सभी स्टेट ट्यूबवैल बंद हैं। एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। महोदय, मवेशियों के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं सम्पूर्ण बिहार को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता हूं और केन्द्रीय सहायता की मांग करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं। *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया एक–एक कर बोलें। आपके लीडर बोल रहे हैं। आपका महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक–एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी बोलेंगे, तो आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। एक–एक करके बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह विषय बहुत गंभीर है. इसलिए सम्पूर्ण बिहार में अकाल की स्थिति घोषित की जाए। पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार है। वर्षा नहीं होने के कारण जो फसल लगनी थी, नहीं लग सकी। आज 8 अगस्त हो गया है। अभी तक वहां धान के बीज बिखरे हुए हैं लेकिन बीजारोपण नहीं हुआ है। वहां भयंकर रूप से अकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अकाल की छाया अभी से मंडरा रही है इसलिए केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। यह एक मानवीय सवाल है और पूरे 10 करोड़ लोगों के जीवन–मरण का सवाल है। मेरा आग्रह है कि पूरे बिहार को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला है जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सीताराम सिंह जी ने एक मौजूदा प्रश्न को सदन में उठाया है। हम उसके साथ सम्बद्ध करते हैं। पहले बिहार बराबर बाढ़ से तबाह होता था लेकिन पहली बार बहुत दिनों के बाद पूरे दक्षिण और उत्तर बिहार में सूखे की स्थिति हो गई है। वहां भयंकर रूप से चारे की समस्या है जिससे लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय गृह मंत्री जी, जो आपदा प्रबन्धन के प्रभारी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वह सहानुभूतिपूर्वक बिहार के बारे में विचार करें और अकाल से निपटने में मदद करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। मैं जानता हूं कि लोगों द्वारा इन गंभीर समस्याओं को सामना किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीताराम जी ने जिन बातों का जिक्र किया, उसके बारे में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। बिहार में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे स्थिति भयंकर हो गई है। ईश्वर की लीला यह है कि वहां कभी सुखाड़ और कभी बाढ़ आती है। हम हमेशा इस विषय में चर्चा करते हैं। दुर्भाग्यवश पूरे बिहार में वर्षा प्रॉपर रूप से नहीं हुई है। जैसा देवेन्द्र जी ने ठीक कहा कि बीज भी नहीं लगाए गए हैं जिससे भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हम गृह मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि वह यथाशीघ्र वहां एक दल भेजें और असैस करें। जितनी जल्दी हो सके बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अवाम और जानवरों की स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराएं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी तरफ से आदेश आया है और सम्माननीय सदस्यों ने भी कहा है। हम गहराई में जाकर देखेंगे और जितनी मदद करना जरूरी है, वह करेंगे।

अपराह्न 12.18 बजे

(दो) देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून के मौसम में प्रतिकूल मौसम ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पिति घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों में तबाही मचाना जारी रखा है जिससे जनजातीय लोगों में घबराहट फैली है। किन्नौर के अधिकांश क्षेत्र और स्पिति घाटी के लगभग पूरे क्षेत्र का संपर्क गत कई दिनों से अब तक सड़क, विद्युत और मोबाइल सम्पर्क कटा हुआ है।

हिन्दुस्तान–तिब्बत मार्ग पर रदलांग नाला पर हाल ही में बना 30 फीट का कंक्रीट पुल भी अचानक आयी बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक अन्य बैले पुल जिसका निर्माण घाटी में इस नाले के ऊपर किया गया था, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह अचानक बाढ़ इस क्षेत्र में बादल फटने के कारण आयी थी। हिमालय की ओर जाने वाली यह सड़क जो रक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, एक बार पुनः इससे आगे जाने के लिए यातायात के लिए कट गई है। गत महीने बादल फटने के कारण स्पिलाऊ गांव का संपर्क कट गया था, बाद में मरम्मत की गई और यातायात बहाल किया गया। किन्तु अब भी भारी यातायात इससे आगे बाधित हो रहा है।

जब काम चल रहा था, तब जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ने नाले पर लकड़ी के कुंदे डाले ताकि दोनों तरफ फंसे सैंकड़ों लोग क्षतिग्रस्त भाग को पार न कर सके। इस बाढ़ में कंक्रीट पुल सहित कुल 60 मीटर सड़क खंड पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। जी आर ई एफ द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त सड़क को बड़े पत्थरों से भरा जाए ताकि यथाशीघ्र यातायात बहाल किया जा सके।

इस सड़क को बनाने में कुछ महीने लगेंगे। सरकारी तथा निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। भारी वर्षा के कारण हिकिम, कोमिक और लागया गांव के आठ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन क्षेत्रों में उगाए जाने वाली खड़ी फसल यथा मटर और अन्य सब्जियों को नुकसान हुआ है। सड़कों का संपर्क कट जाने के कारण इस क्षेत्र में घूमने आए लगभग 100 विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करूंगी कि इस मामले को गंभीरता से लें ताकि वहां फंसे पर्यटकों को वहां से वापस निकाला जा सके। लाहौल घाटी मिआर क्षेत्र चलिंग नाला पर बना पुल इस बाढ़ में बह गया और वहां फंसे लगभग 50 लोगों ने इस वजह से दूसरे गांव में शरण ली है। इस क्षेत्र में संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। जैसा कि आप लोग समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे, सतलुज नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है और इससे इस क्षेत्र के लोगों में घबराहट है। गत वर्ष बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था।

ताबो के निकट किन्नौर और स्पिति घाटी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बना एक पुल भी बह गया। चम्बा जिले में पांगी घाटी को जोड़ने वाली एक मात्र उदयपुर–किल्लार सड़क भी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई है। मंडी जिले में भी द्रांग ब्लॉक में काटोला से कमांद संपर्क मार्ग पर भूस्खलन ने सड़क अवरुद्ध कर दिया है जिससे यातायात बाधित हुआ है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह बाढ़ के कारण हुई क्षति का आकलन करे और वहां विद्यमान परिस्थिति को गंभीरता से ले तथा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इन दूरस्थ क्षेत्रों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु राज्य को पूर्ण सहायता प्रदान करे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं पांडिचेरी के एक इन्क्लेव में बाढ़ के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान पहले ही आकर्षित कर चुका हूं। एक छोटा पॉकेट, यनम जो आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिलस से घिरा हुआ है, अनवरत बारिश और महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से आए बाढ़ के पानी से पूरी तरह बह गया है। सामाजिक परिसम्पत्तियों और लोगों की निजी परिसम्पत्तियों को भारी क्षति पहुंची है। यद्यपि कि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है तथापि फसलों, पशुओं, सड़कों, पुलों और अन्य विभिन्न अवसंरचना को भारी क्षति पहुंची है। हमें इन सारी चीजों का पुनर्निर्माण करना होगा। एक अनुमानित आकलन के अनुसार, फसलों और अन्य विभिन्न चीजों को हुई इस क्षति की भरपाई करने हेतु करीब 50 करोड़ रुपये की आवश्यकताएं होगी। पांडिचेरी सरकार राहत उपाय करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य कर रही है।

महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में सहायता भेजें। मैं समझताह हूं कि प्रभावित लोग मछुआरे, भूमिहीन मजदूर और आजीविका हेतु समुद्र से जुड़े लोग हैं। पिछले दस दिनों से वे किसी प्रकार की आमदनी व रोजगार से वंचित रहे हैं। इसलिए, 12,000 प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 3000/– रुपये की धनराशि शीघ्र ही जानी चाहिए तथा अनंतिम प्राक्कलन के पश्चात् सरकार सूखा और राहत कोष से और अधिक धनराशि जारी कर सकती है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कनार्टक में हुई भारी वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश की सभी नदियां लबालब हैं जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अनेक जिलों विशेषकर तेलांगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बाढ़ आयी हुई है। एक हजार से अधिक गांव अभी भी जलमग्न है। 100 से अधिक लोग जान गवां चुके हैं और अनेक लोग लापता हैं तथा लाखों लोग बेघरबार हो चुके हैं। बाढ़ के कारण हजारों मवेशी खो चुके हैं। इसके कारण लाखों एकड़ जमीन में खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। बाढ़ का पानी अनेक कस्बों और घरों में प्रवेश कर चुका था। अनेक स्थानों पर पुराने मकानों के ढहने से कई लोगों की मौत हो चुकी है तथा सम्पत्ति को भी हानि हुई है। मात्र यातायात प्रणाली ही नहीं बल्कि बिजली और संचार के अन्य माध्यम भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

वस्तुतः इन प्रभावित लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। पहले की ही तरह, आंध्र प्रदेश सरकार का रवैया इस संबंध में ढुलमुल रहा है तथा बाढ़ प्रभावित लोगों को वहां से हटाने और उनके पुनर्वास हेतु कोई समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रभावित लोगों के लिए खाद्य–पदार्थों और नागरिक सुविधाओं की बात ही छोड़ दें, यहां तक कि उन्हें पेयजल भी उपलब्ध नहीं है।

शिविरों में नागरिक सुविधाओं की कमी की वजह से संक्रामक रोगों के अति शीघ्र फैलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति और उन्हें पुनर्वास मुहैय्या कराने के प्रति गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह दो पृष्ठों का भाषण पढ़ने का समय नहीं है।

डा. एम. जगन्नाथ : मुझे और दो बातें कहनी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा हेतु उत्तरी आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के दौरान बिल्कुल गंभीर नहीं थे। हमारे संसदीय नेता, श्री येरननायडु को मुख्य मंत्री जी के समक्ष संबंधित जानकारी रखने का मौका नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री महोदय आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजी हैं।

डा. एम जगन्नाथ : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र इस संबंध में हस्तक्षेप करें तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद हेतु युद्धस्तर पर कदम उठाए, नकद धनराशि आदि द्वारा मदद की व्यवस्था करें और उन क्षेत्रो में लोगों की स्वास्थ्य देखरेख हेतु चिकित्सा दल भेजें।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : महोदय, मैं डा. जगन्नाथ की बातों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए उसमें कुछ अन्य मुद्दे जोड़ना चाहता हूं।

माननीय सदस्य बाढ़ की स्थिति के बारे में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में अनवरत बारिश होने की वजह से उत्पन्न भयावह स्थिति से इस सभा को अवगत कराया है। इस बारिश ने, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो चुकी है और आम जनजीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है, लोगों को भयाक्रांत कर रखा है। माननीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री सभा में उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक उत्तरदायी मंत्री है जो आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सांताश्री चटर्जी : माननीय वित्त मंत्री, जो निधियां जारी कर रहे हैं, तथा गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस अवसर पर आगे आएं और संकट की इस घड़ी में इन असहाय राज्यों की जनता की सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप तो हमेशा कोआपरेट करते हैं और मैं भी आपको हमेशा कोआपरेट करता हूं। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और वहां नांदेड़, वर्धा, चन्द्रपुर, गठजोली और पंढरपुर क्षेत्र भी है जहां पानी भर गया है महाराष्ट्र में सी से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। सतारा, सांगली और कुर्लापुर में भी स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को और ज्यादा पैकेज देने की आवश्यकता है और मुम्बई शहर में पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि मुम्बई ड्रेनेज के लिए भारत सरकार को मदद देने की आवश्यकता है। 26 जुलाई 2005 को मुम्बई में जो स्थिति पैदा हुई थी, वह स्थिति पैदा न हो, इसीलिए भारत सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा भी ज्यादा ध्यान भारत सरकार की तरफ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है। ज्यादा बोलने से ज्यादा रुपया नहीं मिलता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य और अन्य क्षेत्र भारी वर्षा से प्रभावित हैं। हम संबंधित मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के साथ ही बलों के निरंतर संपर्क में हैं। हमने उन्हें सहायता करने के लिए सैन्य दस्ते, हेलिकाप्टर और अन्य सामान उपलब्ध कराऐ हैं। आपदा राहत निधि की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और हमने इन राज्यों को आपदा राहत निधि की दूसरी किस्त जारी करने के लिए भी कहा है। इन निधियों का उपयोग पीड़ित लोगों को तात्कालिक सहायता देने के लिए किया जा सकता है।

हमारा देश विशाल है। कुछ स्थानों पर सूखे की स्थिति है और कुछ अन्य स्थानों पर भारी वर्षा की स्थिति है। हम सूखे का सामना कर रहे लोगों की कठिनाइयों के साथ ही भारी वर्षा से पीड़ित लोगों की कठिनाइयों पर भी ध्यान देंगे। अगर कुछ और किए जाने की आवश्यकता होगी तो हम राज्यों से अपनी योजनाएं तैयार करने और उन्हें भारत सरकार के पास भेजने के लिए कहेंगे, जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी ताकि लोगों का स्थायी रूप से पुनर्वास करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जा सके ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

डा. एन. जगन्नाथ : मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक मुद्दे के बारे में अनुरोध कर रहा हूं। अभी भी, पिछले पांच अथवा छः दिनों से कई गांव पानी में हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री जगन्नाथ की बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। अब मैं माननीय मंत्री श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम को बुला रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ, मैंने आपको पूरा अवसर दिया है। आप भाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री जी ने स्वतः आपको जवाब दिया है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 78/2006-सी.शु. जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट विनिर्मित वस्तुओं को नेपाल से आयात किये जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4617/06]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 79/2006-सी.शु. जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित 70 ग्राम/मी 2 तक की भार वाले लाइट वेट कोटेड (एलडब्ल्यूसी) पेपर को उस पर उद्ग्रहणीय 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4618/06]

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, आपको अनेकशः धन्यवाद। देश आज अब तक के भीषणतम बिजली संकट का सामना कर रहा है। एसोचैम द्वारा हाल में किए गए एक सर्वेक्षण में यह उद्घाटित हुआ है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में 8 से 27 प्रतिशत तक बिजली की कमी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 2,300 मिलियन – यूनिट बिजली की उपलब्धता है, जबकि आवश्यकता 3,050 मिलियन–यूनिट की है, जो कि लगभग 27 प्रतिशत की कमी है। देश के सर्वाधिक औद्योगीकृत राज्यों में से एक महाराष्ट्र भीषणतम बिजली संकट का सामना कर रहा है और यहां लगभग 20 प्रतिशत बिजली की कमी है और प्रतिदिन लगभग 6 से 7 घंटे बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। हमारे देश के उत्तरी क्षेत्र में नौ राज्य हैं जहां आज लगभग 3,765 मेगावाट बिजली की कमी है जबकि अप्रैल 2004 में 1600 मेगावाट बिजली की कमी थी। यह कमी अभूतपूर्व है और संकट का सामना करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को न सिर्फ बिजली उत्पादन में बल्कि पारेषण और वितरण में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

हमारे पन बिजली संसाधनों का भी दोहन किए जाने की आवश्यकता है। भूटान सरकार के साथ एक करार की बात चालू रही है। टाल परियोजना से भारत को लगभग 1050 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी जिसमें से 150 मेगावाट का उत्पादन आरंभ हो रहा है। आज हमारे देश में 200,000 मेगावाट की आवश्यकता है। हमारा उत्पादन मात्र 100,000 मेगावाट है। इसमें आठ लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की लागत आने वाली है। हमें क्षमता का दोहन करना है और यह पता लगाना है कि प्रतिस्पर्धी लाभ कहां है। अगर भूटान और नेपाल सस्ती पनबिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो हमें उन्हें उत्पादन करने हेतु और भारत को आपूर्ति करने की अनुमति देने की आवश्यकता है, जबकि हम अपने संसाधनों को पारेषण और वितरण में लगाएंगे।

विश्व बैंक ने भारत का चित्रण "बनाओ, उपेक्षा करो और पुनः बनाओ मॉडल" के रूप में किया है। हम सार्वजनिक परिसम्पत्तियां बनाते हैं, तत्पश्चात् हम उन निवेशों को प्रतिस्थापन पर व्यय नहीं करते हैं और फिर हमें उन सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। यह वास्तव में हमारे देश की जनोपयोगी सेवाओं की कटु निंदा है, चाहे वह बिजली हो अथवा जल। यही कारण है कि मैंने पिछले सप्ताह पानी के मुद्दे को उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे देश को विद्युत और जल के इन मुद्दों से संबंधित वाद–विवाद पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निजी सरकारी भागीदारी प्रणाली को बहाल करने का भी आग्रह करता हूं। मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसी योजनाओं में राजस्व इकट्ठा करने का भी अनुरोध करता हूं, जहां प्रत्येक गांव में एक फ्रेंचाइजी बनाया जाएगा, ताकि उसी उप–केन्द्र से धन इकट्ठा किया जा सके और उसी गांव का व्यक्ति ट्रांसफार्मर लगा सके तथा जवाबदेही तथा पारदर्शिता बढ़े। इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

मैं चाहूंगा कि विद्युत मंत्री इस मुद्दे पर प्रकाश डालें। सरकारों, न केवल राज्य सरकारों परन्तु केन्द्र सरकार को विद्युत बचाने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। बिजली बचाने के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जिन मूल्यवान संसाधनों, जिनके बारे में हम संसद में बहुत कम वाद–विवाद करते हैं, का संरक्षण किया जा सके। हमें समाधान तलाशने होंगे।

अंततः हमें केवल इन संसाधनों के संरक्षण ही नहीं बल्कि इनके विवेकपूर्ण तथा उचित प्रयोग के बारे में बात करने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता उत्पन्न करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला नहीं है जोकि केवल प्रश्न–काल के बाद उठाया जाये। मैं इस पर नोटिसों का स्वागत करूंगा। मैं इस मुद्दे पर सदस्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मुझे गलत न समझा जाये तो मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर और युवा सदस्य भाग लें और इनमें और रुचि दिखाएं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं।

महोदय, एक बहुत लंबे तथा निरंतर संघर्ष के पश्चात ही भारत सरकार ने केरल के पुन्नाप्रा वायलार कारीवेलोर कय्यूर तथा कुछ अन्य संघर्षों को 1998 में मान्यता प्राप्त करने का फैसला किया। सरकार ने उनके लिए एस एस एस पेंशन को भी स्वीकृति दी। उनमें से बहुतों को पेंशन मिल रही है। परन्तु दुर्भाग्य से संघर्ष में भाग लेने वाले बहुत से लोगों को कुछ तकनीकी आपत्तियों के कारण पेंशन नहीं मिल रही है।

इन सभी आवेदनों की संवीक्षा जिलावार सलाहकार समितियां तथा राज्यवार सलाहकार समितियां करती हैं। संवीक्षा के बाद ही इन पेंशनों को स्वीकृति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि यदि एक व्यक्ति को राज्य की ओर से पेंशन मिल रही है तो केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी पेंशन की स्वीकृति के लिए यही मानदंड होना चाहिए। परन्तु

यह केवल तभी स्वीकृत की जाती है, जब आवेदक न्यायालय गए हैं। सभी लोगों के लिए न्यायालय जाना संभव नहीं है। वे सभी वृद्ध लोग हैं और वे बीमार भी हैं।

हम बहुत जल्द ही स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। वस्तुतः उनकी संख्या बहुत कम है तथा भविष्य में उनकी संख्या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अतः उनकी सहायता करना सरकार का कर्त्तव्य है तथा मुझे लगता है कि सरकार उनकी सहायता करने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का उपयोग कर सकती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्वतंत्रता के लिए संघर्ष समाप्त हो चुका है। उनके संघर्ष के कारण ही हम लाभान्वित हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन : हां, उनके संघर्ष के कारण ही हम लाभान्वित हो रहे हैं, परन्तु उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को विशेषकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें पेंशन देने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार उन्हें पेंशन दे रही है। केन्द्र सरकार का भी यही निर्णय है। जिन लोगों ने संघर्ष में भाग लिया है, तथा राज्य ने भी इसे स्वीकृत किया है उन पर विचार किया जाए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, उनके साथ स्वयं को संबद्ध करने की कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, उनके साथ संबद्ध करने की कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, उनके साथ संबद्ध करने की कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप श्री पी. करूणाकरण के साथ अपने आपको सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना विश्वविद्यालय देश के अति प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक गिना जाता है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन होते–होते कई सब्जैक्ट्स में अपना एक उच्च सम्मान रखता है। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए काफी दिनों से मांग आ रही है। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था, परन्तु अभी तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की गई, इस कारण बिहार की जनता में काफी आक्रोश है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से पटना विश्वविद्यालय का मान–सम्मान और गौरव बढ़ेगा एवं पटना सहित, पूरे बिहार की जनआकांक्षाओं के प्रति एक विश्वास के रूप में उभरेगा। बिहार इतना बड़ा प्रदेश है और वहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और वहां की जनता की जो वर्षों से मांग है, उसकी पूर्ति की जाए। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि यथाशीघ्र इस पर ठोस कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, डेंगू और मलेरिया का फैलना हमारे देश में एक चिरस्थायी समस्या बना हुआ है तथा इस वर्ष भी हमारे देश में बहुत से भाग मलेरिया तथा डेंगू फैलने से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में भी कई मामले सामने आए हैं तथा डेंगू और मलेरिया के प्रभाव से बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हालांकि केन्द्र सरकार स्थिति से निपटने के प्रति ईमानदार है, परन्तु क्रियान्वयन एजेंसियों में ज्ञान के अभाव तथा अक्षमता के कारण जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकल रहा है।

अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं संबंधित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सभी संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से व्यापक उपाय किए जाने चाहिएं। लोगों को डेंगू और मलेरिया के संक्रमण से राहत मिलनी चाहिए। महानगर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि दिल्ली में डेंगू और मलेरिया फैल गया है इसलिए हालात बिगड़ने से पूर्व तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, गत रविवार को गुजरात के आयुर्वेद महाविद्यायों में एंट्रेंस हेतु प्रवेश परीक्षा ली गई थी। उसमें पूछे गए कुछ प्रश्नों को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। पहला है–

[अनुवाद]

"यह किसने कहा कि ईसाइयों को धर्म परिवर्तन का अधिकार है? सोनिया गांधी, सिस्टर निर्मला, पोप बेनडिक्ट, फॉदर प्रकाश यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था "कृष्णा–गोदावरी बेसिन स्थित सबसे बड़ी गैस परियोजना को नरेन्द्र मोदी ने क्या नाम दिया है?" इस संबंध में चार नाम

दिए गए थे। तीसरा प्रश्न था "अल्पसंख्यकों द्वारा किस दिन को "काला दिन" माना जाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किस दिन को "शौर्य दिवस" के रूप में मनाया जाता है?" ये वे प्रश्न हैं जो पिछले रविवार को गुजरात में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का विषय है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार का यह एक्ट कंडैम करने लायक है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्न पूछने का किसी को अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक–एक करके पूछिए। मैं इस बारे में अनेक बार कह चुका हूं कि एक के बाद एक पूछिए। यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जनरल सर्विस कमीशन, गुजरात के एक प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैं। आपका यह कहना सही है कि यह गुजरात सरकार का मामला है, लेकिन हम लोगों का निवेदन है कि किसी को भी ऐसे असंवैधानिक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* 11 सितम्बर के दिन को आर.एस.एस. विक्ट्री डे मानती है ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता : सर, मुझे अपनी बात कंपलीट करने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला यहां उठाया है, लेकिन यह स्टेट का मामला है, इसलिए मैं इसे अलाऊ नहीं करूंगा। इसमें सैंटर कुछ नहीं कर सकता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं यहां पर राज्य के मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया यहां पर राज्यों के विषयों को न उठाए। यह राज्य का विषय है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है। आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी और यू.पी.ए. सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, आपने मुझे यह मामला उठाने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मिट्टी का तेल एक आवश्यक वस्तु है यह एक ऐसी वस्तु है जिसका दैनिक उपयोग किया जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर तबकों द्वारा इसका दैनिक उपयोग किया जाता है। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संवितरित किए गए मिट्टी के तेल, जिसकी आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, की मात्रा में साल दर साल कमी की जा रही है। भारत सरकार ने राज्य को आबंटित किए जाने वाले मिट्टी के तेल में वर्ष 2001–02 से भारी कमी की है। वर्ष 2001 से 2006 की अवधि के दौरान पांच वर्षों में राज्यों आबंटित किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में 7.750 मिट्रिक टनों की भारी कमी की है। इसलिए वर्ष 2003 के पश्चात् घरेलू कार्डधारियों को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में 50 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया है लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त परम्परागत मछुआरे भी मछली पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी नौकाओं को चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप इन मछली पकड़ने वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य को मिट्टी के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तेल की उतनी ही मात्रा की आपूर्ति करे जितनी वह वर्ष 2001 तक करती थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संवेदनशील मामले को उसी तरह उठायेंगे जिस तरह इसे उठाया जाना चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल केन्द्र सरकार का ध्यान मुल्लापेरियार जलाशय के जलस्तर को बढ़ाये जाने से उत्पन्न हुई विचित्र स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। ... *(व्यवधान)* महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह उन्हें सुनने दो।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन पहले इन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, केरल तमिलनाडु को पानी देने के विरुद्ध नहीं है। वास्तव में तमिलनाडु पिछले 110 वर्षों से जलाशय से पानी ले रहा है। केरल और केरल के लोगों ने यह कभी भी नहीं चाहा कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जाए। यह हमारा मुद्दा कभी नहीं रहा।

यह बांध 110 वर्ष पुराना है। यह बहुत ही असुरक्षित है। विशेषज्ञों द्वारा बार-बार यह कहा गया है। इसलिए हमें एक नए बांध की आवश्यकता है। पिछले 110 वर्षों से तमिलनाडु इस बांध से ज्यादा पानी ले रहा है। अब इस करार की समीक्षा की जानी चाहिए और तमिलनाडु को चाहिए कि वह इसका पर्याप्त मुआवजा दे। इसका निर्णय किया जा सकता है। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि हमारे यहां प्रजातांत्रिक संघीय व्यवस्था है। जब भी दो राज्यों में विवाद होता है तब हमें इसे केवल कानून पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहां पहले से ही कई मामले हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है और केरल सरकार ने इसके विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। उस पर भी उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय दे दी है। अब केरल विधान सभा ने बांध सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने इस अधिनियम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चली गई है। इसलिए, इस कानून को जारी नहीं रहना चाहिए और दोनों राज्यों के लोगों के बीच में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए, अम्पायर की भूमिका निभानी चाहिए, दोनों राज्यों को अमने-सामने बैठाकर इस बांध विशेष के सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले का अन्तिम समाधान करना चाहिए। यह केरल के मध्य भूभाग के पांच जिलों और इसके लोगों से संबंधित मामला है। केरल के मध्य भूभाग के लोगों का जीवन और सम्पदा प्रभावित हो रही है। इसीलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हार्दिक रूप से अनुरोध करता हूं कि दोनों राज्यों को बुलाकर इसका हमेशा के लिए समाधान कर दे।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को श्री फ्रांसिस जार्ज द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी स्वयं को उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे से सम्बद्ध करती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप, श्रीमती सुजाता, श्री चन्द्रप्पन, डा. मनोज और श्री करूणाकरन के नाम इस मामले से सम्बद्ध किये जायेंगे।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, श्री कुप्पुसामी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सी. कुप्पुसामी : महोदय, मेरा मुद्दा दूसरा है।

श्री पी. मोहन (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। मैं तमिल में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

***श्री पी. मोहन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत् सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुल्लई पेरीयार बांध का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका निर्माण मद्रास प्रेसीडेंसी जिसमें तत्कालीन तमिलनाडु और केरल के भाग शामिल थे, के लोगों के कल्याणार्थ किया गया था। इसका उद्देश्य तत्कालील मदुरै जिले और मेरे निर्वाचन का प्रमुख भूभाग शामिल है और माननीय वित्त मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के थेनी, रामनद, डिंडीगुल, शिवगंगा जिलों को लाभान्वित करना था। यद्यपि यह बांध 100 वर्षों से पुराना है फिर भी अभी भी यह मजबूत है। प्रारंभ में, इसमें 152 फीट की ऊंचाई तक पानी रोकने का आशय था। जब केरल सरकार ने शंका जताई तो मुल्लई पेरियार बांध की ऊंचाई घटा कर 136 फीट कर दी गई और तमिलनाडु सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बांध के सुदृढ़ीकरण का सिविल कार्य आरम्भ कर दिया। विशेषज्ञों ने इस बांध की संरचना का गहनता से अध्ययन किया और यह सत्यापित किया कि यह अभी भी

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मजबूत है और अभी भी 152 फीट तक की अधिकतम क्षमता तक पानी रोक सकता है।

इस बीच में, जब उच्चतम न्यायालय को इस विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया तो उच्चतम न्यायालय ने भी वास्तुकला के क्षेत्र में विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और बांध की ऊंचाई 142 फीट तक बढ़ाने का समुचित आदेश जारी कर दिया। किन्तु, फिर भी यह आधारहीन शंका और विरोध जारी रहा और इसका मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान अभी बाकी है। हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री, श्री वी.एस. अचुतानंदन ने तमिलनाडु का दौरा किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम. करूणानिधि को बुलाया और यह निर्णय लिया गया कि दोनों तमिलनाडु और केरल आपस में मिल-बैठकर दोनों राज्यों के हितों में इसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे। जब इसमें प्रभावित दोनों राज्यों ने आपस में ही द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए तैयार हैं तो इसे इस सभा में उठाना आवश्यक है जिससे और भी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होने वाले समाधान में विलम्ब हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

इस प्रकार, मैं इस महत् सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर यहां बहस नहीं करनी चाहिए। जैसा कि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों द्वारा निर्णय लिया गया है यही बेहतर होगा कि दोनों राज्यों के हितों के लिए इसका समाधान आपस में ही सौहर्दपूर्ण से किया जाए। तमिलनाडु के लोगों की न्यायोचित मांग कोई नई नहीं है, यह हमेशा से ही विद्यमान थी और तो और उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि इसकी ऊंचाई को 136 फीट से 142 फीट कर दिया जाए। इसलिए, जनता के हित और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा किसी अन्य आधार पर इसका विरोध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं कि इसका समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से होना चाहिए। यह पूरे देश का मामला है। इसे केवल अपने राज्य का मत समझिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर मित्रों में भी भेदभाव है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, डा. सी. कृष्णन, श्रीमती भवानी राजेन्तीरन, श्री कुप्पुसामी; श्री मोहन के साथ और श्री कुरूप, श्री जॉर्ज के साथ सम्बद्ध करते हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : महोदय, हमारी मांग यह है कि इसका समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हमारी यही मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हालांकि आपके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं, भिन्न-भिन्न मांगे हैं। ऐसे में हम इसका इस तरीके से समाधान निकालें, जो हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत् होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9, नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा करेंगे।

श्री किसनभाई वी. पटेल – उपस्थित नहीं।

(एक) उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेन्थन (पलानी) **:** महोदय, हमारे देश में उच्चतर और अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों का बैकलॉग और रिक्त पदों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उच्चतम न्यायालय में लगभग 33,635 मामले लम्बित हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 33,41,040 मामले लम्बित हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 2,53,06,458 मामले लम्बित हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार ने जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश दिए हैं, तथापि लम्बित मामलों की संख्या बहुत अधिक है।

उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अनेक रिक्तियां हैं। जब तक कि रिक्तियां भरी नहीं जाती, तब तक लम्बित मामलों की संख्या कम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, अधिकतर न्यायालयों में, विशेष रूप से तालुका स्तर के न्यायालयों में समुचित अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं। भारत सरकार को न्यायालयों

के विकास के लिए कतिपय धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों के चयन और वर्तमान प्रणाली से मामलों के शीघ्र निपटान में अत्यंत विलंब होता है और अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्य उम्मीदवारों पर भी विचार नहीं किया जाता। अतः, वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तालुका स्तर पर न्यायालयों का सृजन करके और रिक्तियों को भरने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके लम्बित मामलों की संख्या कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाए। इसके साथ-साथ देश भर के विभिन्न न्यायालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु आवश्यक धनराशि भी आबंटित की जाए।

(दो) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत एडुसेट परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : अंतिरक्ष विभाग के उपग्रह संप्रेषण स्कंध ने कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है कि एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत एडुसेट परियोजना के लिए अपेक्षित धनराशि के अनुमान भेजे जाएं ताकि वर्ष 2005-06 के संशोधित बजट में इसे शामिल किया जा सके। कर्नाटक सरकार ने 24.6.2006 को इसरो के चेयरमैन को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके अंतर्गत 2234 लाख रुपये की लागत की एडुसेट परियोजना के अंतर्गत गुलबर्गा जिले में 2477 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों को शमिल किया गया है। यद्यपि इसरो सिद्धांत रूप से गुलबर्गा जिले में 800 स्कूलों में इस परियोजना को लागू करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन अब तक इसके लिए धन नहीं दिया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना पर शीघ्र कार्यवाही की जाए ताकि गुलबर्गा जिले में 800 विद्यालय इस योजना को कार्यान्वित कर पायें।

(तीन) देश में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : हमारे समाज के सभी संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में मानव अधिकारों को उचित महत्व दिया गया है, लेकिन मैंने पाया है कि कारागारों, जिन्हें ज्यादा सौम्य शब्दों में अब सुधारगृह कहा जाता है, के बंदियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हजारों अभियुक्त देश के विभिन्न सुधार गृहों में सड़ रहे हैं। मनुष्य पैदाइशी अपराधी नहीं है। यह भी सत्य है कि हजारों अभियुक्त, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, वे जेलों में 20 वर्षों से भी अधिक का समय बिता चुके हैं। नजरबंदी के दौरान कुछेक अभियुक्त अंधे हो जाते हैं। चल सकने में असमर्थ हो जाते हैं और इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। उन कैदियों के परिवार के सदस्यों का उनसे संपर्क खत्म हो चुका है। सरकार को एक विधान लाकर इस क्षेत्र में सुधार लाने के बारे में सोचना चाहिए कि कितने वर्षों तक इन बंदियों को सजा भुगतनी पड़ेगी। नजरबंदी के दौरान अनेक कैदियों की मौत भी हो चुकी है। वर्तमान में सुधार रोज-रोज की बात हो गई है जबकि कैदियों के भाग्य को अछूता छोड़ दिया गया है। आजीवन कारावास भोग रहे व्यक्तियों के लिए समयावधि निर्धारण करने की प्रणाली में सुधार करके एक समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए ताकि सजा भुगतने के बाद ये कैदी हमारे समाज में रह सकें।

(चार) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में "खजियार झील" के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में खज्जियार झील पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस झील में घास व अन्य पौधे और कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है इसलिए इस स्थान को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस झील के सौन्दर्यीकरण के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए। कई साल पहले इस झील का पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता था लेकिन अब झील के पानी का स्तर भी गिर गया है क्योंकि इसमें गाद और गोबर बहा दिया जाता है। केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्री ने इस वर्ष 13 अप्रैल को 'चम्बा मिलेनियम' का उद्घाटन किया था और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस झील के सौन्दर्यीकरण के लिए पर्याप्त धन दिया जाए जो प्रत्येक वर्ष-लाखों व्यक्तियों को आकर्षित करती है।

(पांच) तेलुगु को पुरातन भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट) : तेलुगु लिपि 1500 वर्ष से भी अधिक पुरानी है जो कि ताम्रपटों, ताड़पत्रों तथा शिलालेखों पर हस्तलिपियों से स्पष्ट है। तेलुगु भाषा 2000 वर्ष पुरानी है।

प्रख्यात् राजा कृष्ण देव राय जिनका 15वीं सदी में दक्षिण में शासन था, तेलुगु को 'भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम' मानते थे।

तेलुगु भाषा की एक विशेष लिपि है, विशिष्ट स्वरूप तथा पुरातनता है और यह भारत सरकार द्वारा 'क्लासिकल भाषा' का दर्जा दिए जाने के लिए निर्धारित सभी मानदण्डों को पूरा करती है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संस्कृत और तमिल की तरह ही तेलुगु भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीपाद येस्सो नाईक – उपस्थित नहीं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया – उपस्थित नहीं।

श्री अशोक अर्गल – उपस्थित नहीं।

(छह) देश में श्रम कानूनों का उल्लंघन रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अधिकांश राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू तथा विदेशी पूंजीवादी ताकतों के श्रम कानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया जा रहा है। असंगठित और संगठित क्षेत्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी मजदूर संघ बनाने के प्रयासों को विफल किया जाता है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां श्रम विभाग संघों को पंजीकृत करने से इंकार कर रहा है। यदि संघ पंजीकृत हो भी जाता है तो विवादों का निपटारा करने के लिए प्रबंधन संघों के साथ बैठक नहीं करता है। जब विवाद उठते हैं तो कई मामलों में श्रम आयुक्त विवाद निपटाने के लिए बैठक बुलाने हेतु कोई पहल नहीं करते। कई बार उनके हस्तक्षेप से कुछ समझौते हुए हैं परन्तु फिर भी प्रबंधन समझौते को कार्यान्वित नहीं करता। उदाहरण के लिए हाल ही में करनाल में पुलिस यातना की घटना हुई है। लिबर्टी फुटवीयर की उत्पादन इकाइयों के कामगार अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते को सांविधानिक तरीके से कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन से अनुरोध कर रहे थे। पहले तो प्रबंधन ने कानूनी रूप से सक्षम त्रिपक्षीय समझौते को कार्यान्वित न करके अवैध कार्य किया। 25 जून, 2006 को मध्यरात्रि में कर्मचारियों को पुलिस हिरासत में पीटा गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत बंद कर दिया गया। 50 से अधिक श्रमिकों को जेल में डाला गया तथा अन्य अस्पताल में हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा है।

छः माह पहले एन एच पी सी द्वारा हिमाचल प्रदेश में चमेरा पन विद्युत परियोजना की स्टेज तीन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। एन एच पी सी प्रधान नियोक्ता तथा परियोजना के मालिक हैं; एच सी सी मुख्य कांट्रेक्टर है। इस परियोजना में श्रम कानूनों का गम्भीर उल्लंघन किया गया है। कामगारों को कोई नियुक्ति पत्र, न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों के लिए कामगारों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। कांट्रेक्टर पिछले चार महीनों से कर्मचारियों को पैसे नहीं दे रहे हैं। पच्चीस प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र भत्ता भी नहीं दिया जा रहा तथा कामगारों से दिन में 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। जब 10 जून को उन्होंने एक संघ बनाया, तो तीनों नेताओं नामतः बाबू राम, सी आई टी यू अध्यक्ष, विजय तमूर तथा ढांग सिंह को मौके पर ही मार दिया गया था। पंजाब में पिछले तीन वर्षों से लुधियाना की साइकिल फैक्टरी के कामगार अपनी यूनियन को पंजीकृत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ओनर्स एसोसिएशन ने पंजाब सरकार से लिखकर यह अनुरोध किया है कि वह सी आई टी यू यूनियन को पंजीकृत न करे और सरकार ने यूनियन को पंजीकृत नहीं किया। यह एक आम धारणा है।

अतः मैं श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि एन एच पी सी तथा राज्य सरकारों को श्रम कानूनों का उल्लंघन न करने का निदेश दिया जाए और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेवल प्रसाद – उपस्थित नहीं।

(सात) बिहार के समस्तीपुर में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में व्याप्त तथाकथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के समस्तीपुर जिला अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जो कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के लिए देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अव्वल रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय में कई अनुसंधान कार्य ठप्प हो गए हैं जैसे कृत्रिम पशु गर्भाधान, उन्नत बीज आदि। अनुसंधान एवं शोध कार्यों के बंद होने से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नभ्याकाश में ग्रहण लग रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापित प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। विश्वविद्यालय में और भी कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। शिक्षण कार्यों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बरकरार रखने हेतु इसकी समुचित जांच कराते हुए अनुसंधान एवं शोध कार्यों को नियमित तौर पर चलाया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नियम 377 के अंतर्गत मामलों के लिए टेबल ऑफिस द्वारा अनुमोदित मूल पाठ को ही पढ़ें। केवल अनुमोदित पाठ ही रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

अब, श्री कमला प्रसाद रावत – उपस्थित नहीं;

श्रीमती अर्चना नायक – उपस्थित नहीं।

(आठ) दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरुलिया एक्सप्रेस और स्टील एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटाये जाने तथा दैनिक/मासिक/सीजन टिकटधारियों के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कुछ डिब्बे नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, हाल में रेल प्रशासन ने कई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का 'सुपरफास्ट' श्रेणी में उन्नयन किया है। दक्षिण–पूर्व रेल में एक्सप्रेस रेलगाड़ियां यथा पुरुलिया एक्सप्रेस, अरण्यक एक्सप्रेस, रूपसी एक्सप्रेस, बांग्ला एक्सप्रेस, स्टील एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस का उन्नयन किया गया है। लेकिन यात्रियों के लिए कोई और सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं बल्कि रेल टिकट का भाड़ा बढ़ा दिया गया है। इससे यात्रियों, विशेष रूप से दैनिक यात्रियों को बहुत कठिनाई में डाल दिया गया है। अतएव, यह वांछनीय है कि कम से कम दो रेलगाड़ियों, यथा पुरुलिया एक्सप्रेस तथा स्टील एक्सप्रेस को एक्सप्रेस

रेलगाड़ी रहने दिया जाए तथा इसे सुपरफास्ट श्रेणी से छूट मिलनी चाहिए; तथा अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कतिपय डिब्बे दैनिक/मासिक/सीजन टिकट धारकों के लिए नियत किए जायें।

अतएव, मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध रहूंगा कि वे इस परिप्रेक्ष्य में अपने निर्णय की पुनरीक्षा को तथा यात्रियों, विशेषरूप से, दैनिक यात्रियों के साथ न्याय करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक – उपस्थित नहीं।

श्री एम. शिवन्ना – उपस्थित नहीं।

(नौ) दीमापुर-गुवाहाटी को कोलकाता-दीमापुर के बीच शनिवार और रविवार को विमान सेवा पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक (नागालैण्ड) : भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय पूरी तरह से अवगत है कि केवल इंडियन एयरलाइन्स ही कोलकाता से नागालैंड के लिए बोइंग सप्ताह में दो बार तथा ए टी आर पांच दिनों तक उड़ान सेवा प्रदान कर रही है। पिछले कई वर्षों से, नागालैंड के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उड़ान सेवा रद्द करना तथा उड़ान को शिलांग होकर ले जाना एक आम बात हो गई है। एक बार, दीमापुर तथा गुवाहाटी के बीच उड़ान सेवा शुरू की गई थी लेकिन 2005 से इसे बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, गुवाहाटी-दीमापुर उड़ान सेवा को विद्यमान सेवा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अद्यतन स्थिति यह है कि कोलकाता से दीमापुर की उड़ान शनिवार तथा रविवार को बंद कर दी गई है। दीमापुर की नियत उड़ान अंतिम समय पर रद्द कर दी जाती है। अब, यह अंतिम समय पर रद्द किया जाना यात्रियों को काफी असुविधा देता है। अब स्थिति यह है कि सभी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सड़क मार्ग या रेल मार्ग से गुवाहाटी तक यात्रा करनी पड़ती है तथा तब वहां से उड़ान पकड़ते हैं। भारत सरकार द्वारा बुलाई गई कई तत्काल सरकारी बैठक इंडियन एयरलाइंस के कुप्रबंधन के चलते छूट जाते हैं। यद्यपि दीमापुर हवाई अड्डा वर्षों तक अत्याधिक लागत पर बनाया गया है लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नागालैंड के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

अतएव, मैं नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि बिना विलंब किए शनिवार तथा रविवार को दीमापुर तथा गुवाहाटी के बीच तथा कोलकाता तथा दीमापुर के बीच उड़ान सेवा शुरू की जाये।

(दस) मुम्बई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरगांव क्रॉसिंग पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड़ से खैरगांव और डांग जाने वाले चौराहे पर मेरे संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को हो रही परेशानियों की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मुम्बई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल नहीं होने के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बलसाड़–खैरगांव चौराहे पर दुर्घटना होना मेरे क्षेत्र की जनता के लिए आम घटना हो गयी है। बलसाड़ से डांग और गुन्दलाव गुजरात इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आने–जाने वाले हजारों लोगों को इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करना पड़ता है। इस चौराहे पर यातायात बहुत अधिक है और इस पर पुल का निर्माण नितांत आवश्यक है। यहां पर मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बता हूं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाधलधरा से वारी जाने वाली चौराहे पर जिस पर कि यातायात बलसाड–खैरगांव की तुलना में कम है, सरकार ने पुल का निर्माण कराया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुम्बई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरगांव चौराहे पर बिना किसी विलम्ब के एक पुल के निर्माण आदेश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करें।

(ग्यारह) कर्नाटक में कतिपय क्षेत्रों को शामिल किए जाने के बारे में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : 'वास्को' मिशन ने वर्ष 1838 में बेलगाम में एक कन्नड़ स्कूल की स्थापना की। यदि बेलगाम की भाषा मराठी होती तो वे मराठी स्कूल शुरू किए होते। काफी दिनों पूर्व राजाजी बेलगाम में एक सार्वजनिक भाषण दे रहे थे तथा उनका भाषण कन्नड़ में अनुवाद किया गया। श्री चिक्कोदी, जिन्होंने भाषण का अनुवाद किया, की राजाजी ने काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों को कन्नड़ सीखना चाहिए तथा उस क्षेत्र में रह रहे कन्नड़ लोगों के साथ रहें।

धार समिति, वांचू समिति तथा कांग्रेस जे.वी.पी. (जवाहर लाल, वल्लभभाई पटेल तथा पट्टाभी) समिति ने घोषणा की कि बेलगाम कर्नाटक का अभिन्न अंग है।

तब, वर्ष 1995 में भी फजल अलीस आयोग की स्थापना केन्द्र द्वारा की गई। हरयनाथ कुंजूर तथा सरदार के.एम. पाणिक्कर आयोग में थे। इस आयोग ने विस्तृत अध्ययन किया तथा हजारों साक्ष्य लिये। उन्होंने भी यही मत प्रकट किया कि बेलगाम कर्नाटक का अभिन्न अंग है।

अंत में, महाजन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने घोषणा की कि बेलगाम तथा केरल का कासरगौड़ कर्नाटक में होने चाहिए। तत्कालीन गृह मंत्री, श्री गुलजारीलाल नंदा ने एक ठोस

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आश्वासन दिया था कि महाजन आयोग का प्रतिवेदन क्रियान्वित किया जाएगा। अतएव, मैं केन्द्र से महाजन आयोग प्रतिवेदन को पूरी तरह क्रियान्वित करने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 2.21 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 2006-2007

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 – अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006–2007 पर चर्चा करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 5 से 8, 11, 17 से 19, 30, 31, 33, 35, 41, 44 से 48, 52 से 54, 56, 61, 64, 69, 70, 78, 84, 85, 91, 94, 99, 100 और 102 से 105 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशि संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2006–2007 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	1,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50,00,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	110,00,00,000	–
5.	परमाणु ऊर्जा	9,68,00,000	–
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	–	1313,33,00,000
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	84,00,00,000	339,69,00,000
8.	उर्वरक विभाग	2770,37,00,000	–
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	–
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	6,77,00,000	–
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,12,00,000	–
19.	संस्कृति मंत्रालय	25,05,00,000	–
30.	विदेश मंत्रालय	101,03,00,000	–
31.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	1,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	4208,61,00,000	42,45,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	4500,00,00,000	–
41.	राजस्व विभाग	1000,00,00,000	–

1	2		3
44.	विनिवेश विभाग	–	1,00,000
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	16,50,00,000
46.	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	4,50,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	–
48.	भारी उद्योग विभाग	1992,30,00,000	2,00,000
52.	पुलिस	1,00,000	1,00,000
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	337,11,00,000	–
54.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	22,12,00,000	–
56.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	2,00,000	–
61.	विधि और न्याय	1,00,000	–
64.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	–
69.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	–	1,00,00,000
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14150,01,00,000	–
78.	ग्रामीण विकास विभाग	16205,00,00,000	–
84.	नागर विमानन मंत्रालय	–	2,00,000
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	–	1,00,000
91.	कपड़ा मंत्रालय	305,02,00,000	–
94.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,00,000	–
99.	शहरी विकास विभाग	30,00,00,000	1,00,000
100.	लोक निर्माण कार्य	21,86,00,000	23,50,00,000
102.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व–शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	14,00,00,000	–
103.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	–
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,00,000	–
105.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	123,23,00,000	18,29,00,000
	जोड़	46067,43,00,000	1759,36,00,000

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 47,868.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के संबंध में मंजूरी चाहता हूं जिसमें नकद व्यय मात्र 8,667.95 करोड़ रुपये होगा। तकनीकी अनुपूरक मांग 39,200.66 करोड़ रुपये की है। महोदय, 8,667.95 करोड़ रुपये कुल नकद व्यय में से 5,859 करोड़ रुपये, जो कुल नकद व्यय का 68 प्रतिशत है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाएंगे जिसे मुख्यतः, उनकी योजनाओं हेतु सहायता और वैट लागू होने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति, जम्मू–कश्मीर के लिए भूकंप राहत तथा 1984 के पीड़ितों हेतु मुआवजा के रूप में खर्च किया जायेगा। मैं आश्वस्त हूं कि माननीय सदस्य राज्य सरकारों को दी जा रही अतिरिक्त धनराशि का स्वागत करेंगे। अतिरिक्त धनराशि वाला अन्य अकेला बड़ा मद उर्वरकों, मुख्यतः आयातित उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के संबंध में राजसहायता हेतु 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि है।

महोदय, अनुदानों की मांगों की पहली खेप में मांगी जा रही नकद व्यय की राशि से बजट अनुमानों में उल्लिखित वित्तीय घाटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस अतिरिक्त व्यय की भरपाई वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली बचतों से हो जायेगी जैसा कि पिछले वर्षों में होता रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है कि इस वर्ष का कुल व्यय संसद द्वारा अनुमोदित बजट अनुमानों तक ही सीमित रहे। सरकार राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के अनुरूप वित्तीय कदम उठाने के प्रति भी वचनबद्ध है।

महोदय, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह अनुपूरक मांगों को विचारार्थ लें तथा इन्हें पारित करें।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री महोदय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए यह आश्वासन दे रहे हैं कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें बजट अनुमानों के अंदर ही सीमित रहेगी। उन्होंने आज कहा कि 57,868 करोड़ रुपये में से मात्र 8,667 करोड़ रु. ही नकद धनराशि के रूप में व्यय होंगे तथा शेष अतिरिक्त वसूली अथवा बजट प्रावधान में होंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसकी वसूली इसे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले पूरी की जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होगा, राजकोषीय घाटा बजट सत्र के दौरान किए गए वादे के अनुसार ही बना रहेगा। यह महत्वपूर्ण बात है और मैं इस पर प्रसन्न हूं तथा इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, जब मैंने यह जाना कि नकद धनराशि किन मदों पर खर्च की जायेगी तो यह देखकर काफी खुशी हुई कि इसका अधिकांश हिस्सा कृषकों और ग्रामीण जनता के सहायतार्थ खर्च किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 5,800 करोड़ रुपये में से 4,500 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य की योजनाओं के सहायतार्थ खर्च होगी।

यह बात दलगत भावनाओं से इतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार्य होगी। वह उर्वरक उद्योग को राजसहायता दे रहे हैं। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि चाहे जो भी सरकार हो, हमेशा से किसान भुगतते रहे हैं। हमने किसानों की आत्महत्याओं के बारे में बार–बार चर्चा की है। जब तक हम मुद्रास्फीति के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की कीमतें बढ़ेंगी, किसानों की सहायता नहीं करेंगे तब तक वे इस स्थिति से नहीं निपट पाएंगे। स्वाभाविक रूप से, ऐसा करने की जरूरत है तथा मैं प्रसन्न हूं कि वह आयातित बढ़े हुए मूल्य वाले उर्वरकों पर राजसहायता देकर उन्हें पहले की कीमत पर अथवा अत्ययल्प मूल्य वृद्धि के साथ किसानों को मुहैय्या कराकर उनकी सहायता करेंगे।

इसके अलावा, हम सभी को पता है कि कोई भी 2, 3 अथवा 5 एकड़ तक की भूमि के स्वामित्व वाला सीमांत किसान केवल कृषि आय पर निर्भर नहीं रह सकता है। उसके पास कुक्कुर पालन, डेयरी अथवा किसी अन्य साधन से अनुपूरक आय होनी आवश्यक है। इस कारण से, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों सहित अनेक परिवार अनुपूरक आय पर आजीविका चला रहे हैं जो कृषि से न होकर कोई अन्य साधनों से प्राप्त आय है। यहां, हम सब जानते हैं कि हाल के दिनों में पूरा पाल्ट्री उद्योग ठप्प हो गया है। उनमें से कई अचानक फैले एवियन फ्लू के कारण बंद होने की कगार पर है क्योंकि एवियन फ्लू के कारण पूर्ण बंदी है और थोड़ी भी बिक्री नहीं हो रही है। मुर्गा 40 रु. से 50 रु. प्रतिकिलो बिकता था। अब वे इसे मुफ्त में या 5 रु. के नगण्य मूल्य पर बेचने को मजबूर हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि इस देश में पॉल्ट्री फार्मिंग समुदाय किस दयनीय स्थिति में है।

वस्तुतः हमने प्रधानमंत्री के साथ–साथ वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दिया था कि उनकी सहायता को क्योंकि वे एक प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं; वे केवल धनार्जन नहीं कर रहे हैं। महोदय, यदि आप विस्तारपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि एक अंडे का वजन लगभग 60 ग्राम होता है और एक किलोग्राम में 15 या 16 अंडे होते हैं। वे इसे 16 रु. से 20 रु. के बीच बेच रहे हैं। अर्थात 20 रु. प्रतिकिलोग्राम मूल्य पर ठोस खाद्य पदार्थ, जो प्रोटीन समृद्ध है वह गरीबों को उपलब्ध हो रहा है जबकि मटन 180 रु. प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। यहां तक कि सब्जियां भी 30 रु. प्रतिकिलोग्राम के भाव से बिक रही हैं। जब कोई सब्जियां खरीदता है तो उसका 30 से 50 प्रतिशत भाग व्यर्थ होता है। इसका अर्थ है कि आज इस देश में सर्वोत्तम उपलब्ध खाद्य पदार्थ अंडा है जो प्रोटीन समृद्ध है। अतः यह सरकार का कर्तव्य

[श्री के. एस. राव]

है कि पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहन दे। इस पर निर्भर रहने वाले अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं तथा उनका यही-एकमात्र साधन है। वे गरीब परिवार हैं। अतः पोल्ट्री फार्मिंग समुदाय की मदद करने के लिए मैं वास्तव में उन्हें बधाई देता हूं।

पोल्ट्री फार्मिंग समुदाय के ब्याज को माफ करने के अलावा मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि एक और चीज किए जाने की आवश्यकता है। आज वे मक्के की कमी भी झेल रहे हैं। हम हजारों करोड़ रुपये की मांग नहीं कर रहे हैं; हम पूरे पोल्ट्री फार्मिंग समुदाय के लिए मात्र 100 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। यदि वे उन्हें मक्के की आपूर्ति को राजसहायता देने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग समुदाय को 100 करोड़ रु. देते हैं तो इस कार्य का पुनरुद्धार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवार जीवन यापन में सक्षम हो पाएंगे।

इसी प्रकार, उन्होंने वैट क्षतिपूर्ति के तौर पर 1500 करोड़ रुपये और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निश्चय ही ये सब चीजें स्वीकार्य हैं और सभी इसका स्वागत करेंगे।

प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अतिरिक्त व्यय हेतु वे 300 करोड़ रु. दे रहे हैं। आज यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। देश नुकसान उठा रहा है क्योंकि समूचा अनुसंधान और विकास कार्य पश्चिमी देशों में होता है और वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए हमसे अत्याधिक राशि ले रहे हैं। यदि उन्हें 100 करोड़ रु. खर्च करने पड़े हैं तो उसके लिए हमसे 1000 या 2000 करोड़ रु. ले रहे हैं। वे हमारे ही लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम देशों में हमारे अनिवासी भारतीय यह काम कर रहे हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां वही अनुसंधान इस देश में करने की सोच रहे हैं ताकि हम अपने प्रौद्योगिकीविद् श्रमशक्ति और विद्वता का इस्तेमाल कर कम खर्चे पर अनुसंधान और विकास कर सकें और इसका लाभ यह अल्पविकसित देशों को बेच कर उठाना चाहते हैं।

इस संबंध में माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अनिवासी भारतीयों के पास 3 ट्रिलियन अर्थात् 3000 बिलियन डालर है। यदि वे इस देश में अनिवासी भारतीयों से निवेश आकर्षित करने का तरीका ढूंढ सकें तो हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। आज तक अनिवासी भारतीय द्वारा इस देश में किया गया कुल निवेश लगभग 8 बिलियन डॉलर है जबकि चीन में यह 80 बिलियन डॉलर से अधिक है।

अनिवासी चीनी चीन में निवेश करने के लिए दौड़ के आ रहे हैं जबकि अनिवासी भारतीय इस संबंध में उत्साहित नहीं हैं। अतएव यह हमारा दायित्व है कि हम ऐसी योजनाएं तैयार करें जिससे उत्साहवर्धन हो। ऐसा करके हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कल को वे केवल अपना धन ही निवेश नहीं करेंगे बल्कि वहां से प्रौद्योगिकी भी लाएंगे। वे अपनी बुद्धि का उपयोग यहां इस देश के लिए करेंगे और वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से न्यून ब्याज दर पर धन उधार लेंगे और यहां निवेश करेंगे। ये सभी उपाय कई प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। अतएव, मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि इस बारे में भी सोचें।

तीसरे, हमारे पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा है किन्तु हम उसका सार्थक उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें अमरीकी खजाने में या कहीं अन्यत्र रखा जा रहा है। अनिवासी भारतीयों या अन्यों द्वारा देश में जमा राशि पर जो ब्याज हम दे रहे हैं वह अमरीकी खजाने में जमा करने पर हमें जो मिल रहा है उससे अधिक है। इसका अर्थ है कि हालांकि हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हमारे पास 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भण्डार है किन्तु इस कारण हम उसमें से भी खोते जा रहे हैं।

पहले एक सुझाव दिया गया था कि इस विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग इस देश में अवसंरचना निर्माण पर किया जाए। कोई यह कह सकता है कि हमें यह जरूरत पड़ने पर डॉलर के रूप में मिल पाएगा। ठीक है, उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न करें। किन्तु हमारा निगम क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – यथा ओएनजीसी विदेश या अन्य तेल कंपनियां या अन्य कोई उद्योग अथवा क्षेत्र – जाकर अफ्रीका, एशिया, खाड़ी देश इत्यादि में निवेश कर सकता है और कई लाभ उठा सकता है। हमारा निगम क्षेत्र वहां 30 प्रतिशत से अधिक कमा सकता है। वे पैसे का भुगतान कर सकते हैं और केवल इस देश के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी लाभांश कमा सकते हैं। वे हमारे देश के लोगों के लिए रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

वस्तुतः यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या भारतीय निगम क्षेत्र को विदेश में निवेश करने के लिए लगभग 30 बिलियन अमरीकी डॉलर दें तो यह जरूरी नहीं है कि पूरा 30 बिलियन अमरीकी डॉलर विदेश जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपना माल भेजेंगे। इसका अर्थ होगा कि हम अपने उत्पादों के लिए बाजार बना रहे हैं; हम अपने लोगों के लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं; और हम अपने निगम क्षेत्र के लिए जागरूकता फैला रहे हैं तथा उन्हें विदेश में कार्य करने का अनुभव दे रहे हैं। यदि ओएनजीसी विदेश को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर दिए जाते हैं तो देश के बाहर के तेल ब्लॉकों की बोली में भाग ले पाएंगे और वे अपने हिस्से में कम कीमत पर तेल प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार हम आयात घटा सकते हैं और हम तेल आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। ऐसे करने के कई लाभ हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में सोचें।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हमें समाज के गरीब वर्गों का ध्यान रखना होगा। गरीब बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्रदान करता रहा है। जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह बहुत अच्छी है ताकि विशेषकर समाज के गरीब वर्गों के स्कूली बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की घटनाएं कम हों। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए, उन्होंने अपने बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना समय तथा ऊर्जा की बर्बादी है क्योंकि बी.ए., एम.ए. आदि की पढ़ाई करने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। वे केवल अपने परिवार के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति की सोचते हैं। फिर भी, सरकार ने इसके लिए बहुत सी धनराशि उपलब्ध करायी है तथा इसके परिणामस्वरूप वे प्रेरित हो रहे हैं?

दस वर्ष बाद क्या होगा? लगभग 90 प्रतिशत गरीब लड़के तथा लड़कियां कक्षा 8 या कक्षा 10 तक पढ़ेंगे, लेकिन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तथा ये सभी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में कौशल विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, यद्यपि यह विषय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालयों तथा अन्य मंत्रालयों के अन्तर्गत आता है – यह देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि पूरे विश्व भर में कुशल लोगों की कमी है तथा वे कुशल लोग लेने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें संसद में अनुवादक की आवश्यकता है, तो वह नहीं मिल रहा है, यदि हमें संसद में आशुलिपिक की आवश्यकता है, तो वह नहीं मिल रहा है तथा यदि हमें हमारी कार या स्कूटर के लिए अच्छा मैकेनिक चाहिए, तो वे हमें नहीं मिल रहे हैं।

आज, नागर विमानन क्षेत्र जूझ रहा है क्योंकि हमारे पास विमानों के लिए मरम्मत सुविधाओं की कमी है क्योंकि उसके लिए हमारे पास अच्छे मैकेनिक नहीं हैं। अगर मंत्रालय देश में कौशल विकास के लिए कुछ धनराशि आबंटित करे तो आठवीं कक्षा से ही कौशल विकास की तरफ ध्यान दिया जा सकता है और बारहवीं कक्षा पास करने के समय तक ये लोग रोजगार के लिए सक्षम हो जायेंगे तथा समाज या अपने अभिभावकों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता आ रहा हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है। सरकार की योजना के अनुसार बजट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए प्रति वर्ष 50 रुपये देने होते हैं। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हम एक बहुत-ही-अच्छी योजना लाए हैं लेकिन पूरे देश में कुल केवल 9,000 लोगों का ही बीमा किया गया है। इसको एक उत्कृष्ट योजना मानना ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि 50 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बीमा के लिए धनराशि उपलब्ध कराएं। उन्हें, दो–तीन वर्षों में इसका लाभ समझ में आ जाएगा। आज वे कार्पोरेट क्षेत्र के पास नहीं जा सकते हैं। यदि वे सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो उन्हें उचित उपचार नहीं मिलता है। वे अनाथ हो गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को हमें यह स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना होगा। मंत्री जी कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति 10 रुपये देकर शामिल किया जा सकता है। आज, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ देखने के बाद वे आगे आयेंगे तथा यहां तक कि 100 रुपये या 200 रुपये भी देने को तैयार रहेंगे।

जहां तक सरकार का प्रश्न है, इसकी लागत ज्यादा नहीं होगी, पूरे देश में इन लोगों को बीमा प्रदान करने हेतु केवल 3,000 करोड़ से 4000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। मंत्री महोदय, 50 प्रतिशत भार वहन करने के लिए राज्य सरकारों को भी कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें जो कि इन गरीब परिवारों की मूलभूत आवश्यकता है।

बीमा के लिए किए गए आबंटन तथा वित्तीय घाटे के उसी स्तर पर बनाये रखने के लिए दिए गए आश्वासन के लिए मंत्री जी को बधाई देते हुए, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य सदस्य भी इनका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा। आज आपने जो कहना; दिल खोलकर कह दीजिए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अनुपूरक मांगों का जो माननीय वित्त मंत्री जी ने, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समर्थन के साथ–साथ बिहार की समस्याओं की ओर, जहां से मैं आता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार के लोग पंजाब भी काम करने के लिए जाते हैं इसलिए वहां की भी बात करें।

श्री रघुनाथ झा : जब स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और बिहार गए थे तो बिहार की स्थिति को देख कर दिल्ली आने पर

[श्री रघुनाथ झा]

उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करोड़ों रुपये का विशेष पैकेज देने का बिहार को आश्वासन दिया था। बदकिस्मती से श्री राजीव गांधी नहीं रहे। वर्तमान यूपीए की सरकार सत्ता में आई तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित किया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा घोषित विशेष पैकेज जो बिहार को देना था, उसे लागू करेंगे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार को आए लगभग ढाई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन इस दिशा में एक भी कदम बिहार के लिए नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बिहार के लोगों के साथ वादा–खिलाफी और भेदभाव है।

महोदय, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो इसी सदन में हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया था और तीन दिनों तक संसद नहीं चली थी। तत्कालीन गृह मंत्री जो आज विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य को धनवान बना दें और दूसरे राज्य को गरीबी में धकेल दें। एक से एक नेता बिहार के रहे हैं। डा. श्री कृष्ण सिंह 16 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके मन में कभी ऐसी बात होती तो बिहार व झारखंड के इलाके में बड़े–बड़े उद्योग नहीं लगते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उनकी इन्टैन्शन ऐसी नहीं थी। वह बड़े–बड़े उद्योग–धंधे, कल–कारखाने झारखंड की सीमा पर लगा देते। लेकिन हमारे सारे संसाधन चले गये। हमारा कोयला, खनिज सम्पदा, कल- कारखाने झारखंड में चले गये। हमारे टैक्निकल एजूकेशन विद्यालय और सैनिक विद्यालय झारखंड में चले गये। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आज झारखंड को बिहार से अलग हुए छः वर्ष हो गये हैं। झारखंड हमारे साथ मिलने नहीं जा रहा है और न ही हम ऐसी कोई मांग कर रहे हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने कहा था कि जो भी कमी है, बिहार का जो भी हक और हिस्सा होगा, वह हम बिहार को विशेष पैकेज के रूप में देंगे। लेकिन उस सरकार ने उस दिशा में एक भी कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। माननीय वित्त मंत्री जी आप एक विद्वान अर्थशास्त्री और योग्य वित्त मंत्री हैं। यदि आठ–दस करोड़ की आबादी वाला बिहार अविकसित रहेगा, वहां आने–जाने के लिए रास्ते नहीं होंगे, रहने के लिए घर नहीं होंगे, लोगों को खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं होगी तो आप देश को मजबूत नहीं बना सकते। आज हम बदकिस्मती के दौर से गुजर रहे हैं। हम वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि वह अपना वायदा पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ था तो योजना आयोग का गठन हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से आयोग की प्रथम बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जहां योजना आयोग देश के त्वरित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं बनायेगा, वहीं यह देश में जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उन असमानताओं की खाई को पाटने का काम भी करेगा। महोदय आप पंजाब से आते हैं, उस समय हरियाणा, हिमाचल सब आपके साथ थे और पंजाब अव्वल नम्बर का राज्य था। तब बिहार तीसरी–चौथी पायदान पर खड़ा था, लेकिन आज हम सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हैं। देश की आजादी के बाद हम दस कदम भी आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि हम पचास कदम पीछे चले गये हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार को जो हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी, हमारी मदद करनी चाहिए, वह मदद हमें नहीं मिली। जब बिहार एक था और इसके जो संसाधन थे, तब हम मांग करते थे कि हमें आप मूल्य आधारित रॉयल्टी दीजिए। उस समय वह हमें नहीं मिली। हम कहते थे कि जो बड़े–बड़े उद्योग–धंधे बिहार की जमीन पर हैं, जिन्हें बिहार से कच्चा माल मिलता है, जिनमें बिहार के मजदूर काम करते हैं, जिनमें बिहार की बिजली लगती है, बिहार की पुलिस जिनमे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करती है, उनमें से किसी एक हैडक्वार्टर मुम्बई, किसी का दिल्ली और किसी का कोलकाता है। इस कारण उसी राज्य का इंकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कंसाइनमेंट टैक्स दूसरे राज्यों को मिल जाता है, वह बिहार या झारखंड को प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हमें मिलता होता तो बिहार भी अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ता।

इसी सदन में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के विभिन्न राज्यों के जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। उसमें बिहार के 36 जिलों को सम्मिलित किया गया और बाकी जिलों को छोड़ दिया गया। मुझे खुशी है कि इस बार कुछ जिलों को शामिल किया गया है। इनमें चम्पारण की धरती को भी शामिल किया गया है, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के आंदोलन की अगुवाई की थी। इस बार पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले भी इस सूची में आ गये हैं। लेकिन राष्ट्रीय नियोजन गारंटी स्कीम जो आपने बनाई है, उसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों को आपने छोड़ दिया है, जहां आदिवासियों दलितों, गरीबों और ढांगरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इन इलाकों को आपने छोड़ दिया है। महात्मा गांधी ही उस इलाके की नब्ज को पहचानकर वर्षों वहां रहे थे, देश को आजाद कराने का काम किया था, हम आपसे मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन गारंटी कार्यक्रम में पश्चिमी चम्पारन और पूर्वी चम्पारन को भी जोड़ने का काम आप करिए।

माननीय वित्त मंत्री जी बिहार गये थे। गत सत्र में हम लोगों से

कहा था कि हम बिहार चलेंगे लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी यूपीए के सांसद को इस बात की खबर नहीं थी। हम लोगों की भी बात को वह सुनते। बैंकों के जो आजकल बहुत से कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, बहुत से कार्यक्रमों में बैंकों का जो योगदान होना चाहिए, बिहार को वह योगदान नहीं दिया जाता। हमारे पैसे दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता चले जाते हैं लेकिन बिहार के लोग बेरोजगारी मिटाने के लिए, घर बनाने के लिए रोजगार देने के लिए एड़ियां घिस–घिसकर मर जाते हैं लेकिन बैंकों का कोआपरेशन नहीं मिलता। यह बात आज वित्त मंत्री जी बताएंगे कि हमारी जमा पूंजी कितनी है? बिहार के बैंकों में हमारी कितनी पूंजी जमा है और कितने प्रतिशत आपका खर्च हुआ है? आपकी गाइडलाइन्स क्या हैं और गाइडलाइन्स के अनुसार आप क्या कर रहे हैं? जरा इस पर आप विस्तार से बताने का काम करेंगे।

महोदय, शेष बिहार जो बचा है, हम हर साल अभी इस सदन में, आज हमारे मित्र सीताराम सिंह जी, हम राम कृपाल यादव जी और हमो डिप्टी लीडर देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, सभी ने सूखे पर चर्चा की। आज हम सूखे की मार झेल रहे हैं। पहले हमारे यहां के 8 ही जिले सूखे से प्रभावित हुए थे। हर साल हम बाढ़ का रोना रोते थे। नेपाल से निकलने वाली नदियों से हमारा भयंकर नुकसान होता है, जिस तरह से सुनामी में जो नुकसान होता है, उसी तरह से नुकसान बिहार को नेपाल से निकलने वाली नदियों से होता है। दो वर्ष पूर्व 9 लाख गरीबों के मकानों के ऊपर से पानी बह गया। गरीब के मकान बर्बाद हो गये। सब कुछ आपके रिकार्ड में है। बिहार की तत्कालीन सरकार, राबड़ी देवी जी की सरकार से, हम लोगों ने मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मात्र दो लाख घर बनाने के लिए मदद की। लेकिन सात लाख गरीबों का क्या कसूर है जो भूमिहीन हैं? बिहार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह घर बनाकर दे। हम आपसे अर्ज करना चाहेंगे कि आप नेपाल की सरकार से वार्ता करें कि वह काई ठोस कार्यक्रम बनाए। नेपाल से निकलने वाली नदियों से बिहार को हर साल बाढ़ से नुकसान होता है। उसमें कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के और कुछ हिस्से बंगाल को नुकसान होता है। नेपाल में पन बिजली बनाने के लिए आप नेपाल सरकार की मदद करेंगे, आपको पन बिजली नेपाल सरकार बनाकर देगी, अगर आप चाहें तो उस पन बिजली को आप सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारी दस लाख हेक्टेयर जमीन वॉटर लॉगिंग में बेकार हुई पड़ी है। बढहीया ताल और मुकामा ताल हमारे यहां हैं। हर समय हमारे यहां बक्सर से लेकर बंगाल के फरक्का तक दोनों तरफ हमारी हजारों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो जाती है। सैकड़ों गांव उसमें विलीन हो जाते हैं और सरकार को जिस तरह से मदद करनी चाहिए, उस तरह से सरकार हमारी मदद नहीं करती। जो अभी गुजरात में भूकम्प आया, तमिलनाडु और दूसरी जगह तूफान आया, सुनामी आया भारत सरकार ने मदद की, हम लोगों ने सहायता की। हम उसका स्वागत करते हैं। कभी भी हमारे मन में यह बात नहीं आई कि उनको मदद क्यों दी गई?

नेपाल से कोसी, गंडक, बागमती और कमला अधवारआ समूह नदी निकलती हैं। ये नदियां पूरे उत्तर बिहार को बर्बाद कर देती हैं। बिहार में जो भी सरकार रही, चाहे वह श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, क्या उनको नेपाल सरकार से वार्ता करने का अधिकार नहीं है? हम वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं। यदि हमें वार्ता करने का अधिकार है तो केन्द्र के वित्त मंत्री की हैसियत से आपको या प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वे नेपाल सरकार से वार्ता करें और हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। निजात नहीं दिलाना चाहते हैं तो जैसे दूसरे प्रदेशों में होने वाले नुकसान की भरपाई करते हैं, वैसे ही हमारे यहां भी शत प्रतिशत नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए। यह जवाबदेही केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए, ऐसी मांग हम आपसे करना चाहते हैं।

महोदय, बिजली के क्षेत्र में कल ही एक प्रश्न था लेकिन वह नहीं हो सका। हम लोग भी सप्लीमेंट्री प्रश्न तैयार करके लाए थे। बिजली का सबसे कम उत्पादन बिहार में है और सबसे कम खपत भी बिहार के लोगों पर होती है। हमारे कहलगांव का विस्तार जो 500 मेगावाट स्वीकृत है बाकी है। बिजली मंत्री जी बाढ़ में शुरू करने गए थे। वहां कुछ काम शुरू किया है। कांटी का 500 मेगावाट का एक्सपैन्सन था और बरौनी का 500 मेगावाट का ऐक्सपैन्सन था। वह भी अभी तक पूरा नही हुआ। बिहार में भयंकर रूप से लाइन लॉस हो रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भी बिहार का कार्य संतोषजनक नहीं है।

महोदय, रूस में जब जार्ज के बाद लेनिन सत्ता में आए तो अखबारनवीसों ने पूछा कि आप समाजवाद का नारा लगा रहे थे, आप समाजवाद कैसे लाएंगे? तब लेनिन ने एक शब्द में कहा कि बिजली दे दो तो हम समाजवाद ला देंगे। आज बिजली रोशनी का काम ही नहीं देती बल्कि जीवनदायिनी बन गई है। हम वित्त मंत्री जी से कहेंगे कि हमारा जो स्पेशल पैकेज है उसमें सब हिसाब लगाकर हमें दीजिए तो बिहार भी दूसरे राज्यों के समकक्ष खड़ा हो जायेगा।

महोदय, अभी एक माननीय सदस्य देश के किसानों द्वारा आत्महत्याओं की चर्चा कर रहे थे। हम इस सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। एक साधारण सी बात है कि अगर प्रति एकड़ जमीन में किसान को 25 क्विंटल पैदी होती

[श्री रघुनाथ झा]

है जिसकी 20 हजार रुपये लागत आती है, उसके बाजार में यदि 18 हजार रुपये मिलेंगे तो कौन किसान मूर्ख है जो आत्महत्या नहीं करेगा, कौन किसान उस अलाभकर खेती को करेगा? एक सर्वे आया है कि 60 प्रतिशत किसान खेती छोड़ रहे हैं। आपने फॉरवर्ड ट्रेडिंग की घोषणा कर दी कि अगले साल क्या मूल्य होगा लेकिन उसके लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। आप अपने किसान को कम पैसा दे रहे हैं। आप आस्ट्रेलिया से 900 रुपये क्विंटल के भाव पर गेहूं मंगा रहे हैं लेकिन अपने किसान को 600 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। यह किस तरह का न्याय है? क्या किसान इसके लिए आपको कभी माफ करेगा? कौन इस प्रश्न पर आपसे विरोध नहीं करेगा? हम चाहते हैं कि किसानों को उचित मूल्य मिले तथा उनके लिए मार्केटिंग और स्टोरेज के इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाये। हमारे यहां के आम, लीची, मखाना, मछली, फल–फूल तथा हरी सब्जियां बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। हमारे यहां मोतिहारी और बेतिया में परवल पांच रुपये किलो मिलता है जबकि दिल्ली में आज भी 25–30 रुपये किलो है। रेल मंत्री जी भी हमारे बिहार से हैं और हमारे दल के नेता भी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सभी प्रमुख ट्रेनों में अगर ए.सी. रेफ्रिजरेटर या कंटेनर लगा दें तो आसानी से किसान अपनी सब्जियों और फलों को दिल्ली के मार्केट में ला सकता है। हमारे यहां हवाई अड्डा गया, पटना, मुजफ्फरपुर और रक्सौल में है। क्या आप वहां से कार्गो नहीं चला सकते? आप कार्गो चला कर आम लीची फल–फूल को विदेशों में पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छाशक्ति नहीं है, आपके मन में बिहार के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। जिस वक्त आपकी इच्छाशक्ति होगी तो यह कौन सी बड़ी बात है, जो नहीं हो सकती। इसलिए इस काम को कराने की आवश्यकता है। इधर पंजाब और राजस्थान की साइड में पाकिस्तान से बार्डर सील हो गया। तिब्बत के बाद चीन से हमारे संबंध कैसे हैं और इन्हें हम लोग जानते हैं। सारे बिहार और हिन्दुस्तान में आतंकी, नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियां हो रही हैं, तस्करी हो रही है और फेक करेंसी आ रही है। आप एके–46 और 47 नेपाल मार्केट से खरीद कर ले आइए। बिहार और नेपाल का 600–700 किलोमीटर सीमा का इलाका खाली पड़ा हुआ है। वहां कोई बार्डर रोड नहीं है, कोई सीमा सड़क नहीं है। इनके एसएसपी हर जगह तैनात हैं और हमारे यहां दर्जनों बड़ी और छोटी नदियां नेपाल से निकलती हैं। वहां छः महीने रोड़ ठीक नहीं रहती, इसलिए वहां कोई भी आदमी इधर से उधर जा नहीं सकता और वहां आसानी से सब चीजें स्मगलिंग हो रही हैं, आ रही हैं। क्या इस सरकार को इस बात का पता नहीं है? पाकिस्तान और आईएसआई के जरिए, सारी एक्टिविटीज नेपाल के जरिए इंडिया में हो रही हैं, आप वहां ठीक से रोड़ नहीं बना सकते और सरकार चला रहे हैं। जब चीन में गच्चा खाए थे तब आपको पता चला था, उसी तरह आपको फिर से गफलत खानी पड़ेगी। हमारे यहां तीन एयरफोर्स के, सैकिंड वर्ल्ड वार के बाद एयरपोर्ट बने थे – एक रक्सौल में, दूसरा हथुआ में, जहां लालू जी का घर है और तीसरा पूर्णियां में। इनमें से एक चालू है और दो 500–500 एकड़ जमीन वाला एयरपोर्ट एनक्रोच हो रहा है, सरकार का उधर कोई ध्यान नहीं है। सरकार नेपाल को बड़े हल्के ढंग से देख रही है। अगर चीन चाहे तो 24 घंटे में लासा से सीधे, भारत नेपाल सीमा रक्सौल, जो हम लोगों की सीमा है, वीरगंज के पास उसके बड़े से बड़े टैंक और लड़ाकू सामान और उसकी आर्मी आ सकती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें पहुंचाने में काफी कठिनाई होगी क्योंकि न सड़क मार्ग ठीक है, न हवाई अड्डा ही।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा, तक्षिला और वैशाली सबसे प्रमुख हैं और हम लोग दुनिया को शिक्षा देते थे, लेकिन बंटवारे के बाद जितने भी ये बड़े–बड़े शिक्षा संस्थान थे, वे हमारे यहां से झारखण्ड में चले गए हैं। हमारे यहां एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा एवं सैनिक स्कूल नहीं हैं, ये सारे के सारे चले गए। इन्हें खोलने के लिए आठ करोड़ की आबादी वाले बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। क्या हम इसी के लिए सरकार में हैं, क्या हम लोगों से जनता अपेक्षा नहीं करती, हमसे सवाल नहीं पूछती। उनके लिए वित्त मंत्री जी के यहां पहुंचना कठिन है, लेकिन हम लोग हर हफ्ते अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां जनता से मिलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पटना, जो हमारी केपिटल है, वहां जो सबसे बड़ी पटना यूनिवर्सिटी है, उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाये। हमारे यहां एम्स की तर्जपर अस्पताल खोले गये हैं, लेकिन नार्थ–बिहार दो भागों में बंटा हुआ है। वहां एम्स खुला है, लेकिन उत्तर–बिहार में हो, चाहे दरभंगा या मुजफ्फरपुर में हो, वहां जो पहले से मेडीकल कॉलेज हैं, उन्हें बनाया जाए। वहां चलने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत काम हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी धीमी है। हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री जी से बात की है, जो आपका विभाग है, आप बिहार से आते हैं, आप उसकी रफ्तार तेज कराइए। बिहार में 2400 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और उसकी सबसे खराब स्थिति है। वहां 940 किलोमीटर का फोर लेनिंग करना है और उसे फोर लेनिंग करने में, इस सरकार ने पहले कहा कि 60 प्रतिशत हम देंगे और 40 प्रतिशत बिहार सरकार दे।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार कहां दे? केन्द्र सरकार को देना चाहिए। आप दीजिए क्योंकि आपने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। विशेष पैकेज की धनराशि में से केन्द्र सरकार बिहार

को धन मुहैय्या कराए। केन्द्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी और एक बार नहीं, तीन–तीन बार। यदि सरकार चाहे तो आज सदन में घोषणा कर दे कि हमने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा नहीं की, फिर हम कभी भी केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष पैकेज देन की बात नहीं करेंगे।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि प्रथम बार स्व. राजीव गांधी जी ने, दूसरी बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और तीसरी बार इसी यू.पी.ए. सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की, लेकिन अभी तक विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिला। अतः मेरा वित्त मंत्री जी, आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन है कि इसकी तरफ तवज्जुह दीजिए और बिहार को देश के दूसरे राज्यों के पैरेलल खड़ा करने में हमारी सहायता कीजिए।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : मैं, माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री पी. चिदम्बरम द्वारा सभा में प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

यह सरकार ढाई वर्ष पहले सत्ता में आई थी। मैं अनुपूरक मांगों पर इस चर्चा की सीमाओं को समझता हूं। यह कहा गया है कि हमारे देश में विकास की दर 8 प्रतिशत है। निसंदेह यह बेहतर आर्थिक स्थिति है। यह भी कहा गया है कि मुद्रास्फीति की दर भी नियंत्रण में है, जोकि लगभग 4 प्रतिशत है। निसंदेह हम दावा कर सकते हैं कि यह एक बेहतर आर्थिक मानदंड है। हमने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी क्रियान्वित किया है। सरकार कुछ सामाजिक उपाय पहले ही कर चुकी है। लेकिन जब हम लोगों का अनुभव देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यह आर्थिक मानदंड देश के ग्रामीण लोगों के जीवन में वास्तविक रूप से परिलक्षित नहीं हो पाया है। यह सभा स्वयं आजकल हो रही मूल्य वृद्धि से संबंधित कुछ चर्चाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों की गवाह है। जब हम यह कहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है जोकि केवल 4 प्रतिशत है, क्या वित्त मंत्री दावा कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम हुए हैं? सब्जियों, चीनी, सीमेंट, गेहूं तथा ऐसी अनेक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले वर्ष अथवा दो वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। हम आर्थिक आंकड़ों अथवा आर्थिक मानदंडों की यह कहकर व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है अथवा वह बेहतर स्थिति में है विशेषकर हम लोगों के अनुभव के पक्ष पर विचार करें तो।

मैं विशेषकर कृषि क्षेत्र के संबंध में स्वयं को केवल दो या तीन बिंदुओं तक ही सीमित रखूंगा। स्वामीनाथन आयोग का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष है। मुझे नहीं लगता कि सरकार स्वामीनाथन आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने की दिशा में आगे आई है। आयोग ने उल्लेख किया है कि किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण नहीं दिया जा रहा है। बीमा के संबंध में भी ...*(व्यवधान)*। जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है तो पिछले कई वर्षों में पहली बार हम गेहूं का आयात करने के लिए विवश हैं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? यह इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि गेहूं की खरीद हेतु खुले बाजार में निजी लोग आ गए जिन्होंने सरकार की तुलना में उन्हें उनकी उपज की अच्छी कीमत दी, इसका परिणाम यह हुआ कि गेहूं का उत्पादन कम होने के साथ–साथ उसकी खरीद में भी गिरवाट आयी। इसी कारणवश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेषकर राज्यों को खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में असफल रही। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं।

हम केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं देकर मूल्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल दो–तीन वस्तुएं ही दी जाती हैं, परन्तु केरल में हम लगभग सभी वस्तुएं दे रहे हैं। गेहूं की मात्रा कम हुई है। साथ ही साथ मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप हम मूल्यों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं नहीं दे पा रहे हैं। जब तक कि हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक तथा खाद्य भंडार नहीं होगा तब तक हम इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पायेंगे। हालांकि हमारी मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है और चार प्रतिशत है तथा विकास दर आठ प्रतिशत है।

राज्य के अन्य स्थान पर आते हुए मैं, विदर्भ के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने हेतु सरकार को बधाई देता हूं। पिछले दो वर्षों से हम किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। किसी न किसी राज्य में बाढ़ अथवा सूखा अथवा कोई अन्य समस्या आती रहती है। पिछले दो वर्षों की तुलना में हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है। वह और खराब होती जा रही है। अतः हमें किसानों से संबंधित मुद्दों के बारे में एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। हर राज्य में किसानों के मुद्दे अलग–अलग होते हैं। इसका कारण भौगोलिक स्थिति अथवा जलवायु स्थिति अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला निवेश हो सकता है। पिछले तीन से चार माह में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि जैसे लगभग सभी राज्यों में किसान

[श्री पी. करूणाकरन]

आत्महत्या कर रहे हैं। वे मानसिक दबाव के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं, परन्तु वे आत्महत्या करने के लिए विवश हैं।

इस संबंध में, मैं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों विशेषकर आयात नीति की आलोचना करता हूं। ये सभी संबंधित मुद्दे हैं। हम एक मुद्दे को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने के नाते हमें श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के कारण हमें आयात और निर्यात को मंजूरी देनी थी। लेकिन कृषि क्षेत्र में वास्तविक स्थिति क्या है? मेरा मानना है कि केरल राज्य इस नीति में अत्याधिक प्रभावित रहा है। तीन वर्ष पूर्व वहां एक क्विंटल काली मिर्च की कीमत 21,000 रुपये थी जो अब घटकर 6,000 रुपए से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। इतने कम मूल्ये के साथ बचे रहना किस प्रकार संभव है? उदाहरण के लिए सुपारी लीजिए। कर्नाटक सरकार द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के अनुसार एक किलोग्राम सुपारी की उत्पादन लागत 60 रुपये और तीन वर्ष पहले इसका मूल्य 160 रु. था, जोकि घटकर अब 45 रु. से 50 रु. प्रति किलोग्राम हो गया है। सुपारी का उत्पादन करने वाले किसानों का अस्तित्व बचाना किस प्रकार संभव है? किसान दो कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। एक है भारत सरकार की नीति, विशेषकर अबाधित आयात नीति। हम कोई कर नहीं लगा रहे हैं। इस सभा में एक महत्वपूर्ण उत्तर हमें यह मिला कि भारत को श्रीलंका का निर्यात उसके वास्तविक उत्पादन से तीन गुना अधिक है। ऐसा कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है क्योंकि श्रीलंका के अन्य देशों के साथ व्यापार संपर्क हैं। वे श्रीलंका को काली मिर्च का निर्यात करते हैं और श्रीलंका भारत को उसका निर्यात करता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें लाभ हो रहा है परन्तु हम कम गुणवत्ता वाली काली मिर्च का आयात कर रहे हैं। जहां तक केरल का संबंध है तो मालाबार काली मिर्च से सभी अवगत हैं। इतिहास के अनुसार वास्को–डि–गामा मालाबार काली मिर्च के कारण ही कालीकट की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन आज काली मिर्च के किसानों की स्थिति अत्यंत खराब है। उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

एक ओर जबकि इन कृषि उत्पादों के मूल्य घट रहे हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिवहन क्षेत्र में सेवा शुल्क बढ़ रहा है। किसान इस स्थिति को झेल नहीं पाते। यही वह समय है जब सरकार को किसानों को इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए एक व्यापक नीति के साथ सामने आना चाहिए। सभी दलों का यह नारा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की रीढ़ हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद स्थिति है कि आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसका कारण सरकार की नीतियां हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसानों से संबंधित नीतियों पर पुनर्विचार करे।

महोदय, मैं इस संबंध में विदर्भ पैकेज की घोषणा करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। सरकार ऐसे अन्य पैकेजों की भी घोषणा कर रही है लेकिन ये सभी अस्थाई उपाय हैं। अब बीमारी का पता लग गया है और इस बीमारी का अस्थाई राहत इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। उससे यह बीमारी ठीक नहीं होगी। यदि हम वास्तव में किसानों को बचाना चाहते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतियों में आमूल–चूल परिवर्तन करना होगा।

मैं यहां पर एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि केरल पिछले चार या पांच वर्षों से बाढ़ और कतिपय अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मूल्य गिर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार से मदद की आवश्यकता है। केरल में हर वर्ष स्थिति खराब होती जा रही है। कई वर्ष पहले हमारे राज्य के किसान धान की खेती करते थे लेकिन पिछले कई वर्षों से उन्होंने रबड़, काली मिर्च, जैसी फसलों और ऐसी अन्य उत्पादों की खेती शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्हें उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसी धान की खेती में करना पड़ता था। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान हुआ है।

महोदय, केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से एक पैकेज की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता देने के लिए वायनाड, कासरगौड और पालाकाड नामक तीन जिलों को चुना गया है। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अलेप्पी और इदुक्की जिलों की हालत भी बहुत खराब है। मेरे जिले में हाल के मानसून के दौरान 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और किसानों को अपनी फसलों, सब्जियों से हाथ धोना पड़ा, धान की खेती को भी काफी नुकसान हुआ, सड़कों की हालत भी जर्जर हो गई। इस क्षेत्र के लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पैकेज को मंजूरी देने का अन्तिम अधिकार माननीय वित्त मंत्री के पास है। उन्हें राज्य में व्याप्त हालात की जानकारी होगी।

दूसरी बात जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे राज्य में वर्ष दर वर्ष केन्द्रीय निवेश में कमी आ रही है। यह सही है कि केरल शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के मामलों में अन्य राज्यों से बेहतर काम कर रहा है। हमें ऐसे राज्यों की सूची में नहीं रखा गया है जिनमें

ज्यादा निवेश किया जाएगा और जिन्हें ज्यादा सहायता दी जायेगी। लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में केन्द्र सरकार को हमारे राज्य को ऐसी सूची से बाहर रखने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। हम शिक्षा का उदाहरण ले सकते हैं। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य अन्य कई राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे राज्य में विधि और तकनीकी शिक्षा में भविष्य बनाने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध नही है। यहां ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं की कमी है। हमें इनकी सख्त आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि हमारा राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन हाल के समय में हमारे राज्य में कैंसर के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। सांसद होने के नाते हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत पाने के इच्छुक अधिकतर रोगी एड्स और कैंसर से पीड़ित होते हैं। एड्स एक नई बीमारी है। इसलिए हम ऐसी बीमारियों का सामना करने के लिए केन्द्र से अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह केरल राज्य में और अधिक केन्द्रीय निवेश करे।

महोदय, इसी के साथ मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, मैं विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित 42 अनुदान मांगों हेतु प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। यह भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों से संबंधित है।

महोदय, इस अवसर पर मैं आपके ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मुआवजे के लिए 50 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान सहायता मंजूर की गई है और दिल्ली में दंगा पीड़ितों के मुआवजे के लिए 22 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। भोपाल गैस त्रासदी मुद्दा लम्बे समय से लम्बित चला आ रहा है। यह घटना 15 वर्ष पहले हुई थी और मुआवजा भी दिया गया था लेकिन वह अपर्याप्त था। कुछ मामलों में यह अभी भी चल रहा है। मैं सरकार से इसका स्थायी समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

दिल्ली दंगा पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 22 करोड़ रुपये की धनराशि के संबंध में पिछले वर्ष संसद में हुई चर्चा और इस पर विचार–विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे पीड़ितों को और अधिक मुआवजा दिया जायेगा, दुर्भाग्यवश जिनके परिवार उनकी मौत के बाद आज सड़कों पर आ गए हैं अर्थात् वह आश्रयहीन हो गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसके यथाशीघ्र स्थायी समाधान का अनुरोध करता हूं।

इस अवसर पर, मैं भारत सरकार से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपील करता हूं वह यह है कि तेलंगाना और पोन्नापुरा वयालर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रश्न पर और अधिक उदार रुख अपनाए जाने की आवश्यकता है। आज सुबह भी केरल के माननीय सांसदों ने "शून्य काल" में इस मुद्दे को उठाया था। सरकार द्वारा 1998 में एक निर्णय लिया गया था जिसके अंतर्गत एक समिति गठित की जानी थी लेकिन इसके बाद अनेक वर्ष बीत गए हैं। इसकी स्थापना उस समय की गई थी जब श्री वी.पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद राज्य विशेष जांच समिति का गठन किया गया था जिसने 1,20,000 आवेदनों में से 13,500 स्वतंत्रता सेनानियों का चयन किया था जिन्हें अनुदान मिलना चाहिए था। दुर्भाग्यवश संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसे मंजूर न करने का निर्णय लिया। जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो इसने 4500 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का निर्णय लिया। लेकिन नौकरशाही हस्तक्षेप के चलते इसे बंद कर दिया गया। इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के केन्द्रीय मंत्रियों और आंध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों ने सरकार से बारम्बार अनुरोध किया है। एक तुच्छ से आधार पर कि तेलंगाना के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में जांच चल रही है, सम्पूर्ण प्रक्रिया को रोक दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम 60 वर्ष पहले समाप्त हो चुका है और कई स्वतंत्रता सेनानी प्रतिदिन मर रहे हैं। यह उनका अपमान है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरता से गौर करें।

मैं हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स के पुनर्निवेश के विचार का समर्थन करता हूं और इसके लिए 250 करोड़ रुपये की मांग की गई है। उर्वरकों के आयात के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। किन्तु यहां मैं यह कहना चाहता हूं चूंकि हमें देश की जरूरत के लिए उर्वरकों के आयात की आवश्यकता है, हमें रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र के पुनर्निवेश के मुद्दे को भी गम्भीरता से लेना चाहिए। यह पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ा है अब तक यह अर्थक्षम संयंत्र होता। चूंकि हमें और अधिक उर्वरकों की आवश्यकता है और प्रतिवर्ष उर्वरकों की मांग में बढ़ोत्तरी होती जा रही है इसलिए हम तेलंगाना स्थित उर्वरक संयंत्र को क्यों बन्द करें?

आईडीपीएल को पुनः चालू किये जाने का विचार था किन्तु आईडीपीएल संयंत्र के पुनर्निवेश और पुनः चालू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारी उद्योग मंत्रालय के भारतीय सीमेंट निगम को 40 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। तेलंगाना, जो कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, के अदिलाबाद में सीमेंट की फैक्टरी बन्दी पड़ी है। अब 50 किलो की सीमेंट की बोरी का मूल्य 190 से 225 रुपये के बीच है। इसे 140 रुपये पर बनाया रखना संभव है। कारखाने में कोई घाटा होने

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

की संभावना नहीं है। यहां केवल अदिलाबाद सीमेंट फैक्टरी के लिए 40 करोड़ रुपये के निवेश का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार बिजली और अन्य प्रकार के करों को माफ करके 24 करोड़ रुपये के समायोजन के लिए सहमत हो गई थी। इस पर विचार किया जाना चाहिए। आदिलाबाद सीमेंट फैक्टरी जो पिछड़े क्षेत्र तेलंगाना में स्थित है, को पुनः आरंभ किया जाना चाहिए। इससे लोगों को सहायता मिलेगी।

मैं बताना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता की आकांक्षाओं को केवल वादों से पूरा नहीं किया जा सकता है अपितु इसके लिए उस क्षेत्र में नई फैक्ट्रियां लगानी होंगी। उन्हें औद्योगिक और सिंचाई सुविधाएं देनी होंगी। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषि संबंधी आर्थिक राहत के बारे में, आत्महत्या प्रवण जिलों को राहत देने के लिए 126 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मैं सोचता हूं कि केवल 26 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई थी। भारत सरकार की ओर से यह बहुत अच्छी बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने नागपुर का दौरा किया था तो विदर्भ के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। विदर्भ के साथ–साथ कई अन्य जिले भी इसमें शामिल किए गए हैं। मैं सोचता हूं कि इसकी घोषणा चरणबद्ध ढंग से की जायेगी।

आत्महत्या, कृषि संकट का केवल एक हिस्सा है। कृषि संकट आजकल बहुत गम्भीर है। हमें उन्हें उर्वरक, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक प्रदान करने चाहिए और कृषि उत्पादों के उन्हें लाभप्रद मूल्य प्रदान करने चाहिए। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

फसल ऋण को गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक व्यापक कृषि नीति की आवश्यकता है। इस प्रकार के छोटे पैकेजों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। संसद सदस्यों ने यह मुद्दा कई बार उठाया है। वर्ष 1991 और 2001 के बीच इकहत्तर लाख कृषकों ने इस पेशे को छोड़ दिया है। यह संस्था विश्व के कई देशों की जनसंख्या से भी बहुत अधिक है। आज कृषि पर बहुत गम्भीर संकट है। कृषि राहत पर और अधिक धनराशि खर्च किये जाने की आवश्यकता है।

कृषकों को चार प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान करने की स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करना सरकार का तत्काल कार्य होना चाहिए। अभी तक दिए जा रहे ऋण की तुलना में इसकी राशि और अधिक होनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री से राष्ट्रीय ग्रामीण ऋणग्रस्तता राहत अधिनियम को लाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि कृषि क्षेत्र को सहायता मिल सके।

परमाणु ऊर्जा विभाग को विशेष अनुदान का एक अनुरोध किया गया है। यहां मैं एक समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, नालगोंडा की जनता के समक्ष आ रही है। हाल ही में, पांच यूरेनियम संसाधन संयंत्रों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें से एक नालगोंडा जिले में होगा। ग्राम, मण्डल, स्थानीय विधायक, संसद सदस्य और जिला परिषद् सहित सभी ने इसका विरोध किया है। पहले इसकी स्थापना नागार्जुन सागर के निकट 5 कि.मी. के क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है, में की जानी थी। यदि यूरेनियम की वजह से कोई भी प्रदूषण होता है तो लगभग 12 जिले प्रभावित होंगे। जब इसे उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया गया तो इसे 20 कि.मी. दूर अन्य स्थान पर ले जाया गया। यह भी बहुत खतरनाक स्थिति है। हम वहां स्थापित किये जा रहे इस यूरेनियम संयंत्र के विरुद्ध हैं। जिन स्थानों पर काफी लोग रहते हैं इन्हें वहां स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के परमाणु संयंत्र जिनसे बहुत अधिक गम्भीर प्रदूषण और अन्य खतरनाक प्रभाव उत्पन्न होते हों, की स्थापना उन स्थानों पर की जानी चाहिए जहां सामान्यतः लोग न रहते हों।

झारखंड राज्य में जादूगुड़ा प्रयोग एक बहुत बुरा अनुभव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के ध्यान में बार–बार इन बातों को लाए जाने के बावजूद, इन संयंत्रों को लोगों पर थोपा जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि नालगोंडा जिले में इस संयंत्र की स्थापना की जाती है तो इसका तीखा विरोध होगा। राज्य सरकार भी इसके लिए सहमत नहीं है और मुख्यमंत्री ने भी खुले तौर पर कह दिया है कि लोग वहां यूरेनियम संयंत्र नहीं चाहते हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार भी इसके लिए अनुमति नहीं देगी।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक जानकारी चाहता हूं। एक विनिवेश विभाग हुआ करता था। मेरी जानकारी के अनुसार संप्रग सरकार के आने के बाद विनिवेश विभाग नहीं रहा है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार विनिवेश विभाग नहीं रहेगा। किन्तु पृष्ठ संख्या (IX), अनुदान सं. 44 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है : विनिवेश विभाग; राष्ट्रीय निवेश कोष में आगत निधि के आबंटन के लिए तीन चयनित कोष प्रबन्धन होंगे (i) जीवन बीमा निगम म्यूचल फंड (419 करोड़ रुपये); (ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया म्यूचल फंड (1056 करोड़ रुपये); और (iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया म्यूचल फंड (2365 करोड़ रुपये)। यह राशि कुल मिलाकर 3840 करोड़ रुपये है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विनिवेश विभाग को वास्तव में किस प्रयोजन के लिए यह धनराशि देने का प्रस्ताव है।

हम वाम दलों ने बार–बार यह अनुरोध किया है कि विनिवेश की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए विशेषकर लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु डी एम के और वाम दलों के मित्रों सहित अन्य मित्रों के दबाव की वजह से सरकार ने नाल्को और नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) के विनिवेश को स्थगित कर दिया है, ...*(व्यवधान)* यह स्थगित है। मैं भी यही कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में बीच–बीच में कोई भी टोका–टाकी नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि क्यों भारत सरकार बार–बार लाभ कमाने वाले एककों के विनिवेश पर जोर दे रही है। इसमें कुछ तर्क हो भी सकता है फिर भी राजनैतिक तौर पर कोई विनिवेश नहीं होना चाहिए। किन्तु लाभ कमाने वाले एककों के मामले में, मैं यही समझ पाता हूं कि सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या में कमी करना उचित नहीं है। यह सही बात नहीं है। सरकार को न केवल भावनाओं की अपितु देश की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कोई भी अनुदान नहीं होना चाहिए।

अन्त में, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 176 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुरोध किया गया है। आधुनिकीकरण आवश्यक है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कई मुद्दे केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सुलझाये जा सकते हैं इनका निपटान केवल पुलिस नहीं कर सकती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई हैं। नक्सलवाद की समस्या को नक्सलवादियों को मार कर खत्म नहीं किया जा सकता है। सलवा जुडुम हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। दोनों ओर ही जनजातीय लोग शिकार हो रहे हैं। शान्ति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए उकसा रही है। जनजातीय लोग नक्सलवाद के शिकार हो रहे हैं। जब पुलिस के लिए बजट रखा जा रहा है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों को बेहतर राहत प्रदान की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों में और अधिक विकास होना चाहिए। तभी नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो सकता है। इसे सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसका समाधान भूमि सुधारों सहित कई सुधारों से किया जाना चाहिए। केवल इन्हीं बातों से इस मामले का समाधान हो सकता है न कि केवल मात्र पुलिस से।

महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस. के. खारवेनथन, आप पांच या छह मिनट बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री को अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) में महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसमें कृषकों पर जोर दिया गया है।

इस स्थिति में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विनियोग की अनुपूरक मांगों की जरूरत जैव कृषि से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए है जो कि केन्द्र सरकार और औद्योगिक अधिकरण के निर्णय पर भी आधारित है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कृषि अनुसंधान हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है। यह कृषि संबंधी शिक्षा, कृमि कृषि और कॉफी उत्पादकों के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए है। इन पहलुओं पर बजट में पर्याप्त रूप से चर्चा की गई थी। यहां इस पर और विचार किया जा रहा है।

अपराह्न 3.30 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

इस संबंध में, मैं कृषकों की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने इस विषय पर पहले ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं विशेष तौर पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के कृषक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी मैंने इस सभा में प्याज उत्पादकों का उल्लेख किया था। जब हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, हमारे माननीय मंत्री श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन और मैंने ओद्दन चेट्टीरम का दौरा किया था तो कृषकों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उनकी समस्या यह है कि उन्हें प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तमिलनाडु में कृषक सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय बैंकों और साहूकारों से ऋण लेते हैं। वे बीज कम्पनियों से बीज खरीदते हैं। ये सारे बीज घटिया निकलते हैं। काफी आंदोलन करने के बाद सभी बीज कम्पनियों ने कृषकों को मुआवजे के रूप में 2000 रुपये अदा किए।

कीटनाशकों के संबंध में भी यही स्थिति है। उन्हें असली कीटनाशक नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्थिति केवल प्याज उत्पादकों के संबंध में ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के मामले में भी ऐसा ही है। यहां तक कि किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों से भी कोई सहायता नहीं

[श्री एस. के. खारवेनथन]

मिल पा रही है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दें कि वे गरीब किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करें।

हाल ही में, तमिलनाडु में हमारी सरकार ने लगभग 6782 करोड़ रु. के सहकारी ऋण को वापिस नहीं लेने की घोषणा की है। संपूर्ण सहकारी ऋणों को माफ कर दिया गया है। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक सम्पूर्ण ऋणों को माफ करने के लिए आगे नहीं भी आ रहे हैं, तो वे कम से कम गरीब किसानों की सहायता करने के लिए उनके ब्याज का हिस्सा तो माफ कर ही सकते हैं। यह किसानों की सहायता करने का एक तरीका है।

तमिलनाडु में एक अन्य क्षेत्र वस्त्र क्षेत्र है, विशेष रूप से वह जो हथकरघा बुनकरों से संबंधित है। हमारी सरकार और माननीय वित्त मंत्री ने वस्त्र उद्योग के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं की घोषणा की है। इसीलिए, तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग से जुड़े लोग बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया। उन्हें बहुत अच्छी आय प्राप्त हो रही है। वे कर्मचारियों को बहुत अच्छी तनख्वाह और सभी लाभ दे रहे हैं। लेकिन हथकरघा उद्योग बर्बाद हो रहा है। विशेष रूप से, मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेक हथकरघा बुनकर रह रहे हैं और हथकरघा व्यवसाय कर रहे हैं। स्वास्थ्यवार और अर्थव्यवस्थावार वे काफी परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें उत्तम धागा और अच्छी आय नहीं मिल रही है। हालांकि हमारी सरकार ने बुनकरों के लिए बीमा योजना की घोषणा की थी, लेकिन वे परियोजनाएं और कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। अतः, यह एक अन्य क्षेत्र है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी सहायता की जानी चाहिए। हमें इस देश के बुनकरों की सहायता करनी चाहिए। आज और पहले भी मैंने अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में उल्लेख किया था। कुछेक मिनट पहले, मैंने इसे नियम 377 के अधीन उठाया था। हमारे माननीय वित्त मंत्री इस देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। वे इस देश में विधिक व्यवसाय की स्थिति और वकीलों की स्थिति के बारे में बेहतर रूप से जानते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस देश के दस लाख वकीलों की दयनीय स्थिति पर विचार करें। ज्यादातर लोग गांवों में रह रहे हैं। वे न्यायालय में कमाई के माध्यम से पांच रुपये या दस रुपये कमाने में भी काफी परेशानी झेल रहे हैं। इसलिए, भारत सरकार को वित्त पोषण के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण निधि योजना की शुरुआत करके विशेष रूप से मुफस्सिल क्षेत्रों में वकीलों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। केन्द्र सरकार को संपूर्ण देश के लिए इसका प्रावधान करना चाहिए। यह पहली बात है।

दूसरा, मुफस्सिल क्षेत्रों में वकालत कर रहे अधिवक्ताओं के लिए एक न्यायालय भवन तक नहीं है; उनके पास कोई ग्रन्थालय और अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं।

उनके लिए बार (विधि) कक्ष नहीं है। हमारी सरकार ने उनके लिए एक दस–वर्षीय संदर्शी योजना का प्रस्ताव किया और विभिन्न उच्च न्यायालयों, विधि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से उनकी राय मांगी। सरकार ने कुछेक महीनों पहले इस संबंध में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया था और इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व न पाने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु था और यह तब हुआ जब तमिलनाडु में पिछली सरकार सत्ता में थी। उस समय, तमिलनाडु की पिछली सरकार की न तो मुख्यमंत्री और न ही विधि मंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसलिए, हमारी सरकार द्वारा तैयार किए गए संदर्शी योजना के प्रारूप को तमिलनाडु की तत्कालीन राज्य सरकार के समर्थन नहीं मिला है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री डा. कलाईगनार करुणानिधि इस मामले में भारत सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अधीनस्थ न्यायपालिका के सुधार हेतु विशेष रूप से कुछ धनराशि निर्धारित करें। तभी हम इस देश के गरीब वकीलों की सहायता कर पायेंगे।

ये मेरे विचार हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह मौका दिया। मैं अपनी पार्टी जनतादल (सेक्यूलर) की ओर से वर्ष 2006–2007 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत के "बगीचों का शहर" बंगलौर को भारत के "सिलिकॉन शहर" के दर्जे से हाथ धोना पड़ सकता है। साफ्टवेयर कंपनियां एक–एक करके शहर छोड़ती जा रही हैं। "एपल" कंपनी ने कुछेक महीने पहले ही शहर छोड़ दिया। अभी हाल ही में एक अन्य साफ्टवेयर कंपनी ने शहर छोड़ दिया और अमरीका वापस चली गई। इस रुझान को तत्काल रोका जाना चाहिए। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि बंगलौर में तत्काल अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार किया जाये। भारत सरकार को उपरिपुलों, सबवे का निर्माण, सड़कों के विस्तार और मैट्रो रेलवे के कार्य आदि के शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए।

महोदय, दूसरा किसानों को भारत सरकार से समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाल ही में, गन्ने के समर्थन मूल्य को लगभग 70 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया था। यह बहुत ही कम वृद्धि है। गन्ने के

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लिए समर्थन मूल्य में और अधिक बढ़ोत्तरी अत्यावश्यक है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मैं यहां तक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। चामराजनगर, मैसूर, कोलार, बंगलौर और टुमकुर में किसानों ने टमाटर के बीज खरीदे और टमाटर का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया। उन्हें बाद में यह जानकर धक्का लगा कि बीज चिकनगुनिया से ग्रस्त थे। टमाटरों को सड़कों पर फेंका जा रहा है। उन्हें लेने वाला कोई नहीं है। यदि यही स्थिति है तो, किसान आत्महत्या करने के अलावा और क्या कर सकते हैं?

जहां तक बैंक ब्याज का संबंध है, हमें तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई पद्धति ही अपनानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री, श्री एम. करुणानिधि कृषि ऋण पर समस्त ब्याज माफ करने की योजना बना रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, तमिलनाडु में कृषि पर ब्याज दर 7 प्रतिशत ही है।

*श्री एम. शिवन्ना : महोदय, कर्नाटक में अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कृषि ऋणों की दरों को कम करके 4 प्रतिशत तक ले जाया जायेगा। मैं यह कहता हूं कि पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए। अन्यथा सभी क्षेत्रों का विकास और प्रगति नहीं हो सकती जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं। वास्तव में महात्मा गांधी ने सभी लोगों को समानता का संदेश दिया और इसे अपनाया। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पिछड़े जिलों जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर को अधिक धन दिया जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक विश्व बैंक से ऋण का सवाल है तो भारत विश्व में इस दिशा में सबसे ऊपर है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मुझे आशा है कि इस चर्चा का उत्तर देते समय वह इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

चामराजनगर देश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक है। यह सात साल पहले एक नया जिला बना है। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे जिले में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। स्कूलों की संख्या उतनी ही है जबकि छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चामराजनगर जिले में कुछ और छात्रावास बनाए जाने चाहिए। उन्हें बड़े स्तर पर छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए धनराशि समय पर कर्नाटक राज्य नहीं पहुंच रही है। केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य को केन्द्रीय सहायता बिना विलम्ब समय पर पहुंचे। चामराजनगर में एक खेल स्टेडियम का तत्काल निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी लम्बे समय से मांग की जा रही है। किसान भी एक सी आई गोदामों, शीतागारों, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मांग कर रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि केन्द्र चामराजनगर के लोगों की रक्षा करेगा और उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि किसान खुशहाल और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूं महोदय और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं अनुदानों की पूरक मांगों का भरपूर समर्थन करता हूं। इन मांगों में सबसे पहला नं. कृषि की मांग का है। महोदय, जाहिर है यह देश किसानों का देश है और इस देश में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है तथा देश की अर्थनीति भी किसानों पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक इस देश की सारी अर्थ–नीति विफल हो जाएगी।

इसमें किसानों के लिए जो व्यवस्था करनी है उस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मेरा कहना यह है कि किसानों को जो खाद जी जाती है, यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उस खाद पर सब्सिडी बढ़ाई गई है? किसान के लिए जो ऋण निर्धारित है, और भारत सरकार ही बैंकों का संचालन करती है, उस पर राज्य सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं है।

क्या भारत सरकार इस बात को सोचती है जितने प्रतिशत किसानों की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से किसानों को कृषि बजट का उतना ऋण दिया जा रहा है? किसानों को जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से ऋण नहीं दिया जा रहा है। यह अलग सवाल है कि भारत सरकार जो ऋण देती है, उसके सूद का प्रतिशत क्या होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि हम कृषि ऋण का प्रतिशत और उसके सूद का प्रतिशत घटाएंगे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ। अभी कर्नाटक के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने किसानों को जो ऋण देना है, उसका प्रतिशत अभी भी कम नहीं कर रही है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसके सूद का प्रतिशत भी कम होना चाहिए और जिस फसल के लिए किसानों को ऋण की जरूरत है, उस समय उन्हें ऋण देना सुनिश्चित होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है।

आज किसान भंडारण के समय में महंगा डीजल और सिंचाई की

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सीताराम सिंह]

सुविधा न होते हुए भी अनाज पैदा करता है। मैं मानता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, क्या भारत सरकार को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मैं कृषि नीति के बारे में विशेष तो नहीं कहना चाहता हूं, मगर इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि नीति बनाई है, वह नीति पूर्ण रूप से विफल हो गई है। इस बारे में एक लाइन ही काफी है कि आप विदेश से गेहूं मंगा रहे हैं। उस गेहूं की अधिक कीमत दी गई है और जबकि किसान से जो गेहूं खरीद रहे हैं, उसकी कीमत कम है। इस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी तो इस नीति को बनाने में शामिल हैं, इसलिए उन्हें विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, जो किसानों के खिलाफ है, वह यह है कि किसानों को सबसे कम बिजली मिल रही है। हमारा बिहार राज्य तो बिजली के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है और जो बिजली हमारे यहां बनती है, वह भी किसानों को बिल्कुल नहीं मिलती है। बिहार के किसान को जीरो परसेंट बिजली मिलती है और पूरे दिन में एक घंटे के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और किसान बिना बिजली के खेती करते हैं। बिजली सभी कामों के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिकतम जनसंख्या किस चीज पर निर्भर करती है, वह कृषि है, उसके लिए बिजली नहीं मिल रही है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और इस बारे में सही और ठोस कदम उठाने चाहिए। बिजली के मामले में भारत सरकार ने घोषणा की थी। दो बरस से हमारी सरकार चल रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हर गांव में बिजली लगाएंगे। इस घोषणा को किए हुए, एक–डेढ़ साल से अधिक का समय हो गया है, मगर हमारे बिहार के किसी एक टोला या गांव में अभी तक बिजली नहीं लग पायी है। यहां तक कि बिजली लगाने की कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुयी है। इन्होंने कई एजेंसियों को काम दिया। एनएचपीसी को हमारे इलाके मोतीहारी, बेतिया, शिवहर और सीतामढ़ी में जब बिजली लगाने के लिए रुपया दे दिया, मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वे मेरी ओर मुखातिब हों, क्योंकि जब आप जवाब दें, तो मैं इन बातों का उत्तर आपसे चाहूंगा, जब आपने पैसा दे दिया, तो गांवों में बिजली लगाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या उत्तर है, हमें तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है। टेबल पर बैठकर गांव का सर्वे हो जाता है और एक गांव में बिजली का तार या पोल पता नहीं लगेगा या नहीं, लेकिन हम लोगों ने लंबा–लंबा भाषण दे दिया कि भारत सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली लगा रही है, जबकि एक ग्राम में भी बिजली नहीं लग रही है। समय रहते इसका ख्याल नहीं किया गया तो बड़ी कठिनाई होगी। लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। बिहार के मामले में हमारे नेता श्री रघुनाथ झा बोल रहे थे। उन्होंने बहुत सी बातों को कह दिया लेकिन जो बातें छूट गई हैं, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं। बिहार के मामले में इसी सदन में लंबी चर्चा हुई थी लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि हम आज सुबह बिहार में आए सूखे के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए। हम पहली बार सूखे के मामले में बोलने के लिए खड़े हुए थे। इससे पहले लगातार बाढ़ के लिए खड़े होते थे। बाढ़ के बारे में एक सवाल है कि आप इसका स्थायी समाधान कीजिए और नेपाल सरकार से बात करके बड़े–बड़े डैम बनाइए, नदी का पानी नदी से पास कर जाए तथा उसका रास्ता बना दीजिए, भाई डैम बना दीजिए और बिजली पैदा करिए। हमारे 5–6 इलाके इसके सफरर हैं और हम हर वर्ष इसके भुक्तभोगी होते हैं। इन्होंने इस सदन में घोषणा की थी कि नेपाल से वार्ता करके 6 कार्यालय खोलेंगे लेकिन मात्र तीन कार्यालय खोले गए। माननीय वित्त मंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें जिससे हमें जवाब मिल जाए। सभापति महोदय, क्या वित्त मंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे?

सभापति महोदय : नोट कर रहे हैं।

श्री सीताराम सिंह : क्या नोट कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय यह उचित नहीं है। उन्हें यह मानना चाहिए कि मैं सुन रहा हूं और मैं उत्तर दूंगा। मैंने अपने हेडफोन लगा रखे हैं। ऐसे में आलोचना करने का क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह : महोदय, सदन में सरकार ने घोषणा की थी कि 6 कार्यालय खोलेंगे लेकिन डेढ़ वर्ष हो गया है, मात्र तीन कार्यालय खोले गए। इस सदन में सरकार ने घोषणा की थी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। क्या वह बनी है? अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है तो आज जो सप्लीमैंटरी डिमांडस लाए हैं, क्या उसमें खर्च करने के लिए पैसा दिया है? वह एक लंबा प्रोजेक्ट है। इसके लिए प्रति वर्ष बजट में प्रावधान नहीं किया जाएगा तो यह प्रोजैक्ट सफल नहीं होगा, हम केवल भाषण करते जाएंगे और सरकार आश्वासन देती रहेगी, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ेगा। जो पांच राज्य हैं उनमें बंगाल, उत्तर प्रदेश और विशेष कर बिहार है। हम चाहते हैं कि इसके लिए प्रावधान किया जाए और इस प्रोजेक्ट द्वारा बाढ़ के स्थायी निदान के लिए कार्रवाई की जाए।

आपने ग्रामीण रोजगार योजना बनायी। बिहार जो गरीब प्रदेश है उसके मात्र 23 जिले लिए हैं और बाकी जिलों को छोड़ दिया है। उन्हें अभी तक नहीं लिया गया है। जिल जिलों को लिया गया, वहां काम नहीं

हो रहा है। आपने जिस रूप से इसे रखा, उसके तौर–तरीकों को आज तक गांवों तक नहीं पहुंचाया गया है। काम शुरू नहीं किया गया है। लोकतंत्र में गरीबों और कुशल मजदूरों के लिए कानून बनाना गया था लेकिन उस आधार पर गांवों में काम नहीं हो रहा है। शत–प्रतिशत जिलों में लागू करने के लिए सभी जिलों को लिया जाए। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने 26 जिले जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको लिया है।

मैं बैंकों के बारे में एक बात कहना मुनासिब समझता हूं। ऋण के रूप में बैंकों से पैसा दिया जाता है। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए सैल्फ हैल्प ग्रुप बना कर बैंकों द्वारा ऋण देने की योजना है। बिहार में यह योजना सही ढंग से कारगर नहीं हो रही है। लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता जागरूक है। सैल्फ ग्रुप बन चुके हैं लेकिन बैंकों से एक पैसे की सहायता नहीं मिल रही है। मैं वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को सहायता पहुंचाने के लिए, अपने स्तर से कार्रवाई करें, रिव्यू करें और बैंकों से जो ऋण मुहैय्या होना है, उसे रोजगार देने के लिए उपयोग करें।

बिहार सबसे गरीब राज्य है और वहां से गरीब लोग रोजगार की तलाश में बाहर पलायन करते हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। आज रोजगार के लिए भारत सरकार की जो नीति है, उसका पैसा उपलब्ध है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर से इसमें विशेष रुचि लेकर देखें और गरीबों को सहायता पहुंचाने का काम करें।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए जो पैकेज के बारे में आपने कहा, उसमें एन.एच. के बारे में चर्चा हुई। एन.एच. के मामले में हम सभी एक मत से कहना चाहते हैं कि आपको जिस रूप में भी यह काम करना हो कीजिए, लेकिन 60:40 और 70:30 के रेश्यों में इसे मत बांटिये। जब तक यह चलता रहेगा, तब कि बिहार की एक इंच रोड भी नहीं बनेगी। अतः इसे खत्म किया जाए और जितने किलोमीटर रोड बनाना चाहते हैं, उसे आप अपने स्तर से बनवायें। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए आपने एक हजार की आबादी वाले गांवों के बारे में घोषणा की है। लेकिन सिर्फ घोषणा कर देने से ही काम नहीं होगा। पहले प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आपने घोषणा की, जिसे आपने टेक–अप किया, लेकिन जो पैसा जिलों में जा रहा है, उसमें आप हमसे दस रोड्स की प्राथमिकता की सूची ले लेते हैं, लेकिन पैसा दो रोड्स का देते हैं। वित्त मंत्री जी आप मालिक हैं, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो चाहे भारत निर्माण योजना हो या प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, कोई भी योजना कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि गांवों के विकास के चाहे भारत निर्माण योजना हो, प्रधन मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या अन्य कोई योजना हो, ग्रामीण विकास के लिए आप राशि उपलब्ध कराइये, ताकि बिहार के गांवों को विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2006–07 पर चर्चा और मतदान में शामिल होने के लिए उठा हूं।

शुरूआत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट प्रस्ताव तथा अनुपूरक मांगों के लिए बधाई देना चाहूंगा। हमें उन पर काफी भरोसा है।

इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं कार्यवाही वृत्तांत में यह जोड़ना चाहूंगा कि यह चर्चा अत्यंत लाभकारी होती यदि विपक्ष के माननीय सदस्य भी हमारे साथ होते। चूंकि आज सदस्यों की संख्या काफी कम है, मैं इस सरकार द्वारा विशेष रूपे से पूर्वोत्तर भारत के राज्य तथा विशेष तौर पर मेरे राज्य मणिपुर को दी गई सहायता के बारे में बात करूंगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस संप्रग सरकार के कतिपय मिशन हैं जैसे भारत निर्माण और हमारे अन्य प्रमुख कार्यक्रम और इन शीर्षों के अंतर्गत भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी राशि का प्रावधान कर रही है, यदि अधिक स्पष्टता से कहें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार के प्रत्येक विभाग से आबंटित बजट का 10 प्रतिशत दिया जाता है। परन्तु इस क्षेत्र को अभी तक प्रदत्त सहायता के बावजूद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की ओर से और अधिक सहायता राशि की मांग की जा रही है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अत्यंत संवेदनशील है। मैं हल्की भाषा का प्रयोग करके कहूंगा कि यहां के लोग भावुक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बड़ी दूर से आते हैं और साथ ही जब हम यहां आते हैं हमारी शक्ल–सूरत तथा हाव–भाव से अन्य लोग आकर्षित होते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इस प्रकार जो किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। और बहुत कुछ किया जाना है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमने हाल ही में मणिपुर राज्य में खेलों के लिए अच्छी अवसंरचना का विकास किया जब हमारे यहां पांचवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। परन्तु इस अच्छी अवसंरचना को उचित रख–रखाव चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसा, केवल तभी हो सकता है जब इस क्षेत्र में और राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाए। अन्यथा यह काफी कठिन है। जैसा कि हम लोगों

[डा. टोकचोम मैन्या]

को पता है, उस क्षेत्र को जाने वाली सड़क का विकास किया जाना बाकी है, तथा उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता है।

मैं इस सदन का सदस्य होने तथा विशेषरूप से संप्रग की ओर से सदस्य होने के लिए बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूं, जो पार्टी सत्ता में आते ही इन राज्यों को काफी पैसा दिया जा रहा है। अब हमें यह देखना है कि इस पैसे का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री गत वर्ष की तरह 'आउटकम' बजट लेकर आयेंगे। इसके साथ ही, हम जानते हैं कि कार्यनिष्पादन कैसे हो रहा है।

हमें केन्द्र द्वारा कई प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसमें अंतर्गत इन क्षेत्रों को पैसा जा रहा है। कतिपय कठिनाइयां हैं। मैं अनुदानों (सामान्य) की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में इन कठिनाइयों का उल्लेख करने का विशेषाधिकार का उपयोग करूंगा। पहली कठिनाई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है। दुर्भाग्यवश, राज्य के उस भाग तथा जम्मू तथा कश्मीर में हमारे पास कपितय कानून हैं जो क्षेत्र विशिष्ट हैं। मैं सभी उदाहरण का उल्लेख करूंगा। क्षेत्र–विशिष्ट इस अर्थ में कि यहां सशस्त्र बल विशेष शान्ति अधिनियम, 1958 लागू होता है। इस तथ्य से पूरी तरह सहमत हूं कि राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित करे। लेकिन तब भी भारत सरकार ने, इस क्षेत्र के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखने के बावजूद, न्यायमुर्ति रेड्डी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति स्थापित करने का आदेश दिया है।

हम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि रेड्डी समिति का प्रतिवेदन सरकार के पास आ गया है। देश के उस भाग के सभी लोग, विशेषरूप से उत्तर–पूर्व भारत तथा जम्मू व कश्मीर के लोग इस बदनाम अधिनियम को वापस लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इससे वहां के लोगों की मनःस्थिति में सुधार लाने में काफी सहायता मिलेगी।

हमें विकास के लिए उचित माहौल की आवश्यकता है तथा शांतिपूर्ण माहौल प्रत्येक चीज के उचित विकास के लिए काफी आवश्यक है। इन बातों पर विचार करते हुए मैं इस महान सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हम इस तथ्य की बहुत बात करते हैं कि यह देश कृषकों का देश है। प्रत्येक दिन हम इस तरह की बातें सुनते हैं। हमने किसानों की समस्या पर यहां चर्चा करते हुए सुना है।

ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी तरह सही नहीं होऊं। लेकिन इसका एक कारण यह है कि हमारे योजनाकारों को यह देखना चाहिए कि किसानों को अपने कृषि संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। एक बार जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है तब शायद, वे राष्ट्र–निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने आएंगे। आज हमें अपने माननीय वित्त मंत्री पर गर्व है। मैं उनकी उपस्थिति में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। हाल में मूल्य वृद्धि पर एक चर्चा हुई थी। प्रतिदिन इस पर शोर मचता है। मूल्यवृद्धि है। निस्संदेह, हम सहमत हैं। लेकिन यह मूल्य वृद्धि क्यों है? हमें इस ओर देखना पड़ेगा। सरकार काफी कठिन कोशिश कर रही है, वस्तुतः, माननीय वित्त मंत्री संभव में काफी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजसहायता दर बढ़ा दी है। उन्होंने उत्पाद शुल्क घटा दिया है। उन्होंने कई काम किए हैं। लेकिन फिर भी मूल्यवृद्धि है। ऐसा क्यों है? यह बढ़ती जनसंख्या के कारण है। मांग ज्यादा है। यदि मांग पूर्ति से ज्यादा हो तो स्वाभाविक रूप से मूल्यवृद्धि होगी। इसके लिए हम सबों को मिलकर एक हल खोजना होगा। हम सबों को साथ बैठकर लोगों को बताना होगा कि यह परिस्थिति है जिसके अंतर्गत हमें इस प्रकार करना होगा। केवल एक दूसरे को कोसने से इसका हल नहीं निकलेगा। इन सभी कठिनाइयों को पूरी तरह समझते हुए हमें याद रखना है कि हमें कठिन परिश्रम करना होगा। यह ऐसी चीज है जो काफी महत्वपूर्ण है। मुझे बचपन में सीखी गई बात अभी भी याद है। हमने यह सीखा कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है।

हाल में, मुझे लोकसभा टी वी पर 9 बजे रात्रि की चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया गया। चर्चा संसद की कार्यवाहियों के बारे में काफी रोचक थी जहां हमारे विपक्ष के सहकर्मी कार्यवाही बहिष्कार करते हैं या इसमें व्यवधान डालते हैं। वह चर्चा जनसामान्य के लिए प्रश्न पूछने तथा उत्तर पाने के लिए खुला था। उस समय चर्चा के दौरान कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। संचालक मुझसे पूछ रहे थे कि इस संस्करण में कोई प्रश्न क्यों नहीं आता है। मैंने कहा, "महोदय, अब 9 बजे रात्रि हो चुकी है, मणिपुर तथा उत्तर–पूर्व भारत या उस क्षेत्र में लोग सभी दरवाजे 6 बजे शाम में बंद कर देते हैं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सोने चले जाते हैं। कोई भी हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए नहीं होगा। केवल यहां पर राजधानी में कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे।"

मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है। कुछ कार्य किए जाने हैं। भारत सरकार के स्तर पर हमें उस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को देखना होगा। हमारा क्षेत्र काफी शांतिपूर्ण है। लेकिन यह ऐसा किस प्रकार हुआ? सभी इसे जानते हैं। हमें उस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास पर विशेष दबाव देना होगा। यह काफी महत्वपूर्ण है। जो भी पैसा दिया जाता है, वह काफी बड़ी राशि है। इसके बावजूद इस क्षेत्र को और पैसों की आवश्यकता है। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे तथा अगली बजट में मुझे आशा है कि और भी ज्यादा धनराशि आवंटित की जायेगी। मुझे

यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मणिपुर सरकार को इस बार 1,160 करोड़ रु. योजना खर्च में दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिमाह हम 100 करोड़ रु. खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कानून और व्यवस्था की समस्या वहां बनी हुई है। उसके लिए हमें कई उपाय करने होंगे। मैं इस महान सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अनुपूरक मांगें नियमित रूप से आती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर माननीय वित्तमंत्री को बधाई देता हूं तथा मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : धन्यवाद महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे दल की ओर से माननीय सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी ने कई विषयों पर बोला है। मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। इस सम्माननीय सभा के कई माननीय सदस्यगण, विभिन्न महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। यह सामान्य बजट नहीं है। यह अनुपूरक अनुदानों की मांगें हैं। यह 47,868.97 करोड़ रु. के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने की मांग करता है। चर्चा की व्याप्ति सीमित है।

इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह ठीक ही कहा गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि आयातित यूरिया पर 1500 करोड़ रु. की राजसहायता दी जाती है और नियंत्रण मुक्त आयातित उर्वरक पर 600 करोड़ रु. की राजसहायता दी जाती है। माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारे देश में कई उर्वरक संयंत्र बंद हैं।

पूर्वी जोन में लगभग सभी उर्वरक इकाइयां बंद हैं। यदि हमारे देश में संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए धन दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह न केवल किसानों के लिए अपितु देश के लिए भी लाभदायक होता। अनुदान मांगों में इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन आने वाले समय में आने वाले दिनों में हमारी सरकार को हमारे अपने उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बारे में विचार करना होगा ताकि हम आयातित उर्वरकों और आयातित यूरिया पर निर्भर न हो। हमारे पास यूरिया का उत्पादन करने के पर्याप्त संयंत्र हैं। यह मेरी पहली बात है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि उर्वरकों के रूप में किसानों को राजसहायता दी जाएगी। मैं उनसे इस बात को स्पष्ट करने का अनुरोध करता कि यह राजसहायता सीधी किसानों को दी जायेगी अथवा संयंत्रों को दी जायेगी। उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि यह राजसहायता किसानों तक सीधे कैसे पहुंचे।

मैं कृषकों से संबंधित अन्य मुद्दों पर आ रहा हूं। कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। यद्यपि यह कृषकों की समस्या पर चर्चा करने का अवसर नहीं है फिर भी कई मुद्दे उठाये गये हैं। कृषकों की समस्या के समाधान के लिए पहला मुद्दा पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके लिए, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता है। सामान्य बजट में, संबंधित विभाग ने सिंचाई के लिए 12000 करोड़ रुपये मांगे थे किन्तु योजना आयोग ने केवल 8000 करोड़ रुपये मंजूर किए। मेरा प्रश्न यह है कि संसदीय प्रणाली में योजना आयोग सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। सर्वप्रथम, योजना आयोग को समझाया जाना चाहिए और योजना आयोग समयानुकूल होना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के होने का क्या फायदा है यदि योजना आयोग उस दिशा में नहीं सोचता है? विभाग कुछ धनराशियों की मांग करते हैं किन्तु योजना आयोग उनमें कटौती कर देता है। ऐसी स्थिति में, हमारा राष्ट्र कैसे प्रगति करेगा? सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

दिन–प्रतिदिन कृषि के क्षेत्र में पूंजी निर्माण घटता जा रहा है। माननीय मंत्री जी इस तथ्य से परिचित हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है किन्तु यह जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं है। हमारे देश के वाणिज्यिक बैंक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने की स्थिति में नहीं है और तो और 18 प्रतिशत का शुद्ध ऋण्ण प्रवाह भी नहीं। यद्यपि कुल ऋण प्रवाह का कम से कम 20 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किये जाने की आवश्यकता है और इसका निर्धारित लक्ष्य 18 प्रतिशत है। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है। किन्तु हमारे देश के अधिकतर वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। न केवल यही, हमारे बजट परिव्यय में से भी, मेरे विचार में, कृषि क्षेत्र के लिए दो प्रतिशत भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत कृषि के लिए दिया गया है। यही स्थिति है। इस स्तर पर इस मुद्दे के सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

यह तथ्य है कि खेतिहरों और कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। विभिन्न एजेंसियों ने यह पाया है कि 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु उनका खर्च भी पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। इसलिए, इसमें 3.5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है। हम इस अंतर को कैसे पूरा कर सकते हैं? किसानों के पास धनराशि उधार लेने के लिए साहूकारों अथवा अन्य गैर संस्थागत एजेंसियों के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। क्या वह सभी

[श्री प्रबोध पाण्डा]

गैर–संस्थागत एजेंसियों का उपयोग करने के बारे में विचार कर रहे हैं? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यदि आप अपने संस्थागत ऋण नेटवर्क में इनका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इन समस्याओं का निवारण नहीं कर पायेंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने डा. स्वामीनाथन समिति के बारे में उल्लेख किया है। हम विभिन्न अवसरों पर चीन की स्थिति का उल्लेख करते रहते हैं परंतु जहां तक मुझे मालूम है चीन में कृषि पर ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर नहीं दिया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश को किसानों को शून्य प्रतिशत दर पर ब्याज नहीं देना चाहिए परंतु कम से कम डा. स्वामीनाथन समिति के विचारों का पालन किया जाना चाहिए। मेरा यही मानना है कि हमारी सरकार को कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के समिति के विचार का पालन करना चाहिए।

मैं इस अवसर पर वैद्यनाथन समिति के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। सहकारी क्षेत्र में विभिन्न स्तर हैं और सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं ताकि कम से कम एक या दो स्तर को हटाया जा सके। चार प्रतिशत ब्याज दर पर धनराशि देने के इस प्रावधान का अर्थ होगा किसानों अथवा प्राथमिक कृषि समाज के सदस्यों पर अपेक्षाकृत कम भार होना। उन्हें केवल ऋण उपलब्ध कराना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र को सस्तीदर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन के संबंध में हम अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कुछ धनराशि प्रदान कर रहे हैं परंतु मैं यह महसूस करता हूं कि इसके लिए बाजार की भी आवश्यकता है। यदि आप भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्नों की खरीद और जेसीआई को कामगारों से पटसन की खरीद हेतु धनराशि आबंटित नहीं करते हैं तो बाजार की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारतीय खाद्य निगम, जेसीआई और ऐसी अन्य एजेंसियों को अधिक धनराशि आबंटित करना सुनिश्चित किया जाए।

मैं आत्महत्या के मामलों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसे कुछ जिलों में नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। जहां किसानों को किसी प्रकार का पैकेज दिया जाएगा परंतु, वर्तमान में आत्महत्याओं के ये मामले केवल कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं हैं। इसलिए किसानों विशेषकर देश के विभिन्न जिलों में अत्यधिक संकट का सामना कर रहे किसानों हेतु एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। सरकार को इस समस्या का निवारण करने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

मैं इस महान सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं, परंतु इनका समर्थन करते समय मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इस महान सभा में उठाई गई सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : सभापति महोदय, अब सभा 43 मदों हेतु वर्ष 2006–07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रही है तथा मैं अपने दल, मरूमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से इसका समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर बोलने का मौका देते हुए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। अनुदानों की मांगों के माध्यम से 47,868 करोड़ रुपये की मांग की गयी है।

मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा विचारित कदमों से उन क्षेत्रों के किसानों की परेशानियां कम करने में मदद मिलेगी जहां किसान असहाय स्थिति में पहुंच जाते हैं तथा आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। पूरे भारत के उन जिलों में जहां किसानों द्वारा आत्महत्या एक आम बात हो गई है – किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उनके ऋण भार को कम करने हेतु 27 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

जब फसल हानि होती है अथवा फसल को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ नष्ट हो जाने का इंतजार करने के बजाय शुरू में ही, जब क्षति नजर आये, किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। फसल बीमा योजना के तहत शामिल किसानों को ही नहीं बल्कि लघु और सीमांत किसानों को भी सरकार द्वारा सहायता मुहैय्या करायी जानी चाहिए। वैसे किसानों को भी, जो बीमा योजना में शामिल होने में सक्षम नहीं है, मॉनसून की विफलता अथवा फसल हानि अथवा अचानक आये प्राकृतिक प्रकोप की हालत में आवश्यक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। गरीब किसानों को बचाना अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक है।

जहां तक मेरे गृह राज्य तमिलनाडु का प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पेशा कुक्कुटपालन है। पिछले वर्ष 'बर्ड फ्लू' की वजह से भारी हानि हुई थी। गैर–कृषि मौसम में कुक्कुट पालन पर निर्भर रहने वाले छोटे किसानों को मुआवजा देने हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मैं इसके लिए संप्रग सरकार का स्वागत करता हूं। हथकरघा क्षेत्र में जो तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है, बुनकरों हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। मेरी समझ से यह धनराशि अपर्याप्त है क्योंकि लाखों बुनकर पूर्णरूपेण इस पारंपरिक पेशे पर निर्भर हैं। इतनी धनराशि से इस क्षेत्र को विकसित करने तथा करघों का उन्नयन करने और उत्पादन बढ़ाने की उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

वस्त्र क्षेत्र में सतत् वृद्धि व विकास सुनिश्चित करने हेतु 'टफ्स' नाम की एक योजना शुरू की गई है तथा इसके लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गयी है। सरकार को हमारे वस्त्र क्षेत्र हेतु वांछित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मुहैय्या कराने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि हम चीनी वस्त्र उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। सामूहिक विकास के अंतर्गत इस बजट में अनेक योजनाओं की घोषणा की गयी है और उनमें से अनेक योजनाओं को अभी भी क्रियान्वित किया जाना शेष है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बुनकर उद्योग को आगे बढ़ाने हेतु इन योजनाओं को क्रियान्वित करें।

जहां तक शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रश्न है, पूरे भारत में, उनमें से करीब 44 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक तमिलनाडु में शहरी जनसंख्या 70 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगी। ऐसी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर मात्र औद्योगिक क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगे। इस बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने हेतु हमें औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योग विकसित करने हेतु अर्थोपाय की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। यदि हम शिवकाशी को लें तो यह छपाई उद्योग वाला औद्योगिक शहर है जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में इस उद्योग को अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यह उद्योग संकट में है। उदाहरणार्थ, फायर क्रैकर्स इकाइयों के साथ इस उद्योग हेतु आवश्यक सिलोफेन पेपर की कीमत बढ़ गई है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस किस्म के कागज पर से आयात शुल्क हटाकर इस उद्योग के बोझ को हल्का करें। शिवकाशी का प्रिंटिंग उद्योग और राजपलायम्स वस्त्र उद्योग जो हाल तक विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर था को क्लस्टर अप्रोच डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत सहायता पहुंचाए जाने की आवश्यकता है।

संस्कृत भाषा और इसकी संस्कृति से जुड़ी कलाओं को बढ़ावा देने हेतु 5 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। मैं कृतज्ञतापूर्वक तमिल भाषा को इस सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा घोषित करने के प्रयासों को याद करता हूं। इसलिए, तमिल और तमिल संस्कृति से जुड़ी कलाओं के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं विश्व में तमिल संस्कृति और इसके कला रूपों को बढ़ावा देने हेतु एक कला कोष स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। तमिलनाडु में प्राचीन कलाएं अभी भी जीवित हैं और उनके संरक्षण हेतु हमारे सामने एक राष्ट्रीय मिशन है। भक्ति साहित्य एवं अन्य साहित्यों में हमारी विविध कलाओं का उल्लेख है।

कृषि क्षेत्र को धार प्रदान करने हेतु उर्वरक और उत्तम बीज मूलभूत साधन हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के उर्वरक उपलब्ध हों। अनेक वर्षों के बाद कावेरी डेल्टा में इस वर्ष सिंचाई जल की उपलब्धता की वजह से 12 लाख एकड़ भूमि पर खेती शुरू हुई है। वहां धान का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में पर्याप्त उर्वरक और उत्तम बीज मुहैय्या कराए जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष, उर्वरक हेतु 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजसहायता निर्धारित की गई है। इस समय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उर्वरक का उत्पादन और वितरण बढ़ाने हेतु पर्याप्त उपाय करें। किसानों की परेशानियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रगतिशील उपायों हेतु उसे बधाई देते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मदद की यह गति बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं, माननीय वित्त मंत्री जी को उनकी वाक्–पटुता एवं अत्यंत प्रभावी कार्यशैली के लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री बनने के बाद उनका पहला प्रयास देश में कृषक समुदाय को 1,05,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना था, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके बाद, इस वर्ष, ऋण प्रस्तावों के लिए 1,77,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। यह कृषि क्षेत्र के विकास में काफी सहायक होगा। लोग बार–बार किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की बात करते हैं। परन्तु और अधिक धनराशि उपलब्ध करा कर सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास निश्चित रूप से एक नई जागृति पैदा करेंगे, कृषि क्षेत्र में एक नई सोच एवं विकास की एक नई धारा पैदा करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में कृषि पर ब्याज दर में कमी करके इसे 7 प्रतिशत किये जाने की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि देश में कृषि समुदाय हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। अधिकांश कृषक वर्ष दर वर्ष अकाल, सूखा तथा बाढ़ की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि हम इस ब्याज दर को कम करके 4 प्रतिशत कर दें। इससे देश में सीमान्त तथा उप–सीमान्त किसानों के कृषि उत्पाद में वृद्धि होगी। उन्हें इस कम ब्याज दर पर विशेष लाभ दिया जाना चाहिए।

कृषक समुदाय के बाद हमारे देश में बुनकर समुदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुनकर समुदाय व्यापक रूप से बहुत अच्छे उपायों के लिए

[श्री के.वी. तंगबालु]

तरस रहा है। राजग सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण वस्त्र कामगार, जूट उद्योग तथा हथकरघा क्षेत्र को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वर्ष 2004 में संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद ही समस्या पर ध्यान दिया गया तथा अन्ततः सरकार ने सेनवैट कर को हटाने, उनकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिक व्यवहार्य तथा ठोस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग विकास कर रहा है। पुनर्वास कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता थी। भारत सरकार का वित्त विभाग प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू कर रहा है। लोगों के दिमाग में आशंका थी कि यह योजना बंद कर दी जायेगी। जब ग्रामीण वित्त मंत्री महोदय सेलम के दौरे पर गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जारी रहेगी। इसके परिणामस्वरूप हथकरघा, पावरलूम तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश लोग चैन की सांस ले रहे हैं। वे अब आश्वस्त हैं कि भारत सरकार सदैव इस क्षेत्र की मदद करती रहेगी।

यह क्षेत्र कृषि के बाद रोजगार के सर्वाधिक अवसर उपलब्ध करवाता है। कामगारों, बुनकरों तथा विशेषकर युवकों में रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने की बहुत अधिक क्षमता है। माननीय मंत्री महोदय ने अतिरिक्त निधि के रूप में अनुपूरक मांगों में 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसा कि अन्य माननीय साथियों ने इस सम्माननीय सभा में अनुरोध किया है कि आप इस कार्यक्रम को 2010 तक जारी रखें। यदि आवश्यक हुआ, तो आप और 10 या 15 वर्षों के लिए इसे बढ़ा सकते हैं ताकि हथकरघा क्षेत्र, जूट उद्योग तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं माननीय मंत्री महोदय का पोल्ट्री उद्योग के लिए 80 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देता हूं। पोल्ट्री उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है जिसे बहुत सारे उद्यमी अपना रहे हैं तथा बहुत से लोगों विशेषकर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अतः हमें देश में पोल्ट्री उद्योग की मदद के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।

आयातित यूरिया तथा विनियंत्रित उर्वरकों को 1500 करोड़ रुपये राजसहायता के रूप में रखे गए थे। कुल अतिरिक्त खर्च 2,100 करोड़ जिसमें से नकद राशि 1500 करोड़ रुपये थी तथा शेष वसूली बढ़ाकर प्राप्त की गई थी। कृषि के विकास के लिए उर्वरक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान है। उर्वरक कंपनियों को जो कुछ भी राजसहायता दी जाती है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि यह राजसहायता सीधे किसानों तक पहुंचे। यह सर्वमान्य बात है कि राजसहायता उर्वरक कंपनियों को दी जाती है न कि किसानों को। मैं इस संबंध में अपनी निराशा व्यक्त करता हूं। राजसहायता के प्राप्त करने के हकदार केवल किसान ही हैं। जो भी राजसहायता उर्वरक कंपनियों को दी जाती है वह सीधे तौर पर किसानों को दी जानी चाहिए ताकि व्यापक तौर पर कृषक समुदाय लाभान्वित हो सके।

तमिलनाडु में डा. कलईगनर के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार ने 6800 करोड़ रुपए के कृषि सहकारी ऋण माफ कर दिए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह पूरे देश में एक विलक्षण कार्यक्रम था जिसने किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाया है। ऐसे ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बन्धित ऋण के बारे में मांग है। लोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेते हैं। मुझे डर है कि पता नहीं हम उनकी मदद कर पायेंगे या नहीं। लेकिन हमारे देश में तथा मेरे राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण के संबंध में मांग है। डा. कलईगनर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये इस कार्यक्रम से कुछ वर्गों को फायदा हुआ है। किसानों का एक दूसरा वर्ग जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया था को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और यह देखें कि हम किस प्रकार उन किसानों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया था। अन्ततः उनका ब्याज माफ किया जा सकता है, कृषक समुदाय को किसी न किसी प्रकार की मदद की जाए।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कार्यभार सम्भालने के बाद बहुत अच्छी पहल की है। हमारे देश में हजारों युवक धन के अभाव में उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सकते थे। गरीब परिवार, मजदूर, किसान, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते थे। आपकी समझदारी से, जब मैंने यह मुद्दा वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उठाया था, आपने इस बात की स्वीकृति दी, तथा न केवल स्वीकृति दी थी बल्कि यह आदेश भी दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक गरीब वर्ग के योग्य लोगों को शैक्षणिक ऋण उपलब्ध करवाया जाए।

आज देशभर में हजारों युवाओं को इस योजना से लाभ पहुंच रहा है। माननीय मंत्री महोदय को उनकी महानता अथवा उदारता के लिए मेरी ओर से ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की ओर से धन्यवाद। कामकाजी वर्ग के लोग, गरीब किसान तथा हमारे देश के कमजोर वर्ग के लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

इस योजना के कारण ही आज लोग उच्च शिक्षा, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा आदि की हो, के लिए विदेश जा रहे हैं। यहां मैं कुछ मांग करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने तकनीकी शिक्षा

के लिए ऋणों के वितरण का आदेश दिया था। उन्होंने बैंकों को केवल तकनीकी शिक्षा के लिए ही ऋण देने की सलाह दी थी। दूसरी ओर लोग बी.कॉम., बी.एससी., बी.एससी. (ऑनर्स), एम.सी.ए., बी.सी.ए. अथवा शिक्षक प्रशिक्षण का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। वे ऋण लेना चाहते हैं। यदि उन्हें भी ऋण दिए जाएं तो देश के गरीब लोगों के लिए यह बहुत बड़ी सहायता होगी। मैं इस मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूं तथा माननीय मंत्री महोदय से उन लोगों को भी ऋण देने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय जहां भी जाते हैं तथा बैठकों को संबोधित करते हैं, इसमें वह इस बात पर जोर देते हैं कि बैंकों को आगे आना चाहिए तथा जरूरतमंद लोगों को ऋण देने चाहिए। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश की महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत केवल इसीलिए किया था ताकि वे कमजोर वर्गों तथा गरीब लोगों तक पहुंच सकें और इस प्रकार उन्हें ऋण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकें। परन्तु अब भी इन्हीं बैंकों के कुछ प्राधिकारी, कुछ प्रबंधक वर्तमान स्थिति के अनुकूल, नहीं ढल पाए हैं, वे मंत्री महोदय के आदेशों तक का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; वे इधर उधर की ऊल–जलूल बातें करते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ मामलों में वे कहते हैं कि वे इनसे बाध्य नहीं हैं और वे 'कॉलेटरल सैक्युरिटी' मांगते हैं, जबकि माननीय मंत्री महोदय बार–बार कह चुके हैं कि 4 लाख रु. तक के ऋणों के लिए 'कॉलेटरल सैक्युरिटी' की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी उनका रवैया नहीं बदला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करें तथा वह एक या दो लोगों को दंडित भी करें ताकि वे सुधर जाएं। यह बहुत आवश्यक है।

हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास के लिए 15 प्रतिशत धनराशि आबंटित की जाएगी। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु पहले ही प्रत्येक मंत्रालय से 10 प्रतिशत का आबंटन होता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही देश में अल्पसंख्यक समुदायों को यह सुविधा दी जानी चाहिए और मैं इस पहल का हार्दिक स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

हम जानते हैं कि इस देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या पिछड़े वर्गों से है। पिछड़ा वर्गों पर ध्यान देने के लिए अलग से एक मंत्रालय है। परन्तु पिछले वर्ष इस विभाग अथवा मंत्रालय को बजट आबंटन केवल 78 करोड़ था। जब मैं कल्याण विभाग में मंत्री था तो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय वित्त तथा विकास निगम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय वित्त तथा विकास की स्थापना की थी। 1996 से आज तक मंत्रालय के इस विभाग ने उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी है। मैं इसमें आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। जब हमें पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रत्येक मंत्रालय के आबंटन का 10 प्रतिशत दे रहे हैं तथा अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत आबंटन दे रहे हैं, तो हम पिछड़ा वर्गों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आबंटन क्यों नहीं देना चाहिए? 60 प्रतिशत से अधिक लोग पिछड़े हुए हैं तथा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है; उन्हें केवल 78 करोड़ रु. की मामूली धनराशि मिलती है। इस स्थिति में इन समुदायों के विकास का क्या होगा?

सामाजिक–आर्थिक विकास समय की आवश्यकता है। वे सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं इस समुदाय की सहायता के लिए आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समान ही समाज के पिछड़े वर्गों को पर्याप्त धनराशि प्रदान कर उनकी सहायता की जानी चाहिए। यह हमारी लंबे समय से मांग तथा आवश्यकता है।

पिछले बजट में मंत्री महोदय ने एक बहुत ही सुविचारित तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, क्योंकि हमें सूखा, तूफान तथा जल से संबंधित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब तूफान आता है तो हम पानी का भंडारण नहीं कर पाते। सूखे के दौरान पानी नहीं होता। जल संरक्षण के लिए हमें देश में सभी जलाशयों को युद्ध–स्तर पर विकसित करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। जिसके द्वारा हम कृषि तथा पेयजल प्रयोजनों हेतु पानी को उपयोग में ला सकते हैं।

मेरे जिले सेलम में, हमें कावेरी से केवल पीने का पानी मिलता है। पिछले लगातार छह महीनों से हमारे पैंद्दूर बांध में जल का अच्छा खास भंडारण कायम है। पिछले 50 वर्षों से हम होगेनाकल में एक अतिरिक्त बांध की मांग कर रहे हैं। यदि होगेनाकल में एक अतिरिक्त बांध का निर्माण किया जाता है तो हम चार उद्देश्य पूरे कर सकते हैं – एक समेकित बांध, बिजली का उत्पादन, पेयजल तथा कृषि आवश्यकताओं हेतु जल की प्राप्ति। तमिलनाडु के संसद सदस्यों ने एक समेकित होगेनकल योजना बनाने के लिए संयुक्त रूप से भारत सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, परन्तु अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। राज्य सरकार की ओर से तथा तमिलनाडु के सभी संसद सदस्यों की ओर से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस योजना पर विचार करें ताकि सूख–प्रभावित सेलम, धर्मापुरी तथा उत्तरी आरकोट जिलों को पेयजल मिले तथा इसके साथ–साथ उनकी बिजली तथा कृषि विकास की आवश्यकताएं पूरी हों।

[श्री के.वी. तंगबालु]

हमको हाल ही में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सेलम को कवर करने वाली पेट्टूर–III जल योजना हेतु एक प्रस्ताव सौंपा है। हमें पर्याप्त पेयजल नहीं मिल रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मेरे जिले तथा मेरे राज्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ एक प्रस्ताव भेजा है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से इस धनराशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं ताकि विशेषकर सेलम जिले की जल समस्या का समाधान हो सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार की पहल का केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष स्व–सहायता समूह योजना से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से हमारी महिलाओं को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वे दिन प्रतिदिन आत्म–निर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।

इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और अपने कार्यकाल में आपने अच्छा कार्य करते हुए उन्हें अधिक धन आबंटित किया है। इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत है जबकि राज्य सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत है। जरूरतमंद लोगों को प्रवाही निधि दी जानी चाहिए। तीन महीने पहले तमिलनाडु में हमें जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक धनराशि नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब सरकार ने नई पहल करते हुए स्व–सहायता समूहों को सहायता देने की शुरूआत की है। इन उद्यमियों और गैर–सरकारी संगठनों को स्व–सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए और अधिक सहायता दी जानी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का अनुरोध करता हूं। इससे स्व–सहायता समूह आंदोलन को काफी फायदा होगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री के.वी. तंगबालु : मैं माननीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन्हें हर प्रकार की मदद दें ताकि स्व–सहायता समूह आंदोलन आगे बढ़ सके।

महोदय, स्व सहायता समूह आंदोलन भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 11,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। यह राज्यों का कर्त्तव्य है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पहल करे ताकि इस क्षेत्र में प्रगति हो सके। इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं। नाबार्ड योजनाओं को मंजूरी दे रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री के.वी. तंगबालु : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्यों को स्वसहायता आंदोलन के अंतर्गत और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। अनेक विद्यालयों में कक्षाकक्ष, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। हम आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे ताकि हम तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों, विद्यालयों इत्यादि में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा सकें। इससे गरीब तबकों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और देश के हर समुदाय को मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इस योजना के अंतर्गत मदद करने के लिए आगे आए। भारत निर्माण, ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं और ऐसी ही अन्य योजनाओं के अंतर्गत हमें सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी और कमजोर तबकों को लाभ मिल रहा है। संसद के निर्वाचित सदस्यों और विधायकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। आज, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जब ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक पारित किया गया था, उस समय भी हमसे यही गलती हुई थी कि हमने इसे, उसमें सम्मिलित नहीं किया था। मै माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्राधिकरणों को इस बात के अनुदेश दें कि वह इस योजना की निगरानी करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनुवीक्षक नियुक्त करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं वित्त मंत्रालय की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, आज माननीय वित्तमंत्री जी ने वर्ष 2006–2007 की अनुदानों की पूरक मांगों को इस सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुदानों की मांगों में जो विभागों और मंत्रालयों की सूची प्रविष्ट की है, उनमें 42 विभाग आते हैं। उसके कुल व्यय के लिए 47,807 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 39,200 करोड़ रुपये की वसूली प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। साथ ही 8,667 करोड़ रुपये भी व्यय करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। मैं वित्त मंत्री जी के इन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो राशि व्यय करनी है और जो राशि व्यय हो गई है, वह संसद की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती।

प्रत्येक वर्ष हम सामान्य बजट से लेकर अनुदानों की अनुपूरक मांगों को संसद में पास करते हैं। हम इसलिए इन्हें पारित करते हैं ताकि राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र से गरीबी, फटेहाली और बेकारी दूर हो सके। लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह मैं सदन में बताना चाहता हूं। विगत दो वर्षों में जिस रफ्तार से देश में महंगाई बढ़ी है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती, क्योंकि एक तरफ तो हमारे वित्त मंत्री जी अपने भाषणों में बार–बार कहते हैं कि हमारी विकास दर बढ़ रही है और दूसरी तरफ इतनी महंगाई लोगों को झेलनी पड़ रही है। हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी, लेकिन हम महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वह बेतहाशा बढ़ रही है। सरकार और देश के लिए यह काफी खतरनाक है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप एक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। आपको गहन चिंतन और अनुभव है तथा वित्त विभाग को आपने कई वर्षों से सम्भाला है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक सलाहकारों से और अन्य लोगों से आपको बातचीत करनी चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कृषि के विकास के नाम पर काफी धन खर्च किया जा रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हम वास्तव में कृषि का विकास कर रहे हैं या नहीं। कृषि का विकास तब तक सम्भव नहीं है, जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। हमें यह देखना होगा कि हमने देश की कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की है। जब तक यह सुविधा पूर्णरूप से हम किसानों को प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो प्रावधान करते हैं, उसमें कृषि के साथ–साथ सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी प्रावधान करके अधिक धन आबंटित करें, तब हम पूर्ण रूप से सिंचाई की व्यवस्था देश में कर पाएंगे।

हमारे देश में कई राज्यों की हालत खराब है और वे गरीब हैं, लेकिन भारतवर्ष में बिहार की गरीबी अव्वल दर्जे पर आती है। बिहार के किसानों की हालत अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक तकलीफदायक और फटेहाली की है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार के किसानों के साथ हमेशा उपेक्षा का भाव रखा गया है। पहले भी जो पैकेज अन्य प्रदेशों को मिलता था, वह बिहार को नहीं मिल पाया और अब भी वही स्थिति है।

सभापति महोदय, आप बिहार से भली–भांति अवगत हैं कि वहां की भूमि कितनी उपजाऊ है और वहां की माटी कितनी अच्छी है। लेकिन सिंचाई के अभाव में वहां अधिक पैदावार नहीं हो पाती। वहां के किसानों को कृषि के लिए समुचित साधन मुहैया नहीं हो पाते हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने का काम करेंगे। महोदय, आप भी अवगत हैं कि बिहार में कितने बैंकों द्वारा कितने किसानों के बीच ऋण वितरित किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे क्षेत्र में किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है।

महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के लोग इतने गरीब हैं कि आप किसी भी प्रदेश में जाकर देखें तो वहां पर जो मजदूर कुली, खलासी या दूसरे किस्म की मजदूरी करते हैं वे बिहार से आकर करते हैं, बिहार से लोग दूसरे प्रदेशों में रोजी–रोटी कमाने के लिए आते हैं। बिहार में शिक्षा का प्रतिशत भी कम है और उसका कारण यह है कि वहां पर शिक्षा–संस्थानों, चिकित्सा–संस्थानों और तकनीकी संस्थानों की भारी कमी है और वहां पर उद्योग–धंधे भी नहीं के बराबर हैं। झारखंड और बिहार जब अलग हुए तो उद्योग धंधे भी झारखंड में लगे और बिहार को उपेक्षित कर दिया गया। आज बिहार के पास क्या है? कृषि के अलावा बिहार के पास कुछ नहीं है। उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान है। माननीय झा जी ने और माननीय सीताराम सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से नेपाल के साथ जो समझौता हुआ था उसे लागू नहीं किया जा रहा है। जो बड़े डैम हैं वे अगर नदियों पर नहीं बनाए जाएंगे, पन–बिजलीघर नहीं बनाए जाएंगे और महोदय, बाढ़ नहीं रुकेगी तो बिहार का विकास नहीं होगा। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन, मुरहर, भुतही, दरधा और कररुआ आदि अनेक नदियां हैं जो दक्षिण बिहार होकर जाती हैं। इनमें सोन नदी पर बांध मिलेगा, बाकी नदियों पर आजादी के इतने सालों के बाद भी डैम का इंतजाम नहीं किया गया है, अगर इन नदियों पर डैम का पहले से इंतजाम कर दिया जाता तो निश्चित रूप से वहां के किसान खुशहाल होते, वहां के किसानों को खेती में काम मिलता और वे खुशहाल होते। अगर अब भी डैम बनें तो वहां के किसान खुशहाल होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

महोदय, जब तक बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग–धंधों की स्थापना नहीं होगी, तब तक वहां के किसान खुशहाल नहीं होंगे। हमारे बिहार में आम, लीची, केला और सारी की सारी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं लेकिन वहां उनकी प्रोसेसिंग के लिए उद्योग न होने के कारण बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां बेकार हो जाती हैं। अगर बिहार को अन्य खुशहाल प्रदेशों के समान लाना है तो निश्चित रूप से इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

अंत में मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार में जो हार्ट–पेशेंट, कैंसर–पेशेंट या किडनी के पेशेंट दिल्ली के एम्स अस्पताल आते हैं उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है।

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

आपने पटना में एक एम्स की तरह के अस्पताल की स्वीकृति प्रदान की है, इस कार्य की गति को बढ़ाया जाये। जो भी पैकेज वगैरह या घोषणाएं आप करते हैं उनके अनुरूप राशि भी उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे राजीव गांधी विद्युत परियोजना हो या ग्रामीण सड़क निर्माण योजना हो, वे कैसे पूरी होंगी। दक्षिण बिहार में पावर ग्रिड के लिए पैसा तो रखा है, विद्युतीकरण करने का जिम्मा दिया गया है लेकिन उसका काम भी नगण्य है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, अभी तक एक परसेंट भी वह काम नहीं हो पाया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सड़क निर्माण योजना है, उसके तहत इनकी प्लानिंग है कि वर्ष 2011 तक हम सभी गांवों को सड़क से जोड़ देंगे, लेकिन उसका काम भी बड़े–बड़े व्यक्तियों को दे रखा है। वह स्वयं काम नहीं करते। वह टेंडर करते हैं, टेंडर के बाद वह पेटी कंट्रेक्टर रखते हैं, इसलिए उनका काम भी सराहनीय नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया है।

महोदय, बोलने के लिए तो बहुत से विषय हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है, मैं कुछ ही विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर हम बहुत निर्भर करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी है, उसे दूर नहीं भी तो कम करने में यह योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी और इसी उम्मीद से इस योजना को गत फरवरी माह में लागू किया गया था। उम्मीद की थी कि बिहार में जो काफी पिछड़ा राज्य है, उसकी तरफ ध्यान जरूर दिया जाएगा। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि वहां पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में प्रशासन थोड़ा व्यस्त रहा फिर भी छह महीने से ज्यादा हो गए हैं पर इसमें जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। मसलन मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूं। हमारे यहां 11 प्रखंड हैं और इनमें उम्मीद थी कि अब तक ज्यादा नहीं तो एक लाख जाब कार्ड बंट चुके होंगे। जिला अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने 30 हजार जॉब कार्ड अब तक बांटे हैं। पर प्रखंडों के लोगों से बातों में इस बात की पुष्टि नहीं होती। सच्चाई है कि जाब कार्ड बने ही नहीं हैं। उनके वितरण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल यह उठता है कि यह जाब कार्ड बने क्यों नहीं। और विडम्बना यह है कि जो पैसे इस मद के लिए निर्धारित किए गए थे, वह पैसे मुखिया, सरपंच या दूसरे अधिकारियों ने बैंकों से निकाल लिए हैं। अब चुनाव के बाद नए मुखिया, सरपंच या दूसरे अधिकारी आ गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले पैसे निकाले, वे पुराने थे और उनके ही पास पैसे हैं और वह पैसे अभी तक वितरित नहीं हो पाया है। पैसा वितरित हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जाब कार्ड वितरित नहीं हुए हैं। जब तक जाब कार्ड वितरित नहीं होंगे, तब तक मजदूरी नहीं मिलेगी, तो पैसा कैसे मिलेगा। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म निकाले, जिससे राज्य सरकार पर अंकुश रहे और इस स्कीम को लागू करने में हम सफल हो सकें।

पर जहां जाब कार्ड बने हैं, वहां लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कहीं–कहीं पर लकड़ी का काम है तो कहीं पर मिट्टी का काम शायद मिल गया हो लेकिन अधिकतर जिन्हें जाब कार्ड मिले हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला है। पर रोजगार नहीं भी मिला तो उन्हें रोजगार भत्ता मिलना चाहिए। यही स्कीम का प्रावधान है कि अगर 15 दिन में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो प्रशासन उन्हें मजदूरी देगा और उसी रेट पर देगा, जिस रेट पर लोगों को रोजगार मिला है, मतलब 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। यह भी नहीं मिल रहा है। मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि वह एक रिपोर्ट बिहार सरकार से मंगवाए कि जिलों में क्या हो रहा है।

नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन का जहां तक मामला है, उसमें क्या प्रगति हुई है? अगर प्रगति ठीक नहीं हुई है तो कोई तरीका निकालें जिससे गरीब जनता जो गांवों, ग्रामीण इलाकों में रहती है, उनको इसका फायदा हो सके। यह स्कीम बहुत अहमियत रखती है और इस पर केन्द्र को ध्यान देना निहायत जरूरी है।

दूसरा मामला सड़कों के निर्माण के बारे में है। बिहार के माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि इसमें जो प्रगति होनी चाहिए, नहीं हो रही है। मैं विशेष कर नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। एक नेशनल हाईवे 98 बहुत महत्वपूर्ण है। जो बिहार में बंगाल से सिलीगुड़ी की तरफ से होते हुए गंगा और सोन पार करके, हमारे क्षेत्र से होते हुए झारखंड की ओर चला जाता है। यह बहुत ही व्यस्त सड़क है। जिस पर कमर्शियल और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों चलता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है लेकिन बार–बार बिहार सरकार केन्द्र सरकार से कहती है कि वह अन्य नेशनल हाईवेज के चौड़ीकरण व सुधार के लिए चयन करती रही है। इस तरह कम से कम 9 या 11 नेशनल हाईवेज चुन लिए गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नेशनल हाईवे 98 कभी नहीं चुना जाता? इसका असर यह हुआ है कि उधर का ट्रैफिक अब उधर से नहीं जाता है और सौ किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाता है। यह इसलिए

है कि यह सड़क खस्ता हाल में है। जिसका रिपेयर निहायत जरूरी है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेज ट्रांसपोर्ट और हाईवे कन्स्ट्रक्शन से यह अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जो आकलन बना है उसे बिहार सरकार से मंगाए और सैक्शन करके इस पर काम शुरू करे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जनहित में होगा, भारत सरकार और बिहार सरकार को इस काम को हाथ में लेना चाहिए। इस नेशनल हाईवे 98 के बारे में मैं पहले भी रूल 377 में बात उठा चुका हूं लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं इसलिए अपील करता हूं कि इस पर तवज्जो दें और अधिक विलम्ब न करें।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय सम–विकास योजना की सड़कों के निर्माण में भी वांछित प्रगति नहीं हो रही है। मसलन मेरे क्षेत्र मे 11 ऐसी सड़कें हैं जिन की कुल लम्बाई 600 किलोमीटर की है और जिस पर करोड़ों रुपये का व्यय है। इनमें से 4 सड़कें ही अब तक ली जा चुकी हैं। सितम्बर, 2004 से काम शुरू होना चाहिए था। सितम्बर, 2006 आ ही गया है। दो साल बीत गए हैं। पर बाकी सड़कों को अब तक छुआ भी नहीं गया है। ऐसा नहीं करने की वजह से लोगों को बहुत असुविधा होती है। ये सड़कें बड़ी महत्वपूर्ण है और न सिर्फ हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि अगल–बगल के जिलों और दक्षिण बिहार के क्षेत्र के लिए भी वे महत्वपूर्ण हैं। इन पर तवज्जो देना जरूरी है यह काम इरकॉन को यह सोचकर केन्द्र सरकार ने दिया था कि अगर कोई केन्द्रीय एजेंसी वहां जाती है तो सुनियोजित ढंग से काम करेगी। लेकिन इरकॉन ने सिद्ध किया है कि उस पर विश्वास करना ठीक नहीं था। खैर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हालांकि जैसा अभी गणेश बाबू कह रहे थे जहां कहीं इरकॉन को काम मिले हैं, वहां प्रगति नहीं हो रही है। इससे केन्द्र सरकार की छवि धूमिल हो रही है। छवि धूमिल हो या न हो लेकिन वहां की जनता को सरकार जो सुविधा प्रदान करना चाहती थी, वह नहीं कर पा रही हैं। इस पर ध्यान दिया जाए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक और महत्वाकांक्षी योजना है। उम्मीद की जाती थी कि इससे न सिर्फ बिहार में, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के गांव–गांव में बिजली चली जाएगी। और इसीलिए बड़ी उम्मीद और विश्वास से यह योजना एक केन्द्रीय संगठन पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दी गई थी।

[अनुवाद]

लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जोकि बहुत ही कुशल, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कार्य करने वाली कंपनी है – लेकिन यह कंपनी औरंगाबाद में काम करने में असमर्थ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने आवश्यक सामान नहीं खरीदा था जिसके कारण भंडार खाली थे और खाली भंडार से ग्रामीण विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं किया जा सकता था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ? ग्रामीण विद्युतीकरण में तीन चीजें सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत बिजली के खंभे लगाए जाने हैं, बिजली के तार लगाने हैं और ट्रांसफार्मर भी लगाने हैं। दुर्भाग्य से मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य होता हुआ दिखाई दिया है वह ट्रांसफार्मरों को लगाए जाने और लाइन बिछाने तक ही सीमित रहा है। लेकिन यह भी बहुत सीमित है और मैं समझता हूं कि यह 110 ब्लॉकों में से ढाई ब्लॉकों तक ही सीमित है। यह कोई संतोषजनक प्रगति नहीं है। मैं भारत सरकार जो कि पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर नियंत्रण रखती है, से अनुरोध करता हूं कि वह यह इस कार्य को शीघ्र और तीव्र गति से पूरा करवाने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

अभी वहां रेनफाल है मानसून का दौर है, इसलिए वहां कुछ काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो स्टोर और सप्लाईज, प्रोक्योर करनी थी, वह अभी तक प्रोक्योर क्यों नहीं की जा सकी। तार सब जगह मिलता है, ट्रांसफॉर्मर का रॉ मैटिरियल भी मिलता है, फिर इसे प्रोक्योर करने में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। यदि दिक्कतें पेश आ रही हैं तो उन्हें केन्द्र सरकार दूर करे, ताकि वह ग्रामीण लोगों को सुविधा पहुंचाने में कारगर सिद्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं पावर की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक महत्वपूर्ण परियोजना का वर्णन करना है। 1989 में बिहार की तत्कालीन सरकार ने नवीनगर में एक सुपर थर्मल पावर प्रोजैक्ट की परिकल्पना की थी। यह प्रोजैक्ट 2200 मेगावाट की थी। इस प्रोजैक्ट को दस सालों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? मैं समझता हूं कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि 1989 से 1999 तक वहां से चार गैर कांग्रेसी सांसद चुनकर आये और उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 1999 के बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू हो पाई है और इतनी जल्दी से बात शुरू हुई कि बीच में तत्कालीन रेल मंत्री, जो वर्तमान में बिहार के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने इस स्कीम को लिया। और वर्ष 2004 में लोक सभा भंग होने के बाद उन्होंने इस प्रोजैक्ट का शिलान्यास कर दिया। जबकि यह जरूरी था कि यूनियन कैबिनेट जोकि इकोनोमिक अफेयर्स की सब–कमेटी है, से अप्रूवल ले लें।

[अनुवाद]

आज की तिथि तक आर्थिक सुधारों संबंधी उपमंत्रिमंडलीय समिति ने इस परियोजना को अपना अनुमोदन नहीं दिया है। बावजूद इसके इसकी आधारशिला रखी गई थी। मैं भारत सरकार, माननीय विद्युत मंत्री

[श्री निखिल कुमार]

और माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करूंगा कि वह इस परियोजना पर गौर करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना पिछले 17 वर्षों से लम्बित है। यदि आर्थिक सुधारों संबंधी समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की दिशा में कुछ प्रगति की जा सकती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में आवश्यकता से बहुत कम बिजली उपलब्ध है। यद्यपि हम बाहर से बिजली प्राप्त कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास बिजली उत्पादन के स्वदेशी स्रोत भी होने चाहिए। बरौनी और कांति विद्युत स्टेशनों के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और अन्य निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। नबी नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी शुरू करना चाहिए। इसे आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लाना चाहिए। इसमें काफी समय लग रहा है। मैं भारत से अपील करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इसे अविलम्ब आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए ताकि वह अपना काम पूरा कर सके ...*(व्यवधान)*

अन्त में, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। वह जन स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में लोगों के लिए शौचालय उपलब्ध कराना है। यह हमारी महिलाओं की गरिमा को बनाये रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री सी.के. चन्द्रप्पन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सी.के. चन्द्रप्पन के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आशा करता हूं कि मैंने आज जो मुद्दे उठाये हैं उन पर सरकार गौर करेगी और उन पर उपचारात्मक कार्रवाई भी करेगी।

***श्री सी.के. चन्द्रप्पन** (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं इन अनुदानों के संबंध में कुछेक मुद्दे उठाना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण के शीर्ष के अंतर्गत एक अनुदान सूचीबद्ध किया गया है। इस सदन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता पर विचार करे क्योंकि उम्मीद की जाती थी कि इस प्रणाली से सरकार आम जनता को जरूरी चीजें मुहैया करा पाएगी। उदाहरणस्वरूप, केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद थी, जिसकी केन्द्र द्वारा प्रशंसा की गई थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थी, तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक वितरण की उस प्रणाली को अपनाने के लिए पत्र भेजे। आपकी व्यवस्था के अंतर्गत आज इसकी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के नाम पर, केन्द्र ने कतिपय मापदंड लागू कर दिए, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर के लोग इसमें शामिल हो गए हैं और गरीब लोग इससे बाहर हो गए हैं। इसलिए, अनेक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए हैं और यह लगभग एक अस्तित्वहीन मामला हो गया है।

जैसा कि आप जानते हैं, केरल खाद्याभावग्रस्त राज्य है और इसलिए इसे एक विशेष दर्जा दिया गया है। परन्तु इस सरकार की नयी नीतियों के चलते गेहूं और चावल के कोटे में कमी कर दी गयी है। जिसके परिणामस्वरूप जनता लाभान्वित नहीं हुई है। यही हाल मिट्टी के तेल का है। अतः यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जनता के लिए उपयोगी होना है तो सरकार को केरल की विशेष समस्याओं की ओर ध्यान देते हुए, पूरे दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना होगा। केरल के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक समुद्री तट है, जहां अनेक मछुआरे रहते हैं। मैं उन मछुआरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रालर और बड़ी मत्स्यन नावों का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि उन मामूली मछुआरों की बात कर रहा हूं जो अपनी नावों को यामाहा मशीन से चलाते हैं, जो किरोसीन तेल से चलती है। आपने उन्हें किरोसीन तेल से वंचित किया है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, विगत में केरल शीर्षस्थ स्थिति में था, लेकिन अब गरीब मछुआरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किरोसीन तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जब सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, मुझे आशा है कि वह इस समस्या पर ध्यान देगी।

महोदय, मैं सरकार को कुड्डीयट्टम जिसको यहां गलती से कुट्टीयट्टम के रूप में जिक्र किया गया है, के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि संस्कृति विभाग के शीर्ष के तहत स्वीकृत करने के लिए बधाई देता हूं। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त देश की विरासत कलाओं में से एक है। मैं सरकार को इसके विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में अनुदान देने के लिए बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि सरकार कुड्डीयट्टम के विकास हेतु कुछ अधिक उपाय करेगी।

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कहें तो, यहां बैठे मंत्री महोदय,

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पांडिचेरी के समीपवर्ती क्षेत्र से आते हैं। गृह मामले संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए, मुझे आशा है कि सरकार उस सिफारिश पर अनुकूल रूप से विचार करेगी और शीघ्र निर्णय लेगी। यह निर्णय काफी पहले किया जाना चाहिए था क्योंकि पांडिचेरी, जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं। राज्य का दर्जा पाने के लिए अर्हता प्राप्त है। यदि दिल्ली राज्य बन सकता है, तो पांडिचेरी भी राज्य बन सकता है और इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भी राज्य बन सकता है।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या राज्य सरकार को कुछ अधिक शक्ति दी जा सकती है क्योंकि इस समय, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, उसे अनेक चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए, इन तीन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली, वर्तमान में, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दिल्ली राज्य को अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं। लेकिन अन्य दो राज्यों के लिए, राज्य का दर्जा कायम रखा जाना चाहिए।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, उन्होंने अनुदानों की मांग की है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछेक वायदों को पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने आपके राज्य सहित बारह राज्यों में एम्स जैसे संस्थान खोलने का निर्णय किया है, परन्तु वह वादा आज केवल वादा ही रह गया है। सरकार अभी केवल कुछ मेडिकल कालेजों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर रही है। दरअसल यह अच्छी बात है और अच्छा होगा यदि कुछेक चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊंचा करने के लिए कुछ धन राशि दी जाये। परन्तु आवश्यकता इस वायदे को पूरा करने की है कि चिहिन्त बारह राज्यों में एम्स किस्म के संस्थान खोले जाएं। ऐसा नहीं है कि हम इस संस्थान के नाम से मोहित हैं, बल्कि ये तो सुविधाएं हैं, जो उन राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। जहां आज के समय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यदि इन संस्थानों को उस स्तर तक विकसित किया जाता है, तो यह एक अच्छी बात होगी जो यूपीए की सरकार करेगी। मुझे आशा है कि आप इस मांग पर भी विचार करेंगे।

केरल में जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना के अंतर्गत उन्होंने दो महत्वपूर्ण शहरों अर्थात् राजधानी त्रिवेन्द्रम और कोचीन का चयन किया गया लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, जब उन्होंने इन दो शहरों को चुना है और त्रिचुर, कोझिकोड़ और क्विनलोन को नहीं चुना। ये कुल मिलाकर एक ही प्रकार के निगम हैं। इसलिए, इसका लाभ केरल में इन तीन निगमों को मिलना चाहिए। इसके साथ–साथ गुरूवायूर, एक मंदिरों का शहर है, जहां देशभर से लोग आते हैं। गुरूवायूर में बेहतर निकासी प्रणाली और बेहतर जल आपूर्ति प्रणाली होने की वजह से इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतः, इस योजना के अन्तर्गत, इसको भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये मेरे कुछेक सुझाव हैं।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार 1984 के दंगों के सिख पीड़ितों को मुआवजा दे रही है। जैसा कि यहां उल्लेख किया गया था, ऐसे में उस पुन्नाथू व्यालार संघर्ष अर्थात् स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों और पश्चिम बंगाल के तेभागा संघर्ष में भाग लेने वालों को भी पेंशन देने में इतनी कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। ये सभी वे संघर्ष हैं, जो लगभग 50 से 60 वर्ष पहले हुए थे। ज्यादा लोग नहीं हैं, जो यह दावा करेंगे कि उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार उन्हें दावा करने हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह रही है। यह असंभव है क्योंकि यह 60 वर्ष पहले घटा था। ये सभी रियासतें थीं अथवा वे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। वे सभी मूल दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। इसका केवल यह अर्थ है कि वह उन लोगों को पेंशन नहीं दे रही है, जो वैध रूप से इसके हकदार हैं। जैसा कि सुबह किसी ने कहा था कि हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिनकी कुर्बानी की वजह से हम सब यहां संसद में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में विराजमान हैं। हमें उनके प्रति न्यायसंगत होना चाहिए। हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जो अधिक व्यावहारिक हो।

इन शब्दों के साथ, मैं इन अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2006–07 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह बात सही है कि यूपीए सरकार ने अपने वायदे के अनुसार काफी काम किए हैं। हम लोग पूरे आवाम को वायदा करके आए थे – गरीबों के विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, बिजली की समुचित व्यवस्था करने के लिए, जल प्रबंधन के लिए और समाज के हर वर्ग एवं तबका विकसित हो, इसके लिए जो कमिटमेंट किया था, मैं समझता हूं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आशा के अनुकूल कार्य जरूर किए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके बावजूद हमने हर तरफ देखा है, शिक्षा और सड़कों की तरफ भी देखा है, कई ऐसे महत्वपूर्ण जनोपयोगी सवाल हैं, उनकी तरफ देखा है। उसकी कमी को दूर करने

[श्री राम कृपाल यादव]

का निश्चित तौर पर हमने प्रयास किया है, इसके बावजूद आज देश का बहुत बड़ा तबका परेशानी हालत में है। कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके लिए केन्द्रीय स्तर पर जो ठोस कार्यवाही करनी चाहिए, वह शायद नहीं हो पाई है। खास तौर पर, मूल तौर पर जो महंगाई बढ़ी है, उससे आम लोगों के सिर पर बहुत बड़ा बोझ एवं परेशानी आई है।

महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी हम महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, इसलिए जनता में आक्रोश है। मूल रूप से देश का जो मूल बेस है, वह खेती एवं खलिहान है, उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज मैंने जो कहा कि महंगाई बढ़ रही है, उसका मूल कारण यह है कि उत्पादन में कमी हुई है। किसान तबके में निराशा हुई है, चूंकि उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता है, उसका कहीं न कहीं ह्रास हुआ है और देश में उत्पादन में कमी होने का यही कारण है। आज बड़े पैमाने पर हमें विदेशों से भी गेहूं एवं दूसरी सामग्रियों का आयात करना पड़ रहा है, जब कि अगर हम व्यवस्था करें तो हमारे पास मानव संसाधन इतने मजबूत ढंग से हैं और जमीन भी उपलब्ध है, अगर हम उनका सदुपयोग करें, उन्हें पर्याप्त साधन मुहैया कराएं तो निश्चित तौर पर आज जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति हमारे सामने नहीं रह पायेगी। हमारी विदेशों पर निर्भरता नहीं रह पाएगी। किसान जो मूल रूप से अपना धन लगाता है, उसकी मेहनत की कमाई का जो प्रोफिट होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। उसके कई कारण हैं, उसकी कई अवसरों पर चर्चा भी हुई है। आज भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक स्वामी नाथन रिपोर्ट थी, जिसने कई ऐसे सुझाव दिए थे, उसके अनुसार सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए, वह नहीं ले पाई, वैसे ब्याज की दर यूपीए सरकार ने कम की है।

सभापति महोदय, सरकार ने किसानों का ब्याज 7 प्रतिशत कर दिया, मगर वह अपर्याप्त है। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि 3 या 4 परसेंट किया जाए, लेकिन वैसा नहीं किया गया। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यही कारण है कि किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में भी बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। वे आज भी हो रही हैं। वे रुक नहीं पाई हैं। विदर्भ के इलाके में पिछले दिनों अनेक किसानों ने आत्महत्याएं कर लीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में कोई ठोस नीति बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण भी किसान खेतों में अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। बिजली की कमी है। इसलिए वह मिलती नहीं है। डीजल का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह महंगा है। वर्तमान सरकार राजीव गांधी मिशन के तहत बिजली की व्यवस्था पूरे देश के गांव–गांव में कर रही है और हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस बारे में आपको मालूम है, लेकिन उसका प्रतिफल नजर नहीं आ रहा है और गांव–गांव तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं। महंगा डीजल होने के कारण जो किसान अपने खेतों की सिंचाई हेतु जमीन के नीचे से पानी निकाल कर खेती कर रहे हैं, वह बहुत महंगी पड़ रही है और उसका उत्पादन लाभप्रद मूल्यों पर मार्केट में बिक नहीं पाता है। इसलिए खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो किसानों की तरफ ध्यान देना होगा।

महोदय, बिहार प्रदेश में सिंचाई की ठीक व्यवस्था नहीं है। आप देखें, जितनी भी ब्रिटिश टाइम की नहरें हैं, वे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। यदि सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी, तो किसान कैसे उत्पादन करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की इतनी उर्वरा जमीन है कि यदि वहां सिंचाई की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो जाए, तो वह केवल बिहार को ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी अन्न की पूर्ति कर सकता है।

महोदय, हमारे यहां चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन अब वह बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। वहां चीनी की मिलें बंद हो गई हैं। वहां जूट और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब समाप्त होती जा रही है। वहां कागज का कारखाना था। वहा बरौनी में खाद का कारखाना था जिसमें बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन होता था, लेकिन अब सरकार द्वारा उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिहार के किसान की उन्नति के लिए तथा उसकी खेती को लाभप्रद बनाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करें। आज वहां का चीनी उद्योग, कागज उद्योग और जूट उद्योग तबाह होता जा रहा है। यदि वहां चीनी, जूट और कागज उद्योग बढ़ेगा, तो वहां की गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है।

महोदय, हमने बार–बार मांग की है कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्व. राजीव गांधी जी ने बिहार की भूमि पर जाकर, वहां की गरीबी और बेरोजगारी को देखकर वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन वह आज तक नहीं मिला और कोरा आश्वासन बनकर रह गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ, तब वर्ष

2000 में एन.डी.ए. की सरकार ने स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन वह आज तक नहीं मिला। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उनमें बिहार के लिए भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह समविकास के अन्तर्गत की जाती है, स्पेशल पैकेज के अन्तर्गत नहीं। समविकास के अन्तर्गत तो प्रत्येक राज्य को सहायता दी जा रही है, बिहार के लिए कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही है। बिहार के बंटवारे के बाद, विद्युत एवं खनिज संपदा झारखंड में चली गई। हमने तब मांग की थी कि शेष बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। एन.डी.ए. सरकार के समय में, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद आश्वासन दिया था कि बिहार के बंटवारे के बाद विशेष पैकेज दिया जाएगा।

हम बिहार के बंटवारे के बाद विशेष पैकेज देंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सैल बनेगी, जो दो वर्ष के मुआयने के बाद बिहार के बंटवारे के बाद कितनी आर्थिक क्षति बिहार को हुई है और झारखंड को इससे कितना आर्थिक मुनाफा हुआ है, इसका आकलन करेगी और उसी हिसाब से बिहार को झारखंड और देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाने के लिए पैकेज देने का काम किया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ और वह सैल खत्म हो गया। यह सरकार का आश्वासन था, किसी व्यक्ति विशेष का आश्वासन नहीं था। क्यों नहीं सरकार इस पर एक्सरसाइज कर रही है? क्या वजह है कि आप बिहार को इस तरह से नैगलेक्ट करने का काम कर रहे हैं? हमारा राज्य एक बीमारू राज्य है। हमारे घर या परिवार में कोई भाई बीमार होता है या कमजोर होता है, उसको हम सपोर्ट करने का काम करते हैं। हमारे देश में बिहार जैसे और भी प्रदेश हैं, उड़ीसा जैसे प्रदेश हैं। लेकिन हमारे राज्य में सब कुछ रहते हुए, एक भी उद्योगधंधा नहीं है। आप हमें आत्मनिर्भर क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार–बार हमें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आज बिहार में क्या है? हमारा राज्य पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। वहां पर लीची, केला इत्यादि फल तथा सब्जियां होती हैं। इन सब पर यदि उद्योग लगाए जाएं तो मैं समझता हूं कि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करके दूसरे राज्यों को भी खिला सकते हैं, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो सकती है।

हमारे उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है और वह नेपाल के कारण आती है, जिसकी चर्चा हम हर बार करते हैं। आप इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं? आप हमें भीखमंगों की तरह हमेशा रिलीफ दे देते हैं। हम आपसे रिलीफ नहीं चाहते। हम राहत नहीं चाहते, हम आत्म निर्भर होना चाहते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते हैं? स्वर्गीय भीरू जी के जमाने से यह चर्चा आज तक होती रही है, लेकिन उस पर सतही रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। आपने 29 करोड़ रुपये दे दिए हैं लेकिन अभी तक उसका खाका नहीं आया है, अब आपने कह दिया कि डीपीआर बना दीजिए।

महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि डीपीआर के माध्यम से जो राशि आबंटित की गयी थी, उस डीपीआर की रिपोर्ट का क्या हुआ? आप उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या आपने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में और राशि देने का काम किया है या सिर्फ हम लोगों को फुसलाने का काम कर रहे हैं।

दक्षिणी नेपाल के 19 जिले सुखा क्षेत्र में आते हैं। इस बार तो वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। पहले तो नेपाल से बारिश आ जाती थी, जिसके कारण फसलों का रोपण हो जाता था, इस बार तो वह भी नहीं हो पाया है। इस बार जानवरों के चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे इलाकों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। ऐसे इलाकों के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि देने का काम कीजिए। हमें लोग कहते हैं कि आप रोज ही बिहार का मुद्दा उठाते हैं।

महोदय, कई ऐसी नदियां हैं, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें सोन और त्रिवेणी नदी इत्यादि हैं। इसी तरह से कटाव की समस्या है। गंगा नदी से सटे इलाकों का भारी पैमाने पर कटाव हो रहा है। लोगों की जमीन नदी में जा रही है। त्रिवेणी कनाल, प्रद्युमन और सोन कनाल बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में विकास किस तरह से हो पाएगा? किस तरह से जमीन आत्मनिर्भर हो पाएगा? इन नहरों के उद्धार करने की आवश्यकता है। मोकामा का टाल और जल्सा का क्षेत्र, वहां पानी जमा होता है, लेकिन इससे भी समस्या पैदा होती है। यहां बढ़िया टाल है, यहां जल जमाव होता है। यहां दलहन हो सकता है, जबकि दलहन इस समय काफी महंगा हो रहा है। यहां तीन–चार फसलें हो सकती हैं। इसके लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है ताकि किसान खुशहाल हो सके।

महोदय, राष्ट्रीय समविकास योजना की चर्चा हो रही है। अब राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में आपने पैसा दे दिया है और बिहार की सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय श्रम विकास योजना वह सब अपने राज्य के नाम से वहां के हमारे नये मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया है। माल महाराज का और खर्च कोई दूसरा, पैसा भारत सरकार का है और वहां की राज्य सरकार अपने नाम से काम बजा रही है। इसको देखना चाहिए, मोनेटरिंग करनी चाहिए, विज्ञापित करना चाहिए। हम सांसद लोगों को तो पूछा तक नहीं जाता है। हजारों–हजार करोड़ रुपया हम राज्य सरकार को दे रहे हैं, मगर श्रेय वहां की सरकार ले रही है और वहां की सरकार कुछ कर नहीं रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बढ़ाने की बात कर रही है। इसके लिए भारत सरकार पैसा दे रही है। ऐसी कई योजनाएं हैं, जितनी राज्य सरकार की वहां

[श्री राम कृपाल यादव]

सड़कें हैं, सब में सम विकास योजना के अन्तर्गत पैसा चला गया है और खासकर उग्रवाद के इलाके को छोड़ने का काम किया जा रहा है, जो वहां की राज्य सरकार चाह रही है। इसके लिए कोई मार्गनिर्देश नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके लिए कोई मार्गनिर्देश होना चाहिए, कोई नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसकी वजह से पूरे तौर पर वहां के लोगों का विकास हो सके, गरीबों का विकास हो सके। हम लोगों को, सांसदों को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष की सरकार है। सब योजनाओं पर अपने बोर्ड लगा रहे हैं। वैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, लेकिन वहां बिहार रोजगार योजना लिखा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपने कई पिछड़े जिले घोषित किये तो सिवान जिले को क्यों छोड़ दिया। वहां सिवान जिला छोड़कर सब जिले हो गये, उसको भी शामिल करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अंत में आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहता हूं।

जल प्रबंधन इस देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। हमें तीन तरह से जल मिल जाता है, मगर अभी तक हम उसका ठीक से जल प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज कहीं पानी नहीं है, कहीं ज्यादा पानी है, इसकी व्यवस्था अगर हम ठीक तरह से करें तो भूगर्भीय जल, वर्षा का जल और नदियों का जल, तीनों तरह के जल के प्रबंधन का कोई साधन हमारे पास नहीं है। इन तीनों तरह के जलों का कैसे समावेश हो, इसके लिए एक परियोजना बने ताकि इन तमाम जलों को एक साथ इकट्ठा करके एक यूनिट मानकर, कहां कमी है, कहां अधिक जरूरत है, वहां जल की व्यवस्था की जा सके। मैं देखता हूं कि हमेशा एक राज्य के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, दूसरे राज्य से कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, इसके लिए झगड़ा–झंझट होता रहता है। अगर जल प्रबंधन ठीक ढंग से होगा तो सिंचाई भी हो जायेगी, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो जायेगी, मगर इसके लिए सरकार ने सामान्य रूप से कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। मैं समझता हूं कि एक नीति बनानी चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए और एक यूनिट मानकर जल को पूरे देश में वितरित करना चाहिए, ताकि जल की समस्या, जो हमारे सामने दिनों–दिन विकट होती जा रही है, उस विकट समस्या से हम अपने आपको बाहर निकालने का काम कर सकें और देश में पानी का सही सदुपयोग हो सके।

मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सरकार के लिए बिहार का बड़ा योगदान है। हम हमारे नेता लालू प्रसाद जी यादव के नेतृत्व में योगदान देंगे, मगर हमें हमारी जनता ने जो मत दिया है, वह कुछ आपसे चाह भी कर रही है और हम हमेशा मांग भी करते रहे हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी और वहां हमारी सरकार थी तो इन्होंने हमें उपेक्षित कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम सब कुछ से ऊपर उठकर विकास की धारा में अपना सहयोग देना चाहते हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सहयोग दे रही है, मगर हमारा जो हक है, जिसकी चर्चा हमने की और हमारे कई माननीय सदस्यों ने की, उस पर आप कब तक ध्यान दे पाएंगे? हम चाहेंगे कि आप अपने जवाब में बिहार को कोई ठोस पैकेज दीजिए ताकि हमारी आर्थिक सम्पन्नता हो सके, हम आत्म निर्भर हो सकें और फिर हम अपने लोगों को राहत देने का काम कर सकें। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमेशा हम आपके सामने हाथ जोड़कर भिखमंगों की तरह खड़े हैं, इसलिए आप हमें आत्मनिर्भर बनाइए। हमारी क्षमता है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास भूमि है, सब कुछ है, लेकिन आप हमारे यहां सही बिजली की व्यवस्था कर दीजिए।

आप हमारे लिए पानी की समुचित व्यवस्था कीजिए और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करिए। मैं समझता हूं कि हम निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे प्रदेश में कोई उद्योग नहीं है। हमारे यहां जो खेती पर आधारित उद्योग हैं, जैसे चीनी और जूट की मिलें हैं, वे बंद हैं, उन्हें पुनः चालू कराइए। बरौनी स्थित कागज का कल–कारखाना बंद है, उसे पुनः चालू करने के लिए हमने पहले भी मांग की थी और हमारे यहां हर साल बाढ़ के पानी की समस्या होती है, आप हमें उससे निजात दिलाइए।

मैं इन्हीं निवेदनों के साथ और इस विश्वास के साथ कि बिहार के प्रति माननीय मंत्री जी इसी अनुपूरक बजट में कुछ ठोस निर्णय लेंगे, ताकि बिहार का विकास हो सके, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरभेश (कनकापुरा) : धन्यवाद महोदय, जब भी मेरे साथी इस देश के किसानों तथा गरीबों के लिए बोलते हैं, निश्चित रूप से इस सभा की भावना हमेशा यही रहती है, हालांकि हमने अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्षों के दौरान काफी विकास किया है, परन्तु आज भी किसान, गरीब तथा मध्य वर्ग के लोगों की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं इन मुद्दों पर कुछ रोशनी डालना चाहूंगा।

हालांकि, संप्रग सरकार के पास हमारे वित्त मंत्री के रूप में एक प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री पी. चिदम्बरम हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को

अतिरिक्त राजस्व से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सूनामी, सूखा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यय में अनपेक्षित बढ़ोत्तरी हुई है। मैंने माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों को पढ़ा है। मुझे यह देख कर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि वह राजस्व बढ़ा रहे हैं, आबंटनों का संतुलन बना रहे हैं तथा अतिरिक्त मांगों को पूरा कर रहे हैं। मेरे विचार से वास्तविक अतिरिक्त नकदी आवश्यकता 5,800 करोड़ रु. की है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह आगामी महीनों में अतिरिक्त राजस्व से इसे पूरा करेंगे।

मैं एक किसान की बेटी हूं और खुद एक किसान हूं। मैं कर्नाटक में कनकपुरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जहां अधिकांश लोग किसान हैं। स्वभाविक रूप से मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री उर्वरकों पर 1,500 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रहे हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। इससे देश में संकट की इस घड़ी में मजबूर किसानों को निश्चित रूप से सुदृढ़ता मिलेगी।

माननीय वित्त मंत्री ब्याज में छूट के लिए कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को 80 करोड़ रु. प्रदान कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि देश में 'बर्ड फ्लू' रोग के कारण किसानों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा। हाल ही में मेरे कर्नाटक राज्य सहित सभी दक्षिणी राज्यों में चुकुनगुनिया नामक एक संक्रामक रोग फैल गया था जो लोगों को रोगी बना रहा था। परन्तु इसके नाम 'चुकुनगुनिया' के कारण किसानों को गलतफहमी हो गई कि यह 'चिकनगुनिया' है और उन्होंने चिकन खाना बन्द कर दिया। कुक्कुट उद्योग पर भी इसका असर पड़ा। 80 करोड़ रु. की इस सहायता से वास्तव में कुक्कुट पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले किसानों जिनके पास 20 या 30 चिकन थे, पर भी असर पड़ा। वास्तव में इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

भारतीय किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना इस सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। हमारा किसान हमारा पेट भर रहा है और खुद मर रहा है। ऐसा क्यों है? वह काफी निराश है। उसका कृषि संबंधी व्यय बढ़ गया है परन्तु उसकी कृषि उपज को उतना मूल्य नहीं मिल रहा। इसका कारण ढूंढने के लिए हमें अपनी ओर देखना चाहिए। हम किसानों को स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने में अक्षम हैं। स्वभाविक रूप से दुखी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें वित्तीय सहायता देकर हमें इस संकट को दूर करना चाहिए।

मेरा चौथा बिन्दु यह है कि जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है मैं माननीय वित्त मंत्री को मेरे राज्य कर्नाटक सहित पूरे देश में स्व–सहायता समूहों की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगी।

हमें आज गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे महिला स्व–सहायता समूह अपने ऋण न केवल समय पर ईमानदारी से वापस कर रहे हैं बल्कि उनसे ऋण वसूली की दर 98 प्रतिशत है। अतः हमें महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से इन स्व–सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 50,000 करोड़ रु. का क्रेडिट ऋण देने का अनुरोध करती हूं। वास्तव में आज इसकी आवश्यकता है। हमें उन्हें तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए। इससे ग्रामीण महिलाएं सशक्त होंगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और किसानों के मुद्दे से जुड़ी है। इससे वे किसानों से, सीधे ही कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, धान, मक्का, सब्जियां, फल तथा दालें खरीद सकेंगे। इस प्रकार हम भ्रष्टाचार भी कम कर सकते हैं जो कि दलालों के कारण होता है। ये महिलाएं किसानों से उत्पाद खरीद कर इसकी आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कर सकते हैं। अतः हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ बना सकते हैं। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सशक्त बनेंगीं। इससे उनकी आय बढ़ेगी। इससे समाज में महिलाओं का सम्मान होगा। इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। इससे न केवल भ्रष्टाचार कम होगा परन्तु इससे हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। इससे शहर की ओर पलायन भी रुक जायेगा। अतः हमें इन्हें सुदृढ़ करना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से इस देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। स्वास्थ्य हमारा आधारभूत अधिकार है। चूंकि वे गरीब हैं वे महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते। अतः हमें उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजनाएं देनी चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से जरूरतमंद गरीबों को बड़े स्तर पर स्थायी आवास प्रदान करने के तरीके का पता लगाने का भी अनुरोध करती हूं। महोदय, मैं खुद ग्रामीण विकास स्थायी समिति की सदस्य हूं। हम यह चर्चा कर रहे थे कि केवल 25,000 से कैसे मकान का निर्माण किया जा सकता है। आवास मूलभूत आवश्यकता है और हमें बड़े स्तर पर स्थायी आवासों के लिए कुछ और पैसा देना चाहिए।

आज सुबह मैंने प्रश्न काल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री से सुना है कि राजग शासन के दौरान शिक्षा के लिए आबंटन कम हो गया था। यह वास्तव में एक चिन्ताजनक बात है। हम सभी जानते हैं कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है क्योंकि उन्हें महंगी शिक्षा नहीं मिल पाती। इसलिए मैं वित्त

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

मंत्री जी से गरीबों के लिए और धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करती हूं।

मेरे राज्य कर्नाटक में तटीय किसान समुद्र अपरदन से प्रभावित हैं। उनके पास अपनी जीविका कमाने के लिए थोड़ी सी जमीन है जो उनकी आंखों के सामने गायब हो रही है। वे रातों–रात अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इन किसानों को हुई हानि का अध्ययन करने, उन्हें वैकल्पिक भूमि आबंटित करने, उन्हें मुआवजे के रूप में पैसा देने तथा समुद्र अपरदन की समस्या का हल ढूंढने के लिए एक समिति भेजी जाए। उन्हें बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। हमें समुद्र अपरदन की समस्या को भी हल करना चाहिए।

मैं इस सम्मानित सभा से यह कहना चाहूंगी कि जब तक हम ग्रामीण भारत को सुदृढ़ नहीं करते, इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मैं यह कहूंगी कि चाहे हम सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, जहां तक इस देश के किसानों का सवाल है, हमें एक होकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए।

मंत्रालय से बड़ी अपेक्षाओं के साथ मैं अध्यक्ष को मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद करती हूं।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2006–07 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर छोटी चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। डी.एम.के. पार्टी की तरफ से मैं, अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं वित्त मंत्री जो कि एक योग्य तथा कुशल अर्थशास्त्री हैं, को बधाई देता हूं जिन्हें देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक और योग्य तथा कुशल अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह का पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ है।

महोदय, मुझे आशा तथा विश्वास है कि सं.प्र.ग. सरकार द्वारा आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों से शीघ्र ही देश को आर्थिक महाशक्ति बना देंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा बनाए रखने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सं.प्र.ग. सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों का इस देश में सही सोच रखने वाले तथा स्पष्ट बोलने वाले लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है।

मैं इस महान सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस महान सदन के सम्मुख केवल कतिपय दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम, सं.प्र.ग. सरकार ने तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। मैं माननीय वित्त मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस शास्त्रीय भाषा तमिल के विकास के लिए विभाग खोलें तथा इस पर अनुसंधान कराएं। तमिल सभी भाषाओं की माता है तथा यह सबसे पुरानी भाषा है। यह मानवजीवन के उद्भव के समय से चली आ रही है। अतएव, मैं चाहूंगा कि सरकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा पर अनुसंधान के लिए विभाग खोले। सरकार इस उद्देश्य के लिए उदारतापूर्वक धनराशि भी दे।

हमारी सरकार ने भारत निर्माण योजना की घोषणा करके इस देश में एक नई आशा का संचार किया है। यदि उसे वचनबद्धता के साथ तथा तत्परतापूर्वक लागू किया गया तो हमारा महान देश भारत, वैभव तथा महानता वाला देश बन जाएगा मुझे आशा है कि भारत निर्माण योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा। मैं महसूस करता हूं कि वार्षिक प्रगति के रास्ते में सभी बाधाओं को भारत निर्माण जैसे महान कार्यक्रम को क्रियान्वित करके दूर किया जा सकता है।

तमिलनाडु में हमारे महान मुख्यमंत्री, डा. कलैगनार एम. करुणानिधि ने प्रत्येक गांव की आर्थिक प्रगति के लिए 'अन्नामारुमालाची योजना' की घोषण की है। इसमें गांवों की समस्याओं का हल खोजा जाता है तथा गांवों की आवश्यकताओं की व्याख्या की जाती है। तमिलनाडु सरकार स्वच्छता, शिक्षा, सड़क परिवहन व सिंचाई इत्यादि के क्षेत्र में सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

सभापति महोदय : श्री मोहिदीन, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन : अतएव, भारत सरकार को देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 'अन्नामारुमालाची थित्तम' योजना की तरह नई योजना तैयार करनी चाहिए तथा आर्थिक सुधार के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। अतएव, हमारी सरकार को इसी आधार पर एक प्रणाली लानी चाहिए।

सायं 6.00 बजे

हमारे देश में तमिलनाडु तथा केरल से विशेषरूप से लोग भारी संख्या में रोजगार के लिए देश से बाहर जाते हैं। जब भी वे भारत लौटते हैं वे अपने आपको गहरी कठिनाई में पाते हैं। विदेश में कार्यरत लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके परिवारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। हाल में, बहरीन में तमिलनाडु के लगभग 16 व्यक्ति एक आग में मारे गए। वे गांव के किसान थे, वे धरती–पुत्र थे। वे अपनी जमीन बेचकर, अपनी संपत्ति तथा जेवर गिरवी रखकर विदेश गए थे।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। अचानक ही एक अप्रत्याशित आग दुर्घटना में वे जिंदा जल गए, उनके पार्थिव शरीर घर लाए गए तथा उनका परिवार सड़क पर आ गया। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को 2.0 लाख रु. दिए हैं तथा विदेश से मुआवजा आने में कुछ और समय लगेगा। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इन परिवारों की सहायता के लिए समुचित योजना लानी चाहिए विशेषरूप से तब जब वे अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं सं.प्र.ग. से यह करने का अनुरोध करूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र वेल्लौर में सलेम–होसूर–तिरुपत्तूर–वानियामबादी–उमराबाद–पेरानामोट–गुडियाथाम–चित्तूर को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाना चाहिए। वर्तमान में यह एक राज्य राजमार्ग है, तथा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाना चाहिए क्योंकि यह तीन राज्यों को जोड़ता है। अतएव, मैं जोर देता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए।

एक और बात यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र वेल्लौर में 'अर्वतला' के नाम से ज्ञात एक रिज है तथा यह आंध्र प्रदेश से सटी है। मेरा अनुरोध है कि वहां एक सड़क बनाकर इसे आंध्र प्रदेश के साथ बांटा जाना चाहिए। मैं इसे आंध्र प्रदेश से जोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान, व्यापारी तथा गांव के लोग वर्तमान में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तथा यदि सड़क बना दी जाती है तो वे पास के स्थान से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अतएव, यह सड़क बनाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त 'अर्वतला' को एक हाथी अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए। यह पहाड़ी क्षेत्र है तथा काफी ज्यादा संख्या में यहां हाथी हैं। हाल में, हमारी सरकार ने 'मधुमलाई' जगह को अभयारण्य घोषित किया है। उसी प्रकार 'अर्वतला' को हाथियों का अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए। यह मेरी विनम्र मांग है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, वेल्लौर में 10,000 से ज्यादा बीड़ी श्रमिक हैं तथा उन्हें सामूहिक आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। भारत सरकार को इस उद्देश्य के लिए धनराशि आबंटित करना चाहिए। हाल में, बीड़ी श्रमिकों के लगभग 2,500 बच्चों को भारत सरकार से छात्रवृत्ति पानी थी। गत वर्ष उन्होंने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे लेकिन कोई छात्रवृत्ति इन बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को नहीं दी गई तथा इसके परिणामस्वरूप, वे अपनी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, वेल्लौर में कुछ जगहों पर उर्दू शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारत सरकार को वेल्लौर क्षेत्र में उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहिए। इससे केवल वेल्लौर को ही सहायता नहीं मिलेगी बल्कि समूचा देश लाभान्वित होगा क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तमिलनाडु में ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश तथा अन्य जगहों पर भी प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों की भारी मांग है। अतएव, मैं सरकार से उसके लिए भी व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करूंगा।

अंतिम बात यह है कि डा. मनमोहन सिंह तथा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सं.प्र.ग. सरकार अल्पसंख्यकों को काफी ज्यादा सहायता दे रही है। मैं इसके लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं। मैं अल्पसंख्यकों को उसी प्रकार की सहायता देने तथा कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सं.प्र.ग. की ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य मिशन, शहरी पुनर्निर्माण मिशन, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि पहलों से देश में तीव्र आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय का सूत्रपात हुआ है। एक ही वर्ष में ग्रामीण ऋण में 42 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह किसानों के लिए शुभ संकेत है जिनके कल्याण के लिए हमारी सहयोगी श्रीमती तेजस्विनी इतना ज्यादा बोल रही थीं।

हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात से आठ प्रतिशत के बीच है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ठोस स्तर पर है तथा हमारे प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री सकल घरेलू उत्पाद की दिव–अंकीय विकास दर को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री जिन्दल, आप परसों अपना भाषण जारी रखेंगे। आप बोल रहे हैं।

अब सभा गुरुवार, 10 अगस्त, 2006 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 अगस्त, 2006/श्रावण, 1928 (शक) को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम		तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुग्रीव सिंह	221
	श्री रामदास आठवले	
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	222
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	
3.	श्री ए. साई प्रताप	223
4.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	224
5.	श्री महेश कनोडीया	225
	श्री पी.एस. गढ़वी	
6.	श्री अनंत कुमार	226
	श्री रघुनाथ झा	
7.	श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा	227
8.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	228
	श्री एम. अंजनकुमार यादव	
9.	श्री वी.के. दुग्मर	229
	श्री हितेन बर्मन	
10.	श्री अजय चक्रवर्ती	230
	श्री गुरूदास दासगुप्त	
11.	श्री मोहन रावले	231
12.	श्री सुबोध मोहिते	232
13.	श्री एम. शिवन्ना	233
14.	श्री भर्तृहरि महताब	234
15.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	235
16.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन	236
17.	श्री अवतार सिंह भडाना	237
18.	श्री रशीद मसूद	238
	श्री सज्जन कुमार	
19.	श्री बी. विनोद कुमार	239
20.	श्री चंद्रकांत खैरे	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1708
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1733, 1783, 1821
3.	आदित्यनाथ, योगी	1699
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1717, 1742, 1758, 1786
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1726, 1778, 1798
6.	आठवले, श्री रामदास	1723, 1773, 1796, 1826
7.	अतिथन, श्री धनुषकोड़ी आर.	1817, 1820
8.	'बघदा', श्री बघी सिंह रावत	1828
9.	बैठा, श्री कैलाश	1685
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1750, 1788
11.	बर्मन, श्री हितेन	1746
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1687
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1775
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1714
15.	बोस, श्री सुब्रत	1718, 1770, 1799
16.	चन्द्र कुमार, प्रो.	1735
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1698, 1774
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1710
19.	चिन्ता मोहन, डा.	1702, 1805, 1821
20.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1769, 1821
21.	देव, श्री विक्रम केशरी	1793
22.	देवरा, श्री मिलिन्द	1694, 1755
23.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1688

1	2	3
24.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1741
25.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1705
26.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1698, 1789
27.	गांधी, श्रीमती मेनका	1793
28.	गंगवार, श्री संतोष	1706
29.	गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द	1764
30.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1705
31.	जय प्रकाश, श्री	1679, 1748
32.	जयाप्रदा, श्रीमती	1821
33.	झा, श्री रघुनाथ	1782, 1804
34.	जोशी, श्री प्रहलाद	1676
35.	करूणाकरन, श्री पी.	1701
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1781
37.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1685
38.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1678, 1747, 1787, 1808, 1813
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1675
40.	कोया, डा. पी.पी.	1744
41.	कृष्ण, श्री विजय	1737, 1823
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1716, 1819
43.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1743
44.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	1702, 1821
45.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1762, 1800
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	1785, 1803
47.	माझी, श्री परसुराम	1727, 1745
48.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1698
49.	माने, श्रीमती निवेदिता	1698, 1789
50.	मसूद, श्री रशीद	1698, 1756, 1777
51.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1717, 1822
52.	मेघवाल, श्री कैलाश	1722
53.	मिश्रा, डा. राजेश	1708, 1775
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1681
55.	मो. ताहिर, श्री	1739, 1795
56.	मोहिते, श्री सुबोध	1702, 1752, 1792, 1815
57.	मुन्शी राम, श्री	1739
58.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1707
59.	नायक, श्री अनन्त	1693
60.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1728
61.	ओराम, श्री जुएल	1691, 1727, 1818
62.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1698, 1719, 1771, 1795
63.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1692, 1754, 1808, 1824
64.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1698, 1724, 1776
65.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1761, 1791, 1811, 1828
66.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1793
67.	पाठक, श्री ब्रजेश	1712, 1727, 1779, 1801, 1809
68.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1703
69.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1736, 1739, 1795
70.	पिंगले, श्री देविदास	1712, 1766
71.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1700, 1760
72.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1677, 1710
73.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1695, 1768
74.	राजगोपाल, श्री एल.	1683, 1821

1	2	3
75.	राव, श्री के.एस.	1680, 1749, 1789, 1794
76.	रावले, श्री मोहन	1765
77.	रावत, श्री अशोक कुमार	1739, 1795
78.	रावत, प्रो. रासा सिंह	1725
79.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1715, 1768
80.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1821
81.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1712
82.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1715, 1767
83.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	1738
84.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1821
85.	साई प्रताप, श्री ए.	1698, 1763
86.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1689, 1715, 1757, 1790
87.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1690, 1729
88.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1701
89.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1816
90.	सेन, श्रीमती मिनाती	1729
91.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1740, 1789
92.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1717, 1742, 1758, 1784
93.	शिवन्ना, श्री एम.	1759, 1793, 1810, 1814
94.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1736, 1739, 1795
95.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1709
96.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1697
97.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1682
98.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1757, 1789
99.	सिंह, श्री गणेश	1715
100.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1721, 1772
101.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1698
102.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1730, 1780, 1789, 1825
103.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1734
104.	सिंह, श्री राकेश	1732
105.	सिंह, श्री सुग्रीव	1761, 1791, 1811, 1828
106.	सिंह, श्री उदय	1711
107.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1704
108.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1686, 1753
109.	सुमन, श्री रामजीलाल	1805
110.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1684, 1751, 1799, 1812
111.	थामस, श्री पी.सी.	1696
112.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1698, 1724, 1776
113.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1758, 1789, 1806, 1812
114.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1731
115.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1815
116.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1717, 1742, 1758, 1784, 1802
117.	विनोद कुमार, श्री बी.	1756, 1797, 1807, 1827
118.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1739, 1795
119.	यादव, श्री मित्रसेन	1720
120.	यादव, श्री राम कृपाल	1721, 1772
121.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1698, 1713

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग		239, 240
वाणिज्य और उद्योग	:	227, 228, 230, 233, 236, 237, 238
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह		224, 226
मानव संसाधन विकास		222, 223
खान		
लघु उद्योग	:	229
वस्त्र	:	225, 231, 234
जनजातीय कार्य	:	221, 232
महिला और बाल विकास	:	235

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग		1676, 1693, 1710, 1731, 1734, 1758, 1764, 1781, 1798, 1807
वाणिज्य और उद्योग	:	1677, 1683, 1704, 1706, 1709, 1712, 1715, 1716, 1718, 1719, 1720, 1724, 1729, 1730, 1735, 1736, 1737, 1738, 1756, 1770, 1774, 1777, 1789, 1790, 1791, 1793, 1795, 1805, 1806, 1808, 1810, 1814, 1816
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास		1769
गृह	:	1675, 1678, 1690, 1694, 1698, 1699, 1700, 1701, 1705, 1708, 1711, 1714, 1722, 1726, 1732, 1740, 1742, 1743, 1746, 1753, 1754, 1755, 1757, 1759, 1772, 1775, 1780, 1786, 1794, 1796, 1799, 1815, 1828
मानव संसाधन विकास	:	1685, 1686, 1689, 1702, 1707, 1717, 1721, 1728, 1733, 1739, 1747, 1748, 1749, 1762, 1766, 1767, 1776, 1784, 1787, 1788, 1800, 1801, 1802, 1813, 1817, 1819, 1820, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827
खान		1681, 1688, 1691, 1696, 1697, 1725, 1727, 1745, 1773, 1779, 1785, 1792, 1809
लघु उद्योग	:	1687, 1750, 1765, 1778, 1821
वस्त्र		1679, 1680, 1682, 1692, 1703, 1713, 1752, 1763, 1782, 1783, 1797, 1803, 1804
जनजातीय कार्य		1741, 1760, 1761, 1768, 1771, 1811
महिला और बाल विकास		1684, 1695, 1723, 1744, 1751, 1812, 1818, 1822

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।